खण्ड-390, अंक-2
सोमवार, 8 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(27 फरवरी, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 390 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1–2
प्रश्नोत्तर	..	3–109
जिला आजमगढ़ के सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत मस्टर रोल के श्रमिकों की छटनी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. ..	109–111
इलाहाबाद नगरपालिका द्वारा पशुपालकों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. ..	111
जिला बाराबंकी के ब्लाक बंकी में रेठ नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. ..	111
जिला गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में आई0 टी0 आई0 खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	111
जिला गाजीपुर को ब्लाक बारांचबर में गांधी नगर से जवाहरनगर मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	... ..	111–112
जिला गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में सिधागर पाली–सलामतपुर मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. ..	112
जिला गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में विद्युत् उपकेन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	112–113
नियम 300 व 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	..	113–114
कानपुर के कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें	.. ..	114–122
राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुये उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर की सूचना	..	123
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन....(प्रस्तुत)	.. ..	123
द्वितीय सत्र, 1987 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 156 के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	..	123–124
प्रथम सत्र, 1988 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	..	124–125

विषय		पृष्ठ संख्या
एस0 एस0 पी0, आगरा द्वारा उपवेशन के दिन मीटिंग बुलाये जाने सम्बन्धी संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बैठक स्थगित करने के निर्देश एवं स्पष्टीकरण की मांग....	..	125–126
कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	..	126–143
वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा	..	143–180
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989....(पारित)	..	180–181
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	..	182
प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	182–189
दिनांक 23 जनवरी, 1989 को दिन दहाड़े बरेली स्थित दैनिक "विश्वमानव" के पत्राकार के अपहरण का प्रयास तथा कार्यालय पर हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	189–197
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	197
श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा माननीय नगर विकास राज्य मंत्री के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	197–198
श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री नागेन्द्र सिंह क्षेत्राधिकारी, पुलिस फरेन्दा, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	198–199
श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा माननीय ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री श्री श्याम सूरत उपाध्याय के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	199
श्री अफसर यू0 अहमद द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	199–200
श्री किरनपाल सिंह तथा अन्य सदस्यों की नियम 56 की सूचना पर निर्धारित चर्चा को निरस्त किये जाने की सूचना	..	200
दिनांक 16 जनवरी, 1989 को गोरखपुर जिले में अधिवक्ताओं के मौन जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के फलस्वरूप वकील अदालतों के बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निर्धारित चर्चा का स्थगन	..	200
नत्थियां	.. ..	201–210

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजकर 4 मिनट पर उध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अकबर अहमद (डम्पी), श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन बाबर, श्री (फैजाबाद)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशरफ इमाम, श्रीमती (मिर्जापुर)
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री (बुलन्दशहर)
श्रीमवती, श्रीमती (बिजनौर)
औसान सिंह, श्री (इटावा)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किशन लाल दिलेर, श्री (अलीगढ़)
कोकब हमीद, श्री (मेरठ)
खुरशेद अहमद, श्री (बहराइच)
गजराज सिंह, श्री (गाजियाबाद)
गौरी शंकर मइया, श्री (बलिया)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
जयवीर सिंह, श्री (अलीगढ़)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
देवेन्द्र सिंह, कुंवर (बिजनौर)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
निर्मय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
पद्मा सेठ, श्री (सीतापुर)
पुष्कर सिंह, श्री (गढ़वाल)
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रेमीला बुद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बद्री सिंह, श्री (जालौन)
बाबू सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुधपाल सिंह "खुर्चावाले", श्री (बुलन्दशहर)
भोपाल सिंह, श्री (मेरठ)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मनोहर लाल, श्री (उन्नाव)
लहारवीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
योगेन्द्र कुमार, श्री (बदायूं)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
राजेश कुमार खेरा, श्री (ललितपुर)
रामगोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम लक्षन, श्री (गोरखपुर)
लक्ष्मी नारायण, श्री (मथुरा)
विक्रमादित्य पान्डेय, श्री (बलिया)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
विष्णु देव, श्री (आजमगढ़)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री (मुरादाबाद)
शौनार्थ सिंह, श्री (बिजनौर)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)

शूरवीर सिंह सजवाण, श्री (टेहरीगढ़वाल)
शेर बहादुर सिंह, श्री (फजाबाद)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, डा० (सुल्तानपुर)
सलाबत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
सतीश चन्द्र, श्री (आगरा)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुशील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गढ़वाल)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हरशरण सिंह, श्री (मेरठ)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हितेश कुमारी, श्रीमती (बुलन्दशहर)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत अन्य प्रदेशों की तुलना में कम होना तथा इस कमी को दूर करने की योजनाएं

**1—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत ही कम है ? यदि हां, तो मन्त्री जी इस कमी को दूर करने के लिए निकट भविष्य में कौन सी व्यवस्था करने जा रही हैं जिससे यह कमी दूर हो सके ? क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि प्रस्तावित योजना के तहत इस पिछड़ेपन को कितने वर्ष में दूर करने की योजना है ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां, बहुत कम नहीं है ।

प्रदेश की शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के प्रसार पर विशेष बल दिया जा रहा है । इनमें महत्वपूर्ण योजनाएं हैं—प्राइमरी स्तर पर मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालयों का खोला जाना, बालिकाओं के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का खोला जाना, आवश्यकतानुसार जिला योजना में बालिका सीनियर बेसिक स्कूल का खोला जाना, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा पोशाक आदि की प्रोत्साहन योजना लागू किया जाना ।

बी0 टी0 सी0 में मात्र महिला प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है ।

माध्यमिक स्तर पर प्रदेश के प्रत्येक तहसील में सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में एक बालिका हाई स्कूल का खोला जाना कक्षा—12 तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जा चुकी है ।

उच्च शिक्षा के स्तर पर सहशिक्षा की व्यवस्था है । सम्प्रति प्रदेश में 407 महाविद्यालय हैं जिनमें से 85 महाविद्यालय छात्राओं के लिये हैं ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 15-35 वयवर्ग के निरक्षरों को साक्षर बनाना है, इसमें महिलाओं को साक्षर करने में विशेष बल दिया जा रहा है ।

ऐसी सभी योजनायें भविष्य में भी क्रियान्वित की जायेंगी ।

यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे यहां बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत कितना कम है और इसको बढ़ाने के लिए क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह तो सही की हमारे यहां महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत कुछ प्रदेशों के मुकाबले कम है । कुछ प्रदेशों की तुलना में अधिक भी है । बिहार में 13.12, राजस्थान में 11.42, अरुणाचल प्रदेश में 11.32 है ...।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

जहां गैर कांग्रेसी सरकारें हैं जैसे बंगाल, केरल, हरियाणा आदि, वहां के मुकाबले आपके यहां क्या प्रतिशत है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं तो स्वयं यह मान रही हूं कि कुछ प्रदेशों की तुलना में हमारे यहां उनकी शिक्षा का प्रतिशत कम है । इस क्षेत्र म हम इनसे पीछे हैं । कुछ प्रदेशों से हम आगे भी हैं । प्रश्न किससे आगे या किसी से पीछे होने का नहीं है, प्रश्न है मान्यवर, कि पिछले 5 हजार वर्षों में शिक्षा हमेशा पुरुषों के हाथ में रही है और उसका यह नतीजा है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान टिहरी गढ़वाल जनपद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जैसा कि शासन ने निर्णय लिया है कि बी0टी0सी0 में केवल महिलाओं को ही प्रशिक्षण दिया जायेगा। हमारे जनपद में लगभग 700 बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी है । पहाड़ों पर दूर-दराज के अंचलों में विद्यालय हैं । महिलायें सुरक्षा की दृष्टि से व अन्य सुविधाओं की दृष्टि से वहां नहीं जाना चाहती हैं । इस विषम समस्या की देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस नियम को शिथिल कर वहां पर पुरुषों को भी बी0 टी0 सी0 में प्रशिक्षण देने पर विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, आज हम ऐसे मोड़ पर आ गये हैं, जहां से हर महिला आग बढ़ती चली जा रही है । आज महिला अक्षम नहीं रह गयी गई है । जब एक महिला भारत की प्रधान मंत्री बन सकती है, एक महिला पाकिस्तान की प्रधान मंत्री बन सकती है, सिलोन की बन सकती है और इंगलैन्ड की प्रधानमंत्री बन सकती है और एक महिला जो आकाश में उड़ सकती है तो क्या एक महिला ऊपर नहीं चढ़ सकती है । कुछ कठिन नहीं है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी गम्भीरता से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही हैं । वह यह बतायें कि उत्तर प्रदेश में बालिकाओं का शिक्षा का प्रतिशत क्या है और केरल, पश्चिम बंगाल तथा हरियाणा में शिक्षा का क्या प्रतिशत है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह सही है कि हमारे यहां महिलाओं का प्रतिशत असंतोषजनक है । लेकिन जो हजारों वर्षों से दबे लोग रहा है, उसको ठीक करने के लिए कांग्रेस सरकार कटिबद्ध है । केरल में 65.73 प्रतिशत है । हम भी आपके मार्ग दर्शन में और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के इच्छानुसार महिलाओं के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए महिलाओं के लिए हम काफी पाठशालायें खोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका प्रतिशत बढ़ सके । इस पुस्तिका में हमने इसका विवरण भी दिया है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

माननीय, उत्तर नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में क्या प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश का बता दें, हरियाणा और पश्चिम बंगाल बता दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

14.4 प्रतिशत है, पहले ही कहे चुकी हूं ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि बहुत कम नहीं है । आपका पुरुषों के प्रति रोष है, यह उत्तर तो राज्य मंत्री सुरेन्द्र सिंह जी का मालूम होता है क्योंकि यह उत्तर तो महिला विरोधी है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि मिश्रित बेसिक विद्यालय खोले गये, क्या आप समझती हैं कि अध्यापिकायें नहीं थीं, छात्रायें नहीं थीं, इस कमी को ढकने के लिए ये खोले गये ? क्या गम्भीरता-पूर्वक विचार करके बालिकाओं के विद्यालय अलग से प्राइमरी, माध्यमिक और सीनियर बेसिक स्तर पर खुलवाने के लिए कोई विशेष योजना प्रस्तावित करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हमने यह निर्णय लिया है कि सम्प्रति जितनी भी तहसीलें हैं, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, प्रदेश में जितनी भी तहसीलें हैं, उनको सेक्युरेट करें और प्रत्येक में एक-एक कन्या हाई स्कूल अवश्य खोला जायगा । इस समय 18 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें कोई भी हाई स्कूल कन्याओं का नहीं है । हमने निर्णय लिया है लेकिन इससे भी सन्तुष्ट नहीं हैं, इस पर भी विचार कर रहे हैं कि प्रत्येक ब्लाक में एक-एक कन्या विद्यालय अवश्य होना चाहिये । सर्वे करने का आर्डर दे दिया है आपके स्वप्न को साकार करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और उसके लिये हमने स्टेप्स लिये हैं । इण्टरमीडिएट तक की महिलाओं की शिक्षा को फ्री करने का श्रेय इस पक्ष को ही है । जब आपकी हुकूमत थी आपने कितनी महिलाओं को फ्रीशिप दी ? कन्याओं को हाई स्कूल तक फ्रीशिप महान महिला स्व0 सुचेता कृपलानी के कर कमलों से दी गयी थी, यह उनका उपहार था । 1985-86 से इण्टरमीडिएट तक की फीस माफ कर दी थी ।

श्री मैनेजर सिंह--

वह हमारे पक्ष से गयी थीं, इसलिये उन्होंने ऐसा किया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जब उन्होंने यह आर्डर दिया है तब वह कांग्रेस पार्टी से प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं ।

हमारी प्राथमिक शिक्षा देखिये, जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा आगे देखिये, होता है क्या-क्या ?

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

माननीय, प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं क्या शासन की नीति यह नहीं है पहले से कि पिछड़े हुए क्षेत्र में तहसील और ब्लाक स्तर पर जूनियर हाई स्कूल और बेसिक शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ? क्या ऐसी नीति है ?

यदि है, तो क्या उसका पालन किया जा रहा है ? यदि शासन की नीति नहीं है तो पिछड़े क्षेत्रों में जहां जूनियर हाई स्कूल भी नहीं है, ऐसे आदेश जारी करेंगे जिससे सबसे पहले उन्हीं क्षत्रों को चुना जाय जहां जूनियर हाई स्कूल तक नहीं है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

मान्यवर, शासन की नीति है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र ब्रिलो पावटी लाइन के हैं वहां कन्याओं के लिये स्कूल खोल जायं ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मैं माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस परिपाटी का परिपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो फिर अधिकारियों के विरुद्ध क्या आप कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

मान्यवर, यदि सम्मानित सदस्य हमारे पास ऐसे क्षेत्र की सूची भेज दें जहां इसका परिपालन नहीं किया जा रहा है तो हम जरूर कार्यवाही करेंगे ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 2 को पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, इस प्रश्न में मेरा भी नाम है, कृपया हमें एक सवाल पूछ लेने दें ।

(कई सदस्य अभी प्रश्न सं0 1 पर ही और अनुपूरक प्रश्न करने का का अनुरोध माननीय अध्यक्ष से करते रहे ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय दीक्षित जी, आपने ही नियम 300 के अन्तर्गत यह उठाया था और अब इस प्रश्न पर पर 20 मिनट हो गये हैं । एक तरफ तो आप कहते हैं कि 20 मिनट तक आप सवाल लेते ही नहीं हैं, समय नष्ट हो जाता है । दूसरी तरफ लगातार सवाल करते चले जाते हैं तो मेरे लिये अधिक समय दे पाना अब सम्भव नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय वन नीति के महत्वपूर्ण बिन्दू

**2--श्री जगदीप सिंह बराड़--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में केन्द्रीय सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई है ? यदि हां, तो उक्त नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु क्या-क्या है तथा राज्य सरकार ने उक्त बिन्दुओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीप सिंह बराड़--

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर चार पेज का है, इसलिये इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

वन उप मंत्री (श्री शैलेन्द्र कुमार)—

[जी हां ।

राष्ट्रीय वन नीति को संचालित करने वाले मुख्य महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं :—

(क) परिरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता का रख-रखाव और जहां अनिवार्य हों, परिस्थितिकीय संतुलन की वापसी जिसका देश में वनों के गम्भीर ह्रास से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) वनस्पतिजात और प्राणिजात की विशाल विविधता जो देश की विशिष्ट जैविकाय विविधता और जनिक संसाधनों का परिचायक है, के साथ शेष प्राकृतिक वनों के परिरक्षण द्वारा देश की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना ।

(ग) बाढ़ और सूखे में कमी लाने के लिए और जलाशयों की गाद जमाव मंदन के लिए मिट्टी और जल संरक्षण के हित में नदियों के आवाह क्षेत्रों झीलों, जलाशयों में भूमि कटाव और निरावरण पर नियन्त्रण लगाना ।

(घ) विशेष रूप से निरावृत, घटिया तथा अनुत्पादी भूमियों पर व्यापक वन रोपण और सामाजिक वानिकी के माध्यम से देश में वन/वृक्षारोपण में काफी वृद्धि करना ।

(ङ) ग्रामीण और आदिवासी आबादी के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा लघु वन उपज और छोटा-मोटा इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ।

(च) अनिवार्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना ।

(छ) वन उपज के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी के अधिक से अधिक विकल्प को बढ़ाना ।

(ज) इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और मौजूदा वनों पर दबाव को कम से कम करने के लिए महिलाओं के सहयोग से एक व्यापक जन-आन्दोलन चलाना ।

वन नीति का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरणीय और परिस्थितिकीय संतुलन के रख-रखाव को सुनिश्चित करना है ।

वन नीति के अनुसार वनों के प्रबन्ध में हस्तक्षेप वाली तथा खड़े ढलानों वाली नदियों के आवाह क्षेत्रों, झीलों और जलाशयों, भौगोलिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों और अन्य परिस्थितिकीय सम्वेदनशील क्षेत्रों में रुकावट डालने वाली परियोजनाओं को प्रतिबन्धित किया जाना है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नई वन नीति के अनुसार अधिकार और रियायत के सम्बन्ध में निर्देश निम्न प्रकार हैं :—

(1) अधिकार, रियायत जिसमें चराई भी शामिल है, वनों की वहनीय क्षमता के संगत होने चाहिए । पशुओं को खूंटे पर ही चारा दिया जाना चाहिए और ऐसी आवश्यकतएं जिन्हें निर्धारित अधिकारों, रियायतों से पूरा नहीं किया जा सकता है को आरक्षित वनों से बाहर सामाजिक वानिकी का विकास करके पूरा किया जाना चाहिए ।

(2) अधिकार व रियायतें प्राप्त लोगों को वनों की सुरक्षा और विकास का कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ।

(3) वनों के पास रहने वाले आदिवासी व गरीब लोग जो वनों पर निर्भर हैं के अधिकारों को पूर्ण सुरक्षा के साथ उनकी आवश्यकता की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए ।

आदिवासियों एवं वनों के बीच सहजीवी सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए वन प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी सभी अभिकरणों का प्रधान कार्य में तथा उसके आस-पास रहने वाले लोगों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वनों की सुरक्षा उनके द्वारा एवं विकास के लिए आदिवासियों को सहायता देना होना चाहिए ।

वनों पर आधारित उद्योगों के सम्बन्ध में मुख्य विन्दु निम्न प्रकार हैं :—

(1) वन आधारित उद्योगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चा माल पैदा करना चाहिए । ऐसे किसी वन आधारित उपक्रम को तब तक अनुमति न दी जाय जब तक कि कच्चे माल की आश्वासित उपलब्ध की जांच न कर ली गई हो तथा ऐसे प्रयोजन के लिए किसी भी हालत में स्थानीय जनता को ईंधन, चारे और इमारती लकड़ी की जरूरतों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए । ऐसे उद्योगों को स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के रूप से रोजगार दिया जाना चाहिए । इन उद्योगों को रियायती दरों पर वन उत्पादों की आपूर्ति की परम्परा को बन्द किया जाना एवं वैकल्पिक कच्चे माल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय वन नीति का गहराई से अध्ययन किया जा रहा है ।]

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय सभापति, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की है । माननीय मंत्री जी के उत्तर में है कि जो वन पर आधारित उद्योग हैं उनमें पूंजीपति लगे हुए हैं । अतः इस परम्परा को बन्द किया जाना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे उद्योग लगे हुए हैं, जिनको वन उत्पाद देते हैं उनके लिए क्या आप समग्रबद्ध कार्यक्रम बनायेंगे ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह—)

माननीय सभापति, उन्हें रियायती दर पर लकड़ी दी जाती थी । अब नयी नीति के अनुसार एक कमेटी बना दी गयी है, जब तक उसका कुछ निर्णय नहीं हो जायेगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय सभापति, वन नीति बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद बनायी गयी है । क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि उन्होंने कहा है कि इसके सम्बन्ध में

कमेटी बना दी गयी है तो क्या वह कमेटी के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है कि वह कब तक अपना निर्णय देगी तथा यह रियायती दरें कब तक समाप्त कर दी जायेंगी ?

दूसरी बात और जैसे कि मूल प्रश्न के उत्तर में मा0 मंत्री जी ने कहा कि "वनों के पास रहने वाले आदिवासी व गरीब लोग, जो वनों पर निर्भर हैं, के अधिकारों को पूर्ण सुरक्षा के साथ उनकी आवश्यकता की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिये ।" इस सम्बन्ध में मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अरबों व करोड़ों रुपया रियायत में दिया गया है, यह कब तक बन्द कर दिया जायगा और छोटे लोगों को यह सुविधा उनको प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने का निर्णय कब तक लिया जायेगा तथा क्या उन्हें वनों की व्यवस्था में भागीदार बनाया जायेगा ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

पहले प्रश्न का उत्तर है बड़े उद्योगों के बारे में कि बहुत जल्दी तय हो जायगा कि किस रेट से लकड़ी देंगे । दूसरे वहां की जन-जातियों व आदिवासी हैं, उनको वनों से कितना फायदा होना चाहिए और उनको जो राईट्स पहले मिलते थे, वह किस तरह से दिए जायेंगे, उस पर काफी जिस तरह से विचार किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह किस वन नीति का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं । जो जातियां व आदिवासी वहां पर हैं, जिनकी जीविका केवल लकड़ी पर ही निर्भर है, और लकड़ी इनको दी नहीं जाती है जिसकी वजह से वहां पर काफी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न है, तो इनकी जीविका सही रूप में चल सके और इनका उत्थान हो सके, इसके लिए आप कौन-सी नीति बनाने जा रहे हैं । जबकि इसके विपरीत आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों की राहत देते जा रहे हैं, उद्योगपतियों के मुकाबले में इन्हें आप क्या राहत देने जा रहे हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

वनों में रहने वालों को वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो भी सुविधाएं दी जा सकती हैं, वह दी जायेंगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आप देखें कि जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, इनको नीति के अनुसार उन्हें करोड़ों रु0 का फायदा करा रहे हैं, परन्तु इन गरीबों, निर्धनों के उत्थान के लिए कौन-कौन-सी सुविधाएं देने जा रहे हैं, कृपा करके एक-एक करके सब गिना दें। वन नीति पर विचार करते-करते तो आपको 20 वर्ष हो गए ।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

यहां के रहने वालों को अधिकतर जलाने की लकड़ी की आवश्यकता होती है, लकड़ी के काटने का उनको हक है, जिसके अनुसार वह अपने जलाने के काम की लकड़ी को वनों से ले आते हैं यही नहीं जहां हमारे वन निगम के निगोज हैं वहां पर भी इनको यह सुविधा मिलती है और दूसरी आवश्यकता इनको घर पर छाने के लिए घास की आवश्यकता पड़ती है, तो यह दोनों आवश्यकताएं इनकी वहां पूरी होती हैं और इन्हीं दोनों चीजों की आवश्यकता भी इनको पड़ती है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं जैसे कि इस सदन में सभी को ज्ञात है कि देश व प्रदेश में 80 फीसदी जमीन में वन आच्छादित है और आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाली जातियों की जीविका वनों पर ही निर्भर करती है और पुराने जमाने में जो हक-हकूक इनको दिए जाते थे, लेकिन आज गांवों की संख्या व आबादी की संख्या बढ़ जाने से वह हक-हकूक इनको नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या माननीय मन्त्री जी किसी ऐसी वन नीति पर विचार कर रहे हैं, जिससे इन जातियों को उसी तरह से हक-हकूक मिलते रहें ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

पहाड़ी क्षेत्रों में जो हकूक इनको मिलते थे, जिनकी लिस्ट बहुत बड़ी बनी हुयी है, इसके अनुसार वह सारे हकूक आज भी इनको दिए जा रहे हैं, लेकिन जो संख्या बढ़ गयी है, उनको वनों से काटकर लकड़ी देना मुमकिन न होगा ।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर बिन्दुवार दिया है और बहुत से वनवासियों के अधिकार भी बताए । लेकिन इस समय देहाती क्षेत्र के लोग वन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वनों की सुरक्षा के नाम पर बहुत परेशान किए जा रहे ह । जो लोग सामान्य रूप से लकड़ी काट रहे होते हैं, उनको जानबूझकर चालान कर और अवैध धन वसूलने का प्रयास करते हैं । इन अधिकारियों की इस बेलगाम रूप में अपनाई जा रही प्रक्रिया से वहां के गरीब निवासी बहुत परेशान हैं, तो क्या इसके समाधान के लिए भी कोई ठोस कदम यह सरकार उठाएगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो इस प्रश्न से अलग है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, ऐसा होता है कि पेड़ काटने का परमिट मिल जाता है और जब वह लकड़ी काटकर ले जाता है तो अन्य वाले उसको रोकते हैं और कहते हैं कि यह परमिट पुराना है, इस पर तुम लकड़ी काट कर ले जा चुके हो, तो परमिट होने के बावजूद भी उनसे वह पैसा लेते हैं, तब लकड़ी ले जाने देते हैं, तो इसको कैसे रोका जाये ? इस ओर माननीय मन्त्री जी कोई बयान उठायेंगे ।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह तो दूसरा प्रश्न हुआ, जो वन नीति के प्रश्न से अलग है, लेकिन मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि जो पेड़ किसी को निजी जमीन पर हैं, उनको काटने के लिये वन विभाग से आज्ञा लेनी पड़ती थी, लेकिन शासन इस पर विचार कर रहा है कि जिन काश्तकारों की अपनी जमीन पर पेड़ हैं, उनको काटने की इजाजत दी जाये ।

श्री नरेन्द्र देव—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि वनवासियों को, आदवासियों को जो हक, जैसा कि हमारे मित्र पूरन सिंह जी ने चर्चा की कि जो अंग्रेजों के समय से मिलते रहे हैं, यह स्पष्ट

उत्तर देने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय वन नीति जो आयी है, उसमें वह हक हकूक बरकरार रहेंगे, यदि नहीं तो क्या माननीय मन्त्री जी एक समिति बनाने की कृपा करेंगे, जिसमें जन प्रतिनिधि और गांववासियों का प्रतिनिधित्व हो और वह उनके हक हकूक की रक्षा के लिये अपने सुझाव रख सकें ।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा, जो हक हकूक उनको पहले मिले, वह मिलते रहेंगे इसके अतिरिक्त जन-जातियों और आदिवासियों को और क्या सुविधायें दी जा सकती हैं, इस पर भी सरकार विचार कर रही है ।

श्री जयदीप सिंह बराड़---

मान्यवर, नरेन्द्र देव जी ने जो प्रश्न पूंछा है, उस पर बल देते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई प्रदेशीय स्तर की समिति का प्रश्न नहीं है जो हक हकूक वहां के लोगों को मिले हुये हैं, उनको नहीं मिलते हैं और वो विभाग के कर्मचारी पांच रुपये, दस रुपये और 20 रुपये घूस लेते हैं । अगर वह लकड़ी तोड़ कर लाते हैं तो उनको परेशान किया जाता है और जो अवैध कटान करते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है । वनों पर आधारित जो लोग हैं, क्या उनको वनों की व्यवस्था में उनके प्रतिनिधियों को और नुमाइन्दों को उसमें रखेंगे । इस पर माननीय मन्त्री जी स्पष्ट आश्वासन दें । दूसरी बात माननीय मन्त्री जी ने यह कही है कि बड़े उद्योगों के लिये नीति घोषित कर देंगे, तो मैं चाहूंगा कि क्या वह इस सदन में घोषणा करने की कृपा करेंगे ।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन् जो पहला प्रश्न हक और हकूकों के बारे में था उसके बारे में मैंने तो पहले ही बता दिया कि जंगल के पास जो रहने वाले लोग हैं, उनको वह हक हकूक मिलते रहेंगे जो उनको पहले मिल रहे थे इसके अलावा उनको वनों से किस प्रकार से सम्बद्ध किया जाये इस पर भी शासन द्वारा विचार किया जा रहा है । बड़े उद्योगों के बारे में

(व्यवधान)

जैसा मैंने कहा एक कमेटी बनायी जायेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

भूगर्भ जल विभाग द्वारा वार्षिक योजना में जनपद झांसी के बुन्देलखंड में भूमिगत जल के विशिष्ट सर्वेक्षण का प्राविधान न किये जाने के कारण

*1—श्री0 मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि भूगर्भ जल विभाग 1988-89 की वार्षिक योजना में जनपद इलाहाबाद एवं मिर्जापुर के पठारी क्षेत्रों में भूमिगत जल के सर्वेक्षण हेतु क्रमशः 5.20 एवं 5.55 लाख धनराशि का प्राविधान किया गया है एवं तीन वर्षों की योजना प्रस्तावित की गयी है ? यदि हां, तो बुन्देलखंड के जनपद झांसी में कोई भी विशिष्ट सर्वेक्षण का प्राविधान क्यों नहीं किया गया है ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

जी नहीं ।

भूगर्भ जल विभाग द्वारा वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना में जनपद-इलाहाबाद तथा जनपद-मिर्जापुर एवं बांदा में समन्वित रूप से भूगर्भ जल सर्वेक्षण हेतु योजना प्रस्तावित है जिसकी कार्य अवधि तीन वर्ष की है । उक्त अध्ययन हेतु विभाग द्वारा 1988-89 में, जनपद-इलाहाबाद तथा जनपद-मिर्जापुर एवं बांदा में क्रमशः 5.20 तथा 5.55 लाख धनराशि का प्रस्ताव किया गया है ।

यद्यपि जनपद-झांसी में विशिष्ट सर्वेक्षण हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है परन्तु वार्षिक योजना के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ही जियोफिजिकल सर्वेक्षण कराये जाने का प्राविधान है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के विभिन्न प्रखण्डों में टूल्स एण्ड प्लान्ट् की खरीद में हुई धांधली की जांच रिपोर्ट

*2--रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि वर्ष 1986 में मुख्य प्राविधिक परीक्षक श्री जी0 डी0 गुप्ता ने तत्कालीन ग्राम्य विकास सचिव के आदेशानुसार ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के विभिन्न प्रखण्डों में टूल्स एण्ड प्लान्ट्स की खरीद में हुई धांधली की जांच की थी और उन्होंने शासन को प्रस्तुत अपनी जांच रिपोर्ट में मुख्य अभियन्ता सहित दस अभियन्ताओं को दोषी करार देते हुए उनके 27 लाख रु0 की रिकवरी की संस्तुति की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री श्याम सूरत उपध्याय—

वर्ष 1986 मे टूल्स एण्ड प्लाण्ट्स की खरीद के सम्बन्ध में प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा 8 जांच सम्पादित की गई । इनमें मुख्य अभियन्ता सहित 7 अभियन्ताओं को दोषी ठहराते हुए टूल्स एण्ड प्लान्ट्स की खरीद में कुल 16,65,378 रु0 की सम्भावित क्षति आंकी गई ।

आरोपित अधिकारियों से जांच के निष्कर्षों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगे गये हैं । प्राप्त स्पष्टीकरणों का नियमानुसार परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोंपरान्त तीन अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन् यह जितना भी मामला है वह माननीय मंत्री जी के कार्यकाल से पहले का है । मैं यह नहीं समझता कि इसके बावजूद भी वे क्यों भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्राविधिक परीक्षण कोष्ठ की माह मार्च, 1986 की आख्या में जो मुख्य प्राविधिक परीक्षक श्री जी0 डी0 गुप्ता ने अप्रैल 1986 में पत्रांक 200-एस0 टी0 मुख्य प्राविधिक परीक्षक/86 द्वारा भेजा गया है उसमें कुल मिलाकर 27.50 लाख रु0 की रिकवरी की संस्तुति की है जिसमें से अकेले एम0 आर0 सिद्दीकी के विरुद्ध टी0 ए0 सी0 की 20 फरवरी, 1986, 7 मार्च, 1986 और 31 मार्च, 6 की आख्याओं के मुताबिक 7 लाख 86 हजार 660 रुपये की रिकवरी की

शिकायत है जब कि यह केवल एक छमाही की आख्या है ? यदि हां, तो इस बारे में 21 अप्रैल, 1986 28 अप्रैल, 1986 15 जनवरी, 1987 और 31 जनवरी, 1989 को प्राप्त उनके स्पष्टीकरण का सारांश क्या है और उनके विरुद्ध अब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही न करने और मामले का मुकदमा न चलाये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मूल प्रश्न के उत्तर में ही जो जवाब दिया है उसमें कहा गया है कि उसमें कितनी धनराशि आंकी गई है। यह भी स्वीकार किया गया है कि टेक्निकल आडिट सेल की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है। उत्तर में यह भी कहा गया है कि उस टेक्निकल आडिट सेल की रिपोर्ट का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। जैसा कि सम्मानित सदस्य को स्वयं मालूम है, सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और जो स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। इस प्रकार आडिट सेल की रिपोर्ट और स्पष्टीकरण दोनों का परीक्षण हो रहा है। एक बात और मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट कर दूं कि टेक्निकल आडिट सेल की रिपोर्ट अपने में पूर्ण रिपोर्ट नहीं होती और तथ्यों के आधार पर एवम् परीक्षण के आधार पर वह अपनी आख्या देता है और फिर यह देखा जाता है कि वह कहां तक सही है और कहां तक गलत है। श्रीमन्, मैं यह बता दूं कि इसमें टूल्स परचेज के परीक्षण में विलम्ब क्यों हुआ है ? शासन का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इस पर हम कार्यवाही न करें। शासन कार्यवाही कर रहा है। लेकिन लघु उद्योग विभाग भी इसमें इन्वोल्व है। एक सरकुलर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम से निकला है कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो नये इन्टरप्रेन्योर्स लगे हैं उनके सामान की बिक्री हो जिससे प्रदेश में छोटे उद्योग स्थापित हो सकें और उन्हें प्रोत्साहन मिले। ऐसा एक सरकुलर हुआ है और उसी के तहत बहुत सी खरीद हुई हैं। अब यह देखना है कि उन्होंने जो भाव तय किये हैं वह एक ही विभाग से सम्बन्धित हैं या नहीं। यह टेक्निकल आडिट सेल के आधार पर हुआ है या नहीं। इन सारी विषयों का परिक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के बाद जो भी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनके ऊपर कार्यवाही होगी। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया इसमें 7 अधिकारी इन्वाल्व हैं उनमें 3 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि 17 लाख का घपला है टी० ए० सी० की आख्या के अनुसार जिसका जिक्र माननीय तिवारी जी ने किया यह राशि 27 लाख है तो यह कमी होने का क्या कारण है ? दूसरा यह कि जिन बिन्दुओं पर टी० ए० सी० ने आख्या दी है क्या उन पर डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज से परामर्श लिया गया और उनका क्या परामर्श है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय तिवारी के मूल प्रश्न में 27 लाख की बात कही है लेकिन जो टूल्स एण्ड प्लांटस में कितनी क्षति हुई है उसको मैंने बताया कि 16 लाख। बाकी क्षति टूल्स एण्ड प्लांट के अलावा अन्य चीजों में जैसे पाइप है या वाइट बोर्ड है या अन्य दूसरे चीजों में है। इसलिये 27 लाख की सूचना सही है लेकिन टूल्स एण्ड प्लांट में नहीं। दूसरी बात जो डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज से बात करने की है उनसे बात की गई और फाइल भी भेजी गई। कुछ प्रश्नों के उत्तर आ गये

हैं कुछ में और स्पष्टीकरण लेना है। कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिनमें नियमों को शिथिल करने की बात है वह किये जा सकते हैं या नहीं। तो इन सारे प्रश्न का परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय गुप्ता जी ने मान्यवर, सही प्रश्न किया उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ने कोई रेट तय किये

(व्यवधान)

मान्यवर, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है चाहे वह 27 लाख का हो या 27 सौ का। माननीय मंत्री जी ने खूबसूरती से गंभीर मामले में पर्दा डालने की कोशिश की है। जब इस तरह के कोई आरोप लगाये जाते हैं तो कहा जाता है कि टेक्निकल आडिट सेल बना हुआ है और जब उसकी रिपोर्ट मिलती है तो कहा जाता है कि रिपोर्ट पूरी नहीं है और उसका परीक्षण कराया जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

दूसरी बात जो डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के निर्देश की बात है कि छोटे इंटरपेन्योर्स को संरक्षण दिया जाय। तो उसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि घटिया माल को कम कीमत पर खरीदा जाय। तो मैं जानना चाहता हूं कि टेक्निकल सेल की रिपोर्ट 86 में मिल गई जिसका आप कह रहे हैं कि परीक्षण किया जा रहा है तो उसमें जब प्रागदर्शन में आरोप सही पाये गये तो मुख्य अभियन्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय गुप्ता जी ने मान्यवर, सही प्रश्न किया उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ने कोई रेट तय किये

(व्यवधान)

मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं जो-जो तथ्य हैं वह बता रहा हूं जो रेट तय किये गये उस पर खरीदना जस्टिफाई है या नहीं इसका परीक्षण किया जा रहा है। जब सारे तथ्यों का परीक्षण हो जायेगा तभी आगे की कार्यवाही की जा सकती है। जहां तक रिपोर्ट का प्रश्न है वह 7 अधिकारियों के खिलाफ है और वह 86 में विभिन्न तारीखों में प्राप्त हुई और तभी से कार्यवाही जारी है। एक और स्पष्टीकरण मैं कर दूं 1986 में जब मैं मंत्री इस विभाग का हुआ तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी को कोई संरक्षण नहीं दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल—

बहुत मोटी रकम ली गई है, कार्यवाही बन्द करने के लिए

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सभी माननीय सदस्यों की मुख्य अभियन्ता के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, किन्तु उसका जवाब मंत्री जी नहीं दे पाये ? अगर आप इसका उत्तर दिला दें, तो आगे सवाल करने में हमको ठीक रहेगा।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यही उत्तर मैं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, श्री सिद्दीकी के एक मामले में 1 लाख 29 हजार 4 सौ के मामले में टी0 ए0 सी0 ने 20-2-86 को और दूसरे करीब 6 लाख 33 हजार के मामले में 7-3-86 को शासन को रिपोर्ट की थी शासन ने स्पष्टीकरण मांगा सिद्दीकी से पहले मामले में 29-3-86 को और दूसरे मामले में भी 29-3-86 के। इनका स्पष्टीकरण भी शासन को प्राप्त हो गया क्रमशः 21-4-86 को और 28-4-86 को फिर उद्योग विभाग से भी हमें पूछताछ करनी थी और पी0 डब्लू0 डी0 के रेट आफ कान्ट्रेक्ट की भी जानकारी करनी थी। तो फिर इसके बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और बाद में अभी 31-1-89 को उनका दूसरा स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुआ है। इस तरह से कार्यवाही हो रही है। बहुत से मामले जो इस तरह के पेंडिंग थे, हमने उन मामलों में जल्दी से जल्दी कार्यवाही कराने के लिये..

(व्यवधान)

एक बहुत ही ईमानदार पूर्णकालिक संयुक्त सचिव की नियुक्ति केवल मात्र आर0 ई0 एस0 का काम देखने के लिये करायी है। तो इस दिशा में शासन पूरी तरह सजग है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मंत्री जी ने कहा कि केवल 7 लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है, तो क्या श्री जी0 डी0 गुप्त की प्रश्नगत आख्या के अन्त में यह कहा गया है कि इसके अतिरिक्त शासन से प्राप्त शिकायतों पर जांच की गयी और उनमें से एक मामले में जांच आख्या शासन को प्रेषित की जा चुकी है और अन्य मामलों में जांच का काम चल रहा है, तो क्या इस आधार पर वित्तीय अनियमितताओं के लिये दोषी पाये गये 22 अधिशासी अभियन्ताओं, 36 सहायक अभियन्ताओं और 22 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध वह कार्यवाही करेंगे और यदि हां तो इन 80 दोषी अधिकारियों के मामले में कुल कितने करोड़ की अनियमितता या गबन के मामले सम्बद्ध हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जिन-जिन अधिकारियों के विरुद्ध मामले शासन के संज्ञान में आये हैं, शासन ने उनके विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की है। हालांकि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है अभी-अभी 4 अधिशासी अभियन्ता शासन द्वारा निलम्बित किये गये हैं, जिसमें से दो अब भी निलम्बित हैं और दो हाईकोर्ट से स्टे ले आये, इसलिये बहाल कर दिये गये। इस समय कुल 61 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं विभाग में, उनमें से 22 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शासन स्तर से कर रहे हैं। जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं उसमें 36 के खिलाफ चार्जशीट, स्पष्टीकरण, जो भी कार्यवाही जिस स्तर की है वह हो रही है। इस तरह से मान्यवर, 22 अवर अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही हो रही है जिला स्तर पर जिलाधिकारी को कार्यवाही करने का अधिकार है, वह हो रही है। तो इतने बड़े पैमाने पर, यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत आयी है तो कार्यवाही हो रही है।

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 80 आपके अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं, आपके यहां एक बी0 एन0 तिवारी हैं इनका नाम नवें नम्बर पर दिया गया है, यह बहुत ही भ्रष्टतम अधिकारी हैं, तो इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

मैनेजर सिंह जो बी0 एन0 तिवारी के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि इनकी विजीलेंस को जांच करायी गयी, जो शिकायतें आयीं सम्भवतः उसमें विभागीय कार्यवाही हो रही है, यह मैं अपनी याददाश्त के आधार पर बता रहा हूं ।

श्री मैनेजर सिंह--

जब यह मानते हैं कि वह दोषी हैं तो उनको मुख्यालय से हटाया क्यों नहीं गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वह मुख्यालय पर नहीं हैं । वह लखनऊ जिले के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इंजीनियर हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार---

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 60 में 22 इंजीनियर के खिलाफ आर0 ई0 एस0 में यह कार्यवाही कर रहे हैं । इन्होंने साफ जाहिर कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार---

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं, इन्होंने अपने उत्तर में कहा कि तीन अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है, तो क्या यह बात सही है कि 1986 में मुख्य अभियन्ता ने स्पष्टीकरण दे दिया, उसमें इतना समय लग गया । क्या यह सही है कि तीन अभियन्ता जो थे उनके खिलाफ कार्यवाही हो गयी क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर थी, लेकिन सिद्दीकी तथा बाकी इंजीनियरों की आर्थिक स्थिति मजबूत है क्या इसीलिये उनके खिलाफ कार्यवाही करने में अक्षम हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

शासन ने जब 1986 में मैं मिनिस्टर था टी0 ए0 सी0 की जांच का आदेश दिया । सिद्दीकी मुख्य अभियन्तः के खिलाफ अन्य प्रकरण में संदिग्ध मामला पाया गया, उसमें विजीलेंस को इन्क्वायरी के आदेश दे दिये गये, जो रिपोर्ट आयी है उसमें परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन जब कोई दोषी पाया जायेगा तब तो कोई कार्यवाही होगी ।

प्रदेश के असहायता प्राप्त लघु माध्यमिक विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्राप्त सूची में लाने के सम्बन्ध में शासन की योजना

*3--श्री अवधेश प्रसाद---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 451 असहायता प्राप्त लघु माध्यमिक विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्राप्त सूची में लाने के संबंध में शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना कब तक लागू हो जायेगी ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--]

जी नहीं। इस सम्बन्ध में राज्य योजनः आयोग द्वारा इंगित गाइड लाइन्स के अन्तर्गत किसी नयें विद्यालय/पाठशाला/मदरसा को अनुदान सूची में न लिया जाय, केवल पिछली बार लिये गये स्कूलों के लिये प्राविधान कराया जाय, के फलस्वरूप नये असहायता प्राप्त लघु माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाना संभव नहीं है ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने ऐसे सहायता प्राप्त विद्यालय हैं तथा इन विद्यालयों को राजकीय मान्यता कितने दिन पहले प्राप्त हुयी है । दूसरा सवाल मेरा यह है कि कितने अध्यापक ऐसे विद्यालयों में कार्यरत हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, ऐसे असहायता प्राप्त लघु माध्यमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 2000 है जिनको अभी अनुदान की सूची पर नहीं लिया गया है । इनमें कितने शिक्षक हैं वह सम्मानित सदस्य अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री शारदानंद अंचल--

मान्यवर, पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बहुत से सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं । ग्रामीण इलाके में शिक्षा के विस्तार के लिये क्या सरकार इस काले आदेश को निरस्त करेगी और नये सिरे से इन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने पर विचार करेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, फिलहाल इनको अनुदान सूची पर लाने के लिये कोई बात शासन में विचाराधीन नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस वर्ष तक के विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जा चुका है और किस वर्ष से विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेना बन्द किया गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

1984-85 तक के विद्यालय अनुदान सूची पर लिये गये हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 2,000 विद्यालय अनुदान सूची पर नहीं हैं । मान्यवर, इन विद्यालयों में फीस भी इतनी नहीं आती है कि अध्यापकों को वेतन आदि दिया जा सके । इसका परिणाम यह है कि नये विद्यालय खोले नहीं जा रहे हैं । इन विद्यालयों की मान्यता भी प्रतिबंधित कर दी गयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि पढ़ने वाले बालकों की बढ़ती हुयी संख्या को देखते हुये, इन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने पर सरकार अपनी असमर्थता को देखते हुये, क्या अधिक से अधिक सरकारी स्कूल खोलने पर विचार करेगी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, धनाभाव के कारण विद्यालयों को अनुदान सूची पर नहीं लिया जा रहा है दूसरी तरफ सरकार अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है । तो क्या अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा पर लगने वाले धन को सरकार इसमें खर्च करेगी और इन शिक्षाओं को बन्द करेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, वित्त विभाग मान्यता दे रहे हैं । जैसा इसके पूर्व पांडेय जी ने कहा था कि अधिक से अधिक सरकारी विद्यालय खोले जायं तो हम वित्त विहीन मान्यता दे रहे हैं, जहां तक माननीय राजेन्द्र सिंह जी के प्रश्न का सम्बन्ध है कि प्रौढ़ शिक्षा पर क्यों खर्च किया जा रहा है तो उसमें हमको 50 फीसदी धन भारत सरकार से मिलता है इसलिये हम उस योजना को बन्द नहीं कर सकते हैं उसको हम चलायेंगे ।

श्री आर० एन० पाठक—

मान्यवर, हमारे जनपद कानपुर के अन्दर हमारे क्षेत्र में जो पब्लिक स्कूल हैं, उनको कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है । मान्यवर, मैं 6 महीने से माननीय मंत्री जी के दरवाजे खटखटा रहा हूं । मान्यवर, उस स्कूल के रिकग्नीशन का कागज भी नहीं भेजा जा रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं आया ।)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री ने पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा है कि राज्य योजना आयोग ने नये विद्यालयों को अनुदान देना बन्द कर दिया है, तो क्या उत्तर प्रदेश शासन इन दो हजार विद्यालयों को अनुदान नहीं देगा, जो मान्यता प्राप्त हैं ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह शिक्षा को उद्योग के रूप में घोषित करने जा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, नवें वित्त आयोग से हमें आगे चलकर ज्यादा धन मिले, जिससे कि हमारा वित्तीय संसाधन ठीक हो और आगे आने वाली अनुदान सूची में हम उनको ला सकें । यह नवें वित्त आयोग से हम प्रयास कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि हम वित्त विहीन मान्यता दे रहे हैं । मान्यवर, वित्त विहीन मान्यता तो हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के लिए है, लेकिन सवाल जो है वह लघु माध्यमिक विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्राप्त सूची में लाने के लिए है । मान्यवर बड़े पैमाने पर जिनको मान्यता पहले दी जा चुकी है, वहां अध्यापकों का बड़ा शोषण हो रहा है । शासन की नीति भी है कि एक सामान्य

स्तर का वेतन प्रत्येक कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। मैं शासन की नीति जानना चाहता हूं कि जो भी अनऐडेड इन्स्टीट्यूशन्स हैं, इनको ग्रांट इन एड पर लाने की क्या नीति है ? मान्यता और सहायता साथ-साथ दी जा रही है, इसके बारे में शासन की नीति क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, इसको मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये 451 विद्यालय वे हैं, जो कि जूनियर हाई स्कूल के ऊपर हैं। ऐसा नहीं है कि वित्त विहीन मान्यता, नवीं और 10वीं कक्षाओं को खोलने के लिए दी जाती है। जो आप समझ रहे हैं, वह जूनियर हाई स्कूल तक के लिए नहीं है। हमारी यह स्पष्ट नीति है कि शिक्षा का प्रचार हो और प्रसार हो और अधिक से अधिक विद्यालय खोले जायं। चूंकि शासन के समक्ष वित्तीय संकट है। शासन के पास इतना संसाधन नहीं है कि हम करीब दो हजार विद्यालयों को अनुदान सूची पर ला सकें। इस पर करीब 36 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। इसके अतिरिक्त सम्मानित सदन के सभी साथी जानते हैं कि इधर इस कदर शासन पर वेतन का दिन-प्रति दिन भार ज्यादा बढ़ा है, इस कारण से जो बढ़ी हुई तनख्वाहें हैं और वेतनमान हैं, उसकी वजह से शासन पर वित्तीय भार और ज्यादा बढ़ गया है और यही कारण है कि हम इन्हें अनुदान सूची पर नहीं ला पा रहे हैं।

श्री आर0 एन0 पाठक—

मान्यवर, कानपुर पब्लिक स्कूल के बारे में हमने पूछा था, उसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कानपुर पब्लिक स्कूल को रिकग्नीशन कब दे देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं आया :)

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैंने साफ-साफ प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने यह दिया था कि दो हजार विद्यालय हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन विद्यालयों को राजकीय मान्यता कब प्राप्त हुई ?

दूसरा सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में यह कहा कि हम नवें वित्त आयोग में अपनी संस्तुति भेजने जा रहे हैं तो इस दशा में मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि मन्त्री जी यह नवें वित्त आयोग को अपना प्रतिवेदन कब तक भेज देंगे और कितने विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने के लिए ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, हम नवें वित्त आयोग से निरन्तर प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री आर0 एन0 पाठक—

मान्यवर, 14 कमरे बन गये हैं हलफनामा दिया है।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, अध्यापक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं तो यह सरकार शिक्षकों की जो हालत है उसको देखते हुए शिक्षकों के विरुद्ध है यही नहीं विद्यालयों में लगे हुए अध्यापक 50–50 रुपयों और 10–10 रुपये पाने के लिए मजबूर हैं लेकिन माननीय मंत्री जी ने केवल यह कह दिया कि देने जा रहे हैं। मैं यह स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि नवें वित्त आयोग के बारे में प्राविधान इस समय चल रहा है कि यह स्पष्ट बतायें कि प्रदेश में कितने विद्यालयों को इस वर्ष अपनी रिपोर्ट में भेजने जा रहे हैं और यह रिपोर्ट कब तक भेज देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप इतना समय लेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है अगर इसमें सारा दिन लग जाय तो भी कम है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने सवाल में यह कहा कि नये विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि राज्य आयोग की रिकमन्डेशन के आधार पर या एक गाइड के आधार पर और दूसरी तरफ विरोधाभास में मंत्री जी ने कहा कि नवें वित्त आयोग के बाद जल्द अनुदान सूची में विद्यालयों को लाने के लिए अपनी संस्तुति देने जा रहें हैं। एक तरफ मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं इन्होंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो इतना समय ले रहें हैं कि पूरा समय इसी में चला जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, जब मंत्री जी सवाल नहीं समझ पाते हैं तो मैं क्या करूं। यह तो इनकी जिम्मेदारी है कि तैयार होकर आएं और साफ बता दें। मान्यवर, सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में कह दिया कि राज्य आयोग के डाइरेक्शन के आधार पर नये विद्यालयों को मान्यता सूची में नहीं लाया जाएगा और अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये।

श्री अवधेश प्रसाद—

प्रश्न यह है कि यह आयोग को रिपोर्ट कब तक दे देगें और कितने विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने के लिए दे देगें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, मेरा तो सम्मानित सदस्य से यह निवेदन है कि वित्तीय संशोधनों को आगे बढ़ाने में विशेष स्रोतों का हमें सुझाव दें जिससे हम इसे जल्द से जल्द कर सकें। मान्यवर, रिपोर्ट हमें क्या देनी है, शासन को कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

मान्यवर, हम तो नवें वित्त आयोग में प्रयत्नशील हैं कि हमारे यहां इतनी वित्त की व्यवस्था हो जाय जिससे आने वाले समय में कभी ले सकें। फिलहाल कोई भी सम्भावना नहीं है कि अनुदान सूची में इन विद्यालयों को ले सकें । मैंने सुनिश्चित शब्दों में सम्मानित सदस्य को बता दिया है अब कोई भ्रान्ति है तो मान्यवर, मेरी मजबूरी है।

(नत्थी 'ग' पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ऐसे विद्यालयों के बारे में जिस नीति का परिचय दिया है, उससे 2000 विद्यालय प्रभावित हैं और बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रभावित है । इस पर कहीं से भी सरकार ने विचार का भी आश्वासन नहीं दिया है इसलिए शासन की इस नीति के खिलाफ मैं अपने दल के साथ बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित एवं श्री अवधेश प्रसाद भी सदन त्याग कर चले गए ।)

(दिनांक 27 फरवरी, 1989 के लिए निर्धारित

तारांकित प्रश्न)

उ0 प्र0 में सफाई कर्मचारियों को अत्यन्त अल्प किराये और हायर पर्चेज योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराने की योजना

*1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में सफाई कर्मचारियों को अत्यन्त अल्प किराए और हायर पर्चेज योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक लागू कर दी जाएगी ? क्या पहले से सरकारी मकान में किराए पर रह रहे सफाई कर्मचारियों को भी उस नीति में शामिल किया जाएगा ? यदि योजना विचाराधीन नहीं है, तो क्या समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए यह योजना लागू करने पर विचार करेंगे ?

नगर विकास एवं शिक्षा राज्य मंत्री (श्री भजोत सिंह सेठी)--

प्रदेश के आठ नगर महापालिकाओं में सफाई कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना शासन के विचाराधीन है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, समाज के कमजोर वर्ग और उसमें से भी जो सबसे कमजोर वर्ग है, सफाई कर्मचारी, उसके सम्बन्ध में मैंने यह प्रश्न किया था, लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बात को बहुत ही सफाई से टालने वाला उत्तर दिया है । मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम में तमाम योजनाएं गरीबों की मदद के लिए हैं, उनमें से कोई स्पष्ट उत्तर देने के बजाय कह रहे हैं कि विचाराधीन है । मैं जानना चाहता हूं कि यह योजना किन-किन बिन्दुओं पर विचाराधीन है, कब से विचाराधीन है और कब तक लागू हो जायेगी ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, सरकार बोस सूत्री कार्यक्रम के प्रति कटिबद्ध है । उसकी नीति निर्बल वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा देने की है । अब सरकार प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने की योजना पर विचार कर रही है । जब विचार कर चुकेंगे तो जो स्वरूप सामने आएगा उसे आपके सामने कहने लायक होंगे । अभी तो विचार कर रहे हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा है । या तो माननीय मंत्री जो समझ नहीं पा रहे हैं, या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या जान-बूझ कर जवाब नहीं देना चाहते हैं । उन्होंने यह पूछा है कि यह जो सफाई कर्मचारी हैं, ये हरिजनों में भी सबसे कमजोर वर्ग के होते हैं । इनके बारे में क्या-क्या योजनाएं हैं, जो विचाराधीन हैं और कब से किस स्तर पर विचाराधीन हैं और कब तक लागू कर दी जाएगी ? यही इनका प्रश्न है ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, यह योजना अनेकों अंगों की है । जब सब अंग कम्पलीट हो जायेंगे तो स्वरूप सामने आ जाएगा । अभी यह विचार हो रहा है कि इनको कौन संस्था करेगी, भूमि कैसे उपलब्ध होगी, या भूमि दी जाएगी, सेमी डेवलप्ड दी जाएगी या डेवलप्ड दी जाएगी, धन कहां से उपलब्ध होगा, किन-किन को योजना में लिया जाएगा और कहां-कहां पर लिया जाएगा । जो पहले सरकारी आवास में रह रहे हैं, उन पर निर्णय भी विचाराधीन है । जब तक सारे अंग पूरे न कर लें, तब तक कोई स्वरूप नहीं बनता ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, इस विभाग के चार मंत्री हैं और चारों विचाराधीन हैं । वरिष्ठ मंत्री बल्देव सिंह जी हैं, सरदार जी हैं, नरेश चन्द्र जी हैं और चारों यहां मौजूद हैं और तब भी माननीय सदस्य को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं । आपसे यह निवेदन करूंगा कि उनको चारों मिलकर संतुष्ट करें ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सब अंग एक सूत्र में नहीं होंगे, तो माननीय मैनेजर सिंह जी सब अंगों को ठीक करने पर तुले हुए हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपा करके हम लोगों को इनसे बचावें ।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया कि विचाराधीन है, मान्यवर, सफाई कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है । मान्यवर, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के जो मकान बनाए गए, मैं जानना चाहता हूं कि 150 मलिन बस्तियां इलाहाबाद में हैं, उनको जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी की और नालों और खड़ंजे की, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो निम्न वर्ग के मकान बनाए गए हैं, सफाई कर्मचारियों को उसमें से 25 प्रतिशत आवंटित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो उनके लिए अलग से मकान बनाएंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

माननीय, यह जो उनका प्रश्न है, मैंने बड़ी स्पष्टता से बताया कि यह विचाराधीन है । उसमें निर्बल वर्ग में विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के विचार के लिए अलग से योजना बना रहे हैं । उसके अंगों पर विचार कर रहे हैं । उसके बाद जो स्वरूप सामने आएगा, तो सरकार कटिबद्ध है इस नीति पर कि निर्बल वर्ग के विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करें ।

श्री गोपाल दास यादव--

माननीय, महत्वपूर्ण सवाल है, सुन लें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

माननीय, एक प्रश्न सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

घड़ी भी महत्वपूर्ण है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

माननीय, समाज के कमजोर वर्ग का प्रश्न है । माननीय नगर विकास मंत्री जी भी कमजोर वर्ग के हैं, हमें आशा थी कि वह कुछ कहेंगे, जवाब देंगे । माननीय अजीत सिंह सेठी, राज्य मंत्री जो जवाब दे रहे हैं । माननीय, 12 बज चुके हैं पता नहीं उनकी समझ में प्रश्न आ रहा है या नहीं । सफाई कर्मचारियों के बारे में उत्तर प्रदेश शासन ने जुलाई, 1988 में एक योजना की घोषणा की थी, माननीय राज्य मंत्री जी कह रहे हैं कि वह अभी विचाराधीन है । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने जुलाई, 1988 में सफाई कर्मचारियों को हायर पर्चेज पर मकान देने की घोषणा की थी, यह बात माननीय मंत्री जी को जानकारी में है या नहीं ? पहले यह बात बतायें । फिर इनके खिलाफ विशेषाधिकार लाने की बात सोची जा सके ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

माननीय, सम्मानित सदस्य ने जो यह कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी । माननीय, उसमें उनके आदेश के अनुसार, जैसा मैंने कहा कि इसमें कई मुद्दे हैं । हायर पर्चेज पर होगा या आवश्यकता के अनुसार प्लाट होगा, यह सारी बातें हैं, जो विचारणीय हैं । जिस वक्त विचार हो जाएगा, तब सारा स्वरूप आपके सामने आ जायेगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

कब तक विचार कर लेंगे, यह नहीं बता रहे हैं ।

श्री गोपाल दास यादव--

माननीय, यह हरिजन विरोधी सरकार है । महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सफाई कर्मचारियों को सिर पर मल नहीं उठाना चाहिए । लेकिन, इस सरकार के पास इन लोगों के लिए कोई आवासीय योजना नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, यह गरीब लोगों का शोषण करते हैं। यह हरिजन विरोधी सरकार है। मान्यवर, इनके उत्तर से असंतुष्ट होकर मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, मैं भी इनकी नीति के विरोध में, सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह एवं श्री गोपाल दास यादव सदन त्याग कर चले गए)

श्री मूलचन्द्र --

मान्यवर, इन्होंने बताया कि योजना के अनेकों अंग हैं जिन पर विचार किया जा रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके कौन-कौन से अंग हैं, कितने अंग हैं ? कब तक विचार पूर्ण कर लेंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, इस समस्या को बहुत शीघ्र ही हल करने की कोशिश हो रही है, और शीघ्र ही हल हो जायेगी।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा लखनऊ में किसानों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न दे सकने के कारण योजना को निरस्त किया जाना

*2--चौधरी परागी लाल (अनुपस्थित)--

क्या आवास एवं नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इंदिरा नगर विस्तार योजना नं0 2, लखनऊ में किसानों की भूमि अधिगृहीत करने के लिये नोटिफिकेशन, दिनांक 19 मई, 1984 को जारी किया गया था परन्तु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के पास इस योजना में अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा देने के लिये धनराशि नहीं है जिससे 4 वर्षों से अधिक का समय बीत जाने पर भी इस योजना के लिये भूमि अधिगृहीत नहीं की जा सकी है ? यदि हां, तो क्या इस योजना को निरस्त किया जायेगा ताकि किसान अपनी भूमि पर अपने भवन आदि बनवा सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

जी हां। यह सही है कि प्रश्नगत योजना में किसानों की भूमि अधिगृहीत करने के लिये अधिसूचना का समाचार-पत्र में प्रथम प्रकाशन, दिनांक 19 मई, 1984 को कराया गया था परन्तु यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के पास इस योजना में अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा देने के लिये धनराशि नहीं हैं।

जी नहीं। आवासीय समस्या को दृष्टि में रखते हुये निरस्त करना सम्भव नहीं है यद्यपि योजना का संशोधन विचाराधीन है।

महिला डिग्री कालेज, लखनऊ छात्रावास में छात्राओं के रहने आदि में बदइन्तजामी की जांच

*3—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित महिला डिग्री कालेज में छात्रावास के एक-एक कमरे में 15 से 20 छात्राओं को रहना पड़ता है तथा जमीन में लेटना पड़ता है तथा जिस कमरे में टी0 वी0 रखी है उसमें भी छात्राओं को रखा गया है जहां पर बराबर टी0 वी0 प्रोग्राम होने के कारण वहां रहने वाली छात्राओं की हालत रेलवे प्लेटफार्म के यात्रियों से भी बदतर है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है तथा रहने के लिये कितनी फीस प्रतिमाह ली जाती है ? कुल कितनी छात्रायें हैं तथा कुल कितने कमरे हैं एवं कितनी चारपाइयां है ? क्या शिक्षा मन्त्री जी महिला कालेज की इस बदइन्तजामी की जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । हर कमरे में 15-20 छात्राओं को नहीं रहना पड़ता है । केवल कामन हाल्स में 15-20 छात्रायें रहती हैं । टी0 वी0 सप्ताह में केवल तीन दिन बरामदे या मैदान में रख कर चलाया जाता है ।

प्रत्येक छात्र से 30 रु0 प्रतिमाह फीस ली जाती है ।

कुल छात्राओं की संख्या 404 है तथा कुल कमरों की संख्या 58 है । कुल 249 चारपाइयां तथा 125 तख्त हैं । शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को जांच हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, प्रश्न में जो आरोप निहित थे, वह सब इन्होंने स्वीकार कर लिये । यह वहां के कुप्रबन्ध के बारे में था, कायम हाल में महिलायें रहती हैं । मान्यवर, 404 छात्रायें हैं और 374 तख्त/चारपायी हैं, इससे जाहिर है कि बाकी लड़कियों को जमीन पर सोना पड़ता है, यही आरोप था । आग है कि शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) से जांच करवायी जा रही है । मैं जानना चाहूंगा कि वहां की व्यवस्था शीघ्र सुधारेंगी और जांच जल्दी पूरी करा देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, स्थलीय जांच करवाई गयी । उसके पश्चात् जो स्थिति सामने आयी, उसमें 249 चारपाइयां हैं । 125 तख्त हैं, आपकी भावना को देखते हुये 25 तख्त और बढ़ा दिये गये हैं । इस प्रकार 150 तख्त हो गये हैं । 404 कन्याओं के लिये 374 प्लस 25 तख्त हो जाते हैं, शेष 5 तख्त/चारपाईयां बच जाती हैं, यदि दो तख्तों को जोड़ दिया जाय तो 3 दुबली-पतली कन्यायें उसमें आसानी से समायोजित हो सकती हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय विधायक महिलाओं के लिये इतने चिन्तित हैं । मैं उन्हें आश्वासन देना चाहती हूं कि मैं स्वयं वहां जाकर इसे देखूंगी, यदि कहीं पर कोई कमी या परेशानी होगी तो उसे अवश्य दूर किया जायेगा । बहुत सुन्दर व्यवस्था की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

ब्लाक प्रमुख के चुनावों में सहायक की सहायता से मतदाताओं का प्रतिशत सामान्य निर्वाचन की अपेक्षा अधिक होने का कारण उसमें सुधार

*4—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि सामान्य निर्वाचन में सहायक की सहायता से मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत एक प्रतिशत से भी कम रहता है परन्तु ब्लाक प्रमुख के चुनावों में यह प्रतिशत कई ब्लाकों में 70 से 80 प्रतिशत तक पहुंच जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा कोई सुधार प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शासन द्वारा लघु सिंचाई के अन्तर्गत चलायी जाने वाली सीमान्त कृषकों हेतु निःशुल्क बोरिंग की सीमा बढ़ाने पर विचार

*5—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन की लघु सिंचाई के अन्तर्गत चलायी जाने वाली निःशुल्क बोरिंग योजना में तीन हजार रुपए में ही बोरिंग कराना होता है जबकि झांसी, मिर्जापुर एवं इलाहाबाद जिलों में इतने धन में बोरिंग नहीं हो पाती और इस क्षेत्र के गरीब हरिजन सीमान्त कृषक इस योजना का लाभ पाने से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या इन लोगों के लिए तीन हजार की सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री श्याम सुरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

शासनादेश संख्या 122-ए0 क्यू0/54-2-88, दिनांक 4 जनवरी, 1989 द्वारा सीमान्त कृषकों हेतु निःशुल्क बोरिंग की सीमा रु0 4,000 एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को रु0 5,000 अधिकतम निर्धारित की जा चुकी है । वर्णित जनपदों के लाभार्थी उपरोक्तानुसार लाभान्वित हो रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह योजना भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के तहत लागू की जा रही है अतः प्रदेश स्तर पर परिवर्तन किया जाना संभव नहीं ।

ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा कटेहरी विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन की स्वीकृति के बाद इस्टीमेट प्रस्तुत न किया जाना

*6—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा कटेहरी विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की कई मास पहले स्वीकृत कर दिये

नोट—नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जाने के बावजूद अभी तक विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा इस्टीमेट न भेजने और जिन मामलों में इस्टीमेट हुआ गया है उनमें भी धन के अवमुक्त न किये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्षेत्रीय विधायक के प्रस्ताव एवं संस्तुति के आधार पर 13 परियोजनाओं के लिये कार्यदायी संस्थाओं को कुल 13,35,850 रु0 अवमुक्त किये जा चुके हैं। चार मामलों में स्वीकृति एवं धन अवमुक्त की कार्यवाही माह अगस्त, 1988 तक की जा चुकी थी। शेष परियोजनाओं को दिनांक 27 जनवरी, 1989 को स्वीकृत करके दिनांक 28 जनवरी, 1989 को इन पर धन अवमुक्ति की कार्यवाही की गई है।

जनपद जौनपुर के विकास खंडों में खाद्यान्न योजना एवं ऊंश प्रोग्राम के अन्तर्गत बनायी गई सड़कों का विवरण

*7—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के प्रत्येक विकास खंड में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत व ऊंश प्रोग्राम के अन्तर्गत मार्च, 1985 से अप्रैल, 1988 तक कुल कितनी सड़कें बनायी गयी हैं और हर सड़क पर कितना रुपया व खाद्यान्न प्रति किलोमीटर आवंटित किया गया है ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

खाद्यान्न योजना माह नवम्बर, 1980 में ही समाप्त हो गयी है तथा ऊंश प्रोग्राम 1973-74 में समाप्त हो गया है। इस प्रकार इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मार्च, 1985 से अप्रैल, 1988 तक सड़कों के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता है।

राजकीय कर्मचारियों की भांति गैर सरकारी सहायता एवं मान्यता-प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को पेंशन बेचने का हक न दिये जाने का कारण

*8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जब अवकाश प्राप्त राजकीय कर्मचारियों को अपनी पेंशन बेचने का हक है तब गैर सरकारी सहायता एवं मान्यताप्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को पेंशन बेचने का हक न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राजाज्ञा संख्या 5924/15-8/88/3004(42)-84, दिनांक 19 दिसम्बर, 1988 द्वारा सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को पेंशन बेचने (राशिकरण) की सुविधा दी जा चुकी है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् बरेली में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति करने की मांग

*9—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, बरेली में लगभग 35 कर्मचारी ऐसे हैं जो यहां दो वर्षों से अधिक से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के

रूप में कार्य कर रहे ह वे इससे पूर्व लगभग 10 वर्षों से परिषद् के इलाहाबाद कार्यालय में कार्य कर रहे थे व कार्यालय के विकेन्द्रीकरण किये जाने पर बरेली भेजे गए थे ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उनकी स्थाई नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

केवल 26 दैनिक अधिक 2 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं । बरेली तथा इलाहाबाद दोनों कार्यालयों को मिलाकर इनकी कुल कार्य अवधि 3 से लेकर 10 वर्षों तक की है ।

कार्यालय में रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही इन्हें नियमित किये जाने पर विचार किया जा सकेगा ।

नगर महापालिका, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी लिपिक कर्मचारियों को नियमित किये जाने सम्बन्धी उच्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन न किये जाने का कारण

*10--श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माह अगस्त, 1987 में नगर महापालिका, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी लिपिक कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश शासन को कब प्राप्त हुआ और उसके अभी तक क्रियान्वयन न होने के क्या कारण हैं ? सरकार कब तक उन कर्मचारियों को नियमित करने जा रही है ?

नगर विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

जी हां ।

प्रश्नगत आदेश, दिनांक 21 दिसम्बर, 1987 को शासन में प्राप्त हुआ । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध महापालिका लखनऊ द्वारा माननीय उच्चतम् न्यायालय में दिनांक 24 मार्च, 1988 को एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है ।

यह मामला अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है ।

कर्नाटक व पश्चिम बंगाल प्रदेश की भांति प्रदेश में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल तक के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा, भोजन, पुस्तकें आदि निःशुल्क देने के लिए शासन द्वारा कृत कार्यवाही

*11--श्री राकेश धर त्रिपाठी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक व पश्चिम बंगाल प्रदेश की भांति प्रदेश में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल तक के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा तथा दिन का भोजन एवं मुफ्त पुस्तकें, यूनीफार्म आदि देने के लिए सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल तक के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं तथा कक्षा 1 से 6 तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान है ।

इन विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पुस्तकों तथा यूनीफार्म देने के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जा रहा है । दिन का भोजन दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जनपद उन्नाव में हिन्दी भवन हेतु जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

*12--श्री हृदय नारायन दीक्षित--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सरकार के वरिष्ठ मन्त्री माननीय गोपीनाथ दीक्षित ने 27 फरवरी, 1988 को भारतीय परिषद् के विशाल समारोह का उद्घाटन उन्नाव में करते हुए हिन्दी भवन हेतु 2 माह के भीतर जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या उसी समय जिलाधिकारी, उन्नाव ने भी सरकारी वादा पूर्ति का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या वादा पूरा करने हेतु सितम्बर, 1988 में साहित्यकारों, पत्रकारों व बुद्धिजीवियों ने पदयात्रा के बाद डी0 एम0, उन्नाव को कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु जमीन उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ? जमीन कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जनपद उन्नाव में हिन्दी भवन के निर्माणार्थ भूमि उपलब्ध कराने के प्रकरण पर नगर पालिका, उन्नाव से प्रस्ताव मांगा गया है ।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सियाराम गुप्ता, सहायक अध्यापक, देव विद्यालय इन्टर कालेज, तरौली, फैजाबाद का विद्यालय के कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में आमरण अनशन

*13--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि श्री सियाराम गुप्ता, सहायक अध्यापक, देव विद्यालय इन्टर कालेज, तरौली, फैजाबाद में विद्यालय के कर्मचारियों के भुगतान और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को लेकर दिनांक 5 सितम्बर, 1988 से आमरण अनशन किया था ? यदि हां, तो आमरण अनशन के मुख्य-मुख्य कारण क्या थे ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और आमरण अनशन किन-किन आश्वासनों पर समाप्त किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

प्रबन्धतंत्र द्वारा मई, 1988 से श्री सियाराम गुप्त, सहायक अध्यापक का नियमित वेतन भुगतान न किया जाना ।

श्री गुप्त को नियमित वेतन भुगतान कराने के आश्वासन पर अनशन समाप्त हुआ था। वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

राज्य में जिलावार नई प्राइमरी पाठशालायें खोलने एवं भवनहीन प्राइमरी पाठशालाओं से लिए भवन निर्माण की योजना

*14—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 में राज्य में जिलावार नई प्राइमरी पाठशालायें खोलने एवं भवनहीन प्राइमरी पाठशालाओं के लिए भवन निर्माण की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

जिलेवार परिव्यय अनुमोदित होने के पश्चात् लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाता है। तत्पश्चात् परिव्यय/प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति जिलों को निर्गत की जाती है। नई प्राइमरी पाठशालायें खोलने के सम्बन्ध में निर्धारित मानकानुसार 300 की आबादी वाली बस्तियों में मैदानी क्षेत्र में 1.5 कि0 मी0 की परिधि में तथा पर्वतीय क्षेत्र में एक कि0 मी0 की परिधि में जिला बेसिक शिक्षा समिति निर्णय कर प्राइमरी पाठशालाओं के खोलने के स्थानों का चयन तथा भवनहीन विद्यालयों के भवन बनवाने की व्यवस्था करवाती है। भवनहीन विद्यालयों के लिये स्वीकृत धनराशि निर्माण एजेन्सी को दे दी जाती है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को अधिक प्रभावी बनाने की कार्यवाही

*15—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से कृत एवं प्रस्तावित कार्यवाही निम्नवत् है :—

1—कार्मिक संसाधनों का सुदृढ़ीकरण,

2—कराये जा रहे कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की निरन्तर समीक्षा हेतु मुख्यालय पर मानीटरिंग सेल की स्थापना की गई।

3—बढ़ते हुए कार्यभार के अनुरूप निर्धारित कार्य के अनुसार अतिरिक्त प्रखंडों का सृजन प्रस्तावित।

4—मुख्यालय पर डिजाइन प्रखंड की स्थापना।

5—निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्थापित टी0 ए0 सी0 का सुदृढ़ीकरण।

आवास विकास परिषद् से प्राप्त मकान को बेचने पर आवास विकास परिषद् द्वारा लिए जाने वाले लाभान्श प्रणाली को समाप्त करने की मांग

*16—श्री धनराज यादव—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् द्वारा बनाये गये मकान को खरीदने वाला व्यक्ति यदि किसी परिस्थितिवश मकान बेचता है तो वर्तमान समय में भूमि बिक्री लागत तथा भूमि को खरीदे गये समय की लागत के बीच के अन्तर का पचास प्रतिशत आवास विकास परिषद् ले लेती है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इस नियम को समाप्त करके पचास प्रतिशत लाभ लेने वाली प्रणाली को समाप्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा पूर्व में 50 प्रतिशत लाभान्श लिया जाता था ।

जी नहीं, परन्तु शासन ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भूमि के अर्जन एवं निस्तारण) नियमावली, 1969 को संशोधित कर दिनांक 31-8-1988 के 50 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत लाभांश लेने का प्राविधान कर दिया है । इसके अतिरिक्त यदि भूखण्ड छोटा है, जिसमें एक कमरा बाथरूप व रसोईघर बना है या बड़ा भूखण्ड है, जिसमें दो कमरे बाथरूप व रसोई घर बना है तो इन दोनों स्थिति में कोई अन्तर धनराशि देय नहीं होगी छोटे भूखण्ड का तात्पर्य 112 वर्ग मीटर या उससे कम और बड़े भूखण्ड का तात्पर्य 112 वर्ग मीटर से अधिक है ।

इलाहाबाद में महाकुम्भ लगने के पूर्व प्रयाग की गंगा की प्रदूषण को मुक्त किये जाने की मांग

*17—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में सन् 1989 में जो महाकुम्भ लगने जा रहा है उसके पूर्व प्रयाग की गंगा प्रदूषण मुक्त हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इलाहाबाद में महाकुम्भ से पूर्व संगम के निकटवर्ती क्षेत्र से होने वाला मुख्य प्रदूषण पूर्णतया तथा इलाहाबाद नगर के कुल प्रदूषण का अधिकांश नियंत्रित करने का लक्ष्य था जो प्राप्त कर लिया गया है ।

इलाहाबाद नगर के शेष प्रदूषण के नियंत्रण का कार्य द्वितीय चरण में सप्तम पंचवर्षीय योजना के पश्चात् कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण संगठन में अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पदों पर नियमित चयन कराये जाने की मांग

*18—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण संगठन में अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता के कई पद रिक्त हैं परन्तु इन पदों के

लिए चयन न करके कार्यकारी प्रणाली द्वारा मुख्य अभियन्ता मनमाने ढंग से अनियमित रूप से चार्ज दिलाए हुए हैं ? क्या शासन द्वारा नियमित चयन कराया जायगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा संगठन में अधीक्षण अभियंताओं के ही 7 पद रिक्त हैं। अधिशासी अभियंता का कोई पद रिक्त नहीं है।

मुख्य अभियंता द्वारा कोई पदोन्नति नहीं की गयी बल्कि कार्यहित में कार्य संचालन हेतु व्यवस्था की गयी थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। रिक्त पदों पर नियमित चयन की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

टिहरी गढ़वाल जनपद के विद्यार्थियों द्वारा राणी चौरी कृषि महाविद्यालय का लाभ न पा सकना

*19—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि विषय पढ़ाया जा रहा है ? क्या मंत्री जी को विदित है कि इसी जनपद में स्थित राणी चौरी कृषि महाविद्यालय में जो पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय का परिसर है में दाखिल होने के लिए किसी भी अधीनस्थ विद्यालयों में कृषि विषय न होने के कारण सारे जनपद में कोई भी विद्यार्थी उक्त महाविद्यालय का लाभ नहीं पा रहा है ? क्या इस विसंगति को दूर करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद टिहरी के चार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर पर कृषि विषय पढ़ाया जा रहा है। इण्टर स्तर पर किसी भी विद्यालय में कृषि विषय नहीं पढ़ाया जा रहा है। पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया चाहे राणी चौरी के लिए हो या पन्तनगर के लिए ही एक ही है। प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में कृषि अथवा जीव विज्ञान अथवा गणित विषयों सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अतः जिले के जो अभ्यर्थी जीव विज्ञान अथवा गणित से इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, वे भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय खोले जाने की योजना पूर्व से चल रही है जिसके अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों में मानकों के सापेक्ष कृषि विषय सहित अतिरिक्त विषयों को स्वीकृति दी जाती है।

मेसर्स सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल, लाल कुंआं, नैनीताल द्वारा कम दर पर क्रय की गई लकड़ी की अधिक दर पर विक्रय करके अवैधानिक रूप से लाभ कमाया जाना

*20—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल में लाल-कुआं स्थित बिड़ला उद्योग समूह की सेंचुरी पेपर मिल को वर्ष 1985 से 1988 के मध्य 18 रुपया प्रति कुन्तल की दर पर लकड़ी वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई, जबकि उसी लकड़ी का बाजार

मूल्य लगभग 80 रुपया प्रति कुन्तल था ? क्या यह सही है कि उक्त लकड़ी का काफी भाग अपने प्रयोग में न लाकर संबंधित फैक्टरी ने सहारनपुर की एक अन्य फैक्टरी को बेचकर अवैधानिक रूप से लाभ कमाया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा सम्बन्धित मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मेसर्स सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल, लालकुआं, नैनीताल को वर्ष 1985 से 1988 के मध्य लगभग रुपये 41·74 प्रति कुन्तल की दर पर यूकेलिप्टस की लकड़ी उ0 प्र0 वन निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई ।

उक्त अवधि में निकटतम साइज की यूकेलिप्टस की लकड़ी का बाजार मूल्य लगभग रुपये 87·13 प्रति कुन्तल था ।

उक्त दरों में विश्कीकर सम्मिलित नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री मित्रसेन--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री जे0 के0 श्रीवास्तव, प्रवक्ता, अंग्रेजी विभाग, क्रिश्चियन डिग्री कालेज, लखनऊ को पेंशन की स्वीकृति एवं अन्य अवशेषों के भुगतान का न किया जाना

2--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे0 के0 श्रीवास्तव, प्रवक्ता, अंग्रेजी विभाग, क्रिश्चियन डिग्री कालेज, लखनऊ को दिनांक 1 जुलाई, 1984 को सेवा निवृत कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि लगभग 4 वर्ष उपरांत भी अभी तक उनकी पेंशन की स्वीकृति एवं उसके अवशेषों का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत अध्यापक 30 जून, 1984 को सेवा निवृत्त हुए हैं । उन्हें पेन्शन स्वीकार की जा चुकी है तथा 1 जुलाई, 1984 से 31 दिसम्बर, 1988 तक नियमानुसार देय पेंशन के अवशेषों का भुगतान भी किया जा चुका है ।

पर्वतीय क्षेत्र में यू0 पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड में श्री पी0 सी0 जोशी की प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति एवं उक्त पद से उनका त्याग-पत्र

3--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक्स के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 की स्थापना एक स्वतंत्र

निगम के रूप में की गयी थी ? यदि हां, तो इस संस्था के पूर्व कार्य प्रभारी (प्रबन्ध निदेशक) श्री पी० सी० जोशी को किन योग्यताओं के आधार पर उनके पद पर नियुक्ति दी गयी थी ? श्री जोशी द्वारा उक्त पद को त्यागने के क्या कारण थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पर्वतीय क्षेत्र में यू० पी० हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना यू० पी० हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सब्सिडियर (सहायक) कम्पनी के रूप में की गयी थी । ग्रुप कैप्टन पी० सी० जोशी उक्त निगम में मुख्य अधिशासी (परिवीक्षाधीन) थे । चयन के समय श्री जोशी कन्ट्रोल इंजीनियरिंग एवं इंस्ट्रूमेन्टेशन इलेक्ट्रानिक्स में एम० टेक थे तथा उन्हें वायुसेना का अनुभव था । श्री जोशी द्वारा पद त्याग नहीं किया गया था, अपितु निगम के निदेशक मण्डल द्वारा उनकी सेवायें समाप्त की गयीं ।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ता विद्युत् एवं यन्त्रिक शाखा में डिग्री एवं डिप्लोमाधारी अवर अभियन्तओं को पदोन्नति

4—श्री शारदा नन्द अंचल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के सातवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत कराने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ता, विद्युत् यांत्रिक के रिक्त पदों पर अब तक प्रोन्नतियां न किये जाने का तथा डिग्रीधारकों का प्रतिशत निर्धारित न किये जाने के कारण क्या हैं ? ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग में विद्युत/यांत्रिक शाखा में कौन-कौन डिग्रीधारक अवर अभियन्ता वरिष्ठता क्रम में प्रोन्नति हेतु उपलब्ध हैं ? डिग्री कोटा निर्धारित न होने पर भी विद्युत् संवर्ग में एक डिग्री धारक अवर अभियन्ता को पदोन्नति किस आधार पर की गयी तथा यांत्रिक संवर्ग में केवल एक मात्र उपलब्ध डिग्रीधारक अवर अभियन्ता को पदोन्नत हेतु किस आधर पर चयन समिति में विचार नहीं किया था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 7वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं० 7 के उत्तर के क्रम में सहायक अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक शाखा के पदों पर डिग्री धारकों का कोटा निर्धारित कर दिया गया है । तदनुसार प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों के भरने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग में अवर अभियन्ता यांत्रिक शाखा में श्री निमाई चन्द्र दास तथा विद्युत् शाखा में सर्वश्री अरूण कुमार सक्सेना एवं शारिफ अहमद डिग्रीधारक अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ।

जुलाई, 1987 में प्रोन्नति करते समय विद्युत/यांत्रिक संवर्गों के डिग्री धारक अवर अभियन्ताओं का कोई कोटा अलग से निर्धारित नहीं था । विद्युत् संवर्ग में डिग्रीधारक अवर अभियन्ता को प्रोन्नति वरिष्टता एवं श्रेष्ठता के आधार पर की गयी थी ।

जनपद बलिया, विकास खण्ड बेलहरी में एन0 आर0 ई0 पी0/आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना में प्रगति एवं व्यय का विवरण

5---श्री मैनेजर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद विकास खण्ड बेलहरी में 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के अन्तर्गत कितने और कौन-कौन कार्य ग्रामीण रोजगार योजना, आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 परियोजना तथा सूखा राहत योजना में स्वीकृत हुआ उसके प्रत्येक के कार्य प्रगति क्या है ? कितने रुपये अब तक व्यय हुआ ?

श्री श्याम सुन्दर उपाध्याय---

जनपद बलिया में विकास खण्ड बेलहरी में वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 में एन0 आर0 ई0 पी0/आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 सूखा राहत योजना में स्वीकृत कार्य एवं उसकी प्रगति तथा व्यय के विवरण संलग्न है ।

श्री दिग्वारी पुत्र चेतू हरिजन, निवासी ग्राम अतरौरा, पो0 दारीडीहा, जनपद फैजाबाद के नाम से निकाले गये कर्ज विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

6---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या सरकार कृपया बतायेंगे कि श्री दिग्वारी पुत्र चेतू हरिजन, निवासी ग्राम अतरौरा, पो0 दारीडीहा, जनपद फैजाबाद का मानवीय प्रधान संघी को सम्बोधित दिनांक 1 जुलाई, 1987 का प्रार्थना-पत्र जिसमें उनके नाम से तत्कालीन गांव सभा प्रधान इन्द्रजीत सिंह द्वारा सहकारी साधन समिति सजुरी ब्लाक मोठो में कर्ज निकालने की शिकायत की गयी है और जो शीघ्र जांच एवं प्रभावी कार्यवाही के लिये सांसद, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को भेज दिया गया था, सरकार को मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)---

जी हां । प्रश्नगत शिकायत जांच में गलत पाई गई ।

अतः किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के सेवानिवृत्त तथा पेंशन पाने वाले अध्यापकों को बकाया पेंशन की रकम का भुगतान किये जाने की मांग

7---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के सेवानिवृत्त तथा पेंशन पाने वाले अध्यापकों को मार्च, 1988 के बाद से पेंशन नहीं मिली है जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवारों को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और कभी लोगों को बकाया पेंशन की रकम का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

माह अगस्त, 1988 तक का भुगतान हो चुका है ।

(देखिये सत्री 'क' आगे पृष्ठ 201 पर) ।

धनाभाव के कारण भुगतान अगस्त, 1988 के बाद नहीं किया जा सका था। अब धनराशि प्राप्त हो गयी है अतः अद्यावधिक भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के सेवानिवृत्त अध्यापकों के पेंशन के कागजात तैयार करने की मांग

8—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के जून, 1987 में सेवानिवृत्त बहुत से अध्यापकों को विभागीय लिपिकों तथा अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक पेंशन नहीं मिल पायी है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और सेवा निवृत्ति के बाद एक निर्धारित अवधि के भीतर पेंशन के कागजात हर हालत में तैयार कर देने का निर्देश जारी करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

कोई कठिनाई नहीं है।

फैजाबाद जिला मुख्यालय में स्थित शिक्षा विभाग से सभी कार्यालयों को एक ही स्थान पर करने की मांग

9—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं जिसके कारण विभागीय कर्मचारियों तथा आम जनता को बड़ी परेशानी होती है ? यदि हां, तो फैजाबाद जिला मुख्यालय में स्थित शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों को ही एक स्थान पर करने में सरकार को क्या आपत्ति है और यह कार्य कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

कोई विशेष कठिनाई नहीं है।

शासन को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। धन की उपलब्धता होने पर कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

श्री विजयानन्द जोशी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला उत्तरकाशी के पेन्शन, आनुतोषिक भविष्य निधि आदि का भुगतान करने की मांग

10—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि श्री विजयानंद जोशी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला उत्तरकाशी से 31 जनवरी, 1988 को सेवा निवृत्त होने के उपरान्त

उन्हें विभाग द्वारा आदेय आनुतोषिक भविष्य निधि तथा पेंशन का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इनको विभाग द्वारा उपरोक्त आदेय कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री विजयानन्द जोशी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी, दिनांक 31 जनवरी, 1988 को सेवा निवृत्त हुये, जिनको अन्तिम पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का अधिकार पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश संख्या 13292, दिनांक 7-11-88 द्वारा निर्गत किया जा चुका है । त्रुटिपूर्ण अभिलेख प्राप्त होने के कारण श्री जोशी के भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है । संशोधित अभिलेख जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी से मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर अग्रेतर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत नगरमहापालिका, इलाहाबाद की सफाई, सड़क आदि के लिये प्राप्त धन के व्यय का विवरण

11—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत नगरमहापालिका, इलाहाबाद की सफाई, सड़क, पेयजल, सीवर आदि के लिये वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 तथा अक्तूबर, 1988 तक कितना रुपया प्राप्त हुआ ? उसका मुख्य रूप से कब-कब, किन-किन मुख्य कार्यों में व्यय किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नगर महापालिका, इलाहाबाद की सफाई, पेयजल, सीवर के लिये वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 एवं अक्तूबर, 1988 तक स्वीकृत धनराशि एवं उसका व्यय निम्नवत् है :

कार्यालय का नाम	वर्ष 1985-86, 1986-87 1987-88 तथा अक्तूबर, 1988 तक स्वीकृत कुल धनराशि (लाख रुपये में)	अक्तूबर, 1988 तक व्यय की गयी धनराशि (लाख रुपयों में)
1—सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट कम्पोनेन्ट	67·92	19·82
2—मेन्टीनेन्स कम्पोनेन्ट	59·90	39·44
3—लोकास्ट सेनीटेशन कम्पोनेन्ट	53.32	35·50
4—वाटर सप्लाई	486·47	351·79

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत आदि के लिये कोई धनराशि विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं की गयी है ।

सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत सफाई के उपकरण जैसे डम्पर प्लेसर एक, 4.5 घन मीटर क्षमता के कन्टेनर, मैकेनिकल रोड स्वीपर–1, जिप्सी–3 एक घन मीटर क्षमता वाले कन्टेनर्स 350, वाक्स टाईप व्हील बैरो एवं 30 मीटर क्षमता के कन्टेनर्स आदि के क्रय पर व्यय किया गया ।

मैनटीनेन्स कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत आवश्यक लाज–सामान क्रय किये गये जिसके अन्तर्गत 3 जीप, 2 डेसीवरीवैन, 2 पोरटेबुल जनरेटर, 4 हैण्डकार्टस, एक एक्सकेलेटर कमलोडर, 4 पैच रिपेयर मुनिट्स, एक ट्राई साईकिल टावर लोडर, 50 आटोमेटिक स्वीपिंग, 5 ट्रैक्टरीलरर्स, टेस्ट इक्यूपमेन्टस वर्कशाप इक्यूपमेन्टर्स एवं सिविल वर्कस में दो स्टोर्स का निर्माण कार्य आदि शामिल हैं ।

लोकास्ट सेनीटेशन के अन्तर्गत उक्त अवधि तक 2030 शौचालय के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

पेयजल के अन्तर्गत उक्त अवधि में वाटर सप्लाई कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत 9 ट्यूबवेल पूर्ण हो चुके हैं, 500 हैण्डरम्प लगाये जा चुके हैं एवं लगभग 26 किलोमीटर डिस्ट्रीव्यूशन लाईन डाली जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय बालिका मा0 विद्यालय, ग्राम तुगना जनपद मेरठ के भवन के निर्माण की मांग

12—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि गत लगभग 20 वर्षों से एक राजकीय बालिका मा0 विद्यालय, ग्राम तुगना, जनपद मेरठ में चल रहा है लेकिन उसके भवन का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त बालिका विद्यालय ग्राम तुगना, जनपद मेरठ के भवन का निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

इसके लिये समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है । भवन निर्माण कार्य जिला योजना के अन्तर्गत होना है जिसके लिये धन की व्यवस्था का दायित्व सम्बन्धित जनपद का है ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री, जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ की विधवा पत्नी को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान

13—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री रघुवीर सिंह भारती, जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़, दिनांक 30 जून, 1985 को रिटायर हो गये थे और दिनांक 3 जुलाई, 1986 में उनकी मृत्यु हो गई ? उनके रिटायर होने तथा उनकी मृत्यु के बाद आज तक क्या उनकी विधवा पत्नी एवं बच्चों को कोई पेंशन निर्धारित नहीं की गयी है और न ही ग्रेच्युटी का धन मिला है ? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री रघुवीर सिंह भारती नहीं, अपितु श्री रघुवीर सिंह शास्त्री, जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद अलीगढ़ दिनांक 30 जून, 1985 को सेवा निवृत्त हुये और दिनांक 3 जुलाई, 1986 को उनकी मृत्यु हो गयी। सेवा निवृत्ति के पश्चात् श्री शास्त्री ने मृत्यु से पूर्व अपने पेंशन पत्रादि प्रस्तुत नहीं किये थे। स्व0 श्री शास्त्री की पत्नी को पारिवारिक पेंशन तथा उपादान का अधिकार पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश सं0 4676, दिनांक 6 जुलाई, 1987 तथा आदेश सं0 13265, दिनांक 7 नवम्बर, 1988 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। पारिवारिक पेंशन में विलम्ब का कारण श्री शास्त्री के सेवा अभिलेखों का विलम्ब से प्राप्त होना था।

जिला सहकारी बैंक सीतापुर में शाखा प्रबन्धक पद पर नियुक्त व्यक्तियों को नियमित न किये जाने का कारण

14—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक सीतापुर में शाखा प्रबन्धक पद पर कौन-कौन ऐसे व्यक्ति कार्यरत हैं जो कि अपने इस पद पर नियमित नहीं हैं ? उनमें से ऐसे कौन-कौन हैं जिन्हें इस पद पर काम करते 3 वर्ष से अधिक समय हो गया है ? नियमित न होने का क्या कारण है ? कब तक नियमित कर दिये जायेंगे ?

श्री समर पाल सिंह—

निम्नलिखित कुल 15 ऐसे व्यक्ति कार्यरत हैं जो नियमित नहीं हैं :—

सर्वश्री—

1—सुभाष चन्द्र त्यागी, 2—उमा शंकर मेहरोत्रा, 3—रणधीर सिंह, 4—सतीश नरायन खन्ना, 5—नित्यानन्द श्रीवास्तव, 6—चन्द्र शेखर रस्तोगी, 7—सतीश चन्द्र गुप्ता, 8—सुरेश बहादुर सिंह, 9—राजितराम वर्मा, 10—रवि शंकर मिश्रा, 11—श्रीमती शैलबाला शर्मा, 12—विजय कुमार मिश्रा, 13—अनिल कुमार पाण्डे, 14—कमलेश कुमार त्रिपाठी, 15—कृपा शंकर बाजपेई।

उक्त सूची के क्रमांक 2 से 7 पर अंकित 6 व्यक्ति 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

सहकारी संस्थागत सेवा मंडल में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का अधियाचन लम्बित है।

सेवा मंडल द्वारा पदोन्नति हेतु चयन होने पर नियमित किया जायगा।

जनपद सीतापुर में गठित लिपिक वर्गीय चयन समिति द्वारा तैयार की गई लेखा लिपिकों की सूची एवं उन्हें नियुक्त करने की मांग

15—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद सीतापुर में वर्ष 1985-86 में गठित लिपिक वर्गीय चयन समिति द्वारा जो कनिष्ठ लेखा लिपिकों की सूची तैयार

की गई थी उसमें के सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति की जा चुकी है ? यदि शेष हैं तो कितने ? शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2/7/1986-कार्मिक-2 के अन्तर्गत जिसमें यह उल्लेख है कि दिनांक 30 जून, 1987 से पूर्व के किसी विभाग में लिपिकों के स्थान रिक्त हैं तो उक्त चयन समिति के शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाये, का परिपालन जनपद सीतापुर के जिलाधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी द्वारा क्यों नहीं किया गया है जबकि जिला विकास कार्यालय में 30 जून, 1986 से पूर्व से कनिष्ठ लेखा लिपिकों के स्थान रिक्त चले आ रहे हैं ? उन शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति उक्त पदों पर अब तक न किए जाने का क्या कारण है और कब तक उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद सीतापुर में वर्ष 1985-86 में गठित लिपिक वर्गीय चयन समिति द्वारा 30 कनिष्ठ लेखा लिपिकों की सूची तैयार की गयी थी । उनमें से 25 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी थी तथा 5 अभ्यर्थी शेष रहे । जिला विकास कार्यालय, सीतापुर में 30 जून, 1986 को अथवा इससे पूर्व कनिष्ठ लेखालिपिक का कोई स्थान रिक्त नहीं था । अतः अवशेष अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जालौन जिले के डी0 एफ0 ओ0 द्वारा मास्टर नर्सरी हेतु खर्च की गई धनराशि की उच्चस्तरीय जांच

16--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या वन मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले के वर्तमान डी0 एफ0 ओ0 महोदय ने अपने कार्यकाल में किस-किस वर्ष में मास्टर नर्सरी हेतु कितने-कितने पौधे लगाने के लिए कितनी-कितनी राशि खर्च की है ? क्या सरकार इस राशि के सदुपयोग और व्यय के औचित्य की उच्चस्तरीय जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

वर्तमान डी0 एफ0 ओ0 द्वारा इस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया । इनके पूर्वाधिकारी द्वारा वर्ष 1984-85 में उरई वन प्रभाग के अन्तर्गत स्थापित मास्टर नर्सरियों (विशिष्ट-नर्सरीज) में 2.00 लाख पौधे लगाने पर रुपये 29,438.95 व्यय किये गये ।

चूंकि इन नर्सरियों में तैयार की गयी पौध का उपयोग विभागीय वृक्षारोपण में किया गया तथा यह वृक्षारोपण पूर्ण रूप से सफल रहा । अतः उच्चस्तरीय जांच करवाये जाने का कोई अवसर नहीं है ।

बरेली नगर के मुख्य पार्क कम्पनी गार्डन के रख-रखाव की उचित व्यवस्था करने की मांग

17--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि बरेली नगर के मुख्य पार्क कम्पनी गार्डन की बहुत दिनों से रख-रखाव ठीक न होने के कारण दीवालें टूट रही हैं, लाइट खराब पड़ी हैं, बच्चों का पार्क अव्यवस्थित हो गया है तथा सड़कें टूट गई हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस पार्क के रख-रखाव की उचित व्यवस्था करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत पार्क का रख-रखाव ठीक प्रकार से किया जा रहा है। पार्क की दीवारें तथा लाइट आदि ठीक करा दी गई। बच्चों का पार्क भी व्यवस्थित करा दिया गया है तथा सड़क की मरम्मत भी करा दी गई है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा कुर्सी, मेज, ब्लैक बोर्ड, टाट-पट्टी, बाल्टी आदि की खरीद एवं आवंटन में की गई अनियमितताओं की जांच

18—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती ने वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89 में कितने रुपयों की कुर्सी, मेज, ब्लैक बोर्ड, टाट-पट्टी, बाल्टी, लोटा, आलमारी आदि समानों की खरीद किन-किन फर्मों से कितनी-कितनी मात्रा में की और उक्त सामग्रियों को जिले के किन-किन विद्यालयों में कितनी संख्या में कब आवंटित किया गया है? क्या मंत्री जी उक्त वर्षों में समानों की खरीद में की गयी अनियमितताओं, कमीशन खोरी की जांच सी० आई० डी० द्वारा एवं समानों के भौतिक सत्यापन विद्यालयों से करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वांछित विवरण की सूचियां 'क' तथा 'ख' सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।†

विशिष्ट (स्पेसिफिक) शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच कराई जा सकती है।

जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित सहकारी समितियों तथा बैंकों द्वारा ऋण वितरण में किये गये भ्रष्टाचार विषयक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

19—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 9 जून, 1988 का पत्र दैनिक जनमोर्चा की 17 मई, 1988, 6 जून, 1988 तथा 8 जून, 1988 की कटिंग के साथ शासन को मिल गया है, जिसमें सहकारी समितियों तथा बैंकों द्वारा ऋण वितरण में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में गम्भीर शिकायत की गई है? यदि हां, तो पूरे तथ्य और उन पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री समरपाल सिंह—

जी हां।

†छापा नहीं गया।

जिलाधिकारी के माध्यम से दैनिक जनमोर्चा में प्रकाशित दिनांक 17 मई, 1988, 6 जून, 1988 तथा 8 जून, 1988 की कटिंग जिसमें विकास खण्ड, मोटी से सम्बन्धित शिकायत है, प्राप्त हुई, जिसकी जांच कराई गई ।

दिनांक 17 मई, 1988 के पत्र में मुख्य रूप से कुल तीन शिकायतें थी, जिसमें से दो शिकायतें निराधार पाई गई । एक शिकायत सत्य पाई गई जिसमें दोषी कर्मचारी श्री वीरेन्द्र सिंह यादव एवं श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सचिव को निलम्बित कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई ।

दिनांक 6 जून, 1988 में प्रकाशित शिकायत में कुल 6 समितियों से सम्बन्धित शिकायतें हैं जिनमें से 4 समितियों में शिकायतें सत्य पाई गई । सम्बन्धित दो शाखा प्रबन्धकों एक सहकारी पर्यवेक्षक, एक कार्यवाहक सचिव तथा दो सचिवों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है ।

दिनांक 8 जून, 1988 को प्रकाशित शिकायत में कुल 4 शिकायतें हैं जिसमें से दो शिकायतें सही पाई गई तथा दो शिकायतें निराधार पाई गयी । सत्य पाई गई शिकायतों को धनराशि पर शाखा प्रबन्धक तथा सहकारी पर्यवेक्षक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है । उक्त शिकायत से सम्बन्धित सचिव श्री चन्द्र दीप यादव दोषी पाये गये जिनकी मृत्यु हो गई है ।

माधुरी बालिका विद्यालय, कटेहरी, जनपद फैजाबाद के सम्बन्ध में

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के पत्र

पर कृत कार्यवाही

20—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माधुरी बालिका विद्यालय, कटेहरी के सम्बन्ध में सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा, फैजाबाद को संबोधित और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को पृष्ठांकित प्रदनकर्ता का दिनांक 27 जुलाई, 1988 का पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य और अब तक कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं यह शासन को सम्बोधित नहीं था ।

शिक्षा निदेशक से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत शिकायती-पत्र में माधुरी बालिका विद्यालय कटेहरी, फैजाबाद के प्रबंधक श्री रंग नाथ तिवारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गलत ढंग से धनोपार्जन, नियम विरुद्ध अध्यापकों की सेवायें समाप्त करना एवं दुश्चरित्रता आदि के आरोप लगाये गये थे । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा जांच किये जाने पर शिकायतें सही नहीं पाई गई ।

बख्शी का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ में विशेष सम्प्रेक्षा में अनियमितताएं

21—श्री भगौती सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 8 के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बख्शी का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ में एकांकी परिचालन की अवधि में शुल्काय कम जमा होने की

प्रथम सूचना रपट पुलिस में कब दर्ज कराई गई और अब तक जांच पूर्ण न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

26 नवम्बर, 1979 को थाना मड़ियांव, लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

जांच पूर्ण हो चुकी है, पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया जू0 हा0 स्कूल, ग्राम राधना, तहसील मवाना, जिला मेरठ को अनुदान सूची में न रखे जाने का कारण

22—श्री मगौती सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया जू0 हा0 स्कूल, ग्राम राधना, तहसील मवाना, जिला मेरठ को ग्रान्ट-इन-एड की सूची में अब तक न रखे जाने का क्या कारण है जबकि उसके बाद वाले अनेक स्कूलों को मान्यता प्रदान कर ग्रान्ट दी गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अशासकीय स्थायी मान्यता प्राप्त पूर्ण माध्यमिक विद्यालयों को ही अनुदान सूची पर लिया जाता है। प्रश्नगत संस्था को वर्ष 1985 में स्थायी मान्यता प्राप्त हुई है। वर्ष 1985-86 से मैदानी क्षेत्र के किसी भी विद्यालय को अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है। अतः प्रश्नगत विद्यालय अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम प्रधान श्री कृष्णपाल सिंह, ग्राम सभा साल्हीपुर कंजाश, थाना-कंधई, जिला प्रतापगढ़ को फर्जी मोहर बनाकर ऋण वितरण एवं खाद वितरण विषयक श्री शारदा प्रताप, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर कार्यवाही

23—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 अप्रैल, 1988, जो ग्राम प्रधान श्री कृष्णपाल सिंह, ग्राम सभा साल्हीपुर कंजाश, थाना-कंधई, जिला प्रतापगढ़ की फर्जी मोहर बनाकर ऋण वितरण एवं खाद वितरण तथा अनेक जालसाजी किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्राप्त प्रार्थना-पत्र एवं संलग्नक के समस्त तथ्यों की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

24—श्री शारदा प्रताप—

[आदिवासन समिति के विधाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

25—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

[5 वें मंगलवार में अता० प्र० सं० 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

शिवपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खंडासा, फैजाबाद की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिकायती-पत्र

26—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं०-20 एवं अतारांकित प्रश्न संख्या-94 (अ) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खंडासा, फैजाबाद के प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 घ 16 घ (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ने मन्डलीय उपशिक्षा निदेशक, फैजाबाद एवं शिक्षा निदेशालय को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ? निदेशालय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद को जारी किये गये जांच कार्यवाही के निर्देश कौन-कौन से हैं और उक्त सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रबन्धक को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ (2) के अन्तर्गत निर्देश दिये गये थे ।

विभिन्न शिकायती पत्रों में उल्लिखित निम्नांकित शिकायतों की जांच करने के निर्देश दिये गये थे :

1—प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के षडयन्त्र से चपरासी पद से हटाया जाना ।

2—श्री समर बहादुर, सहायक अध्यापक को सेवा से निकाला जाना ।

3—अपने सगे सम्बन्धी को प्रबन्धक द्वारा प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किया जाना ।

4—राजकीय कर्मचारी होते हुए प्रबन्धक पद पर कार्य करना ।

5—प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर न करने देना ।

6—उपस्थिति पंजिका पर श्री रामचन्द्र मौर्य का नाम अंकित न किया जाना ।

7—प्रधानाचार्य द्वारा गाली-गलौज एवं मार-पीट करना आदि ।

जांच से शिकायतें सही नहीं पाई गयीं ।

पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में विकास की दृष्टि से पिछड़ेपन का मापदन्ड न होना

27—श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के आठ जनपदों में से विकास की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जनपद कौन है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

समग्र विकास की दृष्टि से जनपदों के स्तर निर्धारण करने से सम्बन्धित मानदन्ड अभी तक निर्धारित नहीं हैं । अतः पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में से सबसे पिछड़े जनपद को इंगित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद–टिहरी गढ़वाल में स्वीकृत मोटर मार्गों के निर्माण का विवरण

28—श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–टिहरी गढ़वाल में ऐसे कितने मोटर मार्ग हैं जिनका शासन द्वारा स्वीकृति मिलने पर भी निर्माण नहीं कराया जा रहा है ? इनके लिए स्वीकृत धन का किन कार्यों में उपयोग हुआ है ? क्या जनहित में उक्त जनपद में जहां वन भूमि व वन नहीं आते हैं उन स्थानों में उक्त स्वीकृत मार्गों के लिए स्वीकृत धन को खर्च कर वैकल्पिक मार्ग तैयार किये जायेंगे ? यदि ऐसा हैं, तो कितने ऐसे प्रस्तावों को शासन को स्वीकृति मिल पाई हैं और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद टिहरी–गढ़वाल में 13 स्वीकृत मार्गों पर वन भूमि तथा अन्य विवाद के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है तथा 9 मार्गों पर कार्य आरम्भ होने के बाद व्यवधान के कारण कार्य रुका है ।

धनावंटन उन्हीं कार्यों के लिये उपलब्ध कराया जाता है जिन पर कार्य करना सम्भव होता है ।

किसी वैकल्पिक संरेखण को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और न स्वीकृत किया गया है ।

जिला परिषद् लखनऊ को अनुदान के रूप में दी गई धनराशि

29—श्री भगौती सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986–87 और 1987–88 में जिला परिषद् लखनऊ को अनुदान के रूप में कितनी–कितनी धनराशि दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् लखनऊ को वर्ष 1986–87 में 7,70,000 रु0 तथा वर्ष 1987–88 में 7,38,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड निन्डूरा, दरावां प्राइमरी पाठशाला में नियुक्त मृतक श्री जगदीश चन्द्र के आश्रित को वेतन का न दिया जाना

30—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में श्री जगदीश चन्द्र को सहा0 अध्यापक पद पर विकास खण्ड निन्डूरा, जनपद बाराबंकी के दरावां

प्राइमरी पाठशाला में मृतक आश्रित के रूप में मार्च, 87 में नियुक्ति की गई थी वह जहां पर वह कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी को पता है कि उन्हें अब तक वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जी हां ।

श्री जगदीश चन्द्र वर्मा की नियुक्ति उनकी पत्नी के मृत्यु के पश्चात्, मृतक पत्नी के आश्रित के रूप में हुई थी । नियुक्ति के पश्चात् यह जानकारी प्राप्त हुई कि श्री वर्मा ने पहले से ही दूसरा विवाह कर लिया था । अतः श्री जगदीश चन्द्र को वेतन नहीं दिया गया और मामले को शासन के आदेशार्थ दिनांक 4 फरवरी, 1989 को प्रेषित किया गया । इस प्रकार कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

लखनऊ में उजरियांव आवास योजना (गोमती नगर) में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए पात्रता की आय सीमा एवं लाभान्वित लोगों की संख्या

31--श्री मयौती सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में उजरियांव आवास योजना (गोमती नगर) जैसी विशाल और महत्वाकांक्षी योजना में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए क्या स्थान रखा गया है और कितने लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

गोमती नगर आवासीय योजना के विभिन्न खण्डों में अब तक दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए 3,640 भवन और 1,010 भूखण्डों का आवंटन किया गया है । दुर्बल आय वर्ग के लिए पात्रता की अधिकतम आय सीमा 8,400 वार्षिक है और न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है ।

बिड़ला विद्या मंदिर इन्टर कालेज, हरगांव, जिला सीतापुर के प्रवक्ता पद से रिटायर्ड श्री राम अवतार त्रिपाठी के पेंशन चयन वेतनमान के अवशेष के भुगतान की मांग

32--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बिड़ला विद्या मंदिर इण्टर कालेज, हरगांव, जिला सीतापुर से वर्ष 84 में प्रवक्ता पद से रिटायर्ड श्री राम अवतार त्रिपाठी को उनके जे0 पी0 इन्टर कालेज मोहम्मदी, जिला लखीमपुर-खीरी में वर्ष 48-52 तक की सेवा का लाभ देकर पेंशन एवं चयन वेतनमान का अवशेष अब तक न दिए जाने का क्या कारण है जबकि दोनों विद्यालय की सेवा में कोई गैप नहीं है ? अवशेष का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री राम अवतार त्रिपाठी को उनके लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर बिड़ला विद्या मंदिर इन्टर कालेज, हरगांव, सीतापुर की सेवाओं के आधार पर पेंशन स्वीकृत

की गई थी। बाद में पूर्व सेवाओं को जोड़ते हुये संशोधित पेंशन एवं संशोधित अन्तिम वेतनमान को स्वीकृति दी जा चुकी है। श्री त्रिपाठी को चयन वेतनमान का भुगतान हो चुका है। पेंशन के अवशेष का भुगतान विद्यालय से देयक प्राप्त होने पर कर दिया जायेगा।

तहसील एवं जिला सीतापुर के परगना खैराबाद में प्रधानों को लेखपाल द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति का चार्ज दिया जाना

33—श्री रंजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील एवं जिला सीतापुर के परगना खैराबाद में ऐसे प्रधान कौन-कौन हैं जिन्हें अभी तक लेखपाल द्वारा चार्ज नहीं मिला है ? चार्ज दिलाने हेतु क्या प्रयास किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

तहसील एवं जिला सीतापुर के परगना खैराबाद के सभी प्रधानों को लेखपाल द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति का चार्ज दिला दिया गया है।

34—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित।]

35—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित।]

जनपद बरेली की तहसील पर स्थित सी० ए० एस० इंटर कालेज में नवीन प्रशासक योजना एवं उक्त समिति व स्टाफ में अनुसूचित जाति व जन जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या

36—श्री मधु लाल विश्नोई—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील पर स्थित सी० ए० एस० इण्टर कालेज में नवीन प्रशासक योजना लागू है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त प्रबन्ध समिति व स्टाफ में कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधि हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन शासनादेश के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रबन्ध समिति द्वारा नवीन प्रशासन योजना अनुमोदित न कराये जाने के कारण।

प्रबन्ध समिति में अनुसूचित जाति व जनजाति का कोई सदस्य नहीं है। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में प्रबन्ध समिति में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व आवश्यक होने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

स्टाफ में सी० टी० वेतन क्रम के 2 एवं चतुर्थ श्रेणी में एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं।

शासनादेश का अनुपालन कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद गोरखपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता, जल निगम, श्री डी० एन० सिंह का स्थानान्तरण

37--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० जल निगम के पत्रांक 878/अ-2/2/वा, दिनांक 18-4-87 द्वारा जनपद गोरखपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता, जल निगम, श्री डी० एन० सिंह का स्थानान्तरण इलाहाबाद के लिए किया गया था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इनका स्थानान्तरण स्थगित किया गया जबकि उपरोक्त अवर अभियन्ता लगभग पिछले 11 वर्षों से अपने ही गृह जनपद गोरखपुर में एक ही कार्य विशेष पर कार्यरत थे ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवर अभियन्ता को शासनादेश का उल्लंघन कर किन परिस्थितियों में अपने गृह जनपद में 11 वर्षों तक कार्य करने की छूट दी गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

श्री डी० एन० सिंह, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण मुख्य कार्मिक अधिकारी के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-878/अ-2-2, दिनांक 18 अप्रैल, 1987 द्वारा इलाहाबाद के लिए किया गया था।

श्री डी० एन० सिंह के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित पारिवारिक कारणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के उपरान्त उनका स्थानान्तरण दिनांक 30 सितम्बर, 1987 तक के लिए स्थगित किया गया था। यह कहना सही नहीं है कि श्री सिंह पिछले 11 वर्षों से जनपद गोरखपुर के एक ही कार्य विशेष पर कार्यरत रहे क्योंकि वे गोरखपुर में दिनांक 2 मार्च, 78 से 9 जुलाई, 82 तक तथा 10 जुलाई, 82 से 10 अक्तूबर, 84 तक आजमगढ़ में तथा पुनः दिनांक 20 अक्तूबर, 84 से 21 नवम्बर, 88 तक गोरखपुर में विभिन्न कार्यों पर तैनात रहे। श्री डी० एन० सिंह को आदेश दिनांक 10 अप्रैल, 87 द्वारा इलाहाबाद में स्थानान्तरित किया जा चुका है जहां उन्होंने दिनांक 22 नवम्बर, 88 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के गोरखपुर परिमण्डल अधीक्षण अभियन्ता की नियुक्ति व वाराणसी परिमण्डल के ही अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कार्य लिया जाना

38-श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के गोरखपुर परिमण्डल में कितने दिनों से अधीक्षण अभियन्ता की नियुक्ति नहीं की गई है ? क्या जल्द ही कोई अधीक्षण अभियन्ता की नियुक्ति की जाएगी अथवा वर्तमान की भांति वाराणसी परिमण्डल के ही अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कार्य लिया जाएगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

गोरखपुर परिमण्डल के अधीक्षण अभियन्ता के पद का कार्य स्थापना वर्ष 1985-86 से अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी परिमण्डल द्वारा देखा जा रहा है। अब तक अलग से इस परिमण्डल में अधीक्षण अभियन्ता की नियुक्ति नहीं की गई है।

अवीक्षण अभियन्ता के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही विचाराधीन है । इन पदों को भरने के पश्चात् गोरखपुर परिमण्डल में अवीक्षण अभियन्ता की पृथक् से नियुक्ति की जाएगी ।

जिला बेसिक शिक्षा परिषद् सलाहकार समिति, उन्नाव द्वारा विकास खण्ड, सलेमपुर के ग्राम डोडिया-खेड़ा में भवन सहित जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव

39—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा परिषद् सलाहकार समिति उन्नाव, जनपद उन्नाव द्वारा विकास खण्ड, सलेमपुर के ग्राम डोडिया-खेड़ा में भवन सहित जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव कब स्वीकार किया था और यह स्कूल कब खोला गया ? क्या इसके भवन का निर्माण हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त स्कूल का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हो जाएगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम डोडिया-खेड़ा में जूनियर हाई स्कूल खोलने हेतु जिला बेसिक शिक्षा परिषद् सलाहकार समिति ने दिनांक 2 दिसम्बर, 78 को प्रस्ताव भवन रहित खोलने हेतु स्वीकार किया था तथा विद्यालय वर्ष 1978 में खोला गया था ।

जी नहीं ।

धन की उपलब्धता होने पर ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा ।

श्री अशफाक अहमद, प्रधानाचार्य, प्राइमरी पाठशाला, धतिया, विकास खण्ड, मीरगंज, जिला बरेली को अवकाश प्राप्ति के बाद एरियर भुगतान विषयक पत्र एवं कथित कार्यवाही

40—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशफाक अहमद जो प्रधानाचार्य प्राइमरी पाठशाला, धतिया, विकास खण्ड मीरगंज, जिला बरेली के पद से जून, 1980 में रिटायर हुए थे, के जुलाई, 1979 से जून, 1980 की तनख्वाह का एरियर तथा जून, 1980 से फरवरी, 1986 के एरियर का भुगतान अभी तक उन्हें नहीं किया गया है ? क्या मन्त्री जी तत्काल श्री अशफाक अहमद के एरियर का भुगतान करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अशफाक अहमद ने इस सम्बन्ध में 25 नवम्बर, 1987 और 28 मार्च, 1988 को लेखा अधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद्, बरेली और 28 मई, 1988 को उप विद्यालय निरीक्षक, बरेली को प्रार्थना-पत्र भी दिए हैं ? यदि हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अशफाक का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1987 प्राप्त हुआ है । जिस पर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

लखनऊ नगर के मोती झील क्षेत्र में रिक्त भूखण्डों पर अवैध निर्माण एवं उसे हटाये जाने की कार्यवाही

41—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि लखनऊ नगर अन्तर्गत मोतीझील क्षेत्र में रिक्त भूखण्डों आदि पर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की सांठ-गांठ से अवैध निर्माण एवं दुग्ध डेरी आदि खोल दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त भूखण्डों से अवैध कब्जा हटाकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (श्री श्रीनाथ सिंह)—

लखनऊ नगर के मोतीझील क्षेत्र में कतिपय भूखण्डों पर अवैध निर्माण एवं दुग्ध डेरी बना ली गई है, जिनको हटाने व गिराने की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है । अवैध निर्माण के लिए कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया । अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

विकास खण्ड जहांगीरगंज, तहसील टाण्डा जनपद फैजाबाद अन्तर्गत ग्राम तिवारी का पुरा को नरवर पट्टी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के नाम पर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने पर कार्यवाही की मांग

42—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जहांगीरगंज, तहसील-टाण्डा, जनपद फैजाबाद अन्तर्गत ग्राम तिवारी का पुरा को नरवर पट्टी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के नाम पर कुछ किसानों की कृषि योग्य जमीन में हरी फसल को नुकसान पहुंचाने दर्जनों हरे पेड़ों को काटने तथा गरीब हरिजनों की आधी मकान, कुआं आदि को सम्पर्क मार्ग में मिलाने की साजिश की गई, जिसके विरोध स्वरूप प्रभावित किसानों एवं गरीब हरिजनों द्वारा फरवरी, 1988 से निरन्तर शासन एवं जिला प्रशासन से अनुरोध किया जाता रहा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री [illegible] उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अशोका गार्डेन कालोनी क्षेत्र में रिक्त भूखण्डों को गोमतीनगर योजना में समायोजित करने की मांग

43—श्री शिव दर्शन—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोका गार्डेन कालोनी क्षेत्र में बगैर भवन चित्र स्वीकृत कराये बने मकानों को गोमती नगर योजना में समायोजित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या अशोका गार्डेन कालोनी के कुछ ऐसे भी भूखण्ड

धारक है, जिन्होंने अपना भवन चित्र मूखण्ड अधिग्रहण के पूर्व प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया था ? ऐसी परिस्थिति में जब शासन अशोका गार्डन कालोनी में गैर कानूनी ढंग से बने मकानों को अपनी योजना में समायोजित कर रही है तब जो भूखण्ड धारक उक्त कालोनी में नियमानुसार भवन चित्र स्वीकृत कराकर भवन बनवाना चाहते थे उनके भूखण्डों को क्यों नहीं समायोजित किया जा रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अधिग्रहण से पूर्व के निर्मित भवनों को प्राधिकरण के भू-विन्यास में यथा संभव समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

रिक्त भूखण्डों को सुनियोजित विकास योजना में समायोजित करना नियोजन की दृष्टि से सम्मत नहीं है ।

अशोका गार्डेन कालोनी लखनऊ के क्षेत्र के अधिग्रहण में की गयी अनियमितताओं की जांच करने हेतु निर्देश

44—श्री शिव दर्शन—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोका गार्डेन कालोनी लखनऊ के क्षेत्र के अधिग्रहण में की गयी अनियमितताओं की जांच करने हेतु उच्च न्यायालय के निर्देशों पर शासन ने एक जांच आयोग गठित किया था ? क्या उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिये थे कि जांच आयोग की रिपोर्ट पर, अशोका गार्डेन कालोनी के भूखण्डों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सचिव नगर विकास अथवा मन्त्री, नगर विकास द्वारा किया जाना है ? यदि हां, तो क्या जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है ? जांच आयोग की रिपोर्ट पर सचिव, नगर विकास तथा मंत्री, नगर विकास द्वारा अन्तिम निर्णय किये जाने तक अशोका गार्डेन कालोनी के भूखण्डों की स्थिति क्या रहेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं । उच्च न्यायालय ने जांच आयोग गठित करने के कोई निर्देश नहीं दिये व बल्कि यह निर्देशित किया था कि विभेदीकरण के मामलों की जांच राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अवकाश प्राप्त जिला जज स्तर के अधिकारी से कराकर उनकी आख्या पर सम्बन्धित सचिव अथवा मन्त्री जो भी सक्षम हो वह निर्णय लेंगे । जांच आयोग की नियुक्ति का कोई भी निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं दिया था । फलस्वरूप जांच आयोग की रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता ।

विभेदीकरण के मामलों में जांच हेतु एक अवकाश प्राप्त जिला जज को नियुक्ति की गयी थी, जो त्याग-पत्र देकर चले गये और इस सम्बन्ध में उनकी आख्या प्राप्त नहीं हुई । अब एक अन्य अवकाश प्राप्त जज की नियुक्ति विचाराधीन है ।

प्रश्नगत अशोका गार्डन कालोनी के प्रमोटर मेसर्स मोहन कोकी स्पेशल लीव पिटीशन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज हो जाने के उपरान्त अशोका गार्डेन के भूखण्डों की स्थिति को कायम करने की रोक नहीं है । अतः प्रश्नगत भूमि पर सुनियोजित भू-विन्यास बनाया जा रहा है । विभेदीकरण मामलों की जांच के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतिरिक्त निबन्धक (अधि0) सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रशासक जिला सहकारी बैंक लि0 बाराबंकी से गबन, धन अपहरण, अनियमितताओं आदि के मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

45—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त निबन्धक (अधि0) सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्र स0 5670–74, दिनांक 12–2–1987 द्वारा प्रशासक जिला सहकारी बैंक लि0 बाराबंकी से गबन, धन, अपहरण, अनियमितताओं इत्यादि के मामले में दोषी बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह—

जी हां ।

जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी के लेखा परीक्षा वर्ष 77–78 में मू0 12, 16, 924, 73, वर्ष 78–79 में मू0 96, 60, 773.28 तथा वर्ष 79–80 में मू0 19, 12, 596,42 के गबन, अनियमितताओं तथा धन दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आये हैं ।

उक्त गबन, अनियमितताओं तथा धन के दुरुपयोग के मामले में बैंक द्वारा 8 दोषी कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया, 5 कर्मचारियों के विरुद्ध जांच चल रही है तथा 14 कर्मचारियों पर उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 68 की कार्यवाही चल रही है ।

निबन्धक (अधि0) सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा के0 के0 गंगवार भूतपूर्व महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 एटा के विरुद्ध जांच

46—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक (अधि0) सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्र सं0–668/अधि0/10–1, दिनांक 3 जून, 1986 तथा पत्र सं0–4042/अधि0, दिनांक 11 सितम्बर, 1985 द्वारा श्री के0 के0 गंगवार, भूतपूर्व महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 एटा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु उपनिबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश आगरा से अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह—

जी हां ।

जांच अभी पूर्ण नहीं हो पाई है । इस विलम्ब के दोषी जांच अधिकारी की चरित्रपंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई है तथा शीघ्र जांच पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

जनपद फर्रुखाबाद में अन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि

47—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र तथा तृतीय चक्र के ग्राम सभा चुनावों में अन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन की अन्तिम तिथि क्या थी ? क्या मतदाता सूची के प्रकाशन की अन्तिम तिथि ग्राम सभा चुनावों में प्रधान पद व सदस्य पद हेतु नामांकन पत्र दाखिल होने की अन्तिम तिथि ही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मतदाता सूची के प्रकाशन की अन्तिम तिथि 7 मई, 1988 थी ।

जी नहीं, नामांकन दाखिल करने हेतु प्रथम चक्र हेतु 22 व 23 मई, 1988, द्वितीय चक्र हेतु 20 व 21 जून, 1988 तथा तृतीय चक्र हेतु 24 व 25 जून, 1988 थी ।

ग्राम सभा चुनाव में मतगणना के समय गांव सभा के सदस्य हेतु प्रत्याशी व उसके एजेन्ट की उपस्थिति विषयक राजाज्ञा

48—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने ऐसी कोई राजाज्ञा जारी की थी जिसके तहत ग्राम सभा चुनाव के मतगणना के समय गांव सभा के सदस्य हेतु प्रत्याशी स्वयं व उसके एजेन्ट की उपस्थिति वर्जित कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो सरकार फर्रुखाबाद जनपद में निष्पादित गांव सभा चुनाव में मतगणना पर मतपेटियों की सील तोड़ने से लेकर मतगणना के अन्त तक गांव सभा सदस्य प्रत्याशियों को मतगणना स्थल तक न जाने देने का क्या कारण था ? क्या सरकार सदस्यों की अनुपस्थिति में मतगणना कराये जाने के प्रश्नकर्ता के आरोप की शासन स्तर से कोई जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि इस सम्बन्ध में कोई रोक नहीं थी अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद में गांव सभा चुनाव में प्रधान पद अथवा सदस्य पदों हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई पंचायत कर बकाया न देने का प्रमाण-पत्र लगाया जाना और विकास खण्ड छिबरा-मऊ में कतिपय ग्रामों में पंचायत कर के रूप में वसूली

49—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में गांव सभा चुनाव में प्रधान पद अथवा सदस्य पदों हेतु प्रत्याशी होने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी

द्वारा कोई पंचायत कर बकाया न होने का प्रमाण-पत्र अथवा आज्ञप्ति लगाया जाना अनिवार्य किया गया था ? यदि हां, तो माह जून व जुलाई सन् 1988 में विकास खण्ड छिबरामऊ सोरिख, जलालाबाद व ताल ग्राम में कुल कितनी धनराशि अलग-अलग प्राप्त हुई ? करदाता को प्राप्त धनराशि की रसीद किस प्रारूप व प्रपत्र पर किस अधिकारी द्वारा जारी की गई ? प्राप्त धन डाकखाने में कब जमा किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 एवं तदनान्तर्गत निर्मित नियमावली के नियम सं0 15 के प्रविधानों के अनुसार प्रधानों एवं सदस्य पदों के प्रत्याशियों को गांव सभा, क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् के एक वर्ष से अधिक के कर शुल्क एवं उप शुल्क बकाया न होने का प्रमाण-पत्र लगाया जाना अनिवार्य है ?

माह जून 88 में खण्ड छिबरामऊ में 2,958.00 रु0, सोरिख में 2,97.80 रु0, जलालाबाद में 1,572.00 रु0 तथा ताल ग्राम में 1,570.00 रु0 पंचायत कर के रूप में वसूल किया गया ।

करदाताओं को रूप-पत्र 7 पर ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा रसीद जारी की गई है ।

विकास खण्ड सोरिख द्वारा प्राप्त धनराशि माह सितम्बर में, अक्तूबर में छिबरामऊ, तालग्राम तथा जलालाबाद द्वारा माह नवम्बर 1988 में गांव सभा के खाते में जमा की गई ।

50--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

[दिनांक 24 फरवरी, 1989 को अता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित ।]

इंटरमीडिएट कक्षाओं के अध्यापकों की भांति व्यायाम शिक्षक को वेतन-मान न दिए जाने के कारण

51--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को कला, गृह विज्ञान, आदि विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रवक्ता वेतनमान अनुमन्य है तो जो अध्यापक इंटर कक्षाओं को शारीरिक शिक्षा (फिजिकल एजूकेशन) का अध्यापन कार्य करते हैं उन्हें प्रवक्ता वेतनमान न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इंटर कालेज में व्यायाम शिक्षक को उनकी योग्यतानुसार एल0 टी0/सी0 टी0 वेतनमान दिया जाता है । इंटरमीडिएट कक्षाओं में पढ़ाने वाले अन्य अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि है जबकि व्यायाम विषय के अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि नहीं है । इस कारण उन्हें प्रवक्ता वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ।

बरेली नगर महापालिका द्वारा बाग अहमद अली का तालाब स्थित प्लाटों की नीलामी एवं प्लाटों का बैनामा न किया जाना

52--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि 26 दिसम्बर, 1974 को बरेली नगर महापालिका ने एक नीलाम के जरिये बाग अहमद अली का तालाब स्थित 17

प्लाट नीलाम किए थे ? यदि हां, तो अभी तक खरीदारों के नाम बैनामा न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी महापालिका बरेली को उक्त नीलाम में खरीदे गए प्लाट का बैनामा उनके पक्ष में कराने का निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

उक्त नीलामी को आयुक्त बरेली मण्डल की संस्तुति पर शासन द्वारा निरस्त किय जा चुका है ।

इस प्रकरण में मण्डलायुक्त एवं प्रशासक नगर महापालिका बरेली की संस्तुति पर शासन द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है ।

बरेली महानगर में स्टेडियम के निकट महापालिका की भूमि के प्लाटों को अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से बेचा जाना एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

53--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली महानगर में स्टेडियम के निकट महापालिका की भूमि के प्लाट वर्ष 1987-88 में उच्च प्रशासक एवम् अन्य अधिकारियों द्वारा शासनादेशों की अवहेलना करते हुए बिना नीलाम किए अवैध रूप से बेच दिए गए जिससे महापालिका को राजस्व की काफी हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

नगर महापालिका बरेली द्वारा वर्ष 1685 में स्टेडियम के निकट माडला टाउन स्थित 8 प्लाटों की नीलाम द्वारा विक्रय का प्रयास किया गया किन्तु बोली दाता द्वारा महापालिका के निर्धारित न्यूनतम 330 रु0 प्रति वर्ग गज की दर से कम दर पर बोली प्रारम्भ करने के कारण नीलाम स्थगित करके यह निर्णय लिया गया कि 350 रु0 प्रति वर्ग गज की दर से भूखण्ड को कीमत का 50 प्रतिशत धनराशि जो धारित तत्काल जमा करेगा उसके पक्ष में "प्राम आये प्रथम पाये" के आधार पर अस्थायी आवंटन किया जाय । इस प्रकार केवल 4 प्लाटों का आवंटन किया जा सका ।

शेष 4 प्लाटों में से 3 प्लाटों का आवंटन उसी आधार पर वर्ष 1988 में किया गया । एक प्लाट अभी भी खाली है ।

प्रश्नगत प्लाटों का विक्रय बाजार मूल्य से कम दर पर नहीं किया गया, अतः इसमें महापालिका को राजस्व की हानि नहीं हुई ।

54--डा० दिनेश जोहरी--

[4थे सोमवार के लिये स्थगित]

देहरादून विकास प्राधिकरण की वाद पत्रावली में वर्णित जुर्माने की राशि के स्थान पर कम राशि डालने के कारण

55--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून विकास प्राधिकरण की वाद पत्रावली संख्या 64/84 जो दून पैली बैंक की है, में वर्णित जुर्माना 1,00,000 रु० के स्थान पर 1,000 रु० ही क्यों डाला गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्राधिकरण द्वारा की गयी नाप के अनुसार फैक्ट्री से पीछे की तरफ रियर सेट बैक से बाहर केवल एक 35 वर्गमीटर का अतिरिक्त निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाये जाने के फलस्वरूप 1,000 रु० शमन शुल्क लिया गया।

56--श्री राज किशोर सिंह--

[दि० 3-10-88 को अता० प्र० सं० 68 द्वारा उत्तरित]

झांसी जिले के मौंठ कस्बे के महर्षि वाल्मीकि जूनियर हाई स्कूल नेहरू नगर, मौंठ के दो कमरों में जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी पाठशाला के नाम पर कब्जा किये जाने का औचित्य

57--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के मौंठ कस्बे के पास महर्षि वाल्मीकि जू० हाई स्कूल नेहरू नगर, मौंठ के दो कमरों में जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी पाठशाला के नाम पर कब्जा किये हुये हैं जिससे महर्षि वाल्मीकि जूनियर हाई स्कूल मान्यता प्राप्त को अध्ययन एवं प्रबन्ध में परेशानी हो रही है ? क्या यह सही है कि परिषदीय जूनियर हाई स्कूल का कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है ? यदि हां, तो उक्त प्राइवेट संस्था के दो कमरों पर परिषदीय विद्यालयों के कब्जा किये रहने का क्या औचित्य है ; क्या मंत्री जी उक्त विद्यालय के कमरों से परिषदीय विद्यालयों का कब्जा हटवाने तथा उन्हें कहीं राजकीय खाली पड़े भवन में स्थापित कराने के आदेश करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बंधू पुत्र श्री महावीर, ग्राम कसहाई में कूप निर्माण तथा श्री शिव नाथ पुत्र श्री महावीर, ग्राम कसहाई द्वारा बोरिंग तथा पम्पसेट हेतु भूमि विकास बैंक कर्वी, बांदा से लिया गया ऋण और अनुदान (छूट) न देने के कारण

58--श्री राम संजीवन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में चित्रकूट विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम कुसहाई के बैजू पुत्र महावीर हरिजन ने कूप निर्माण हेतु तथा शिवनाथी पुत्र महावीर हरिजन ने पम्प सेट बोरिंग हेतु सन् 1984 में भूमि विकास बैंक, कर्वी (बांदा) से ऋण लिया था ? क्या ऋण विकास खंड, चित्रकूट के द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने के बावजूद उक्त दोनों हरिजनों को अनुदान (छूट) क्यों नहीं दिया गया ? छूट न जारी करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? छूट कब तक दिला दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां।

श्री बैजू पुत्र श्री महावीर ग्राम कसहाई ने कूप निर्माण तथा श्री शिवनाथ पुत्र श्री महावीर, ग्राम कसहाई ने बोरिंग तथा पम्पसेट भूमि विकास बैंक, कर्वी (बांदा) से सन् 1984 में ऋण लिया था।

श्री बैजू पुत्र श्री महावीर, ग्राम कसहाई अनुदान पाने के पात्र नहीं हैं। श्री शिवनाथी पुत्र श्री महावीर, ग्राम कसहाई अनुदान के पात्र हैं क्योंकि सामान्य योजनान्तर्गत पम्पसेट बोरिंग पर अनुदान अनुमन्य है। सामान्य अनुदान मद में आवंटित धनराशि मांग के अनुसार न होने तथा ऋण की योजना स्पष्ट न होने के कारण मामला निरन्तर ग्राम्य विकास अभिकरण एवं सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, बांदा के मध्य चलता रहा, जिसके कारण अभी तक अनुदान नहीं दिया जा सका। इसको इसी वित्तीय वर्ष में अनुदान उपलब्ध करा दिया जायेगा। छूट जान बूझ कर जारी न करने के लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

वाराणसी नगर महापालिका में सफाई कर्मचारियों एवम् सरकारी वाहनों की कमी

59--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी जिला अन्तर्गत नगरमहापालिका में सफाई कर्मचारियों एवं सफाई वाहनों इत्यादि की कमी है ? यदि हां, तो इसकी पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर अभी तक सफाई कर्मचारियों एवं अलिकों को नहीं लगाया है ? क्या इसकी व्यवस्था शीघ्र ही कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

नगर महापालिका वाराणसी में सफाई कर्मचारियों की कमी है किन्तु सफाई वाहनों आदि की कमी नहीं है।

सफाई कर्मचारियों के पद सृजन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

लगभग 100 कालोनियों में नियमित सफाई कर्मचारियों की तैनाती नहीं है । परन्तु दैनिक वेतन पर अथवा सप्ताह में एक दो बार बेलेल लगाकर इन कालोनियों में सफाई कराई जाती है । पद-सृजन के पश्चात् ही सफाई कर्मचारियों की नियमित व्यवस्था सम्भव हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के सामने धरने का आयोजन एवं 9 सूत्रीय ज्ञापन दिया जाना

60-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 4 जुलाई, 88 को जनता पार्टी फैजाबाद ने जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के सामने एक धरने का आयोजन किया था जिसके अन्त में प्रश्नकर्ता तथा अन्य कई पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से एक 9 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें से किन-किन बिन्दुओं पर कार्यवाही का काम उप निबन्धक सहकारी समितियां, फैजाबाद को सौंपा गया है और उन पर अब तक की जांच और कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री समर पाल सिंह--

जी हां ।

ज्ञापन का सूत्र संख्या-3 जनपद फैजाबाद की सहकारी समितियों में कांग्रेसी प्रशासक एवं सचिवों द्वारा अभिलेखों में हेराफेरी करके बड़े पैमाने पर गमन एवं अनियमितता करके फर्जी ऋण दर्ज किए जाने की जांच करके दोषी लोगों को गिरफ्तार करने एवं फर्जी ऋणों की वसूली तत्काल रोकने के सम्बन्ध में है । परन्तु, उसमें किसी समिति विशेष का उल्लेख नहीं है । उप निबन्धक, सहकारी समितियां, फैजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशित किया गया । छानबीन कराए जाने तथा दोषी पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित सचिवों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किए जाने के कड़े निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं । वर्तमान समय में निर्वाचन के फलस्वरूप सहकारी समितियों में प्रशासक कार्यरत नहीं है तथा अब तक की विभागीय जांच में दोषी पाए गए तीन सचिवों के विरुद्ध समुचित एवं प्रभावी कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है ।

प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वन निगम को सम्बोधित कुमायूं उत्थान एवं सेवा संस्थान, अल्मोड़ा के पत्र पर विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट की संस्तुति पर कार्यवाही

61–श्री काशी सिंह ऐरी:–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा के द्वारा हाट वनरंजि क्षेत्र में प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक उ0 प्र0 वन निगम रानीखेत के द्वारा टहलेख कम्पार्टमेन्ट सं0–14 में स्टार पेपर मिल्स सहारनपुर के लिए वन में पेड़ गिरान, कटान, ढुलान, ट्रक लदान ढुलान व उतराई के लिए वर्ष 1981–82 के लिए कुमायूं उत्थान एवं सेवा संस्थान द्वारा हाट के कार्य दिया गया था ? यदि हां, तो इन कार्यों के भुगतान के लिए पूर्व विधायक माननीय जसवन्त सिंह बिष्ट के दिनांक 9 जनवरी, 1984 के पत्र पर नवम्बर, 1988 तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

जी हां ।

प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वन निगम को सम्बोधित कुमायूं उत्थान एवं सेवा संस्थान, अल्मोड़ा के पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 पर तत्कालीन विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट की संस्तुति दिनांक 9 जनवरी, 1984 तथा तत्कालीन वन मंत्री जी को सम्बोधित श्री बिष्ट का पत्र दिनांक 10 जनवरी, 1984 प्राप्त हुआ । प्रश्नगत कार्य के लिए स्वीकृत टेन्डर की दरों के अनुसार संस्थान को भुगतान किया जा चुका है । वस्तुस्थिति से उक्त संस्थान को भी मुख्यप्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम के पत्र दिनांक 21 फरवरी, 1984 द्वारा अवगत करा दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्टार पेपर मिल्स सहारनपुर द्वारा वित्तीय वर्ष में जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व नैनीताल के वन विभाग के जंगलों में उ0 प्र0 वन निगम द्वारा पेड़ गिरान, कटान, ढुलान आदि के लिए विभिन्न दरों से बोनस का भुगतान

62–श्री काशी सिंह ऐरी श्री राम आसरे वर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टार पेपर मिल्स सहारनपुर के द्वारा वित्तीय वर्ष 1980–81 व 1981–88 में जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व नैनीताल के वन विभाग के जंगलों में उ0 प्र0 वन निगम द्वारा पेड़ गिरान, कटान, पीठ ढुलान, ट्रक भरान व उतराई तथा ट्रक भाड़े के लिए कार्य समाप्त हो जाने पर क्रमशः किन–किन दरों से बोनस का भुगतान किया गया था ? इन दरों की असमानता को दूर करने के लिए मानकीकरण करते हुए भुगतान की दरों को समान करने के लिए प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम, रानीखेत के पत्रांक–1268/एस0 पी0 एम0, दिनांक 19 जुलाई, 1982 द्वारा चीफ कामर्शियल मैनेजर स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर से अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो पेपर मिल्स द्वारा इस वैज्ञानिक संस्तुति को अस्वीकार करने पर दरें कराने में मध्यस्थ होने के कारण वन निगम ने क्रमशः क्या–क्या वैधानिक कदम उठाए हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा में प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, रानी खेत के अन्तर्गत उखलेख कम्पार्टमेंट में स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर के लिये काष्ट का उत्पादन विवरण

63—श्री काली सिंह ऐरी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक उत्तर प्रदेश वन निगम, रानीखेत के अन्तर्गत उखलेख कम्पार्टमेंट नं0 14 में स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर के लिये वर्ष 1981 व 1982 में कुमायूं उत्थान एवं सेवा संस्थान द्वारा कराये गये कार्य में दिनांक 1 सितम्बर, 1981 से 15 मई, 1982 तक प्रत्येक पाक्षिक में क्रमशः कुल कितना वजन काष्ट, क्रमशः कितने-कितने ट्रकों द्वारा वन निगम के हल्द्वानी व रामनगर पहुंचाया गया ? इस प्रकार उपरोक्त पक्षों में प्रतिदिन कितना ट्रक काष्ट का उत्पादन किया गया था ? इन ट्रकों को किस दर से ट्रक ढुलान व बोनस दिया गया था ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जनपद अल्मोड़ा में प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, रानीखेत के अन्तर्गत उखलेख कम्पार्टमेन्ट नं0 14 में स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर के लिये वर्ष 1981 व 1982 में कुमायूं उत्थान एवं सेवा संस्थान द्वारा कराये गये कार्य में दिनांक 1 सितम्बर, 1981 से 15 मई, 1932 तक प्रत्येक पक्ष में हल्द्वानी व रामनगर पहुंचाये गये काष्ठा की मात्रा, ट्रकों की संख्या एवं प्रतिदिन औसत उत्पादन का विवरण संलग्नक में अंकित है ।

कुमायूं उत्थान एवं सेवा संस्थान द्वारा हाट द्वारा उक्त कम्पार्टमेंट में कार्य करने निर्मित भरे गये अनुबन्ध पत्र के अनुसार कटान, ढुलान व डिपों पर उतरवायी की दर संयुक्त रूप से 15.75 रुपये प्रति कुन्टल थी, अतएव ट्रक ढुलान की दर अलग से निर्धारित करना सम्भव नहीं है । बोनस 0.25 रुपये प्रति कुन्टल की दर से दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 203 पर) ।

जनपद देवरिया में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये गांव सभाओं को पुरस्कृत करने हेतु शासन द्वारा धन का आवंटन एवं पंचायत राज अधिकारी, देवरिया द्वारा बिना रसीद प्राप्त किये धन का वितरण

64—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में वर्ष 1986-87 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये गांव सभाओं को पुरस्कृत करने हेतु शासन द्वारा धन का आवंटन किया गया था ? यदि नहीं, तो जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया ने किस मद से जनपद की 164 गांव सभाओं को नसबन्दी के आधार पर 15, 25 व 40 हजार की दर से 26,10,000 बिना

सम्बन्धित गांव सभाओं को योजना स्वीकृत किये व मांग पत्र व रसीद प्राप्त किये विवरित कराया है ? उक्त विवरित धनराशि में से कितनी धनराशि कितने ग्रामों ने अपने निजी खाते में जमा किया है ? कुल कितनी धनराशि का सदुपयोग हुआ है ? क्या उन गांव सभाओं ने शासनादेश के अनुसार अपना अंश जमा किया था ? यदि नहीं, तो क्या वे सभी अधिकारी को मनमाने ढंग से शासकीय धन को व्यय करने हेतु वंचित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया के जिला पंचायत राज अधिकारी को परिषद् के प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के मरम्मत हेतु आवंटित की गयी धनराशि

65--श्री सूर्य प्रताप शाही --

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या देवरिया जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी को बेसिक शिक्षा परिषद् तथा जिला परिषद् के प्राइमरी पाठशाला भवनों के मरम्मत हेतु वर्ष 1985-86 में 9,99,000 रुपये अनुदान की धनराशि आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विभिन्न विकास खंडों से 27 प्राइमरी पाठशाला भवनों के मरम्मत की योजना क्षेत्र समिति से अनुमोदित होकर जिला पंचायत राज अधिकारी को प्राप्त हुयी थी ? यदि हां, तो उन प्राइमरी पाठशालाओं के मरम्मत हेतु धन उपलब्ध न कराने का कारण क्या है ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में इस मद के अन्तर्गत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है तथा उसके विपरीत कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

जी हां, परन्तु 19 विकास खंडों से 45 प्राइमरी पाठशाला भवनों की मरम्मत की योजना क्षेत्र समिति से अनुमोदित होकर जिला पंचायत राज अधिकारी को प्राप्त हुयी थी ।

क्षेत्र समिति से हुये अनुमोदन के अनुरूप 5,05,000.00 रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1986-77 तथा 1987-88 में मदवार आवंटन व उपयोग की स्थिति निम्नवत् है :--

वर्ष	आवंटित धनराशि	उपयोग
	रु0	
1986-87	10,23,903.00	2,1 ,007.00
1987-88	10,23,903.00	क्षेत्र समितियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं ।

जिला परिषद् इलाहाबाद के मुकाबले जिला परिषद् लखनऊ को आनुपातिक रूप से कम अनुदान आवंटित करने का कारण

66--श्री भगौती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में जिला परिषद् इलाहाबाद को कितना-कितना धन अनुदान के रूप में दिया गया तथा उसके मुकाबले जिला परिषद् लखनऊ को आनुपातिक रूप से कम अनुदान आवंटित करने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जिला परिषद् इलाहाबाद को वर्ष 1985-86 में 33,04,952.00 रु0 वर्ष 1986-87 में 33,54,952.00 रु0, वर्ष 1987-88 में 30,87,952.00 रु0 स्वीकृत किए गए। जिला परिषदों को अनुदान विकास खण्डों की संख्या तथा सड़कों की लम्बाई के अतिरिक्त स्थानीय विशेष आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, इसी कारण जिला परिषद् इलाहाबाद की अपेक्षा जिला परिषद् लखनऊ को कम अनुदान स्वीकृत किया गया।

ग्राम पंचायत भसन्डा, तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ में विगत पंचायत के चुनाव में ग्राम धनवारा को मतदान केन्द्र न करके ग्राम पंचायत भसन्डा किए जाने के कारण

67--श्री भगौती सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत भसन्डा, तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ में ग्राम धनवारा जो ग्राम पंचायत के बीच में होने तथा स्थान और आवागमन की उपयुक्तता के कारण लोक सभा, विधान सभा और पंचायतों के चुनाव में सदैव से मतदान केन्द्र रहा है उसे विगत पंचायत के चुनाव में उस पंचायत के रहने वाले तथा जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सहदेव सिंह गौतम की आपत्ति के बाद भी ग्राम भसन्डा कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मतदान के समय वहां कोई झगड़ा हुआ है जिसका स्थानीय थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ विकास खण्ड बख्शी तालाब के अन्तर्गत ग्राम हरदौरपुर में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत हरिजनों के लिए बनाये गये कुएं पर व्यय एवं विलम्ब से बनाने के लिए दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग

68--श्री भगौती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ विकास खण्ड बख्शी तालाब के अन्तर्गत ग्राम हरदौरपुर में इन्दिर आवास योजना के अन्तर्गत हरिजनों के लिए वर्ष 1981-82 में बनाई गई कालोनी में रहने वाले हरिजनों

के लिए बनाये गए कुएं पर कितना रुपया खर्च हुआ इतनी अवधि बीत जा ने पर भी कुआं तैयार न होने के क्या कारण है ? क्या सरकार इसके लिए दोषी व्यक्ति को दंडित करने और कालोनी के हरिजनों को पेयजल सुलभ कराने के लिए शीघ्र अधूरे कुएं को पूरा कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वर्ष 1981-82 में इन्दिरा आवास योजना लागू नहीं हुई थी । ग्राम हरदोर-पुर में हरिजन कालोनी का निर्माण कराया गया था । उक्त कालोनी में कुआं बनाने का प्रस्ताव भी था । कुए के निर्माण पर कुल 2,909.00 रु० व्यय हुए । यह निर्माण तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी की उदासीनता के कारण पूरा न हो सका । उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही हो रही है ।

कुएं के स्थान पर इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प की व्यवस्था गत वर्ष करायी जा चुकी है । इस प्रकार कालोनी निवासियों के लिए पेयजल की स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है ।

जनपद उन्नाव के जिला सहकारी बैंक की शाखा हिलौली में आई० आर० डी० ऋणों में भारी घपलों के सम्बन्ध में प्रबन्धकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

69--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न-96 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच नतीजे क्या हैं ? क्या यह सच है कि लाखों रुपए का घपला जांच में सिद्ध हो गया है और तीनों स० स० स० के सचिवों व एक बैंक मनजर के निलम्बन के आदेश जिलाधिकारी उन्नाव ने जारी किए हैं ? यदि हां, तो आदेश किस तिथि को जारी हुये ? क्या प्रबन्धक कोआपरेटिव बैंक के निलम्बन की डी० एम० को सस्तुति को चेयरमैन/प्रशासक, जिला कोआपरेटिव बैंक ने नहीं माना है ? क्या एफ० आई० आर० के भी आदेश हुए थे ? यदि हां, तो आदेश के कितने दिन बाद एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई है ?

श्री समर पाल सिंह--

जांच में तीन साधन सहकारी समितियों के सचिव एवं एक शाखा प्रबन्धक व्यापारियों से सांठ-गांठ करके आई० आर० डी० ऋण वितरण में दोषी पाये गये । सक्षम सचिव जिला प्रशासनिक कमेटी उन्नाव ने अपने आदेश दिनांक 26 अक्तूबर, 1988 द्वारा तीन सचिवों को एवं सचिव, जिला सहकारी बैंक लि०, उन्नाव ने अपने आदेश दिनांक 11 जनवरी, 1988 द्वारा एक शाखा प्रबन्धक को निलम्बित करने के आदेश जारी किये ।

जिलाधिकारी की संस्तुति को माना है ।

जी हां ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात् पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजे जाने पर 22 दिन बाद एफ० आई० आर० दर्ज हो सकी ।

प्राविधिक परीक्षक-1 टेक्निकल आडिट सेल ग्राम्य, ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा गोरखपुर के कतिपय योजनान्तर्गत बनवाये गये प्रोजेक्ट की टेक्निकल जांच एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

70—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में माह मई, 1988 में प्राविधिक-1 टेक्निकल आडिट सेल ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा विकास खण्ड सरदार नगर, गोरखपुर के कतिपय एन0 आर0 ई0 पी0 तथा आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजनान्तर्गत बनवाये गये प्रोजेक्ट की टेक्निकल जांच की गयी थी ? यदि हां, तो उसमें दोषी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान बी0 डी0 ओ0 (श्री शिवमंगल) द्वारा ग्राम डुमरीखास, ग्राम चौरी के सामुदायिक विकास भवनों जिसकी जांच टी0 ए0 सी0 ने किया था, में अपने कार्यकाल में खर्च किये गये [illegible] के वाउचर व कागजात टी0 ए0 सी0 की जांच हेतु नहीं प्रस्तुत किये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में विधायकों द्वारा ग्राम्य विकास सचिव, मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव ग्राम विकास अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन तथा टी0 ए0 सी0 सेल को पत्र लिखे गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खण्ड सरदार नगर (जिला गोरखपुर) में इन्दिरा आवासों की जांच आयुक्त के जांच दल द्वारा कराये जाने की मांग

71—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त, सन् 1987 में विकास खण्ड सरदार नगर (जिला गोरखपुर) में इंदिरा आवास घोटाला काण्ड के मामले में ग्रामीण आवास आयुक्त की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा किये गये जांच के मामले में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के खिलाफ अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी,, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि सितम्बर, 1987 से लगायत जून, 1988 तक उक्त विकास खण्ड में बनवाये गये इंदिरा आवासों में भी भ्रष्टाचार व घोटाला की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा तथा अन्य जनपद के जन प्रतिनिधियों द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या इस अवधि में विकास खंड सरदारनगर में बनवाये गये इंदिरा आवासों की भी जांच आवास आयुक्त के जांच दल द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खण्ड सरदार नगर (जिला गोरखपुर) में विकास अधिकारी, ए० डी० ओ०, आई० ए० बी०, ए० डी० ओ० (कृषि) आदि की अपने घर से निकट तैनाती होने के कारण प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

72--श्रीमती शारदा देवी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, सरदार नगर (जिला गोरखपुर) में वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी, श्री शिवमंगल सिंह, ए० डी० ओ० आई० एस० बी०, श्री बृज भूषण सिंह, ए० डी० ओ० (कृषि), श्री वीर बहादुर सिंह व बोरिंग टेक्नीशियन, श्री हरेन्दर सिंह, ग्राम छः गांव के विभिन्न टोलों के निवासी होने तथा अपने घर से 5 कि० मी० की दूरी पर तैनात होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 जुलाई, 1988 जिलाधिकारी गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी (श्री रोहित नन्दन) को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त मामले में अभी तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां, जिलाधिकारी गोरखपुर को उक्त पत्र दिनांक 11 अगस्त, 1988 को प्राप्त हुआ ।

जी नहीं । श्री रोहित नन्दन, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर अपने पद का दिनांक 10 अगस्त, 1988 को कार्यभार हस्तान्तरित कर चुके थे । उक्त शिकायती पत्र पर परगनाधिकारी (सदर), गोरखपुर से जांच करायी जा रही है ।

डी० आर० डी० ए० की बैठक ग्राम अभियन्त्रण कार्यालय मथुरा में स्वीकृत किये गये कार्यों में प्रगति

73--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी में है कि मथुरा जनपद में 25 जून, 1988 को डी० आर० डी० ए० की बैठक ग्राम विकास अभियंत्रण कार्यालय, मथुरा में हुई थी ? यदि हां, तो उसमें स्वीकृत किये गये विकास कार्यों में नवम्बर, 1988 तक कोई प्रगति हुई ? यदि हां, तो क्या कार्य किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माट क्षेत्र में जिला परिषद्, मथुरा द्वारा सड़कों का निर्माण

74--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायतराज मंत्री को जानकारी में है कि माट क्षेत्र में जिला परिषद्, मथुरा द्वारा अब तक कौन-कौन सी और कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है ? क्या यह सही है कि माट क्षेत्र में जिला परिषद द्वारा बनाई सड़कों की दशा

बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हैं जिन पर चलना बहुत मुश्किल है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत व पेन्टिंग कराने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। माट विधान सभाई क्षेत्र में जिला परिषद्, मथुरा द्वारा अब तक निम्नवत् 2 सड़कों का निर्माण किया गया है :—

(1) पिथौरागढ़-चांदपुर मार्ग व

(2) माट-नौहझील से नसीठी मार्ग।

यह सही है कि मांट क्षेत्र में जिला परिषद्, मथुरा द्वारा बनायी गई सड़कों की दशा बहुत जीर्ण-शीर्ण है किन्तु उनकी दशा इतनी अधिक जीर्ण-शीर्ण नहीं है कि उन पर चलना बहुत मुश्किल हो।

जिला परिषद्, मथुरा द्वारा उपर्युक्त सड़कों की मरम्मत व पेंटिंग कराने पर विचार किया जा रहा है।

कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करने हेतु समय का प्राविधान

75—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा कितने वर्ष बाद उत्तर पुस्तिकायें नष्ट किये जाने का प्राविधान है ? क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1986-87 की उत्तर पुस्तिकायें समय से काफी पूर्व ही नष्ट कर दी गई हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक किन-किन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

कानपुर विश्वविद्यालय के नियमों में सामान्य परिस्थितियों में परीक्षाफल घोषित होने के 6 माह पश्चात् उत्तर पुस्तिकायें नष्ट किए जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा श्री राजेश कुमार शुक्ला सहायक अध्यापक को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत कर दिया जाना

76—श्री त्रिभुवन प्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने श्री राजेश कुमार शुक्ला, सहायक अध्यापक, सीनियर बेसिक विद्यालय, रसौली, बाराबंकी जिन्होंने बी० टी० सी० प्रशिक्षण वर्ष, 1974 में उत्तीर्ण किया था, को सेलेक्सन ग्रेड स्वीकृत कर दिया है ? यदि हां, तो किस शासनादेश के अनुसार ? क्या नियमतः श्री शुक्ला को वर्ष 1990 में 16 पूर्ण होने पर स्वीकृत होना

चाहिए था ? यदि हां, तो इस अनियमित कार्यवाही के विरुद्ध सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वर्ष 1983-84 में श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल, सहायक अध्यापक सी0 बे0 वि0, रसोली, बाराबंकी जिन्होंने बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण 1975 में उत्तीर्ण किया था के साथ कतिपय अन्य शिक्षकों को अनियमित रूप से सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया है ।

वर्ष 1991 में 16 वर्ष पूर्ण होने पर ही सेलेक्शन ग्रेड देय होगा ।

कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय से अधिकारियों का स्थानान्तरण एवं उनके विरुद्ध जांच

77--श्री त्रिभुवन प्रसाद--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय से वर्ष 1987 एवं 88 में कुल कितने अधिकारी स्थानान्तरित किये गये जिनके विरुद्ध जांच चल रही थी ? उनके नाम व पद क्या हैं ? इनके स्थानान्तरण कब और कहां-कहां किए गये तथा स्थानान्तरण किए जाने का क्या कारण था ? इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं एव जांच कार्यवाही कब से चल रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं लखनऊ से मात्र एक अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया जिनके विरुद्ध उनके पूर्व कार्यकाल की जांच चल रही थी ।

उक्त अधिकारी का नाम श्री ओम प्रकाश मिश्र है जो वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर कार्यरत थे ।

श्री ओम प्रकाश मिश्र, वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश का स्थानान्तरण, निदेशालय के आदेश संख्या नि0 नि0 (बे0)/41/87-88, दिनांक 18 सितम्बर, 1987 द्वारा विशेष कर्याधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा), मुरादाबाद के पद पर प्रशासकीय दृष्टिकोण से जनहित में किया गया ।

श्री ओम प्रकाश मिश्र के विरुद्ध, इनके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के कार्यकाल में, बेसिक परिषदीय अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितताये करने के आरोप हैं । श्री मिश्र के विरुद्ध उक्त जांच वर्ष 1987 से चल रही है ।

श्रीमती शान्ती मिश्र, सहायक अध्यापिका, सीनियर बेसिक विद्यालय, देवा, बाराबंकी की सेवा समाप्ति

78--श्री त्रिभुवन प्रसाद--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 पांचवें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि साक्षात्कार

में कुल कितनी अभ्यर्थिनी (विभागीय एवं गैर विभागीय) सम्मिलित हुई एवं उनकी मेरिट लिस्ट क्या थी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि श्रीमती शान्ती मिश्र, बाहरी अभ्यर्थिनी जिनकी नियुक्ति की गई थी, की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव क्या था ? क्या यह सत्य है कि श्रीमती मिश्र, तत्कालीन उप विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी की पत्नी थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

साक्षात्कार में कुल 28 अभ्यर्थिनी सम्मिलित हुई थीं जिनमें 12 विभागीय एवं 16 गैर विभागीय थीं । इन्टरमीडिएट गृह विज्ञान बी० टी० सी० प्रशिक्षण, 1980 ।

79—श्री त्रिभुवन प्रसाद—

[4 थे सोमवार के लिए स्थगित]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में प्रोन्नति प्राप्त अभियन्ताओं की सूची को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

80—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 19/5—81—कार्मिक—1, दिनांक 24 अप्रैल, 1982 द्वारा अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत निचले संवर्ग से तदर्थ रूप से प्रोन्नतियों का कार्यकाल एक वर्ष से पूर्व समाप्त करके उनके विरुद्ध नियमित नियुक्तियां करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में शासनादेश संख्या 1829/आर० ई०—38—9—904 (55)—87, दिनांक 19 अगस्त, 1987 द्वारा विद्युत/यांत्रिक संवर्ग में अवर अभियन्ताओं से की गयी तदर्थ प्रोन्नतियों का कार्यकाल कब तक का है ? यदि तदर्थ प्रोन्नतियों का प्रविधानानुसार कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो उन्हें कब तक समाप्त किया जायेगा ? क्या इसी प्रकार सिविल संवर्ग में भी निचले संवर्ग से की गयी अवर अभियन्ताओं की तदर्थ नियुक्तियों का कार्यकाल एक वर्ष के अधिकतम अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो उन सभी तदर्थ प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

संदर्भित शासनादेश के द्वारा विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर निर्धारित विभागीय कोटा के अधीन की गयी है तथा इन प्रोन्नतियों के आदेश में कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है । इन तदर्थ प्रोन्नतियों के नियमितीकरण किये जाने के लिए लोक सेवा आयोग को लिखा गया है ।

सिविल संवर्ग में की गयी तदर्थ प्रोन्नतियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही अंतिम चरण में है । विभाग के बढ़ते हुए कार्यकलापों एवं सीमित कार्मिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए इन तदर्थ प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को कार्यरत रखा गया ।

तदर्थ रूप से प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ.. 402र)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत्/यांत्रिक) की स्वीकृति

81--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत्/यांत्रिक) की स्वीकृति सरकार ने किस उद्देश्य से किन-किन शासनादेशवार की थी ? क्या सहायक अभियन्ता (विद्युत्/यांत्रिक) सिविल शाखा में भी कार्य करने की अर्हता रखते हैं ? यदि नहीं, तो फिर किसके आदेशानुसार सहायक अभियन्ताओं (विद्युत्/यांत्रिक) से सिविल इंजीनियरिंग में कौन-कौन से कार्य कराये जा रहे हैं ? सहायक अभियन्ताओं (विद्युत्/यांत्रिक) से सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों से मुक्त करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में सहायक अभियन्ता (विद्युत्/यांत्रिक) की स्वीकृति विभागीय विद्युत् एवं यांत्रिक कार्यों के निष्पादन के लिए की गई थी । सहायक अभियन्ता (विद्युत्/यांत्रिक) की स्वीकृतियां निम्नानुसार की गई हैं :

1--शासनादेश संख्या 4695/38-1--904 (55)-84, दिनांक 25 जुलाई, 1984 ..	5=10
2--शासनादेश संख्या 10153/38-1--904(299)-82, दिनांक 26 सितम्बर, 1984 ..	2+2=4
3--शासनादेश संख्या 315/आर0 ई0-38--4-27-ब-84, दिनांक 4 अक्तूबर, 1985 .	3+3=6
4--शासनादेश संख्या 3361/आर0 ई0-38-4-71-ब-84, दिनांक 8 अक्तूबर, 1986 ..	4+4=8
योग ..	14+14=28

सहायक अभियन्ता (विद्युत्/यांत्रिक) के पद पर वर्तमान में प्रोन्नत सहायक अभियन्ता कोटे के होने के कारण सिविल शाखा में भी कार्य करने की अर्हता पूर्व के अवर अभियन्ता के पद पर सिविल के कार्यों के अनुभव के कारण रखते हैं इसी कारण सहायक अभियन्ता सिविल की कमी होने के फलस्वरूप सहायक अभियन्ता (विद्युत्/यांत्रिक) से अपने कार्यों के अतिरिक्त सिविल इंजीनियरिंग के विभागीय सभी कार्य विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार कराये जा रहे हैं । सहायक अभियन्ता सिविल के रिक्त पद भर जाने पर सहायक अभियन्ता (विद्युत्/यांत्रिक) से उनके पदों के अनुरूप पूर्ण कार्य लिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी के महाप्रबन्धक द्वारा श्री सुमेरी लाल गुप्ता को मुख्य आंकिक की धन की अनियमितताओं के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना

82--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी के महाप्रबन्धक द्वारा दिनांक 6 मई, 1985 को श्री सुमेरी लाल गुप्ता, मुख्य आंकिक को

बैंक में हुए गबन, धन अपहरण अनियमितताओं तथा धन के दुरुपयोग के मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया था ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच न करने के लिए श्री गुप्ता के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह--

जी हां ।

जांच अधिकारी श्री सुमेरी लाल गुप्ता ने जांच पूरी नहीं की जिसके लिए उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने की संस्तुति की गई है ।

जिला सहकारी बैंक लि0 बाराबंकी के लेखा परीक्षा वर्ष में गबन एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

83—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0 बाराबंकी के लेखा परीक्षा वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में लाखों रुपये के गबन के मामले प्रकाश में आये थे ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या जांच अधिकारी नियुक्त किये गये ? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच रिपोर्ट न प्रेषित करने के कारण क्या विभागीय कार्यवाही इन जांच अधिकारियों के खिलाफ की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच के दरम्यान जांच अधिकारियों का स्थानान्तरण हो गया ।

जांच में अनावश्यक विलम्ब के लिए जांच अधिकारियों को चेतावनी दी गई ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

शाहजहांपुर की श्रीमती विद्यावती उपाध्याय पत्नी श्री सुलखे लाल, सहायक अध्यापक उ0 मा0 विद्यालय, चकझाऊ की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

84— सिकन्दर अली खां--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के नौवें सोमवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के संदर्भ में जो श्रीमती विद्यावती उपाध्याय, विधवा स्व0 सुलखे लाल, सहायक अध्यापक, उ0 म0 वि0 चकझाऊ शाहजहांपुर की नियुक्ति से सम्बन्धित थ, में सरकार द्वारा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका बरेली को क्या निर्देश दिये गये थे ? क्या निर्देशों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शासन से कोई निर्देश नहीं दिये गये थे। शिक्षा निदेशालय द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि यदि श्रीमती विद्यावती उपाध्याय का प्रार्थना-पत्र उनके कार्यालय में उपलब्ध हो तो उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करें।

श्रीमती उपाध्याय ने शिक्षिका के पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर को दिया था जबकि राजाज्ञा में केवल शिक्षमेत्तर पदों पर मृतक आश्रित को नियुक्त किये जाने का प्राविधान है। अतः श्रीमती विद्यावती को नियुक्ति नहीं की जा सकी। इसके लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली द्वारा उप विद्यालय निरीक्षक, बरेली को प्राइमरी पाठशाला, मुहम्मदगंज, ब्लाक मीरगंज में अध्यापक की नियुक्ति के आदेश में शिथिलता

85—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19 जुलाई, 1987 के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली ने अपने पत्रांक 2032-33/87-88, दिनांक 27 जुलाई, 1987 द्वारा उप-विद्यालय निरीक्षक, बरेली को आदेश दिया था कि प्राइमरी पाठशाला, मुहम्मदगंज, ब्लाक मीरगंज में अध्यापक की नियुक्ति की जाये परन्तु फिर भी आज तक वहां एक भी अध्यापक नहीं भेजा गया? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शिथिलता बरतने एवं बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करके सदन को सूचित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो प्रश्न करने के पश्चात् नियुक्ति की गई है, तो वह किस तिथि में की गई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

एक और अध्यापक को वहां पर स्थानान्तरित करके नियुक्त कर दिया गया है।

भविष्य में शिथिलता न बरतने के कड़े निर्देश दिये गये हैं।

एक अध्यापक की व्यवस्था दिनांक 23 जनवरी, 1989 को कर दी गई है।

मौलाना जौहर के नाम रामपुर नगर में स्थापित पार्क के सौन्दर्यीकरण विषयक कथित शासनादेश

86—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की आजादी की जंग में बलिदान देने वाले मौलाना जौहर के नाम पर रामपुर नगर में स्थापित पार्क की दशा कूड़ा जैसी है और उसके सौन्दर्यीकरण हेतु शासन के किसी आदेश का पालन अब तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई समयबद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो क्या?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

कुछ समय पूर्व मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क की स्थिति लोहे का गेट टूटने व बाउण्ड्रीवाल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अच्छी नहीं रही । पार्क की मरम्मत रंगरोगन, गेट बनाने, प्रकाश व्यवस्था, फूल उगाने आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर दिया गया है ।

पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी के रन्सली रेंज में दैनिक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करने की मांग

87—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी के रन्सली रेंज में दिनांक 1 जुलाई, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक का दैनिक मजदूरों की मजदूरी का लगभग एक लाख रुपया अवशेष है जिसका भुगतान मार्च, 1988 तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी अविलम्ब इन गरीब मजदूरों को देय उनकी मजदूरी का भुगतान ब्याज और विलम्ब दण्ड सहित, करने तथा अभी तक भुगतान न करने के दोषी व्यक्तियों को दण्डित करके सदन को सूचित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

सरस्वती जयन्ती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय त्रिवेदीगंज बाराबंकी में आडिट आपत्तियों के सम्बन्ध में श्री कौशल प्रसाद शुक्ल के विरुद्ध कार्यवाही

88—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-9/4027/15-2001/296, दिनांक 3 दिसम्बर, 1983 द्वारा सरस्वती जयन्ती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय त्रिवेदीगंज बाराबंकी में राजकीय आडिट द्वारा प्रकाश में आई आडिट आपत्तियों के सम्बन्ध में जो आदेश दिया गया था, उसके पैरा-(3), (4), (6), (8), (9), (10) व (11) में उल्लिखित आपत्तियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति श्री कौशल प्रसाद शुक्ल को इस समय उक्त विद्यालय का कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना दिया गया है जबकि न्यायालय द्वारा उक्त विद्यालय के घोषित प्रबन्धक ने उपरोक्त दोनों कार्यवाहक प्रधानाचार्य के खिलाफ थाना लोनी कटरा, बाराबंकी में गबन इत्यादि की रिपोर्ट की है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी तत्काल आडिट तथा शासन द्वारा स्वयं आरोपित उक्त श्री कौशल प्रसाद शुक्ल को पदमुक्त करने तथा उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रबन्धक द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में अंकित नहीं कराई गयी है ।

शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

मुख्य मन्त्री को सम्बोधित उत्तर प्रदेश जल निगम सहायक अभियन्ता एसोसियेशन देहरादून इकाई का पत्र

89--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 का माननीय मुख्य मन्त्री को सम्बोधित पत्र उत्तर प्रदेश जल निगम सहायक अभियन्ता एसोसियेशन देहरादून इकाई के संलग्न ज्ञापन सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संलग्न ज्ञापन पर अब तक किन्दुवार क्या कार्यवाही की गई तथा इनकी समस्याओं का समाधान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्रीमती चम्पादेवी, प्रधान गांव सभा पोठपुर आशाजोत, विकास खंड कटेहरी, जनपद फैजाबाद का ब्लाक मुख्यालय के प्रधान लिपिक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

90--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 27 सितम्बर, 1988 का पत्र श्रीमती चम्पा देवी, प्रधान गांव सभा पोठपुर आशाजोत, विकास खण्ड कटेहरी, जनपद फैजाबाद के प्रार्थना-पत्र के साथ मिल गया है, जिसमें ब्लाक मुख्यालय के प्रधान लिपिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक की कुल कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की जांच करायी गई । श्री कमलाकर त्रिपाठी के विरुद्ध शिकायती-पत्र में लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप जांच में सिद्ध नहीं पाये गये । वर्तमान प्रधान श्रीमती चम्पा देवी को नजरूल का चार्ज प्राप्त हो गया है ।

राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज जनपद बस्ती में तदर्थ रूप में कार्यरत अध्यापिकायें तथा उन्हें नियमित किये जाने की मांग

91--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज जनपद बस्ती में एल० टी० ग्रेड में कितनी अध्यापिकायें तदर्थ रूप से वर्ष 1981 से कार्यरत हैं ? शासनादेशानुसार इन अध्यापिकाओं को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अब तक नियमित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी तत्काल इन तदर्थ अध्यापिकाओं को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र में सा0 नि0 विभाग को जिला योजना में लाकर यातायात की सुविधा की मांग

92—श्री सूरवीर सिंह सजवाण—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में भी मैदानों की भांति सा0 नि0 वि0 को जिला योजना में लाकर यातायात की सुविधा को सुगमता प्रदान की जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति अपनी विशिष्ट समस्याओं के कारण मैदानी क्षेत्र से भिन्न है । सा0 नि0 विभाग के अधीन सड़कों एवं पुलों को जिला योजना (जिलासेक्टर) में रखना उचित नहीं है क्योंकि रेल यातायात के अभाव में पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों एवं पुलों का महत्व पूरे क्षेत्र के संदर्भ में अधिक है ।

2 —पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों एवं पुलों के लिए संसाधनों की अधिक आवश्यकता अन्य विकास कार्यक्रमों की क्षमताओं के उपयोग अन्तर्जिला मार्गों, सम्पर्क मार्गों के महत्व तथा क्षेत्र के संतुलित विकास की आवश्यकताओं आदि की दृष्टि से सार्वजनिक निर्माण विभाग के सड़क एवं पुल कार्यों से यातायात की प्राथमिकता राज्य सेक्टर से निर्धारित करना अधिक उपयुक्त है जिससे यातायात की सुविधा सभी पहलुओं से अधिक सुगमता-पूर्वक प्रदान की जा सके । अतः इन्हें जिला योजना (जिला सेक्टर) में लेने का प्रयास नहीं है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में हाई स्कूल/इन्टर कालेजों की कमी एवं उसके लिए अतिरिक्त बजट के प्राविधान की मांग

93—श्री सूरवीर सिंह सजवाण—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की अपेक्षा जनपद टिहरी गढ़वाल में हाई स्कूल इंटर कालेजों की भारी कमी को देखते हुए शैक्षिक असमानता को दूर करने की दृष्टि से तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा क्रमशः 10+13=23 विद्यालयों को दी गयी स्वीकृति को मूर्तरूप दिया जायेगा ? यदि हां, तो उसके लिए अतिरिक्त बजट का प्राविधान कब तक हो जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय विधायक ने तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से शैक्षिक असमानता को दूर करने के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल में 10 राजकीय हाई स्कूल खोलने तथा 12 राजकीय हाई स्कूलों को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने का अनुरोध किया था । वित्तीय वर्ष 1988-89 में जनपद टिहरी में एक स्थान पर हाई स्कूल खोलने तथा एक राजकीय हाई स्कूल को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं । सीमित संसाधनों के कारण उक्त समस्त विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद में स्थित फैजाबाद कादल-शाहगंज-इसौली मार्ग तथा बीकापुर-रेवतीगंज-मवई इनायत नगर मार्गों का सा0 नि0 वि0 द्वारा निर्माण एवं उनके किनारे वृक्षारोपण न कराये जाने के कारण

94--श्री मित्रसेन--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में स्थित फैजाबाद कादल-शाहगंज-इसौली मार्ग तथा बीकापुर-रेवतीगंज-मवई इनायतनगर, मार्गों का निर्माण सा0 नि0 वि0 फैजाबाद द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उनके किनारे अभी तक वृक्षारोपण न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी हां ।

चूंकि उक्त दोनों मार्गों पर मिट्टी आदि पूर्ण रूप से नहीं पड़ी थी इसलिए उस पर अभी तक वृक्षारोपण नहीं कराया जा सका था । दोनों मार्गों के किनारे वृक्षारोपण कराये जाने हेतु वर्ष 1988-89 में अग्रिम मिट्टी का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के लिए पत्र एवं पदों पर भर्ती न किये जाने के कारण

95--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के तत्कालीन उप सचिव (श्री चन्द्र शेखर गुप्ता) नगर विकास-4 द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 1987 को राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के अन्तर्गत एक पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को लिखा गया है ? यदि हां, तो उन पदों पर अभी तक भर्ती न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उक्त पदों पर भर्ती कब तक कर दी जायेगी ?

श्री बरखेव सिंह मार्या--

जी हां ।

आदेश दिनांक 28 सितम्बर, 1987 द्वारा 123 पदों का दिनांक 28 फरवरी, 1988 तक के लिए अस्थायी सृजन किया गया था । उक्त पदों में से आवश्यकतानुसार 110 पदों पर नियुक्तियां/समायोजन किया गया । शेष 13 पदों को नहीं भरा गया। भविष्य में पद सृजन होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों की भांति शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों के लिए बोरिंग पम्प सेट पर छूट की मांग

96--नवाब सिकन्दर अली खां--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा उन ग्राम वासियों को ही बोरिंग पम्प सेट पर छूट दी जा रही है जो

ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते ह ? क्या उपरोक्त छूट उन कृषकों को भी प्राप्त हो रही है जो कि शहरी क्षेत्रों में रहते हैं परन्तु उनकी भूमि गांवों में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जी नहीं । शहरी क्षेत्रों में रहन वाले कृषक आई० आर० डी० योजना के पात्र नहीं हैं ।

प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, शाहजहांपुर के लिये प्रश्नकर्ता के जनहित सम्बन्धी पत्रों पर कार्यवाही

97—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, शाहजहांपुर ने प्रश्नकर्ता के जनहित सम्बन्धी पत्रों दिनांक क्रमशः 11 जून, 1988, 12 जून, 1988, 13 जून, 1988, 24 जून, 1988, 26 जून 1988, 29 जून 1988 तथा 2 जुलाई, 1988 पर जनसमस्याओं के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय विधायक के पत्र दिनांक 11 जून, 1988, 13 जून, 1988, 24 जून 1988, 26 जून, 1988 तथा 2 जुलाई, 1988 पर समुचित कार्यवाही की गयी तथा माननीय सदस्य, विधान सभा को नगरपालिका के पत्र दिनांक 6 सितम्बर, 1988, 7 सितम्बर, 1988 एवं 16 सितम्बर, 1988 द्वारा अवगत भी कराया गया । इसके अतिरिक्त प्रश्न में इंगित पत्र दिनांक 12 जून, 1988 तथा 29 जून, 1988 नगरपालिका में अनुपलब्ध होने के कारण प्रश्नकर्ता से प्रतियां प्राप्त करके माननीय सदस्य, विधान सभा को नगरपालिका के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 1989 द्वारा अवगत करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर क्षेत्र में पड़ी सीवर लाइन के कारण खराब हुयी सड़क को नगरपालिका, शाहजहांपुर द्वारा ठीक किये जाने की मांग

98—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर क्षेत्र में पड़ी सीवर लाइन के कारण खराब हुयी सड़क को नगरपालिका, शाहजहांपुर द्वारा यातायात हेतु ठीक किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जल निगम द्वारा सीवर लाइन डालने हेतु काटी गई सड़क को यातायात हेतु ठीक कराने का कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

99—नवाब सिकन्दर अली खां—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा विकास नगर आगरा रोड सासनी गेट पर मकानों का आवंटन एवं बिजली, पानी, सीवर लाइन आदि सुविधाओं की मांग

100—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनी विकास नगर आगरा रोड सासनी गेट पर जो निर्माण करके 15 जनवरी, 1985 को मकानों को आवंटित किया गया था, उनके सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सभी सुविधायें बिजली, पानी, सीवर लाइन, नालियां, शौचालय उपलब्ध होगा ? यदि हां, तो अभी तक उक्त व्यवस्था न किये जाने का क्या कारण है और कब तक उक्त सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

सीवर लाइन एवं सड़कों का काम पूर्ण हो चुका है। पानी हेतु लाइन बिछाई जा चुकी है। वर्तमान में ट्यूबवेल से सीधे पानी की व्यवस्था की गई है। दुर्बल आय वर्ग के भवनों को शौचालय की सुविधा दी जा चुकी है। बिजली का कार्य प्रगति पर है। 44 बिजली कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

101—श्री किशन लाल दिलेर—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा वैद्य भगवानदीन बालिका उ0 मा0 विद्यालय, नानपारा, जिला बहराइच की प्रधानाचार्या को सरकार द्वारा वेतन दिये जाने का निर्देश एवं वेतन संदाय आरम्भ की मांग

102—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा समादेश याचिका संख्या 5562 वर्ष 1987 के बारे में दिया गया निर्णय दिनांक 5 अप्रैल, 1988, जिसमें कि वैद्य भगवानदीन बालिका उ0 मा0 विद्यालय, नानपारा, जिला बहराइच की प्रधानाचार्या को सरकार द्वारा वेतन दिये का निदेश आर0 आई0 जे0 एस0, फैजाबाद मण्डल तथा राज्य सरकार को दिया गया है, प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या वेतन दिलाना प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा वेतन संदाय कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 5 अप्रैल, 1988 के आदेश में वेतन भुगतान किये जाने का निर्देश नहीं दिया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज, मैलानी, जिला लखीमपुर-खीरी में अध्यापकों को चयन, वेतन मान

103—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज, मैलानी, जिला लखीमपुर-खीरी में ऐसे कौन-कौन अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में हैं, जो कि 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के कारण चयन वेतनमान पाने के हकदार हैं ? उन्हें चयन वेतनमान दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री नन्हें सिंह राठौर तथा श्री राधेश्याम शर्मा दो अध्यापक चयन वेतनमान के लिये अर्ह हैं ।

जी नहीं ।

(1) श्री राठौर की सेवायें सन्तोषजनक न होने के कारण उन्हें चयन वेतनमान नहीं दिया गया ।

(2) श्री राधेश्याम शर्मा का प्रकरण प्रबन्ध समिति के विचाराधीन है ।

लाल बहादुर शास्त्री इन्टर कालेज, मैलानी, जिला लखीमपुर-खीरी में अंग्रेजी प्रवक्ता पद की रिक्ति एवं स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक को पदोन्नत न किये जाने का कारण

104—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या यह सही है कि उपरोक्त कालेज में अंग्रेजी प्रवक्ता पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ? इस कालेज की स्थापना से अब तक कुल कितने प्रवक्ता नियुक्त किये गये ? क्या 40 प्रतिशत कोटे के हिसाब से स्नातक वेतनक्रम में किसी की प्रोन्नति की गयी अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो इस रिक्त पद पर प्रोन्नति न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

दिनांक 16-8-1978 से ।

6 (छः) ।

नहीं ।

प्रश्नगत विद्यालय में अंग्रेजी विषय के स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक श्री नन्हें सिंह राठौर को पदोन्नति के योग्य नहीं पाया गया । इस सम्बन्ध में श्री राठौर ने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका योजित कर रखी है जो विचाराधीन है ।

वाराणसी जनपद के नियमताबाद ब्लाक के बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं के एरियर तथा वेतन भुगतान

105—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जनपद के नियमताबाद ब्लाक के सभी बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं के सन् 1981 के सभी प्रकार के एरियर तथा वेतन के भुगतान किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो किन-किन महीनों के वेतन एवं एरियर भुगतान अब तक नहीं किये गये हैं ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त वेतन तथा एरियर के अब तक भुगतान न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उन शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं को जल्द से जल्द सभी प्रकार के एरियर वेतन तथा उनके अब तक के ब्याज को भी दिलाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकास अधिकारी, सरदार नगर, जिला गोरखपुर का गृह ग्राम व विकास खंड तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही

106—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान खंड विकास अधिकारी, सरदारनगर, जिला गोरखपुर का गृह ग्राम व विकास खंड क्या है ? उनके गृह ग्राम से उनके कार्य स्थल ग्राम चौरी की दूरी क्या है ? क्या उक्त बी० डी० ओ०, विकास खंड सरदारनगर में ही इसके पूर्व सांख्यिकी अनुभाग में कार्य कर चुके हैं ? यदि हां, तो उन्हें पुनः दुबारा उसी विकास खंड में बी० डी० ओ० के पद पर उनके गृह ग्राम से मात्र 3 मील की दूरी पर नियुक्त किये जाने का क्या औचित्य व कारण है ? क्या यह सत्य है कि ग्राम डुमरी खास में बनवाया गया विकास भवन एक बार गिर जाने के बाद दुबारा उक्त बी० डी० ओ० द्वारा बनवाया गया है और दुबारा कार्य पूर्ण होने के साथ ही भवन पुनः क्रैक हो गया है तथा ग्राम चौरी व लक्ष्मनपुर के विकास भवन की भी छतें व दीवारें फट गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त मामले में उक्त खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्तमान खंड विकास अधिकारी, सरदारनगर, जिला गोरखपुर का गृह ग्राम कालावन, विकास खंड गौरीबाजार, जनपद देवरिया है । उनके गृह ग्राम से ग्राम चौरी की दूरी 7 किलोमीटर है ।

उक्त खंड विकास अधिकारी 21 वर्ष पूर्व इसी विकास खंड में सांख्यिकी विभाग में प्रगति सहायक के पद पर कार्य कर चुके हैं ।

जुलाई, 87 में सामान्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप बस्ती जनपद से इनका स्थानान्तरण गोरखपुर जनपद में हुआ था और सरदारनगर की रिक्ति में स्थानीय आदेश के आधार पर इनको नियुक्ति दी गयी ।

प्रश्न में अंकित सूचना सही नहीं है अतः खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम नियोजन विभाग के वरिष्ठ नियोजक के पद पर प्रतिकूल प्रविष्टियों वाले अधिकारी की नियुक्ति

107--श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वरिष्ठ नियोजक के पद पर एक ऐसे अधिकारी को पदोन्नति प्रदान कर दी गई है जिनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टियां भी ह एवं उनकी सत्यनिष्ठा भी संदेहजनक है ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया ? क्या एक रिक्त वरिष्ठ नियोजक के पद को निकट भविष्य में भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? ग्राम नियोजन विभाग के अन्य जो पद सहायक समाजशास्त्री सांख्यिकीय अधिकारी के रिक्त पड़े हैं क्या उन रिक्त पदों पर पात्र व्यक्तियों को प्रोन्नति प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीनाथ सिंह—

जी हां । माननीय लोक सेवा अधिकरण तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शासन द्वारा विचारोपरान्त श्री के0 सी0 सक्सेना को पदोन्नति तदर्थ रूप से की गई है ।

वरिष्ठ नियोजक, सहायक समाजशास्त्री तथा संख्याधिकारी के रिक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति का मामला शासन के विचाराधीन है ।

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विनियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत अध्यापकों की नियमित नियुक्ति के आदेश एवं ज्येष्ठता

108–श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में मई, 1988 के एवं स्नातक वेतनक्रम (540–910) में तदर्थ नियुक्त ऐसे अध्यापकों, जिन्हें विनियमितीकरण नियमावली, 1979 एवं 1984 के अन्तर्गत विनियमितीकरण हेतु उपयुक्त घोषित/संस्तुत किया गया है, के ज्येष्ठताक्रम में औपचारिक नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक किए जायेंगे ? क्या ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता उनके अविरल नियुक्ति तिथि में दी जाएगी ? यदि नहीं, तो कब से दी जाएगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 1977 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त कुल 838 अध्यापकों में से 821 अध्यापकों को नियमित नियुक्ति के आदेश जारी किए जा चुके हैं ।

विनियमितीकरण संशोधन नियमावली, 1984 के अन्तर्गत 1 मई, 1983 तक के कुल 960 तदर्थ नियुक्त अध्यापकों में से 749 अध्यापकों की नियमित नियुक्ति के आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा शेष प्रकरणों पर कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं ।

नियमावली के अनुसार नियमित नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता दी जाएगी ।

जनपद एटा की क्षेत्रीय सहकारी समिति करतला (एटा) पर आई0 आर0 डी0 फर्जी ऋण दर्शा कर दी जाने वाली छूट का अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हड़प किए जाने की शिकायत

109--श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा) तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद एटा की क्षेत्रीय सहकारी समिति करतला (एटा) पर वर्ष 1986 से 1987 में लाखों रुपयों का आई0 आर0 डी0 फर्जी ऋण दर्शाकर अनुसूचित जाति को दी जाने वाली छूट सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा हड़प ली गई है ? यदि हां, तो क्या शासन इस गम्भीर प्रकरण की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित कर निर्दोष व्यक्तियों के ऋण माफ करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह--

वर्ष 1986 से 1987 में क्षेत्रीय सहकारी समिति, करतला (एटा) में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण में अनियमितता सम्बन्धी एक शिकायती-पत्र दिनांक 4 अगस्त, 1988 प्राप्त हुआ था। शिकायतों की जांच की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद की जिला योजना के लिए धन की व्यवस्था किए जाने तथा अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र एवं कार्यवाही

110--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की जिला योजना के लिए धन की व्यवस्था किए जाने तथा अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का 29 जुलाई, 1988 का पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो उनमें से किन-किन मामलों पर कार्यवाही का दायित्व प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग को सौंपा गया है और उनके द्वारा उस पर अब तक की क्या कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मुख्य सचिव को सम्बोधित पत्र दिनांक 29 जुलाई, 1988 प्राप्त हुआ ।

उक्त पत्र में उल्लिखित प्रस्तर 3 (स) से शिक्षा विभाग सम्बन्धित है । श्री ज्ञा > बाजपेयी अवध विश्वविद्यालय से थोड़े समय बाद ही स्थानान्तरित कर दिए गए थे ।

जहां तक बी0 एड0 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें ऊंचे दामों पर बेचे जान पुस्तकालय के लिए बिना किताबें खरीदे फर्जी वाउचर बनवाए जाने तथा डुप्लीकेटिंग

कुछ पुस्तकों के गायब होने की शिकायत पर पुस्तकालय की स्टाक चेकिंग कराई गई तथा उसके बारे में दिनांक 20 जनवरी, 1989 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराया गया है ।

नगरीय मुख्य स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के मंत्री मुख्यालय श्री वीरेन्द्र सिंह का पालिकाओं में कार्यरत चीफ सेनेटरी एण्ड फूड इन्स्पेक्टर व सेनटरी एवं फूड इन्स्पेक्टर वर्ग को प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाने के विषयक पत्र

111--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि नगरीय मुख्य स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक संघ उत्तर प्रदेश के मंत्री मुख्यालय श्री वीरेन्द्र सिंह का पालिकाओं में कार्यरत चीफ सेनटरी एण्ड फूड इन्स्पेक्टर व सेनटरी एवं फूड इन्स्पेक्टर वर्ग को समुचित प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सम्बोधित और निदेशक, स्थानीय निकाय को पृष्ठांकित 12 नवम्बर, 1987 का पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

उक्त पत्र में दिए गए सुझाव अभी शासन के विचाराधीन हैं ।

112—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

113—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[दिनांक 24 फरवरी, 1989 को अता0 प्र0 सं0 162 द्वारा उत्तरित]

झांसी जिले की तहसील एवं ब्लाक केन्द्र मोठ में बालिकाओं का राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने विषयक आदेश के अनुपालन की मांग

114—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता के मुख्य मंत्री को सम्बोधित झांसी जिले की तहसील एवं ब्लाक केन्द्र मोठ में बालिकाओं का राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने विषयक, दिनांक 2 मई, 1988 के पत्र पर मुख्य मंत्री ने मोंठ में राजकीय बालिका विद्यालय खोले जाने के आदेश उसी दिन सचिव, शिक्षा विभाग को किए थे ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री के आदेशों के अनुपालन में मोठ में राजकीय बालिका विद्यालय कब तक खोल दिया जाएगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

4--प्रश्नकर्ता के दिनांक 27 अप्रैल, 1988 के पत्र पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 2 मई, 1988 को कन्या हाई स्कूल खोलने के आदेश दिए गए थे।

इस समय केवल उन्हीं तहसीलों में राजकीय बालिका विद्यालय खोले जाने की योजना है जिनमें कोई कन्या हाई स्कूल नहीं है।

वाराणसी जनपद के अन्तर्गत भूमेश्वर कालोनी, मोजूबीर की क्षतिग्रस्त सड़कें एवं उनके निर्माण हेतु कार्यवाही

115--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी में है कि वाराणसी जनपद के अन्तर्गत भूमेश्वर कालोनी, मोजूबीर की समस्त सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं ? यदि हां, तो कब से क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार द्वारा इनके निर्माण हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो इन सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

वाराणसी जनपद के अन्तर्गत भूमेश्वर कालोनी, खोजबीर नाम की कोई कालोनी नहीं है।

पइन नहीं उठता।

ग्राम सभा गोहनिया, विकास खण्ड माया बाजार, जनपद फैजाबाद में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत पटाई गई सड़क में की गई अनियमितता विषयक पत्र

116--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गोहनियां, विकास खण्ड माया बाजार, जनपद फैजाबाद में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत पटाई गई सड़क में की गई अनियमितता विषयक कोई शिकायती-पत्र माननीय विधायक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी कटहेरी, फैजाबाद प्रश्नकर्ता तथा महादेव वर्मा, सदस्य, जिला किसान सलाहकार समिति, फैजाबाद द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 1988 को मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद को दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त विषयक शिकायती प्रकरण की जांच आख्या क्या है और यदि अभी तक जांच नहीं कराई गई तो उक्त के लिए कौन-कौन लोग दोषी हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजाजीपुरम एल0 डब्लू0 एल0 योजना के अन्तर्गत कतिपय भवन के आवंटन में धांधली

117--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 31 के संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आवास विकास परिषद् के अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि किसके कारण हुई ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि जो भवन संख्या 2948 का आवंटन प्रश्नगत आवंटी

को किया गया था उस पर परिषद् द्वारा आवंटी से सहमति मांगी गई थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आवंटी को तुरन्त कोई भवन आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस मामले की जांच एक सहायक आवास आयुक्त द्वारा कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

आवंटन में सम्मिलित होने हेतु सभी पंजीकृत व्यक्तियों से सहमति समाचार पत्रों के माध्यम से एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर सूचना दिनांक 8 नवम्बर, 1983 को चस्पा कर मांगी गयी थी ।

राजाजीपुरम कालोनी में अल्प आय वर्ग का कोई भवन आवंटन हेतु फिलहाल उपलब्ध न होने के कारण तुरन्त आवंटन करना सम्भव नहीं है । प्रार्थी के आवेदन पर लखनऊ की अन्य योजना में भवन आवंटन हेतु विचार किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियन्ता मध्य जोन के द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाले किये जाने के सम्बन्ध में विधान सभा सदस्यों द्वारा लिखित शिकायती पत्र

113--श्री पारस नाथ यादव--

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियन्ता मध्य जोन के द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाले किये जाने के सम्बन्ध में विधान सभा सदस्य श्री निसार हुसैन आदि ने दिनांक 9 जून, 1988 को तथा विधान सभा सदस्य श्री आर0 एन0 पाठक (कानपुर) द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ दिनांक 25 जून, 1988 को शासन को कोई लिखित शिकायती-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा उन पर क्या बिन्दुवार कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्रों में वर्णित आरोपों की जांच के आदेश जल निगम को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद्, जौनपुर द्वारा गेहूं के वितरण की जगह मजदूरों को चावल दिया जाना

119--श्री चन्द्र सेन--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला परिषद्, जौनपुर द्वारा गेहूं के वितरण की जगह चावल मजदूरों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों जबकि उनका मस्टर रोल गेहूं का है ? क्या जिला परिषद् अभिदन्ता द्वारा गेहूं व चावल के वितरण के मस्टर रोल पर सत्यापन किया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

गेहूं वितरण के स्थान पर चावल का वितरण किया गया है क्योंकि एफ0 सी0 आई0 गोदाम में गेहूं की अनुपलब्धता होने के कारण डी0 आर0 डी0 ए0, जौनपुर द्वारा चावल

का आवंटन किया गया था। मस्टर रोल के अनुसार खाद्यान्न वितरित करन वाले अधिकारी के द्वारा मस्टर रोल में वितरण का सत्यापन किया आता रहा हैं ।

अभियन्ता कृष्ण मोहन तिवारी जिला परिषद् जौनपुर (तत्कालीन) बहराइच के खिलाफ शासन द्वारा जांच

120—श्री चन्द्र सेन—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभियन्ता कृष्ण मोहन तिवारी, जिला परिषद् जौनपुर में हैं जो इसके पहले बहराइच में थे और इनके खिलाफ शासन द्वारा जांच हो रही थी ? यदि हां, तो उस जांच में क्या हुआ ? क्या शासन द्वारा कोई कार्यवाही उनके खिलाफ हुई ? अगर नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

121—श्री हरदेव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

लखनऊ स्थित वाटर वर्क्स रोड बिजली घर के हाते से संलग्न एक भू खण्ड को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक पक्ष में रिलीज किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

122—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित वाटर वर्क्स रोड बिजली घर के हाते से संलग्न एक विशाल भूखण्ड लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गत 14 फरवरी, 1986 को एक अधिसूचना तथा 15 फरवरी, 1986 को सरकारी गजट द्वारा उक्त स्थान को अर्जित करके गजट करा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या वह भूखण्ड अथवा उसके एक भाग को किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था के पक्ष में एक धार्मिक स्थल निर्माण हेतु रिलीज कर दिया है ? यदि हां, तो व्यक्ति/संस्था का नाम क्या है तथा किन शर्तों पर क्यों रिलीज किया गया है ? क्या उपरोक्त क्षेत्र के नागरिकों की ओर से कोई मांग पत्र हाल में ही नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है जिसमें रिलीज किये जाने का विरोध किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, किन्तु यह प्रस्ताव मुआवजा जमा न होने के कारण समाप्त हो गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बरेली के टाउन एरिया शीशगढ़ को सड़क निर्माण हेतु अनुदान की मांग

123—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली के टाउन एरियद शीशगढ़ को पिछले दस वर्ष से सड़क निर्माण हेतु कोई सामान्य ग्रान्ट दी गई है ? यदि

हां, तो उससे कितना सड़क निर्माण कार्य अथवा मरम्मत कार्य हुआ है ? यदि नहीं तो कस्बा शोशगढ़ की सड़कों की दयनीय दशा को ध्यान में रखकर मंत्री जी उक्त कस्बे की सड़कों के तुरन्त निर्माण हेतु 20 लाख रुपया आवंटित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि टाउन एरिया, शोशगढ़ पूर्व वर्षों के अनुदानों का दुरुपयोग करने के कारण सड़क अनुदान प्राप्त करने हेतु अनर्ह है ।

जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कादराबाद, के भूतपूर्व सैनिक इन्टर कालेज, की कार्यकारिणी का चुनाव

124--श्री जगदीश सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विकास खण्ड अफजलगढ़ के कादराबाद भूतपूर्व सनिक इण्टर कालेज की कार्यकारिणी का चुनाव कराने का मामला विभाग के सामने कब से विचाराधीन है ? कब तक चुनाव सम्पन्न करा दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो अब तक चुनाव न कराने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

भूतपूर्व सैनिक इण्टर कालेज, कादराबाद, बिजनौर की कार्यकारिणी का चुनाव जून 1987 से विचाराधीन है ।

सम्प्रति चुनाव की तिथि 26 मार्च, 1989 निश्चित् की गई है ।

जिला बरेली में विभिन्न ब्लाकों में प्राइमरी स्कूलों के भवनों को निर्धारित सीमा में बनाये जाने की मांग

125--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 अक्तूबर, 1988 तक जिला बरेली के विभिन्न ब्लाकों में ब्लाक अनुसार कितने-कितने प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन अभी निर्मित नहीं हुए हैं ? इन भवनों का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी इसके लिए कोई सीमा निर्धारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है ।

वर्ष 1990 तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने की योजना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 208 पर)

शाहजहांपुर नगर क्षेत्र के उत्तरी इलाकों के जल उपभोक्ताओं को स्थायी राहत प्रदान करने हेतु जल निगम निर्माण शाखा द्वारा धन उपलब्ध कराने के बावजूद कार्य की स्थिति

126--नवाब सिकन्दर अली खां--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर क्षेत्र के उत्तरीय इलाकों क्रमशः रामनगर, दिलाजाक, हाथीथान, जलालनगर व निगोही रोड के जल उपभोक्ताओं को स्थायी राहत प्रदान करने हेतु नगरपालिका शाहजहांपुर द्वारा प्रदत्त एवं जल निगम निर्माण शाखा शाहजहांपुर द्वारा अधिगृहीत भूमि पर अवर जलाशय व नलकूपों के निर्माण का कार्य पर्याप्त धनराशि के उपलब्ध होने के बावजूद अभी तक प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ। कार्य न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में रुपये 15·00 लाख का प्राविधान किया गया है। उक्त धनराशि से एक नलकूप खिदवाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शीर्ष जलाशय के निर्माण के लिये निविदायें प्राप्त हो गयी हैं ?

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में आपरेशन ब्लैक बोर्ड की सफलता हेतु आवंटित धनराशि

127--नवाब सिकन्दर अली खां--

क्या शिक्षा मंत्री आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत यह बताने की कृपा करेंगे कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड की सफलता हेतु जनपद शाहजहांपुर में अब तक कितनी धनराशि आवंटित की जा चुकी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर को अब तक रु0 34,92,286 की धनराशि आवंटित की गयी है।

जनपद बरेली के शेरगढ़, मीरगंज तथा बहेड़ी विकास खण्डों में जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्पों की स्थिति

128--श्री जयदीप सिंह बराड़--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम द्वारा जनपद बरेली में विकास खण्ड शेरगढ़, मीरगंज तथा बहेड़ी में इस योजना के प्रारम्भ होने से 31 अक्तूबर, 1988 तक किन-किन ग्रामों में कितने-कितने हैण्ड पम्प लगाये गये हैं और इन हैण्ड पम्पों में से कौन-कौन से हैण्ड पम्प इस समय खराब पड़े हैं ? इन खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

अक्तूबर, 1988 तक जनपद बरेली के शेरगढ़, मीरगंज तथा बहेड़ी विकास खण्डों के ग्रामों में लगाये गये हैण्ड पम्पों की स्थिति संलग्न सूची में दर्शायी गयी है ।†

विकास खण्ड शेरगढ़, मीरगंज एवं बहेड़ी में लगाये गये हैण्ड पम्पों में से क्रमशः 12,5 एवं 6 हैण्ड पम्प खराब थे, जो ठीक करा दिये गये हैं ।

नगरपालिका मैनपुरी के सफाई कर्मचारियों को सामूहिक बीमा का भुगतान

129--श्री किशन लाल दिलेर--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका मैनपुरी के सफाई कर्मचारी जिसमें से कुछ दिवंगत हो चुके हैं तथा कुछ त्यागपत्र दे चुके हैं जिसकी कुल संख्या 26 है, को सामूहिक बीमा का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक भुगतान कराने का आदेश कर दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

उक्त 26 सफाई कर्मचारियों के बीमा दावों के प्रपत्र निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 के माध्यम से शाखा प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय लखनऊ को अदायगी हेतु भेजे गये हैं । दावों की अदायगी की सूचना प्राप्त होते ही सभी दावों का भुगतान कर दिया जायेगा ।

प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के समान सुविधायें

130--श्री किशन लाल दिलेर--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंग कि प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों को सरकार चतुर्थ श्रेणी में मानती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो चतुर्थ श्रेणी की जो सुविधायें सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं वह सभी सुविधायें सफाई कर्मचारियों को भी देंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जो सुविधायें सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं वही सुविधायें सफाई कर्मचारियों को भी प्रदान की गयी हैं ।

131--श्री शारदा प्रताप--

[दिनांक 17-2-89 को अता0 प्र0 सं0 55 द्वारा उत्तरित ।]

---

†छापी नहीं गयी ।

जनपद बाराबंकी में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत करघा उद्योग हेतु धन

132—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1972 में जनपद बाराबंकी में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत कुल कितने लोगों को करघा उद्योग हेतु कितना-कितना धन दिया गया था ? उसमें कितनी छूट थी क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उसमें से कितने लोगों ने पूर्ण भुगतान कर दिया है कितना पैसा तथा अन्य लोगों ने कितना-कितना पैसा कब-कब जमा किया है ? क्या मंत्री जी बुनकरों की हालत को देखते हुए बचे हुए बकाया दारों का पैसा माफ करने पर विचार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1972 में जनपद बाराबंकी में आई0 आर0 डी0 योजना लागू नहीं थी । अतएव उक्त वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत करघा उद्योग हेतु किसी को धन नहीं दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के सामने धरने का आयोजन एवं अवध विश्व विद्यालय से सम्बन्धित बिन्दुओं पर जांच

133—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 4 जुलाई, 1988 को जनता पार्टी, फैजाबाद ने जिला अधिकारी फैजाबाद के कार्यालय के सामने एक धरने का आयोजन किया था जिसके अन्त में प्रश्नकर्ता तथा अन्य कई पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से एक 9 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें से अवध विश्वविद्यालय से संबंधित बिन्दु 6 और 7 के संबंध में जांच और कार्यवाही का कार्य किसे सौपा गया है और अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

जी हां ।

अवध विश्वविद्यालय के संबंध में जांच अपराध अनुसंधान विभाग को पूर्व ही सौंपी जा चुकी थी ।

डाक्टर राजेश्वर सेवा आश्रम महाविद्यालय विहुई जनपद प्रतापगढ़ के अध्यापकों व कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 का गबन

134—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि डाक्टर राजेश्वर सेवा आश्रम महाविद्यालय विहुई जनपद प्रतापगढ़ के अध्यापकों के कर्मचारियों जी0 पी0 एफ0 फण्ड में लगभग सवा लाख रुपये का गबन हुआ है जिसमें वहां के लिपिक कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, अदालत से जमानत पर छूटे हैं और लगभग चार माह से निलम्बित हैं ? यदि हां, तो अब तक की विवेचना से प्रकाश में आये तथ्यों का विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

सामान्य भविष्य निधि की 1, 18, 785 रुपये 85 पै0 की धनराशि का गबन कर लिया गया है । प्रकरण, न्यायालय में विचाराधीन है ।

केन्द्रियत सेवा (ई0 ओ0 जे0 ई0, एस0 आई0) के अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं नीतिगत आधार

135--श्री मन्हेद्र भाटी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 87 से जुलाई 88 तक केन्द्रियत सेवा (ई0 ओ0 जे0 ई0, एस0 आई0) के कितने अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण उपरोक्त अवधि में दो से अधिक बार किये गये ? क्या इन स्थानान्तरण का कोई नीतिगत आधार ह ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं, तो इन स्थानन्तरण का मकसद क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तदेव

नगरपालिका दादर, गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर प्रतीक्षित जांच आख्या

136--श्री महेन्द्र भाटी--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-68 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 दिसम्बर, 1987 को जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, न0 पा0, दादरी, जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध शासन को दिनांक 29 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त जांच रिपोर्ट अपूर्ण थी ? यदि हां, तो शेष जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी तथा इस जांच रिपोर्ट के आधार पर कथित अनियमितताओं के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां,,

जी हां,

जांच पूर्ण कर ली गयी है । जिलाधिकारी, गाजियाबाद से पुर्ण जांच आख्या दिनांक 1 फरवरी, 1989 को प्राप्त हुई है । प्राप्त जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा देहरादून के विभिन्न होटलों से भू-उपयोग के विरुद्ध लिये जाने वाला परिवर्तन शुल्क न लिय जाने का कारण

137--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहराडून विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0 319/87 होटल अजन्ता, 101, राजपुर रोड, देहराडून क

होटल एकता तथा रीलेक्स, 113 तथा 113-ए, राजापुर देहरादून आदि में भू-उपयोग के विरुद्ध लिये जाने वाला परिवर्तन शुल्क क्यों नहीं लिया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

होटल अजन्ता का मानचित्र परिवर्तन शुल्क सम्बन्धी शासनादेश से बहुत पूर्व स्वीकृत किया जा चुका था। अतः परिवर्तन शुल्क लेने का प्रश्न नहीं उठता। होटल एकता तथा रिलेक्स की स्वीकृति नियमानुसार 50 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क देने के बाद की गयी।

ग्राम विकास एवं पंचायती राज निदेशालय के मुख्यालय पूर्व में नामित कार्यालय कृषि उत्पादन आयुक्त/कार्यालय विकास आयुक्त में तैनात अधिकारी एवं उनके संवर्ग

138--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या ग्राम विकास मंत्री यह बतायेंगे कि ग्राम विकास एवं पंचायती राज निदेशालय के मुख्यालय पूर्व में नामित कार्यालय कृषि उत्पादन आयुक्त/कार्यालय विकास आयुक्त में आरम्भ से उप-विकास आयुक्त (प्रशासन), उपायुक्त (प्रशासन) के पद पर कौन-कौन अधिकारी कब से कब तक तैनात रहे हैं तथा वे किस सम्वर्ग के थे और यह पद किस सम्वर्ग का है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ग्राम विकास निदेशालय पूर्व में कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में उप विकास आयुक्त (प्रशासन) के नाम से एक पद स्वीकृत था जिसे कार्यालय ज्ञाप संख्या-9162/38-1-2645/84, दिनांक 21 मई, 1985 द्वारा आस्थगित कर एक नया पद उप विकास आयुक्त (मुख्यालय) के पदनाम से सृजित किया गया है। उप विकास आयुक्त (प्रशासन) के पद पर पूर्व में समय-समय पर तैनात किए गए अधिकारियों की सूचना एकत्र की जा रही है। चूंकि उप विकास आयुक्त (प्रशासन) का पद आस्थगित किया जा चुका है अतः इसके संवर्ग निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता है।

वाराणसी नगर के अन्तर्गत नगर महापालिका के प्रकाश विभाग द्वारा गत वर्ष प्रकाश की व्यवस्था हेतु किया गया व्यय एवं नगर की प्रकाश व्यवस्था का विवरण

139--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर अन्तर्गत नगरमहापालिका के प्रकाश विभाग द्वारा गत वर्ष 1987-88 में कुल कितने रुपये का व्यय प्रकाश व्यवस्था हेतु किया गया ? क्या सम्पूर्ण नगर में प्रकाश व्यवस्था की योजना पूरी हो गयी है ? यदि नहीं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

नगर महापालिका वाराणसी के प्रकाश विभाग द्वारा प्रश्नगत अवधि में प्रकाश व्यवस्था हेतु रु0 6,23,830.98 का व्यय किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद निवासी श्री नान्हू मुस्लिम को हरिजन जाति की फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त सुविधाओं का विवरण

140--श्री शिव दर्शन--

क्या ग्राम विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर जिला फैजाबाद के निवासी श्री नान्हू जाति मुस्लिम ने हरिजन जाति के आधार पर शासन द्वारा हरिजन (चमार) जाति के लिये स्वीकृत 1980 से किन-किन योजनाओं में अब तक कौन सा लाभ प्राप्त किया है ? उक्त योजनाओं में हरिजन चमार जाति का प्रमाण देने वाले कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी है ? इस प्रकार फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त लाभ के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

श्री नान्हू को वर्ष 1984-85 में एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,500 रु0 का ऋण प्राप्त है जिससे इन्हें 2,500 रु0 अनुदान की धनराशि अनुसूचित जाति की हैसियत से समायोजित की गई है ।

ग्राम सभा हरखपुर कौड़हा की खुली बैठक में दिनांक 9 मई, 1983 के प्रस्ताव संख्या-2 द्वारा एकीकृत ग्राम विकास योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों का सर्वसम्मति से चयन हुआ था जिसमें श्री नान्हूं की जाति सर्वसम्मति से हरिजन अनुमोदित की गई । प्रश्नगत प्रस्ताव का अनमोदन प्रधान, उप प्रधान तथा ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों ने किया है ।

श्री नान्हू की जाति विषयक मामले की जांच विवेचना अधिकारी, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, खंड इलाहाबाद द्वारा की जा रही है ।

पूर्व ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) विकास खन्ड अकबरपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच के विषय में श्री प्रियदर्शी जेटली द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद के भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

141--श्री शिव दर्शन--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रियदर्शी जेटली द्वारा दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 को, जिलाधिकारी फैजाबाद को पूर्व ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) विकास खण्ड अकबरपुर के विरुद्ध शिकायतों के आधार पर चल रही जांच के सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक की गयी जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र स्थित ब्लाक सीयर व नगरा में सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाने वाले सरकारी सस्ते गल्ले व मिट्टी के तेल की दुकानें

142--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र स्थित ब्लाक सीयर व नगरा में कितनी सहकारी समितियां सरकारी सस्ते

ल्ले व मिट्टी के तेल की दुकान चलती है तथा कितनी इन लाइसेन्सों को प्राप्त कर किन्हीं कारणों से छोड़ चुकी है ? क्या सरकार सभी साधन सहकारी समितियों स सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करने पर विचार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह--

जी हां ।

बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र स्थित विकास खण्ड सीयर की 14 तथा विकास खण्ड नगरा श्री भी 14 साधन सहकारी समितियां सस्ते गल्ले व मिट्टी के तेल की दुकानें चला रही है । इसके अतिरिक्त नगरा विकास खण्ड की एक समिति केवल मिट्टी के तेल की दुकान चल रही है ।

विकास खण्ड सीयर तथा नगरा में लाइसेन्स प्राप्त एक-एक साधन सहकारी समिति आवंटन के अभाव में उक्त दुकान नहीं चला रही है ।

जी हां ।

विकास खण्ड नगरा की एक समिति जिसे सस्ते गल्ले का लाइसेन्स प्राप्त नहीं है, जो लाइसेन्स दिलाने तथा दोनों विकास खण्डों की एक-एक समिति, जो आवंटन के अभाव में कार्य नहीं कर रही है, द्वारा वितरण कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद एटा की क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 करतलापुर में नियुक्त सचिव द्वारा अनुसूचित व निर्बल वर्गों के सदस्यों का शोषण सम्बन्धी श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी विधायक के पत्र पर कार्यवाही

143--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा की क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 करतलापुर में नियुक्त सचिव द्वारा अनुसूचित जाति व निर्बल वर्गों के सदस्यों का शोष सम्बन्धी माननीय विधायक श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी का पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 1988 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र का गम्भीर दुरुपयोग करने वाले सचिव के विरुद्ध अब तक कौन सी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह--

क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 करतला के सचिव द्वारा शोषण किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र दिनाँक 4 फरवरी, 1989 को प्राप्त हुआ था । पत्र म उल्लिखित शिकायतों की जांच की जा रही है ।

बलिया जनपद के नगर क्षेत्र बिल्थरा रोड में निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु अनुदान

144--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के नगर क्षेत्र बिल्थरा रोड में वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 व 1987-88 में निर्माण और प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए शासन ने कितना-कितना अनुदान भेजा है और उक्त धन में कितने-कितने का उपयोग हुआ है तथा कितने धन का खर्च नहीं हुआ है ? पूरा धन खर्च न करने के क्या कारण थे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 209 पर :)

जनपद देवरिया तहसील सलेमपुर, ब्लाक भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी करौता में खड़ंजा नालियों आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

145--श्री बलराम यादव--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देविरया तहसील-सलेमपुर, ब्लाक भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी करौता में खड़ंजा एवं गांव के नाबदानों के पानी की समुचित व्यवस्था पक्की नालियां से कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय मुलायम सिंह यादव, नेता उत्तर प्रदेश लोकदल विधान मण्डल दल का पत्रांक 1175/एलडी/88, दिनांक 6 सितम्बर, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई है ? क्या ग्राम सभा में खड़ंजा एवं पक्की नालियों की व्यवस्था करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद झांसी के ग्राम अमगांव से महलुआ तक सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया निर्माण कराये जाने के कुंवर मानवेन्द्र सिंह, विधायक का पत्र

146--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का जनपद झांसी के ग्राम अमगांव से महलुआ तक सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया निर्माण कराये जाने विषयक संलग्नक सहित पत्र संख्या 96/88 दिनांक 22 मार्च, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

जनपद झांसी के ग्राम अमगांव से महलुआ तक सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव दिनांक 12 जनवरी, 1989 को आयोजित डी० आर० डी० ए० की गवर्निंग बाडी की बैठक में स्वीकृत हो चुका है ।

ग्राम समाज इण्टर कालेज जयनगर आजमगढ़ की प्रबन्ध समिति के चुनाव के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पारित आदेश

147--श्री राम बदन एडवोकेट--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे कि ग्राम समाज इण्टर कालेज जयनगर आजमगढ़ की प्रबन्ध समिति के चुनाव के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक

आजमगढ़ ने कोई आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो उनसे अनुपालन हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्ध समिति के दिनांक 14 नवम्बर, 1986 को हुए चुनाव को अभिन्य कर दिया था तथा विभागीय पर्यवेक्षक की देख-रेख में तीन माह के अन्दर दुबारा चुनाव कराये जाने हेतु आदेश दिया था ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर, 1987 को जिला विद्यालय निरीक्षक के उक्त आदेश दिनांक 31 अगस्त, 1987 का कार्यान्वयन रोक दिया गया है ।

जनपद देवरिया के पथरदेवा विकास खंड में मुरार छापर विशुनपुरा मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

148—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया से पथरदेवा विकास खंड की जिला परिषद् का सर्वाधिक पुराना कंकड़ मार्ग मुरारछापर विशुनपुरा, जिला परिषद् के पास कब से है ? इस मार्ग पर अब तक कितनी धनराशि किन वर्षों में व्यय की गई है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त मार्ग की हालत अत्यन्त खराब है ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क एक दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ती है जिनमें से अधिकांश 1500 आबादी से अधिक है ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत 3 वर्षों से उसे पक्का करने का अनुरोध किया जाता रहा है ? यदि हां, तो सरकार प्राथमिकता के आधार पर कब तक पक्का करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद देवरिया के पथरदेवा विकास खंड में मुरार छापर-विशुनपुरा मार्ग जिला परिषद् देवरिया के पास लगभग 20 वर्ष से है ।

उक्त मार्ग पर अब तक निम्नांकित विवरण के अनुसार धनराशि व्यय की गई है :—

वर्ष	व्यय की गई धनराशि
	(रु0 में)
1979-80	18,080·00
1980-81	1,373·00
1981-82	17,684·55
1982-83	81,911·10
1983-84	1,21,978·58
1984-85	61,949·60
1985-86	18,625·11
1986-87	1,28,775·24
1987-88	30,584·65
योग ..	4,80,961·83

जी हां ।

जिला परिषद् अपने सीमित साधनों के कारण सड़क को पक्का कराने में असमर्थ है ।

जल निगम के सहायक अभियन्ताओं को उनके गृह जनपद में नियुक्ति पर रोक के बावजूद श्री राम कृष्ण पाण्डे सहायक अभियंता लखनऊ को गृह जनपद में नियुक्ति का कारण

149—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या नगर विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्य विभागों की भांति जल निगम के सहायक अभियन्ताओं को उनके गृह जनपदों में नियुक्ति पर रोक है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में श्री रामकृष्ण पाण्डे सहायक अभियन्ता चतुर्थ प्रकल्प शाखा जल निगम निराला नगर लखनऊ में 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से अपने गृह जनपद में नियुक्त हैं ? क्या नगर सचिव नगर विकास को श्री पाण्डे द्वारा किये गये गबन, भ्रष्टाचार, कर्मचारियों का शोषण और दुर्व्यवहार सम्बन्धी शिकायत-पत्र फरवरी, 1988 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

श्री राम कृष्ण पाण्डे, सहायक अभियन्ता का गृह जनपद रायबरेली है । यह चतुर्थ प्रकल्प शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, निरालानगर, लखनऊ में अगस्त, 1981 से अप्रैल, 1988 तक कार्यरत थे ।

जी हां ।

जी हां ।

जांच में कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में नहीं आया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले में वन विभाग के अन्तर्गत कर्मचारियों के रिक्त पदों की संख्या

150—श्री राम सजीवन—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में वन विभाग के अन्तर्गत वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड) चौकीदार, माली व डाकिया के कुल कितने पद रिक्त हैं ? इन पदों पर दैनिक मजदूरी पर कितने कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि वर्ष 1971-72 से आज तक लगातार दैनिक मजदूरी पर वन रक्षकों से काम लिया जा रहा है और उन्हें नियमित नहीं किया गया ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह--

बांदा वन प्रभाग, बांदा में वर्तमान समय में वन रक्षक, खोजीदार, माली व डाकिया के कुल 17 पद रिक्त हैं । रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—वन रक्षक	12
2—माली	2
3—डाकिया	कुछ
4—खोजीदार	कुछ
कुल पद ..	17

उपरोक्त रिक्त पदों के विरुद्ध दैनिक पारिश्रमिक कर्मचारी नहीं लगाये गये हैं । वर्ष 1971-72 से किसी दैनिक श्रमिक से वन रक्षक का कार्य नहीं लिया जा रहा है बल्कि कार्यों की आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन पर मुख्य प्रहरी, बावर आदि समय-समय पर लगाये गये हैं । इन्हीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में से चयन के आधार पर समय-समय पर रिक्त हुए पदों पर नियमित किया गया है ।

राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा का भवन निर्माण न किये जाने का कारण

151—श्री राम सजीवन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग की जमीन हस्तान्तरित करने के आदेश करीब छः महीने पूर्व दिये गये थे ? यदि हां, तो जमीन अभी तक हस्तान्तरित क्यों नहीं की गई ? महिला महाविद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करा कर भवन का निर्माण कब तक करा लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

चिकित्सा विभाग द्वारा अपना पूर्व पारित आदेश निरस्त कर दिये जाने के कारण भूमि हस्तान्तरित नहीं की जा सकी ।

कार्यवाही की जा रही है । निर्माण यथाशीघ्र करा लिया जायेगा ।

तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर श्री रोहित नन्दन द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों/लिपिकों का स्थानान्तरण

152—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर श्री रोहित नन्दन द्वारा मई, 1988 से जुलाई, 1988 तक कितने ग्राम विकास अधिकारियों व लिपिकों के स्थानान्तरण किये गये थे तथा गोरखपुर से स्थानान्तरण होने व कार्यमुक्त होने के बीच केवल एक सप्ताह के अन्दर उनके द्वारा

इनमें से कुल कितने स्थानान्तरण निरस्त या संशोधित किये गये ? उसका औचित्य क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

एक लीन मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर श्री रोहित नन्दन द्वारा मई 1988 से जुलाई, 1988 तक 103 ग्राम विकास अधिकारियों तथा 79 लिपिकों का स्थानान्तरण किया गया था ।

श्री रोहित नन्दन ने गोरखपुर से स्थानान्तरण होने व कार्यमुक्त होने के बीच एक सप्ताह के अन्दर कोई स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया । इनके द्वारा मात्र 8 कर्मचारियों के स्थानान्तरण स्थगित/संशोधित किये गये । 4 मामलों में खंड विकास अधिकारियों के अनुरोध पर तथा 2 मामलों में स्थानान्तरण व्यवस्था की दृष्टि से इनके स्थानान्तरण आदेश स्थगित किए गए । दो मामलों में कर्मचारियों के निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण आदेश संशोधित किये गये ।

विकास खंड सरदार नगर, जिला गोरखपुर में बी० डी० ओ० द्वारा एन० आर० ई० पी० योजनान्तर्गत छड़, एंगिल आदि का खरीद

153--श्रीमती शारदा देवी--

क्या ग्राम विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सरदारनगर, जिला गोरखपुर में बी० डी० ओ० द्वारा वर्ष 1986-87 में कितना छड़, एंगिल व लोहे का अन्य-सामान एम० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० योजना में खरीदा गया है तथा उसे किस संस्था से खरीदा गया है ? क्या उक्त सामग्री क्रय करने के पूर्व टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो टेन्डर किस समाचार-पत्र के माध्यम से आमंत्रित किये गये थे ? यदि नहीं, तो इस मामले में खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी उपरोक्त छड़ आदि आपूर्ति करने वाली संस्था के कागजात व विकास खण्ड में जमा किये गये वाउचर की सत्यता की जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

वर्ष 1986-87 में विकास खण्ड, सरदारनगर के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एन० आर० ई० पी० योजनान्तर्गत केवल 6.73 टन छड़ मेसर्स पंजाब स्टील वर्क्स, अशोक नगर, चौरी चौरा से खरीदी गयीं । सामुदायिक विकास केन्द्र हेतु एंगिल आइरन के दरवाजे का क्रय गोरखपुर मण्डल विकास निगम, गोरखपुर से किया गया है । उक्त सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर किया गया था । इस हेतु टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये थे । क्रय की नियमानुकूलता के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है । जांच का परिणाम प्राप्त होने पर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा ।

विकास खण्ड, पिपरौली, जिला गोरखपुर के बी० डी० ओ० द्वारा वित्तीय

अनियमितता के विषय में वरिष्ठ सहायक (श्री गुलाब दत्त शुक्ल के पत्र

154--श्रीमती शारदा देवी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ सहायक (श्री गुलाब दत्त शुक्ल) विकास खण्ड, पिपरौली, जिला गोरखपुर का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 8

अगस्त, 1988 को उसी विकास खंड पिपरौली, जिला गोरखपुर के बी० डी० ओ० द्वारा किये गये गबन व वित्तीय अनियमितता तथा भ्रष्टाचार से संबंधित है, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ व ग्राम विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन शिकायतों की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी बी० डी० ओ० के विरुद्ध कौन की कार्यवाही की जा रही है ? क्या मंत्री जी शिकायती-पत्र, उसकी जांच रिपोर्ट तथा की गई कार्यवाही सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकराम सूरत उपाध्याय--

जी हां । कथित शिकायतों की जांच चल रही है ।

मेरठ में प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव व स्कूलों की संख्या

155--श्री राजेन्द्र शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में कुल कि ा प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव वर्ष 1988-89 कार के विचाराधीन है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1988-89 में 4 प्राइमरी पाठशाला खोलने हेतु धन स्वीकृत किया जा चुका है । जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

स्टेट वेयर हाउसिंग, बेतरिया के कतिपय कर्मचारियों द्वारा स्थानान्तरण के बाद भी कार्य-भार न ग्रहण करने की शिकायत

156--श्री बालेश्वर--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० संख्या 123 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें उल्लिखित गोदाउन कीपर को चार्ज लेकर कार्यमुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो एक माह होने के बावजूद भी अभी तक कार्य मुक्त न करने का क्या कारण है तथा कब तक कार्य मुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री समर पाल सिंह--

जी हां ।

ग्राम्य विकास विभाग बाराबंकी के कार्यालय में शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों को प्रोन्नतिकालीन वर्दी न दिया जाना

157--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 2456/18-4-500-88, दिनांक 23 जून, 1934 में प्रोन्नतिकालीन वर्दी दिए जाने के प्राविधान में शासनादेश संख्या 2496/18-3-1112, दिनांक 16 मार्च, 1978 को संशोधित कर समस्त मस्टरोल अर्दली, जमादार, चपरासी, दफ्तरी, फर्राश व पत्र वाहक को सम्मिलित कर

किया गया है ? यदि हां, तो प्राम्य विकास विभाग, बाराबंकी के कार्यालय में इन लोगों को वर्दी क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्दी से सम्बन्धित उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या 2456/18-4-500-83, दिनांक 23 जुलाई, 1984 में समस्त समूह "घ" के अस्थाई मजदूरों, जमादार, चपरासी, दफ्तरी, फर्राश व पत्रवाहकों को प्रीष्मकालीन वर्दी दिये जाने का प्राविधान नहीं किया गया है । प्रश्न में संदर्भित शासनादेश दिनांक 16 मई, 1978 को केवल ग्रीष्मकालीन वर्दी के संदर्भ में संशोधित किया गया है । शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 1984 द्वारा शीतकालीन वर्दी उन अस्थाई जमादार, अर्दली, चपरासी, दफ्तरी, फर्राश तथा पत्रवाहकों को उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है जिन्होंने 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो । अतः प्राम्य विकास विभाग, बाराबंकी के कार्यालय के कर्मचारियों को संदर्भित शासनादेश के विपरीत प्रीष्मकालीन वर्दी नहीं दी जा सकती है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी के ग्राम बारापुर में सूखा से निपटने हेतु कथित निर्मित तालाब पर व्यय का विवरण

158—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या प्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी के ग्राम बारापुर में सूखा से निपटने हेतु विकास खण्ड द्वारा भूमि संख्या 69 पर तालाब खोदवाया गया है । यदि हां, तो भूमि नं0 69 का रकबा कागजात में क्या दर्ज है तथा तालाब कितना लम्बा तथा चौड़ा एवं गहरा खोदा गया है तथा उस पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका, सलीमपुर द्वारा बनाई गई घटिया सीरी रोड की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

159—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका सलीमपुर द्वारा हाल में ही जो सीरी रोड बनवाई गई है उसका निर्माण अत्यन्त घटिया तथा अधिसानक है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री वासदेव सिंह आर्य—

सीरी रोड का निर्माण कार्य निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रबन्धक, विक्रय, वन निगम, पीलीभीत के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती-पत्र

160—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्धक, विक्रय, वन निगम, पीलीभीत के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के सपरिपत्र के साथ उन्हें वन मंत्री को सितम्बर, 1988 के प्रथम पखवारे में मिला जिसकी स्वीकरोक्ति प्रश्नकर्ता को वन मंत्री जी के हस्ताक्षर से उनके पत्र सं0 876/पी0 आई0 पी0/ब0 मं0–1988, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 द्वारा मिली? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? जांचकर्ता कौन नियुक्त हुए? जांच रिपोर्ट क्या है? प्राप्त तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, केन्द्रीय क्षेत्र, लखीमपुर–खीरी, उत्तर प्रदेश वन निगम को उक्त प्रकरण जांच हेतु सौंपा गया है। जांच कार्यवाही प्रगति पर है।

161—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[अरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 178 पर निर्धारित।]

जनपद फैजाबाद की तहसील मकबरपुर के ग्राम गोहना में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल को कृषि योग्य भूमि का कथित पट्टा

162—राम आसरे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद की तहसील मकबरपुर के ग्राम गोहना में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल को पूर्व में कृषि योग्य भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो कब तक और कितनी भूमि का? क्या यह सही है कि उक्त कृषि योग्य पट्टे की भूमि का बंदरबा प्रबन्ध तंत्र द्वारा किया गया है? यदि हां, तो कितनी भूमि का और किस-किस के नाम? क्या यह भी सही है कि मौजूदा प्रबन्धक की पत्नी के नाम भी जमीन का बंदरबा हुआ है? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। वर्ष 1969-70 में 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम समाज से प्राप्त हुई थी।

प्रबन्ध तंत्र द्वारा 15 बिस्वा भूमि के बैनामे निम्नलिखित व्यक्तियों को किये गये हैं:

1—श्रीमती श्याम कुमारी–3 बिस्वा।

2—श्री राम रतन–1 बिस्वा 10 बिस्वान्सी।

3—श्री बनतोरा–1 बिस्वा 10 बिस्वान्सी।

4—श्री रामनयन–2 बिस्वा।

5—श्री अंगद—10 बिस्वान्सी ।

6—श्री संतराम—1 बिस्वा ।

7—श्री सीताराम—1 बिस्वा 10 बिस्वान्सी ।

8—श्री छोटे लाल—10 बिस्वान्सी ।

9—श्री राम देव—1 बिस्वा 10 बिस्वान्सी ।

10—श्री मंगेलू—10 बिस्वान्सी तथा

11—श्री जगत अली—1 बिस्वा 10 बिस्वासी ।

जो हां ।

शाहजहांपुर नगरपालिका का चार्ज नगर स्वास्थ्य अधिकारी, शाहजहांपुर को दिया जाना

163—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगरपालिका का चार्ज अक्सर नगर स्वास्थ्य अधिकारी, शाहजहांपुर को किन प्रशासनिक नियमों के अन्तर्गत दिया जाता है जबकि स्वास्थ्य अधिकारी की सेवाऐं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

नगरपालिका, शाहजहांपुर के अधिशासी अधिकारी श्री कमरुद्दीन अहमद के स्थानान्तरण तथा उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी की तैनाती न होने के कारण दिनांक 12 अक्तूबर, 1987 से 15 अप्रैल, 1988 तक तथा श्री किरण कुमार पाण्डेय, अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, शाहजहांपुर के अवकाश पर होने के कारण दिनांक 13 सितम्बर, 1988 से 26 सितम्बर, 1988 तक नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नगरपालिका, शाहजहांपुर के अधिशासी अधिकारी के पद का कार्यभार कार्यहित में सौंपा गया। श्री शर्मा, नगरपालिका के वरिष्ठतम अधिकारी हैं। पूर्व में भी नगर स्वास्थ्य अधिकारी को अधिशासी अधिकारी के पद का कार्यभार सौंपा जाता रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था पालिका व्यवस्था का आन्तरिक अंग है। प्रशासक, नगरपालिका, शाहजहांपुर अपने विवेकानुसार इस प्रकार की व्यवस्थायें सम्पादित करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। प्रशासनिक नियमों या व्यवस्था का विशेष हस्तक्षेप नहीं है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा आपरेशन ब्लैक बोर्ड की सफलता हेतु की गई कार्यवाही का विवरण

164—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर ने प्रेषकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 23 अगस्त, 1988 पर आपरेशन ब्लैक बोर्ड की सफलता हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आपरेशन ब्लैक बोर्ड की सफलता हेतु माननीय विधायक के पत्र दिनांक 23 अगस्त, 1988 में वांछित सूचनाएं दिनांक 30 सितम्बर, 1988 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दी गई थीं।

शाहजहांपुर में कक्षा 9 के छात्रों से लिए गये शुल्क का व्यय विवरण

165—नवाब सिकन्दर अली खां—

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के आठवें सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्न सं० 114 के उत्तर के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर शाहजहांपुर में सम्पन्न हुई कक्षा (9) नो की सपुस्तकीय परीक्षा हेतु सत्र 1986-87 तथा 1987-88 में छात्रों से ली गई कुल जमा धनराशि (परीक्षा शुल्क) का छात्र हित में किन-किन मदों में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई तथा सत्रवार कितना धनया शेष बचा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सत्र 1986-87 तथा 1987-88 में छात्रों से ली गई कुल धनराशि (परीक्षा शुल्क) के छात्र हित में निम्नलिखित मदों में व्यय हुआ है :

वर्ष 1986-87	व्यय धनराशि	वर्ष 1987-88	व्यय धनराशि
	रु०		रु०
1—प्रश्नपत्रों की छपाई वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम एवं निर्देशों की छपाई कैनवेस थैले आदि पर व्यय	47931.00	1—प्रश्नपत्रों की छपाई कैनवेस बैग	42815.00
		2—परीक्षा कार्यक्रम की छपाई	720.00
		3—निर्देशों की छपाई	25.00
2—प्रश्नपत्रों के वितरण हेतु पेट्रोल पर व्यय	315.00	4—प्रश्नपत्रों के वितरण पर पेट्रोल व्यय	1031.28
3—स्टेशनरी पर व्यय	34.00	5—स्टेशनरी पर व्यय	270.00
4—वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम की छपाई	320.00	6—परीक्षा की गोपनीयता बनाये रखने हेतु यात्रा व्यय	530.00
कुल व्यय योग ..	48600.00		45391.28

वर्ष 1986-87 में 102.00 रु० एवं वर्ष 1987-88 में 184.72 रु० शेष बचा।

166-- नवाब सिकन्दर अली खां--

[4थें सोमवार के लिये स्थगित]

कार्यालय जिला सम्परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद का आडिट आपत्तियों के सम्बन्ध में पत्र

167--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय, जिला सम्परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद का पत्रांक आडिट/8/87, दिनांक 18 सितम्बर, 1987 प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका, दादरी, जिला गाजियाबाद को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो आडिट आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है ? क्या इस आपत्ति में प्रपत्र एम0 ए0 ओ0-46 चुंगी विभाग की 29 रसीद बहियां संलग्न हैं जिनका दुरुपयोग किसी भी उत्तरदायी कर्मचारियों द्वारा होना सम्भव है । यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में एम0 ए0 ओ0-46 की 29 किताबों को गायब करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कोई पुलिस कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जिला सम्परीक्षाधिकारी स्थानीय निधि लेखा, गाजियाबाद का पत्र संख्या-आडिट/8/87, दिनांक 18 सितम्बर, 1987 नगर पालिका, दादरी को प्राप्त हुआ । इन आडिट आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है । प्रश्नगत आडिट आपत्ति में एम0 ए0 ओ0-46 चुंगी विभाग की 29 रसीद बहियों के गायब होने का उल्लेख नहीं है । एम0 ए0 सी-46 की 29 रसीद बहियों के गायब होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करके आरोप पत्र दिनांक 15 जनवरी, 1988 को दे दिया गया है । इस विभागीय कार्यवाही में नियुक्त जांच अधिकारी को उक्त एम0 ए0 सी0-46 की उक्त 29 रसीद बहियां मिल गयी हैं तथा उनके नियन्त्रण में हैं । मामले में अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । मामले में विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है इसी कारण पुलिस कार्यवाही नहीं की गयी ।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद की नगर पालिका, दादरी जनपद गाजियाबाद में लेखा लिपिक के पद पर की गयी अनियमित नियुक्ति की जांच कराने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

168--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन का पत्र सं0-310एम/11, सूत्र, 1987, म0 वि0 अनुभाग-6, दिनांक 29 सितम्बर, 1987 जिलाधिकारी, गाजियाबाद को नगरपालिका, दादरी, जनपद गाजियाबाद में लेखा लिपिक के पद पर की गयी अनियमित नियुक्ति की जांच करने व जांच आख्या 15 दिन में शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त हुआ है ? क्या इसकी जांच आख्या शासन को उपलब्ध हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नगरपालिका, दादरी, जनपद गाजियाबाद में एक नियुक्त जिलाधिकारी, गाजियाबाद ने पत्र सं0-348/एम0 डी0(4) न0पा0आ0 (वि0)-88, दिनांक 8 जून, 1988 के द्वारा लेखा लिपिक के पद पर की है ? यदि हां, तो निदेशक स्थानीय निकाय के पत्र सं0 6/453/26 अ0नि0 प0 स0/75, दिनांक

23 अप्रैल, 1988 एवं शासनादेश सं0-404/11-6-88-302(3)/74, दिनांक 22 अप्रैल, 1988 के द्वारा नगरपालिका, बादरी में लेखा लिपिक एवं अन्य पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान में किये जाने के बावजूद उक्त अनियमित नियुक्ति किन परिस्थितियों में किस आधार पर की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

मामले की जांच की जा रही है ।

169—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उन्नाव जिले हिलौली ग्रांच सहकारी बैंक के प्रबन्धक द्वारा आई0 आर0 डी0 ऋणों के भुगतान में घपला।

170—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में हिलौली ग्रांच सहकारी बैंक के प्रबन्धक को आई0 आर0 डी0, ऋणों के भुगतान में घपला करने के लिये दोषी पाया गया है और जिलाधिकारी ने उनके निलम्बन की संस्तुति की है ? क्या यह भी सच है कि सा0 स0 स0 कटाह के चौकीदार चपरासी गोमती प्रसाद के बचत खाते (सहकारी बैंक हिलौली) में इसी घपले की लाखों रुपये की धनराशि जमा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री समर पाल सिंह—

जी हां ।

श्री गोमती प्रसाद चौकीदार/चपरासी से कागजियों को व्यापारी की हैसियत से 1,45,600 रु0 की परिसम्पत्तियां अनियमित ढंग से उपलब्ध कराकर भुगतान प्राप्त किया । शाखा प्रबन्धक को निलम्बित कर दिया गया है और चौकीदार/चपरासी को सेवा से पृथक कर दिया गया है ।

प्राइमरी अध्यापक श्री जागेश्वर यादव, रायबरेली के सम्बन्ध में आरोपों की जांच

171—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के चौथे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 156 की जाली प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी पाने के एक गम्भीर मामले के सम्बन्ध में ध, के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 अक्तूबर, 1987 पत्रांक ज0 पा0 304/87 राज्य मंत्री शिक्षा व सचिव शिक्षा को तथा प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 जून, 1988 पत्रांक ज0 पा0 741/88 सचिव शिक्षा को मिले हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिनांक 28 अक्तूबर, 1987 तथा 23 जून, 1988 के पत्र प्राप्त हुए हैं जिसका निदेशक (बे0) को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

172—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई, विकास खंड मल्लावां में मल्लावां चुंगी से सलेमपुर क्रासिंग बरौना तक निर्माण कार्य

173—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई, विकास खंड मल्लावां में मल्लावां चुंगी से सलेमपुर क्रासिंग बरौना तक मार्ग पर गिट्टी एवं खड़ंजे का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा वर्ष 1985-86, 1986-87 में कराया गया था? यदि हां, तो कितना कार्य स्वीकृत था और उस पर कितना धन प्राप्त हुआ था? क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत कार्य अधूरा छोड़ रखा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत मल्लावां चुंगी सलेमपुर क्रासिंग से बरौना तक 6 किमी0, मिट्टी कार्य, 10 पुलिया निर्माण, तथा 2 किमी0 खड़ंजा का कार्य स्वीकृत था। और इसके लिए कुल स्वीकृत रु0 4,22,000 की धनराशि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को उपलब्ध करा दी गयी थी।

जी नहीं, स्वीकृत कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत मल्लावां ब्लाक के नया-गांव दरकइया मार्ग से नंवादा परस सम्पर्क मार्ग पर कराया गया कार्य एवं धन की स्वीकृति

174—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त एजेन्सी द्वारा ही मल्लावां ब्लाक के नया-गांव-दरकइया मार्ग से नंवादा परस सम्पर्क मार्ग पर भी कार्य करवाया गया? यदि हां, तो उस पर धन की स्वीकृति क्या थी और कार्य कितना कराया गया? कार्य को पूरा न लिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

उक्त योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य हेतु रु0 1,50,000 की धनराशि स्वीकृत की गई स्वीकृत कार्य 4.00 किमी0 के सापेक्ष 3.950 किमी0 मिट्टी कार्य वर्ष 1986-87 में पूर्ण करा लिया गया।

गांव 3.93 किमी0 मिट्टी के कार्य से ही जुड़ गया

175—श्री मनेजर सिंह—

[4 थे शुक्रवार में अतां0 प्र0 सं0 72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप विकास आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय की सरकारी डीजल जीप की चोरी

176—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1987-88 में उप विकास आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय की लगभग एक लाख से अधिक कीमत की सरकारी डीजल जीप का चोरी होना बताया गया है ? यदि हां, तो उक्त शासकीय क्षति के सम्बन्ध में किस अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया ? क्या मंत्री जी पूरी जानकारी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1987-88 में उप विकास आयुक्त, गोरखपुर के कार्यालय की कोई डीजल जीप चोरी नहीं की गयी थी । किन्तु वर्ष 1988-89 में मई में ग्रामीण आवास परिषद् के मण्डलीय तकनीकी प्रकोष्ठ की एक डीजल जीप उप विकास आयुक्त, गोरखपुर के कार्यालय परिसर से चोरी की गई थी । चोरी के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है । पुलिस की रिपोर्ट प्रतीक्षित है । इस प्रकरण की जांच उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् के मुख्यालय से भी करायी गयी । जांचोपरान्त पत्रवाहक श्री राजेन्द्र पाल को उत्तरदायी पाया गया । इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु उप विकास आयुक्त, गोरखपुर को निर्देश भेजे जा चुके हैं ।

उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यालय लखनऊ में अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति

177—श्रीमती शारदा देवी—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ कार्यालय से दिनांक 29 अगस्त, 1987 को अनुसूचित जाति के कितने अवर अभियन्ताओं को किस आधार पर सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति की गयी है तथा उनका आरक्षण कोटा क्या है ? क्या यह सही है कि 7 सहायक अभियन्ताओं में से मात्र 2 अवर अभियन्ता की प्रोन्नति की गयी है और 5 सवर्ण अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता बनाया गया है जबकि 18 अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ता प्रोन्नति की प्रतीक्षा सूची में हैं ? यदि हां, तो प्रोन्नति की प्रतीक्षा सूची के अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति कब की जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29 अगस्त, 1987 द्वारा को अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ताओं को पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर की गयी है । अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का आधार वरिष्ठता है ।

वर्तमान शासनादेशों के अनुसार पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण का कोटा 18 प्रतिशत है ।

यह सही है कि 7 रिक्त सहायक अभियन्ता में से 2 अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ताओं तथा 5 सामान्य अवर अभियन्ताओं को चयन समिति के द्वारा चयन के आधार पर पदोन्नति दी गयी है किन्तु कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

178—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (गढ़वाल)—

[दि0 24-2-89 को अता0 प्र0 सं0 155 द्वारा उत्तरित ।]

नगर क्षेत्र हरदोई के शिक्षा अधीक्षक, श्री शिवराम लाल मिश्र द्वारा शिक्षा अधीक्षक कोष से अनियमित रूप से निकाल कर खर्च करने के लिये कार्यवाही

179—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र हरदोई के शिक्षा अधीक्षक, श्री शिवराम लाल मिश्र द्वारा हाल में शिक्षा अधीक्षक कोष से लगभग 9000 (नौ हजार मात्र) रुपया अनियमित रूप से निकालकर अनियमित रूप से खर्च किये गये ? यदि हां, तो श्री मिश्र के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री मिश्र द्वारा रु0 7079·80 अनियमित रूप से निकालने का मामला प्रकाश में आया है ।

जी हां । श्री मिश्र को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ में जोन संमुअल नाम के अभ्यर्थी को बी0 पी0 एड0 में बिना परीक्षा के प्रवेश देने का औचित्य

180—श्री सुन्दर लाल तथा डाक्टर बंगाली सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ में अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को बी0 पी0 एड0 में बिना प्रवेश परीक्षा के प्रवेश दिये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1987-88 के सत्र में जोन संमुअल नाम के अभ्यर्थी को बी0 पी0 एड0 में बिना प्रवेश परीक्षा के मध्य सत्र में प्रवेश दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस अनियमितता के लिये उक्त विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये विश्वविद्यालय आयोग को संस्तुति भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्राचार्य से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1987-88 के सत्र में जोन संमुअल का प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित टिकैतराय कालोनी गोदाउन को राजकीय कर्मचारियों की असुविधाओं को देखते हुये गिराने की मांग

181—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित टिकैतराय कालोनी गोदाउन को राजकीय अभ्यर्थियों की असुविधाओं को देखते हुये गिराने का आदेश सम्बन्धित प्रभाव से सरकार जारी करेगी कि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह मार्तण्ड—

जी नहीं ।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है तथा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगनादेश है ।

सिंचाई विभाग इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष 1986-87 में वन का आवंटन सम्बन्धी घोटाले की जांच

182—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी है कि सिंचाई विभाग इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष 1986-87 में वन आवंटन संबंधी घोटाले की जांच विजीलेन्स विभाग द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त विजीलेन्स जांच में सैदाबाद ब्लाक की ए० डी० ओ० एम० आई निलम्बित हुये थे ? यदि हां, तो उनमें क्या अग्रेतर कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नकर्ता का कथन सिंचाई विभाग से तात्पर्य अल्प सिंचाई विभाग से प्रतीत होता है । अल्प सिंचाई विभाग, इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष 1986-87 में वन आवंटन सम्बन्धी घोटाले की कोई जांच विजीलेन्स विभाग द्वारा नहीं की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

किन्तु, जिलाधिकारी द्वारा सैदाबाद ब्लाक के ए०डी०ओ० एम०आई० श्री एस० के० चौहान निःशुल्क बोरिंग में फर्जी रिपोर्टिंग करने तथा फर्जी भुगतान करने के संबंध में विभागीय जांच के आधार पर निलम्बित किये गये थे । मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद को उक्त विभागीय जांच में जांच अधिकारी बनाया गया है जिनकी जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री राम आसरे वर्मा जी के खड़े होने पर)

जिला आजमगढ़ के सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत मस्टर रोल के श्रमिकों की छटनी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री गुप्ता जी आप कृपा करके बैठ जायं । मैं नियम 300 व 311 को एक साथ ले रहा हूं ।

आज नियम 301 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 7 सूचनायें इलाका के आधार पर स्वीकार हुई हैं। पहली सूचना संबंधी दीप नारायण जी की है, दूसरी, अनुग्रह नारायण सिंह जी की, तीसरी, राम चन्द्र बक्श सिंह जी की, चौथी, राम जनम सिंह जी की, पांचवी, राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी की, छठीं, सरजू प्रसाद "सरोज" जी की और सातवीं सूचना सुरेन्द्र सिंह जी की है।

यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो पढ़ी हुई मान ली जायें ?

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

श्री दीप नरायण—

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक अति लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने अधीनस्थ तीन साल से लेकर 10 साल तक के मस्टरोल के कर्मचारियों जैसे (मेठ, बेलदार, चौकीदार) की सेवा समाप्त कर रहा है। जिससे पूरे प्रदेश के कई हजार कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। मेरे जनपद के चारों डिवीजन में ही दो ढाई हजार कर्मचारी होंगे। जो इस नियम के तहत सेवा मुक्त हो रहे हैं इस प्रकार से एक तरफ उनकी उम्र का तीन साल से 10 साल की सेवा समाप्त हो रही है। तो दूसरी तरफ उनके बच्चों को भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा। तीसरे वे कर्मचारी उम्र बढ़ जाने से कहीं अन्य विभाग में नौकरी नहीं पा सकते।

ऐसी दशा में हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की इस कार्यवाही को तुरन्त समाप्त कराया जाय। तथा तीन साल से दस साल के सभी कर्मचारी स्थायी नौकरी में नियुक्त किये जायं जिससे प्रदेश की बेकारी एवं बेरोजगारी कुछ हद तक समाप्त हो सके।]

इलाहाबाद नगरपालिका द्वारा पशुपालकों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[मान्यवर, इलाहाबाद के पशुपालकों के नगर महापालिका द्वारा जबर्दस्ती पशुओं को बन्द करके मनमानी जुर्माना लगा कर शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रतिदिन घर या मैदान से सैकड़ों पशुओं को नगर महापालिका के गैंग द्वारा पकड़ कर कांजी हाऊस में बन्द कर दिया जाता है। वहां उनको ठीक से चारा-पानी भी नहीं दिया जाता जिससे प्रतिदिन औसतन 25 जानवर पानी और भूख से दम तोड़ रहे हैं। किसी तरह पता लगाने पर मनमाने ढंग से तिगुना-चौगुना जुर्माना वसूला जा रहा है। जिससे गरीब पशुपालक आर्थिक संकट से भयग्रस्त हो गया है। यदि तत्काल पता नहीं लग सका तो कुछ ही दिनों में यहां जानवर नीलाम कर दिये जाते हैं और जुर्माना करने के बाद भी शेष रुपया पशुपालकों को वापस नहीं दिया जाता। सारा का सारा रुपया हड़प कर लिया जाता है। सड़कों, बाजारों में छुट्टा जानवर सदैव धकियाते घूमते नजर आते हैं। किन्तु पालतू गाय, भैंस, बकरी बन्द किया जा रहा है। जिससे हजारों पशुपालकों में गम्भीर रोष व्याप्त है।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल बढ़ाया गया जुर्माना वापस करने तथा मृत व नीलाम जानवरों का मुआवजा व बकाया धनराशि दिए जाने की मांग करता हूं ।]

जिला बाराबंकी के ब्लाक बंकी में रेठ नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

जनपद बाराबंकी, विकास खंड बंकी में मुख्यालय बाराबंकी आने के लिए प्रतिदिन हजारों लोगों को गोमती नदी के चिलहटाघाट होकर नदी पार करनी पड़ती है । परन्तु बरसात में पुल न होने के कारण इन लोगों को 10–15 कि0 मी0 चक्कर लगाकर मुख्यालय आना पड़ता है । इस घाट पर कई बार लोगों के डूब मर जाने की दर्दनाक घटनायें हो चुकी हैं । इस वर्ष घाट के दोनों ओर सरकार की योजना के तहत सड़क का निर्माण हो चुका है । इस पुल की आवश्यकता जनपद बाराबंकी के तथा लखनऊ के सैकड़ों गांव के लोगों की है ।

अतः मेरी मांग है कि चिलहटा घाट पर तत्काल पक्का पुल निर्मित कराया जाय ।]

जिला गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में आई0 टी0 आई0 खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामजनम सिंह—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद गाजीपुर के विकास खंड कासिमाबाद अन्तर्गत आई0 टी0 आई0 (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) के खोलने का प्रस्ताव था, किन्तु इससे अब तक क्रियान्वित न होने से उक्त क्षेत्र की जनता द्वारा आये दिन धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है किन्तु प्रशासन इस सम्बन्ध में अभी तक मौन बना हुआ है । इस प्रकार उक्त क्षेत्र की जनता एवं प्रशासन के मध्य काफी विस्फोट स्थिति बनी हुई है । किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है, सम्भव है कि धन-जन की हानि भी हो ।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार द्वारा चर्चा एवं वक्तव्य दिये जाने का निर्देश देने का कष्ट करें ।]

जिला गाजीपुर की ब्लाक बाराचवर में गांधी नगर से जवाहर नगर मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद गाजीपुर के विकास खंड बाराचवर में गांधी नगर से जवाहर नगर मार्ग (लम्बाई 10 कि0

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मी0) को अधूरे कार्य को पूरा करके लेपन स्तर तक बनाये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है । यह सड़क खंड़जे स्तर तक सा0 नि0 वि0 द्वारा निर्मित हो चुकी है । इससे कई स्थानों पर पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है । जो कि उन पुलियों का निर्माण होना अति आवश्यक है । इस सड़क से गिट्टी और मिट्टी का काम भी बहुत खराब हुआ है । इस सड़क को लेपन स्तर तक बनाने के लिए कई बार उस क्षेत्र की जनता ने धरना एवं प्रदर्शन किया । इस सड़क के न बनने से वहां की जनता में काफी रोष एवं असंतोष व्याप्त है । इस सड़क के निर्माण होने से वहां की लाखों जनता को सुविधा प्राप्त होगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित कर उक्त सड़क को धन विलाकर शीघ्र लेपन स्तर तक बनवाने का कष्ट करें । ताकि वहां की जनता को इस सड़क से सुविधा प्राप्त हो सके ।]

जिला गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में सिधागर पाली सलामतपुर मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरजू प्रसाद सरोज—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद गाजीपुर के विकास खंड कासिमाबाद अन्तर्गत सिधागर पाली सलामतपुर मार्ग को पक्का पेन्टिग स्तर का निर्माण कराये जाने की मांग को लेकर उक्त क्षेत्र के हजारों निवासियों द्वारा आये दिन धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है, किन्तु प्रशासन इस बिन्दु पर मौन बना हुआ है । उनके साथ प्रशासन द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है । इस प्रकार उक्त क्षेत्र की जनता में काफी असंतोष एवं रोष व्याप्त है, किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रकरण पर चर्चा एवं वक्तव्य दिये जाने हेतु सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें ।]

जिला गाजीपुर के कासिम बाद ब्लाक में विद्युत उप केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोकमहत्व के जनपद गाजीपुर के विकास खंड कासिमाबाद में 132 के0 वी0 का उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद द्वारा उप केन्द्र बनाये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं इस स्थान पर 132 के0 वी0 का उपकेन्द्र कई वर्ष पहले उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 द्वारा स्वीकृत किया गया था और इसके लिए स्थान का चयन किया गया तथा वहां भूमि भी उपलब्ध है । लेकिन अभी तक उपकेन्द्र का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया । यह उपकेन्द्र न बनने के कारण उस पूरे क्षेत्र में कृषकों, व्यवसाय करने वालों एवं जनता में सही तरीके से विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । यहां विद्युत पिछले कई महीनों से तथा कई दिनों तक आपूर्ति नहीं की गयी यदि की भी गयी तो वर्तमान में जो उपकेन्द्र हैं उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि वे

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पूरा भार वहन कर सकें । इतना अधिक भार होता है कि उस क्षेत्र के विद्युत तार भी गलकर गिरने लगे हैं । इसलिए इस क्षेत्र की लाखों जनता में इतना रोष व्याप्त है कि कई बार इस उपकेन्द्र पर और अधिकारियों के यहां धरना एवं प्रदर्शन किया गया लेकिन इसके बावजूद वहां के अधिकारियों एवं अभियंताओं के कान पर जूं तक नहीं रेंगी ।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित कर कासिमाबाद में 132 के0 वी0 का उपकेन्द्र तत्काल निर्माण करवाकर वहां की जनता को विद्युत आपूर्ति से लाभ पहुंचाई जाय ।]

नियम 300 व 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

मैं नियम 300 व 311 को एक साथ ले रहा हूं । आज नियम 300 के अन्तर्गत 3 सूचनायें प्राप्त हुई हैं और नियम 311 के अन्तर्गत 2 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । नियम 300 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री हृदय नरायन दीक्षित जी की, दूसरी श्री मैनेजर सिंह व श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की व तीसरी सूचना श्री शारदानन्द अंचल जी की है । ये तीनों सूचनायें नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आतीं हैं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी का नाम पुकारे जाने पर व श्री रघुवर दयाल वर्मा व श्री शारदानन्द अंचल जी के खड़े होने पर) ।

मैंने श्री गुप्ता जी को बुला लिया है । वह एक महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं । आप कृपा करके बैठ जायं । श्री वर्मा जी आपसे तो मुझे ऐसी आशा नहीं है, आपसे तो मुझे उम्मीद रहती है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, आपने हमारी सूचना को तो नियम 300 के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया । अब आप ही बतायें कि किस नियम के अन्तर्गत हम इसे उठायें । क्या नियम 356 में हम इसे नहीं ला सकते ।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कक्ष में आ जाये, मैं इसे देख लूंगा ।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, आज बेरोजगार नौजवान आन्दोलन के रास्ते पर खड़े हैं । यह सरकार शिक्षित व डिप्लोमाधारी नवयुवकों के साथ विश्वासघात कर रही है । यह एक गम्भीर मसला है, इस पर आप चर्चा अवश्य करवायें ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जाय । श्री गुप्ता जी एक महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं ।

(श्री शारदानन्द अंचल जी खड़े होकर बोलते रहे ।)

श्री शारदानन्द अंचल—

इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करायी जाय, सरकार को निर्देशित किया जाय, गम्भीर मसला है ।

कानपुर के कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पिछले 24 तारीख को इस आदरणीय सदन में मैंने, माननीय ब्रह्म दत्त जी, श्री राम आसरे जी तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने कानपुर में सूती मिल मजदूरों की हड़ताल में जो रेल रोको आन्दोलन चल रहा है, उस सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता प्रगट की कि सरकार ने समय रहते मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन नहीं किया और पाण्डे एवार्ड लागू कर दिया परिणामस्वरूप 35 हजार में से 14 हजार मजदूर बेरोजगार हो रहे थे । के0 के0 पाण्डे ने भ्रष्टाचार के तहत मालिकों से मिलकर अपने दो लड़कों को नौकरी दिलाकर ऐसा एवार्ड दे दिया था जिससे घोर असन्तोष था । इस पर चर्चा हुई, मैं बधाई दूंगा उपाध्यक्ष जी को, जिन्होंने इतिहास कायम किया और आदरणीय सदन की संसदीय समिति गठित की । सरकार ने समय रहते कोई निर्णय ले लिया होता, तो ऐसी स्थिति न आती । संसदीय समिति मजदूरों से मिली, सबसे मुलाकात हुई । उस सम्बन्ध में रिपोर्ट आपको मिल गयी है । इस समय पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि समिति ने क्या रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर शासन ने क्या फैसला किया है ? इस समिति ने यही फैसला दिया है कि पाण्डे एवार्ड हर तरह से पूरी कीमत पर वापस हो जाना चाहिये । मुझे आश्चर्य हुआ कि इस सरकार ने जिस इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा 6 (1) (क) का सहारा आज लिया है, यह पहले भी हो सकता था, यह एवार्ड निरस्त हो जाता । आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि समिति की रिपोर्ट क्या है और शासन ने क्या फैसला किया है ? अगर फैसला मजदूरों के हित में होगा तो आन्दोलन शान्त हो जायगा नहीं तो लड़ाई आगे चलेगी । इस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैंने भी नियम 311 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव आपके पास भेजा था । आपने इजाजत दी, धन्यवाद ।

कानपुर के मजदूरों का अन्दोलन अभूतपूर्व आन्दोलन था । उसके परिपेक्ष्य में हमारे सदन ने भी समिति का गठन करके एक अभूतपूर्व कार्य किया था । उस समिति का मैं भी एक सदस्य था । कानपुर में जो स्थिति आन्दोलन को देखने को मिली, प्रदेश में आज तक जितने भी आन्दोलन हुए हैं, इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली । जिस तरह का षड़यन्त्र कानपुर के मजदूरों के साथ देखने को मिला, वह भी देखने को नहीं मिलेगा । जो के0 के0 पाण्डे एवार्ड सामने आया, उसकी शुरुआत से आखिर तक षड़यन्त्र ही षड़यन्त्र देखने को मिलेंगे । ऐसी कोई चीज नहीं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आती है । उसमें जब इस मामले को सन्दर्भित किया गया एवार्ड के लिये, मामले एवार्ड के लिये तब सन्दर्भित किये जाते हैं जब कोई विवाद हो, उस समय श्रमिक संगठनों की तरफ से या श्रमिकों की तरफ से कोई विवाद नहीं था, फिर भी सन्दर्भित कर दिया गया । एक लेबर कमिश्नर थे, जो उसको सन्दर्भित करके रिटायर हो गये । उन्होंने एक षड़यन्त्र के तहत, मालिकों

से सांठ-गांठ करके इसको सन्दर्भित कर दिया। 24 दिसम्बर, 1988 को एवार्ड घोषित किया गया। इसका प्रकाशन सरकार को करना चाहिये था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने इसको भेजा जाना चाहिये था, राज्य सरकार द्वारा एक महीने बाद प्रकाशन करना चाहिये था लेकिन यह प्रकाशन भी उसी समय 24 दिसम्बर को किया गया, यह भी एक षड़यन्त्र था। वहां पर मजदूरों के प्रतिनिधियों ने, संगठनों ने बताया, हो सकता है कि राज्य सरकार ने पावर डेलीगेट कर दिये हो, लेकिन नियम के तहत पावर डेलीगेट करने का अधिकार किसी को नहीं होता। षड़यन्त्र की एक मिसाल और कि 24 दिसम्बर, 1986 को वह एवार्ड घोषित किया गया और जिसे 24 जनवरी, को लागू होना था, पर उसके लिये 20 जनवरी से 23 जनवरी तक पूरी मिलों में नोटिस लगा दी गयी और इस बीच औद्योगिक न्यायाधिकरण नियन्त्रक इलाहाबाद को सन्दर्भित कर दिया गया कुछ मामलों की सिफारिश करने के लिये। इस बीच में मालिकों ने स्थगन आदेश ले लिया। कानूनी पेचीदिगियां बनाये जाने के लिये यह हरकत की गयी।

यदि एवार्ड मिल गया था तो उसके लिये मजदूरों से मिलकर बातचीत की जाती, मानीटियरिंग कमेटी के माध्यम से कोई बात नहीं की गयी, सारे कायदे और कानून को ताक पर रखते हुये श्रमिकों के साथ साजिस की चाहे वह सीटू हो, चाहे इन्टेक हो, चाहे आइटक हो सभी के नेताओं के कार्टून बना-बना कर अखबारों में छपा कर इस तरह का काम किया जब पुरानी मशीनों को रखते हुए मजदूरों ने उससे कार्यभार पालन न करने की बात की तो उसका यह नतीजा निकला।

एक बात और उठायी गयी जिसके द्वारा मालिकों ने साफ-साफ शरारत की। सन् 1984 में मजदूरों के वेतन के पुनरीक्षण होने थे परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के कारण शायद स्थिति ऐसी नहीं बन पायी और उनके वेतन का पुनरीक्षण नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप उनकी 60 रु0 वेतन-वृद्धि दे दी गयी। अब उस वेतन-वृद्धि को एवार्ड का पार्ट बना करके मालिकों ने कार्यवाही शुरू कर दी। चूंकि यह 60 रु0 उन लोगों को अन्तरिम सहायता के रूप में ही दिया गया था जो कि उनके वेतन का एक अंग बन गया था उसे उन्होंने वेतन-वृद्धि न मान कर उसे एवार्ड का पार्ट बना दिया।

जब मालिकों ने देखा कि एवार्ड के तहत मजदूर काम नहीं कर रहे हैं तो इस 60 रु0 की कटौती करना शुरू कर दिया और आठ-आठ दिन की मजदूरी उनकी काट ली। यदि आप शुरू से देखें तो यह 60 रु0 उनके वेतन का अंग बन गया था, मेरे विचार से हर माननीय सदस्य इससे सहमत होगा कि वेतन के अंग में किसी तरह की कटौती नहीं होना चाहिये और यह 60 रु0 मजदूरों को दिया जाना चाहिये। जिनको अन्य भत्ते मिलते हैं उन्हें भी यह 60 रु0 नहीं मिलते हैं।

जब शान्ति का माहौल था उसमें के0 के0 एवार्ड घोषित करके यह अशान्ति पैदा कर दी गयी है। माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो समिति का गठन किया मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये, समिति ने मौके पर जा कर देखा और सबसे बातचीत की और समिति ने अपनी एक राय बना करके अपनी संस्तुति भेज दी है। मैं आशा करूंगा कि शासन की ओर से इस बात की घोषणा होनी चाहिये कि के0 के0 पाण्डेय एवार्ड वापस लिया जाता है और जो 60 रु0 उनको वेतन-वृद्धि

दी गयी थी, जो कि उनके वेतन का अंग बन गयी थी, उसे काटा नहीं जायेगा और अन्य जिन मजदूरों को भी यह 60 रु0 नहीं मिलते हैं उन्हें भी दिया जायगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं भी उस समिति का सदस्य था और कानपुर गया था और मैंने भी अध्ययन किया है । जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने कहा है, वास्तव में कानपुर टेक्सटाइल मिल का आन्दोलन एक अभूतपूर्व आन्दोलन था बहुत अभूतपूर्व आन्दोलन था और इस पर जो संसदीय समिति बनी उसके सदस्य के रूप में मैं भी वहां पर गया और सम्बन्धित मजदूर संगठनों से बैठकर बात-चीत हुई और तथ्यों के मिलने पर जो स्थिति सामने आई उसके सम्बन्ध में म माननीय उपाध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं कि उनके सौजन्य से एक ऐसा अभूतपूर्व कार्य हुआ और एक बहुत बड़ी समस्या के समाधान किये जाने हेतु यह सदन अग्रसर हुआ । इन सबके होने में राज्य सरकार की कुछ भूलों का वजह भी शामिल है । वरना यह परिस्थितियां इतना बड़ा रूप न धारण करतीं । यह जो एवार्ड दिया गया, यहीं पर राज्य सरकार से यह भूल हुई कि इसके दिए जाने पर पूर्णतया पहले विचार--विमर्श करती किन्तु वह नहीं किया गया यह एवार्ड तब दिया जाता है जहां पर किसी प्रकार का कोई विवाद कभी श्रमिकों और मालिकों के बीच किसी विषय पर हुआ हो, जो इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के शेड्यूल 1 व 2 में वर्णित हैं, उन्हीं विषयों पर यह रिफरेंस दिया जा सकता था, वेतन वर्क लोड के मुताबिक दिया जाये, न यह शेड्यूल 1 में है और न ही 2 में है यह विषय शेड्यूल 3 है, जिसमें यह रिफरेंस दिया ही नहीं जा सकता था और दूसरी भूल राज्य सरकार से यह हुई कि जब इस प्रकार के एवार्ड्स दिए जाते हैं तो पहले लेबर-लीडर्स से बात-चीत होता है, वह भी नहीं किया गया । लेबर कमिश्नर, जो रिफरेंस करने के एक माह बाद ही रिटायर हुए थे, उन्होंने जानबूझ कर इम्पलायर से और मैनेजमेंट से मिलकर एक जबर्दस्त रिफरेंस दे दिया और यह रिफरेंस दे दिया कि वर्क लोड बंबई पेटर्न पर दिया जाए। तो जब इस बात का डिस्कशन लेबर्स लीडर्स के बीच कुछ हुआ नहीं तो इस हालत में यह वर्क लोड बढ़ाने वाले विषय के रिफरेंस का एवार्ड बन ही नहीं सकता था क्योंकि यू0 पी0 इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के शेड्यूल 3 के अनुसार वर्क लोड बढ़ाने वाला विषय विवादित एवार्ड के रिफरेंस का विषय बन ही नहीं सकता था क्योंकि बंबई पैटर्न यहां पर लागू इसलिए नहीं हो सकता है कि सम्पूर्णानन्द एवार्ड के तहत यह डिसीजन हो चुका था कि कानपुर के मिलों की मशीनें बहुत पुरानी व शराब हैं और दूसरे यहां पर क्लाईमेन्ट भी ठीक नहीं है, शुष्क है, इसलिए किसी भी प्रकार से वर्क लोड बढ़ाना संभव ही नहीं है । लेकिन यह सारे निर्णय हो जाने के बाद भी लेबर कमिश्नर से मिल मालिकों से मिलकर इस एवार्ड के बनाने के लिए रिफरेंस दे दिया । अब राज्य सरकार ने यहां पर तीसरी यह भूल कि रिफरेंस एवार्ड के पब्लिकेशन के पावर्स भी उन्हीं के0 के0 पाण्डेय, ट्रिब्यूनल्स को ही दे दिए, जबकि यह पावर्स राज्य सरकार को उनको नहीं दे सकती है क्योंकि ट्रिब्यूनल्स राज्य सरकार के अधीनस्थ नहीं है, यह पावर्स केवल राज्य सरकार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ही डेलीगेट कर सकती हैं । चौथी राज्य सरकार से यह गलती हुई कि 60 रु0 की तदर्थ वेतन वृद्धि जो सन् 1985 में की गई थी, वेजेज ऐक्ट के तहत पुनरीक्षित करने के फलस्वरूप जो, 60 रु श्रमिकों को स्वीकृत हुए थे और यह घोषणा भी की गई थी कि नया वेतनमान घोषित होने पर इसे वेतन में समायोजित कर दिया जायेगा, जिससे इस रिफरेंस का कोई वास्ता नहीं था उसे भी रिफरेंस के साथ जोड़ दिया इन दो विषयों पर के0 के0 पाण्डेय ने प्रबंधकों और मालिकों से मिलकर भ्रष्टाचार का सहारा लेकर अपने दो लड़कों को उच्च पदों पर नौकरी दिलाकर 24 दिसम्बर, 1988 को यह एवार्ड दे दिया

और उसी दिन इसका पब्लिकेशन भी कर दिया, जिसके तहत 60 रु0 वेतन वृद्धि तब मिलेगी जब वह वर्तमान वर्क लोड स्वीकार करें। इससे माननीय 15,000 मजदूरों के सामने एक बहुत बड़े क्षोभ का प्रश्न पैदा हो गया। जबकि इन कानपुर की खराब मशीनों पर और शुष्क जलवायु में एवार्ड में घोषित वर्क लोड पर कार्य कर पाना संभव ही नहीं था। इसलिए 60 रु0 प्रति मास की वेतन वृद्धि से भी उन्हें वंचित कर दिया गया, हालांकि ऐसे अवसरों पर मानीटरिंग का मौका दिया जाता है, वह भी नहीं दिया गया और इस प्रकार से उत्पीड़न की कार्यवाही 22 जनवरी, 1989 से इस एवार्ड के तहत प्रारम्भ कर दी गई, जो किसी भी रूप में उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया बिराजें, द्विवेदी जी आपकी काफी हो गई।

श्री बह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं संक्षेप कर रहा हूं, बहुत संक्षेप, मान्यवर, जो निर्णय इस राज्य सरकार को बार-बार भूल के कारण हुआ है, जिसकी रिपोर्ट भी आपके सामने आ चुकी है, उसको देखते हुए यही निवेदन करूंगा कि आप अपनी इस पर व्यवस्था दें और तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि के0 के0 पाण्डेय एवार्ड को एक तरफ निरस्त किया जाना चाहिये और दूसरी ओर साठ रुपये की जो कटौती की गई है उसको समाप्त किया जाना चाहिये, इसके बारे में सरकार स्पष्ट घोषणा करे। इसके साथ-साथ ही अन्य श्रमिकों को भी यह बढ़ा हुआ 60 रुपया पाने का अधिकार है। यह अधिकार जो मजदूर बदली पर आते हैं उनको भी मिलें। लेकिन उनको नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी घोषणा करें कि उनको भी यह अधिकार मिलें जो बदली पर मजदूर आते हैं क्योंकि यह 60 रुपया तदर्थ वेतन वृद्धि टेक्सटाइल मजदूरों के नियमित वेतन का अंग बन चुका है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें।

*श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। इसी सवाल पर मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है। नियम 311 के अन्तर्गत जिन लोगों ने इस प्रश्न को उठाया है उनको और जिन लोगों ने नहीं उठाया है उनको भी आपने बोलने का अवसर दिया है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट का समय मुझे भी दे दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय कमेटी का गठन हो रहा था उस समय मैंने निवेदन किया था कि यह कमेटी आल पावर फुल बनायी जायें। इस कमेटी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। इसलिए जो उसकी संस्तुतियां हैं उनको यह सरकार माने। आप देख रहे हैं कि 5 दिनों से रेल रोको हड़ताल चल रही है। कोई भी गाड़ी न आ सकती है और न जा सकती है। इस हड़ताल ने देश के लोगों को परेशान कर दिया है, टेक्सटाइल मजदूर परेशान थे ही लेकिन सारे देश के लोगों को परेशान कर दिया है। आप के0 के0 पाण्डेय एवार्ड को समाप्त करने की घोषणा करें और जो 60 रुपये मजदूरों को मिलता था उसके बारे में भी घोषणा करें वह बरकरार रखा जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रामशरण दास--

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने अखबार में पढ़ा है कि तिवारी जी ने के0 के0 एवार्ड को वापस ले लिया है । यह बात अखबार में आ गयी है । तो क्या यह बात सही है कि उन्होंने उसको वापस ले लिया है अगर वापस ले लिया है तो आप अनावश्यक बहस करा रहे हैं । अगर वापस ले लिया है तो कह दें ।

*श्री आर0 एन0 पाठक--

मैं कानपुर के टेक्सटाइल मजदूरों के सम्बन्ध में ही हड़ताल के बारे में कहना चाहता हूं। पाण्डे एवार्ड के बारे में बी0 आई0 सी0 और एन0 टी0 सी0 का मैनेजमेंट भी ऐसा स्थिति पैदा करना चाहता है जिससे मजदूरों में अशांति पैदा हो । इस हड़ताल से मजदूरों में ही नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में कठिनाई पैदा हो गई है । मैं मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और श्रम मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से इस स्थिति से निपटा । मैं माननीय उपाध्यक्ष जी से और श्री अम्मार रिजवी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसकी ग्राह्यता को जान लिया है । के0 के0 पाण्डे एवार्ड की जानकारी नहीं हो पाई थी इसलिए कमेटी बनी । मान्यवर, के0 के0 पाण्डे एवार्ड में इस मसले को दिये जाने से बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है । एक तो यह कि के0 के0 पाण्डे एवार्ड को ट्रिबुनल में न प्रकाशित करके इसे राज्य सरकार के पास आना चाहिये था और सरकार उसके बारे में जानकारी करती, अगर वह मजदूरों के हित में होता तो उसे देती और अहित में होता तो न देती । जो मानीटरिंग कमेटी की व्यवस्था है उसका भी नहीं लागू किया गया । वह समय ऐसे तरीके से पास हो गया कि मजदूरों ने भी उसको कोई प्रतिरोध नहीं किया और जैसे ही वह लागू किया गया मजदूरों को बैठा दिया गया तनखाहें काटी गयीं और जिन लोगों ने 23 तारीख से पहले काम किया है वह काम करते रहे हैं लेकिन उनकी गैर हाजिरी लगा दी । लेकिन उनकी गैरहाजिरी लगा दी । यह विषम स्थिति पैदा करने के साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को यह भी जानकारी दी गई कि जो उनके 15 हजार जाब्स हैं वे निरस्त हो जायेंगे इस एवार्ड को लागू करने से, 9 हजार मजदूर सरप्लस हो जायेंगे और उनकी नौकरी चली जायेंगी । जो लोग रिटायर हो रहे हैं या मर गये हैं उनकी जगह पर कोई नहीं लिया गया । मैंने कहा कि यह जो एन0 टी0 सी0 और बी0 आई0 सी0 है यह एक ह्वाइट एलीफैन्ट है । मैंने इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ सुझाव दिये जिससे कि जो घाटा हो रहा है वह ठीक हो सकता है । लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया । मैंने लिखकर भी दिया कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जिसका कोई ठिकाना नहीं है । यह एन0 टी0 सी0 और बी0 आई0 सी0 मैनेजमेंट है ये लूट रहे हैं ।

मैंने भारत सरकार को भी लिखकर भेजा । एक तरफ तो लूट रहे हैं और दूसरी तरफ घाटे की स्थिति को ठीक करने के लिए जो सुझाव दिये गये उसमें उनको विश्वास नहीं है । उनको मजदूरों की छंटनी में विश्वास है जिसकी कि मजदूरों की जानकारी हो गई और इतना बड़ा आन्दोलन खड़ा हो गया । मजदूर हम लोगों की बात मानने के लिए तैयार थे लेकिन वे चिन्तित थे कि नहीं ऐसा न हो कि जो यह ह्वाइट एलीफैंट है उनको कोई रोक न पाये और मजदूरों का अहित हो जाये । इन सभी चीजों को देखते हुये अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि ठीक है एन0 टी0 सी0 और बी0 आई0 सी0 पर कोई बोझ न पड़े लेकिन कोई तरीका उस बोझ को हल्का करने के लिए होना चाहिये । लेकिन वे जब कोई तरीका अख्तियार न कर सकते, ट्रिब्यूनल कुछ नहीं कर सकती थी, मानेटरिंग कमेटी ने अपना काम शुरू नहीं किया और मजदूरों पर काम बढ़ा दिया गया । उनसे कह दिया गया कि उसी धागे से काम करों । बम्बई की जो क्लाइमेट है उसके अनुसार जो धागा है वह यहां पर टूटता है, उन्हीं पुरानी सौ साल की मशीनों पर वह लोग काम कर रहे हैं वैसे उनपर ज्यादा काम ले सकते हैं । इस तरह की कठिनाइयां सामने आयीं और उसके लिए सदन के सामने यह विचार आया है कि वह इसपर विचार करेगा । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इन परिस्थितियों में वे इस अवाड को वापस लेंगे ।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने 60 रुपये के सम्बन्ध में कहा कि यह उससे जोड़ दिया गया है । यह 60 रुपया मजदूर वर्षों से पा रहे हैं और अब वह नामल पार्ट आफ दि वेजेज हो गई हैं इसलिए यह उनको मिलना चाहिए । मान्यवर, इसके लिए एक कमेटी बनी थी और उसका मुझे संयोजक बनाया गया था । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अवार्ड को वापस ले लें और जो 60 रुपया है वह उनकी नार्मल वेजेज मान ली जाय । उसको इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है बल्कि उससे जो लोग प्रभावित हुये थे जैसे टेम्परेरी उनको भी पैसा मिलना चाहिए यही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं सदन का आभारी हूं कि पाण्डे अवार्ड के सम्बन्ध में उन्होंने यहां पर अपने विचार रखें । इस सम्बन्ध में मैं सम्मानित सदस्य कानपुर श्री पाठक जी तथा अन्य सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने समिति के सदस्य होकर कानपुर गये और अपना बहुमूल्य समय इस समस्या के समाधान के लिए दिया प्रयास किया और अपनी संस्तुति दी । इसी संदर्भ में जो इसका संक्षिप्त इतिहास है जिससे मैं भी व्यक्तिगत रूप से अवगत हुआ, वह मैं आपको भी बताना चाहता हूं । कानपुर में वस्त्र उद्योग की कुल 9 इकाइयां हैं । इनमें नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन की 5 मिलें, 1—मैसर्स म्योर मिल, 2—मैसर्स विक्टोरिया मिल्स, 3—मैसर्स अथर्टन मिल्स, 4—लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, 5—स्वदेशी काटन मिल्स तथा बी0 आई0 सी0 ग्रूप की चार मिलें (मैसर्स एल्गिन मिल्स नं0 1 व 2, मैसर्स कानपुर टेक्सटाइल मिल एवं बी0 आई0 सी0 कानपुर उलेन मिल्स) एवं मैसर्स जे0 के0 काटन मिल्स एवं स्पिनिंग मिल्स, कानपुर निजी क्षेत्र की इकाई हैं ।

अक्तूबर, 1985 में जैसा सदन को अवगत है कानपुर की कतिपय सूती एवं ऊनी मिलों के कर्मकारों द्वारा हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया गया था राज्य सरकार ने तब भारत सरकार से विचार विमर्श करके इन कर्मकारों को 60 रुपया प्रतिमाह की अन्तरिम सहायता दिनांक 1 अक्तूबर, 1985 से देने का आदेश दे दिया था और साथ ही यह बिन्दु कि क्या इन कर्मकारों के वेतन का पुनरीक्षण किया जाय और इस कार्यभार के साथ किया जाय का सन्दर्भ औद्योगिक न्यायाधिकरण प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 29 जनवरी, 1986 को सौंप दिया था क्योंकि कर्मचारी की नोटिस में बम्बई सूती आदि मिलों के कर्मकारों के आधार पर वेतन वृद्धि करने की मांग की गई थी ।

न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 24 दिसम्बर, 1988 को अवार्ड घोषित किया जिसमें वेतन वृद्धि के साथ-साथ कर्मकारों के कार्यभार को वृद्धि करने का भी निर्णय दिया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब सेवायोजकों ने एवार्ड के अन्तर्गत कार्यभार की वृद्धि करने की अपेक्षा की तब कर्मकारों में असंतोष उत्पन्न हो गया। राज्य सरकार ने एवार्ड के परीक्षण के उपरान्त यह महसूस किया कि एवार्ड में दिये गये कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता है। तत्पश्चात् श्रमायुक्त, कानपुर को न्यायाधिकरण से स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं एवार्ड का क्रियान्वयन तत्काल रोकने एवं पूर्व स्थिति बनाये रखने के लिए अनुरोध करने को कहा गया। श्रमायुक्त के प्रार्थना-पत्र पर न्यायाधिकरण ने दिनांक 16 फरवरी, 1989 को उक्त आशय का अन्तरिम आदेश पारित कर दिया और इस प्रकार पूर्व स्थिति बहाल हो गई और यह आशा कि कर्मकार इस अन्तरिम आदेश से सहमत हो जायेंगे परन्तु सेवायोजकों ने न्यायाधिकरण के इस अन्तरिम आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर की और पाण्डेय एवार्ड के संबंध में न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश दिनांक 16 फरवरी, 1989 के स्थगन की मांग की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को स्थगित कर दिया गया जिसका यह परिणाम हुआ कि कर्मचारियों में घोर असंतोष उत्पन्न हो गया।

कानपुर में जूही ब्रिज को कर्मकारों ने दिनांक 22 फरवरी, 1989 को घेर लिया और रेल रोको आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप कानपुर के आने-जाने वाली सभा रेल गाड़ियां अपने मार्गों पर अवरुद्ध हो गयीं। जिला प्रशासन द्वारा कर्मकारों को बराबर समझाने और आन्दोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया परन्तु कर्मकारों ने केवल यही एक मांग की कि जब तक पाण्डेय एवार्ड पूर्ण रूप से निरस्त नहीं हो जाता तब तक वह अपना आन्दोलन समाप्त नहीं करेंगे।

दिनांक 22 फरवरी, 1989 से 26 फरवरी, 1989 तक कर्मकारों के इस आन्दोलन के कारण राज्य अर्थ व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई और जनसाधारण को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

सदन में भी माननीय सदस्यों ने इस विषम स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की और सदन द्वारा गठित माननीय सदस्यों की समिति भी कानपुर गई कानपुर में स्थिति का अध्ययन एवं वार्तालाप करने गई इस समिति ने कानपुर में जाकर स्थिति का अध्ययन किया और अपनी संस्तुतियां की जिसके लिए हम आभारी हैं।

मैंने सेवायोजकों को कल रात बुलाया और उनसे विचार विमर्श विस्तारपूर्वक किया और वह मुझसे इस बात पर सहमत हुए कि इस विषम स्थिति का हल निकालने के लिए एक ही विकल्प रह जाता है कि पाण्डेय एवार्ड को पूर्णरूप से निरस्त कर दिया जाय चूंकि प्रशासन से बातचीत करने पर भी केवल एक ही विकल्प निकला कि कर्मकार रेल रोको आन्दोलन केवल एवार्ड को निरस्त करने के बाद ही समाप्त होने की संभावना है, अतएव पूरी स्थिति एवं मामले के सभी पहलुओं एवं विधिक प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये राज्य अर्थ व्यवस्था एवं सामाजिक न्यायिक आधार पर सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पाण्डेय एवार्ड को निरस्त कर दिया जाय। अतएव इस संबंध में जारी की गई अधिसूचनायें दिनांक 26 एवं 27 फरवरी, 1989 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। साइक्लोस्टाइल एवं छपी हुई प्रतियां समयाभाव के कारण उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। उनके उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र माननीय सदस्यों के लिए सदन में वितरित कर दी जायेंगी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं इस पर मुख्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मैं यह जानना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा 6 (ए) (1) में जो व्यवस्था दी गयी है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो एवार्ड को निष्प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में है, उसमें यह है कि प्रकाशित होने के तुरन्त बाद वह विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी, लेकिन आप उसे कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने प्रकाशित नहीं किया है ।

दूसरी बात यह है कि जो घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की है, इसका गजट में प्रकाशन कब तक हो जायेगा और जो संसदीय समिति गयी थी, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सदस्य थे, उसने सर्वसम्मति से अपनी दो अनुशंसाएं की हैं, एक तो यह कि यह जो के0 के0 पाण्डे एवार्ड है, यह अपरिवर्तनीय किया जाय, निष्प्रभावी किया जाय और दूसरे जो 60 रुपया की वृद्धि लागू की गई थी और जो वेजेज का अंग बन गया है, उसे लागू रखा जाय । अब आशंका इस बात की है कि के0 के0 पाण्डेय एवार्ड निरस्त होने से वह 60 रुपये की वृद्धि भी निरस्त हो जायेगी । किन्तु यह वेजेज का अंग माना जाना चाहिए । तो इस सम्बन्ध में जो सर्वसम्मति अनुशंसाएं हैं, उन पर शासन की क्या मंशा है यह वह बता दें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो अधिसूचना सदन के मेज पर रखी है, वह प्रकाशन के सम्बन्ध में ही कही है । पहले प्रकाशन होगा, तब ही वह होगा । दूसरी अधिसूचना 6 (घ) के आधार पर लागू नहीं करने की है और तीसरी रद्द करने की है । यह जो रखा है, इससे उसका समाधान हो जाता है । इस 60 रु0 का जहां तक मामला है इसका अर्थ यह है कि यह मिलता रहेगा । उसको काटने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

अब यह समाप्त और इस विषय में कल को जो चर्चा लगी है, समाप्त की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री प्रहलाद द्विवेदी--

मैं मुख्य मन्त्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सदन की भावना को समझ कर इसको निरस्त कर दिया है । खैर देर आयद दुरुस्त आयद और इसके लिये भी धन्यवाद जो इन श्रमिकों को यह 60 रुपया मिलता रहेगा । लेकिन एक बात और है, जिससे श्रमिक चिंतित हैं । यह जो 60 रुपये की वेतनवृद्धि है, यह जो लेबर बदली पर आते हैं उनको नहीं मिलता है, जबकि यह उनका अधिकार है, तो जो लेबर बदली पर आए हैं उनको भी यह मिलना चाहिए । तो क्या मुख्य मंत्री जी उनके लिए भी घोषणा करेंगे कि उनको भी यह मिलेगा ?

श्री रामआसरे वर्मा--

द्विवेदी जी ने जो प्रश्न उठाया है, वही मेरा भी है । यह अच्छी बात है कि उनको 60 मिलते रहेंगे, लेकिन बहुत से बदली के मजदूर हैं, जिनको सारे भत्ते मिलते हैं, लेकिन यह 60 रुपये नहीं दिए जाते हैं, तो क्या उनको भी 60 रुपये दिलाने के व्यवस्था के बारे में मुख्य मंत्री जी घोषणा करेंगे ?

श्री आर0 एन0 पाठक--

मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक आशंका का समाधान हो गया, बैठिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उधर भी रोक रहा हूं । आप बैठिए। मुख्यमंत्री जी के बाद आपको बोलने की अब जरूरत नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब मद (3)

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

यह (श्री आर० एन० पाठक) लोग मजदूर नेताओं से मिलकर चले आए, डर के मारे मजदूरों से मिले ही नहीं, इनकी क्या बात सुनें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सदन आपकी कमेटी का आभारी है कि समस्या का समाधान हो गया, अब आप उसको बढ़ाइए नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ब्रह्म दत्त जी और वर्मा जी का जो सवाल है, उसके बारे में आप मुख्य मंत्री से कहें कि वह कुछ कह तो दें, जिससे शासन की नीति स्पष्ट हो जाए। हम तो इस समय जो समिति गठित की गई थी उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं....

मान्यवर, अगर कोई कहीं से ट्रांसफर होकर फैक्टरी में आ जाय तो बेजेज कट जायेंगे । यह अन्याय है । मान्यवर, आप मुख्य मंत्री जी को पुकारें शायद वह उत्तर देना चाहेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

इसका समाधान हो गया है ।

(मद-3 पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह बड़े अफसोस की बात है कि अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है । स्पष्टीकरण माँगे जा रहे हैं और मुख्य मंत्री जी चले गए हैं इससे सदन का अपमान हुआ है । बहस चल रही हो तो बीच में नहीं जाना चाहिए। उनके इस व्यवहार और जो सर्वसम्मति से अनुशंसायें की गई हैं उनको माना नहीं गया है मैं इनकी भर्त्सना करता हूं और अपने दल के साथ बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर गए।)

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, सरकार ने संस्तुतियों को नहीं माना है इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 8 फरवरी, 1989 को विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर की मैं उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 119 (8) के अंतर्गत सूचना दे रहा हूं :—

संख्या जी 01157/जी0 एस0 21 फरवरी, 1989

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपके पत्र संख्या 378/वि0 स0/सं0/7/सं0 139, दिनांक 20 फरवरी, 1989 के लिए धन्यवाद ।

आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी अपना धन्यवाद देना चाहूंगा ।

भवदीय,

मोहम्मद उस्मान आरिफ ।

(इस समय 1 बजे श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

उपाध्यक्ष (श्री त्रिलोक चन्द्र)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो श्री जी0 एल0 पंवार, पुलिस उपनिरीक्षक, थाना किच्छा, जनपद-नैनीताल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमानना के प्रश्न से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

द्वितीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 156 के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

(पढ़ा हुआ मान लिया जाय की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष—

इसको पढ़ा हुआ माना जाये ।

(सदन की अनुमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

†छापा नहीं गया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

[माननीय, विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित श्री फजलुल बारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-156 का निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :

प्रश्न	उत्तर
156-क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वन विभाग के पूर्वी वृत्त के दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में वर्ष 1983 से 1986 तक अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 1980/82 व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 के प्राविधानों में निर्धारित शैक्षिक योग्यता से कम अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को वन रक्षक व अन्य चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तदर्थ/नियमित नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो ऐसी अनियमितता बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपरोक्त प्रश्न का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रश्न केवल शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में पूछा गया था जिसमें कोई अनियमितता नहीं थी और प्रश्नगत कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया में चूक रही है, उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी को तथ्यात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है ।]

प्रथम सत्र 1988 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 92

के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

(पढ़ा हुआ मान लिया जाए की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की अनुमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

[माननीय, क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मीटी में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा निर्माण कराए जा रहे स्कूल भवनों की जांच कराए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का 7 जनवरी, 1987 का पत्रमय संलग्नकों के उन्हें मिल गया है ? यदि हां तो उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है और प्रश्नगत निर्माण कार्यों की जांच टेक्निकल आडिट सेल से कराने में शासन को क्या आपत्ति है ?

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

दिया गया उत्तर--

माननीय विधायक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का शिकायती पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1987 ग्राम्य विकास मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा निर्माण कराए जा रहे स्कूल भवनों की जांच कराए जाने विषयक माननीय विधायक जी का पत्र दिनांक 27 अक्तूबर, 1987 मुख्य मंत्री कार्यालय में दिनांक 11 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में की गई शिकायतों की जांच जिला अधिकारी फैजाबाद द्वारा कराई गई और जांच का कार्य पूर्ण एवं संतोषजनक पाया गया।

संशोधित उत्तर--

माननीय विधायक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का शिकायती पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1987 मय संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ था। इस प्रकरण में मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टेकनिकल आडिट सेल को जांच हेतु निर्देशित कर दिया गया है। जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

निवेदन है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-92 में उल्लिखित माननीय विधायक के पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1987 के प्राप्ति की पुष्टि सम्बन्धित अनुभाग में मेरे कार्यालय में नहीं की इस कारण भ्रमवश उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में यह सूचित किया गया कि माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का प्रश्नगत पत्र कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। इस असावधानी के कारण हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। चूंकि पत्र में उल्लिखित शिकायती पत्र का उत्तर देने के समय तक प्रश्न से सम्बद्ध नहीं किया जा सका था, अतः भ्रांतिवश माननीय सदस्य के अन्य पत्र सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, फैजाबाद द्वारा प्रेषित सूचना दे दी गई। इस लिए असावधानी के लिए अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण सेवा फैजाबाद को भर्त्सना का दण्ड दिया गया है।

2--वास्तविकता यह है कि माननीय विधायक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का शिकायती पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1987 मय संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ है माननीय विधायक की भावनाओं का आदर करते हुए मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टेकनिकल आडिट सेल को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।]

एस0 एस0 पी0, आगरा द्वारा उपवेशन के दिन मीटिंग बुलाये जाने सम्बन्धी संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बैठक स्थगित करने के निर्देश एवं स्पष्टीकरण की मांग

श्री बदन सिंह--

माननीय, मैंने एक सूचना दी थी।

श्री उपाध्यक्ष--

हां आपकी एक सूचना एस0 एस0 पी0 द्वारा मीटिंग बुलाने के सम्बन्ध में है। संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मुझे इसके सं.रे में पत्र मिला था, मैंने टेलेक्स द्वारा सूचित कर दिया है कि वह मीटिंग स्थगित की जाय और उस दिन की जाय जिस दिन छुट्टी हो। मैंने यह भी पूछा है कि किन हालातों में मीटिंग बुलायी गयी है :

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज 8 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। पहली सूचना सर्वश्री किरनपाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री भोपाल सिंह, श्री जगबीर सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री प्रधान प्रभुदयाल, कनक, सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, रिछपाल सिंह बंसल, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री सलावत हुसैन एवं श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी जी की, जनता द्वारा जनपद मेरठ की तहसील बागपत की हवालात में एक मुल्जिम को जबरन छुड़ाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की और श्री मैनेजर सिंह की प्रदेश के कांच एवं चूड़ी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें तय न करने से श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री हृदय नरायन दीक्षित की सचिवालय डिस्पेंसरी में लाखों रुपये के घोटाले से राज्य कर्मचारियों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री शारदा प्रताप की लखनऊ जनपद के अधिकांश गांवों में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पेयजल की समस्या का समाधान न कर पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री मुहम्मद आजम खां और श्री फसीउर्रहमान खां उर्फ मुन्नन खां की प्रदेश के अंशकालिक अध्यापकों द्वारा विधान भवन के समक्ष दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना सर्वश्री राम आसरे वर्मा, काशी सिंह ऐरी, हरिशंकर तिवारी, एव श्री राम पाल वर्मा, की दिनांक 25 फरवरी, 1989 की रात्रि में सरेहाघाट चंपावत क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री किरनपाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, 2 फरवरी, दिन सोमवार को बागपत तहसील की हवालात में एक किसान, जिस पर मात्र सात हजार 35 रुपये सरकारी कर्जा था उसको हवालात में बन्द कर दिया और किसान से हवालात का ताला तोड़कर उसको निकाला, और ले गये, तहसीलदार ने पुलिस की सहायता मांगी, लेकिन पुलिस सहायता के लिए नहीं आई, अब इसमें पुलिस प्रशासन और शासन में विवाद चल रहा है। मेरठ मंडल में शासन और पुलिस प्रशासन के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस पर आरोप लगा है कि मात्र 7 हजार रुपये में उसको छुड़वाने का कार्य किया उनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई है।

श्रीमन् जिन किसानों ने उस किसान को छुड़ाया उन किसानों पर मान्यवर, ऐसी ऐसी धाराओं के अपराध लगाए हैं, जिसकी वजह से किसानों में रोष व्याप्त है, उस किसान की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, लेकिन और किसान उन किसानों पर कर्जा होता है उसके लिए उन्हें हवालात में बन्द न कराया जाए। कर्जा तहसील में पहुंच जाता है तो उसको 10 फीसदी बढ़ाकर वसूल नहीं किया जाना चाहिए, कलैक्शन

कर्ज जो लगाया जाता है वह नहीं लगाया जाना चाहिए, तो मान्यवर, मेरी आपसे मांग है कि कर्जे के लिए किसानों को हवालात में बन्द नहीं किया जाना चाहिए, किसानों को हवालात में जो रखा जाता है उनको ऐसी जगह रखते हैं जहां मच्छरी, मच्छर और बहुत ही गन्दगी होती है, वहीं उनको टट्टी, पेशाब भी करना पड़ता है, तो मान्यवर, उनको हवालात में न रखा जाए और जो 10 प्रतिशत कलैक्शन चार्ज लगाते हैं वह न लगाया जाए, इन्हीं शब्दों के साथ में इस पर चर्चा की मांग करता हूं क्योंकि यह बहुत ही लोकमहत्व का विषय है ।

(व्यवधान)

*श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं एक बहुत ही लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । अभी हाल में एक घटना मेरठ मंडल में हुई । मान्यवर, एक शरीफ नाम का व्यक्ति जो अल्पसंख्यक समुदाय से, सोंठो गांव से आया था उसकी सात हजार की देनदारी में उसको हवालात में भेज दिया गया, इसका उसके परिवार वालों को पता लगा, मान्यवर, पिछले साल वर्षा नहीं हुई, तो उसके परिवार वालों ने भुगतान की अवधि चाही लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ मान्यवर, जब किसान उस किसान को बुलाकर ले गये तो अब पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन आपस में लड़ रहे हैं गरीब किसानों के ऊपर गम्भीर अपराधों में मुकदमें दर्ज किए गये हैं, अब शासन के अन्दर जान-माल की कोई सुरक्षा नहीं रह गई । किसानों पर उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि उत्पीड़न की कार्यवाही जो की रही हैं उसको रोका जाए और किसानों को जेल में बन्द न किया जाए और जो पुलिस प्रशासन किसानों का तंग कर रहा है इस पर रोक लगाई जाए जो 10 प्रतिशत कलैक्शन चार्ज लगाया जाता है वह न लगाया जाय और कभी-कभी किसानों को हवालात में बन्द न किया जाए । मान्यवर, यह अति लोक महत्व का विषय है इस पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराई जाए ।

*श्री रिछपाल सिंह बंसल—

गत 20 फरवरी, सोमवार को शरीफ निवासी सोठी नामक मुलजिम को सुबह के वक्त कुछ लोग बागपत जनपद मेरठ की तहसील हवालात से छुड़ा कर ले गये । शरीफ किसान नामक मुलजिम पर सेन्डीकेट बैंक, रमाला का खत व मैत की खरीद के लिए दो ऋणों का 7,035 रु0 बकाया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए तहसील से वारन्ट जारी किये गये थे । 17 फरवरी को उसे हवालात में बन्द किया गया था । किसानों के विरुद्ध थाना बागपत में धारा 353, 233, 224, 225, 147, 148, 149 आई0 पी0 सी0 में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी । उक्त समाचार से समस्त मेरठ मण्डल के किसानों में तनाव व्याप्त हो गया है, किसी भी समय कोई भी गम्भीर घटना घट सकती है । अतः मेरी मांग है कि किसी भी किसान को बकाया में बन्द न किया जाय । इसके अतिरिक्त जो तहसील में ऋण की वसूली के लिए कागजात भेजे जाते हैं, उस पर 10 प्रतिशत पेनाल्टी लगा दी जाती है, वह पेनाल्टी न लगाई जाय और सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय तथा उक्त धाराओं में जो किसान बन्द किये गये हैं, वह केस खत्म किया जाय । पिछले साल बागपत तहसील में ओला पड़ा था, जिसके कारण परगनाधिकारी बागपत ने शासन को 100 प्रतिशत क्षति की रिपोर्ट देनी थी और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शासन ने वसूली स्थगित कर दी थी । लेकिन उसके बावजूद भी, किसानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है । उद्योगपतियों के ऊपर जो बकाया ऋण है, उनसे वसूली के लिए शासन कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है । मेरी मांग है कि जो किसानों पर 10 प्रतिशत पेनाल्टी लगाई जा रही है, वह पेनाल्टी न लगाई जाय । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । अतएव आज की सदन की कार्यवाही रोक कर सदन में इस विषय पर चर्चा की मैं मांग करता हूं ।

(श्री राम शरण दास के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये ।

*प्रधान, प्रभु दयाल--

मान्यवर, इस प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यही स्थिति जो शरीफ के साथ 20 फरवरी को गुजरी है, यही स्थिति पूरे प्रदेश में है । पिछले दो सालों सालों से सूखा और अतिवृष्टि से पिटे हुए किसान जो छोटे-छोटे कर्जों में फंसे हैं, उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनको बन्द किया जा रहा है, उनसे 10 परसेंट रिकवरी चार्ज भी वसूला जा रहा है जिससे किसान तबाह हो रहा है । हाहाकार मचा हुआ है । अगर यही स्थिति रही, तो किसान संघष पर आने के लिए मजबूर हो जायगा और सैकड़ों टिकैत पैदा हो जायंगे, जो स्थिति संभाली नहीं जायगी । मेरी सरकार से मांग है कि कोई भी किसान छोटे-छोटे कर्ज में बन्द न किये जायं, उत्पीड़ित न किये जायं और उनके ऋण पर 10 प्रतिशत का रिकवरी चार्ज न लगाया जाय ।

(श्री बदन सिंह के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, एक मामला माननीय किरन पाल सिंह ने उठाया जो कि मामूली मामला नहीं है । इसी प्रकार की घटनाएं हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हमारे सभी जिलों में रोज चल रही हैं । अभी 2-3 दिन पहले बिजली वाला मामला चला था, उस समय माननीय विद्युत् मंत्री जी ने कहा कि हम तो बड़े लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ा शरीफ को । ये बदमाश को पकड़ ही नहीं सकते । ये पूंजीपति को पकड़ ही नहीं सकते, लेकिन शरीफ, जिस पर मात्र 7 हजार रुपये का बकाया था, उसको पकड़ा गया । वहां पर सूखा भयंकर पड़ा, बाढ़ भयंकर आई, 31 मार्च, नजदीक है । इस समय किसानों को तहसीलदार और एस० डी० एम० उत्पीड़ित कर रहे हैं । मेरे सरसावां में तहसीलदार घूम-घूम कर किसानों को गिरफ्तार कर रहे हैं ।

मान्यवर, हमारी बात तो सुन लीजिए । यह आश्वासन दें यह जो संसदीय कार्य मन्त्री हैं, कि यह मुकदमा वापस होगा । यह जो शरीफ के खिलाफ छुड़ाने में लोगों के ऊपर मुकदमा चला है, यह मुकदमा वापस होगा और किसी किसान को पकड़ा नहीं जायगा ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं तो यहां हम लोगों को धरना देना पड़ेगा किसानों के मामले में ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

पाण्डे जी, आप संसदीय कार्य मन्त्री जी को सुनने के बाद बोल लेना ।

(व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, हमारे अपने जिले बस्ती में एस0 डी0 एम0 ने रस्सी से 15 आदमियों को बन्धवाया फिर उसके बाद पेड़ में बन्धवाकर उनको झुकवाया और ऊपर से ईंटा रखवा दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले उनकी बात सुन लीजिए संसदीय कार्य मन्त्री जी की ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, सेल्सटैक्स के 15-15 लाख रुपये के बकाया हैं उनको जेल नहीं करा पाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं विषय की गम्भीरता को बता रहा हूं यह समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं है पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी है इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार इस पर चर्चा कराये तो सब बात सामने आ जायेंगी ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, जिस किसान ने 3,500 रुपया भैंस के लिए लिया था इसका मतलब यह है कि वह गरीबी की रेखा से नीचे हैं पिछली बार इन्होंने कहा कि ऐसे किसान जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होगी तो ये उत्पीड़न की कार्यवाही बन्द करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, चर्चा स्वीकार कीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले इन्हें सुन लीजिए, कमाल साहब आप बैठें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, इसका [उत्तर माननीय राज्य मंत्री [जी देंगे । मान्यवर, माता प्रसाद जी ने और राम शरण दास जी ने जो बात कही

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बहुत से ऐसे लोग जिनको जगह अन्दर होनी चाहिए आज आप देखते हैं कि वह बाहर हैं यह बात सरकार स्वीकार करती है। उत्तर तो ये देंगे।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, इसमें न बहस की आवश्यकता है और न उत्तर की आवश्यकता है। आप कृपा करके मंत्री को निर्देशित कीजिए कि 20 हजार से नीचे के बकायेदार हैं उनकी कतई बन्द न किया जाय। जब बकाये में बिरला नहीं बन्द होते हैं तो किसान क्यों बन्द होता है। मैं जानना चाहता हूं क्या कहीं एक भी पूंजीपति बन्द हुआ है। शासन वसूली करें, किन्तु बन्द न करें कृपया आप इनको निर्देशित करें।

(व्यवधान)

श्री उप ध्यक्ष—

इन्हें जवाब तो देने दीजिए।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर अगर शासन ऐसे ही व्यवहार करेगा तो मैं कहना चहूंगा कि टिकैत पैदा हो गये हैं और जिले-जिले में टिकैत पैदा होंगे और फिर हवालात के फाटक तोड़कर और कार्यालय फूंककर किसान को छुड़ा दिया जायेगा।

(व्यवधान)

ऐसे काम नहीं चलेगा, अब किसान जग गया है वह ज्यादती बर्दास्त नहीं करेगा।

*गृह राज्य मन्त्री (श्री सईदुज्जमा)--

मान्यवर, हमें किसानों से पूरी हमदर्दी है उनके पूरे सम्मान का, पूरी तकलीफों का एहसास है उसको पूरी तरह से निराकरण करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार की तरफ से तकलीफ न पहुंचे। इस सम्बन्ध में जैसे हाउस में बात आई है, इसमें कार्यवाही की जा रही है और सूचना मिलने पर दफा 353, 228, 224, 225, 147, 148, 149 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया है : इसमें अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है इसकी विवेचना जारी है।

(घोर व्यवधान)

(श्री किरन पाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री राम शरण दास, प्रधान प्रभू दयाल, श्री रिछपाल सिंह बंसत, श्री बदन सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री शारदा नन्द अंचल एवं अन्य अनेक माननीय सदस्य अपने स्थान से उठकर सदन के फ्लोर पर आ कर बैठ गये जिससे घोर व्यवधान हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब आसन ग्रहण करें। वहीं से बात करें मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(फ्लोर पर उपस्थित माननीय सदस्यगण "किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी" के नारे लगाने से घोर व्यवधान ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप सब आसन ग्रहण करें, मैं इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

(सदन के फ्लोर से ही श्री हरेन्द्र सिंह कहने लगे कि इस पर आज ही चर्चा करावें । इससे प्रदेश के 80 प्रतिशत किसानों का भाग्य जुड़ा हुआ है । इस पर अभी चर्चा करावें ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप आसन पर जाकर बात करें तो सुनूंगा । वहां से जो आप कहना चाहते हों कहें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आप मेरी बात तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन व्यवस्थित नहीं है । सब लोग आसन ग्रहण करें तो बात सुनूं ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, इस पर आज ही चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी सदन व्यवस्थित नहीं है । आप सब आसन ग्रहण करें । आसन ग्रहण करने के बाद ही सुनूंगा । सदन व्यवस्थित हो जाय तो सुनूं ।

(घोर व्यवधान)

जब तक वहां पर बैठे रहेंगे, तब तक कुछ नहीं लिखा जायगा । सदन व्यवस्थित नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[×××] ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा, कुछ नहीं लिखा जायगा । आप बोलने से ज्यादा सदन को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें । आप बोलना चाहते हैं, सदन को व्यवस्थित नहीं करना चाहते हैं । मैं सदन को पौने दो बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पौने दो बजे तक स्थगित कर दी । 1 बज कर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने 2 बजे तक सदन की कार्यवाही और स्थगित कर दी ।

2 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है ।

2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले सम्मानित सदस्यों ने किसानों के उत्पीड़न के बारे में कुछ बातें बतायी । सरकार पूरी तरह से किसानों के हर काम में मदद करने के लिये और यह देखने के लिये कि शोषण या उत्पीड़न न हो, वचनबद्ध है, प्रयास कर रही है और करती रहेगी । इन सारी बातों को देखते हुए फैसला किया गया है कि जो उत्पीड़न की कार्यवाही वसूली के सिलसिले में हो रही है, उसे आने वाली फसल तक रोक दिया जाय यानी रबी की फसल जब तक न आ जाय तब तक रोक दिया जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह—

जो रिकवरी सर्टीफिकेट किसानों के तहसील में भेजे गये हैं उन्हें कब तक वापस मांग लेंगे ? दूसरी बात, रिकवरी चार्जेज किसान से नहीं लेंगे, यह घोषणा करें ।

श्री अम्मार रिजवी—

उत्पीड़न के द्वारा कोई वसूली नहीं होगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह—

रिकवरी सर्टीफिकेट भेजने के बाद 10 प्रतिशत एक्सट्रा लग जाता है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मैंने स्पष्ट रूप से बात कह दी, वसूली उत्पीड़न के द्वारा नहीं की जायेगी । इसके डिटेल्स तो बहुत हैं ।

श्री किरन पाल सिंह—

जिस डिपार्टमेण्ट का कर्जा है वसूल करे, जो राशि तहसील में भेज दी गयी है, 10 प्रतिशत फालतू लग जायेगा, तब तक इसको वापस करा लें ।

(श्री किरन पाल सिंह तथा श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने से घोर व्यवधान ।)

श्री माता प्रसाद पाण्डय—

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं । जब आर0 सी0 जारी हो जाती है तो किसान बाध्य हो जाता है कि रुपया तहसील में ही जमा करे । तहसील में जमा करने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त लगता है जैसे 1,000 रु0 है तो उस पर 100 रु0 अतिरिक्त जमा करना

पड़ेगा । अगर विभाग पैसा ले [तो 1000 रु0 से ही छुट्टी पा जायगा । अगर आर0 सी0 वापस करा देंगे तो वह व्यक्ति 10 प्रतिशत अतिरिक्त देने से बच आयगा । इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि वसुली डिपार्टमेण्ट से करावें लेकिन तहसील में रिकवरी न भेजें । इससे वसूली भी हो जायगी और उत्पीड़न की कार्यवाही भी नहीं होगी ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, जो लोन या कर्जों की बात है उसके लिये—

श्री मोहम्मद आजम खां—

माननीय, तीन बातें स्पष्ट कही गयी हैं कि रिकवरी सार्टीफिकेट को वापस लिया जाय, किसानों से कलेक्शन चार्जेज न लिये जायं तथा किसानों के खिलाफ जो मुकदमें कायम कर दिये गये हैं, सरकार की उनके सिलसिले में क्या नीति है रोकने के लिये ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, वसूली के सिलसिले में उत्पीड़न नहीं होगा जहां तक रिकवरी सार्टीफिकेट की प्रक्रिया है, उसको रोका नहीं जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप सुन तो लीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, हम लोग यहां पर किसानों के हित में बात कर रहे हैं । ऐसी व्यवस्था कायम रखनी चाहिये कि बैंकों से जो कर्जा मिलता है, वह [व्यवस्था चलती रहे, वहां उसमें कोई अवरोध न उत्पन्न हो जाय इसलिये मेरा बहुत नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्यों ने जो बात उठायी है, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्पीड़न कहीं होना चाहिये, किसानों पर कोई उत्पीड़न नहीं होगा । अगर आर0 सी0 जारी भी हो गयी है तो उसकी वसूली में भी उत्पीड़न नहीं होगा ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी सवाल के उत्तर को घुमाफिरा करके दे रहे हैं । जैसा कि अभी माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने स्पष्ट किया है कि आर0 सी0 जब तहसील में जब चली जाती है तो उसमें वसूली के अलावा कलेक्शन चार्जेज भी उससे ले लिये जाते हैं । आपने सहृदयता दिखायी और कहा कि हम रबी तक वसूली नहीं करेंगे, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । लेकिन इसके साथ ही एक सवाल यह उठता है कि जब हम एक हजार रु0 नहीं दे पा रहे हैं तो उस पर आप कलेक्शन चार्जेज और जोड़ देंगे, यह कहां तक उचित है । इसलिये आप रिकवरी सार्टीफिकेट वापस करने का आदेश जारी करें ताकि वह किसानों पर कलेक्शन चार्जेज का अतिरिक्त भार न पड़े । यदि आप आर0 सी0 को वापस नहीं लेना चाहते हैं तो यह आदेश निर्गत कर दें कि रबी की फसल तक जो भी चार्जेज किसानो से लिया जाय । उसमें कलेक्शन चार्जेज न लिया जाय । आपने जो सहृदयता उनके प्रति दिखलायी है, उसकी उपयोगिता तभी होगी ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जितनी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं हैं, उनका परीक्षण करवा करके इस पर सहानभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, 10 परसेन्ट चार्जेज किसानों पर डाला जायगा, उससे राहत देने के लिये माननीय मन्त्री जी यहां पर घोषणा करें, माननीय मन्त्री जी घुमाफिरा करके कह रहे हैं इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि किसानों के हित में आर० सी० जो कि तहसीलों में जा चुका है, उसे वापस ले लें या एक आदेश निर्गत करें, जैसे कि अभी हमारे उप नेता कह रहे थे कि किसानों से रबी तक कोई कलेक्शन चार्जेज नहीं लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया है कि जो कानूनी जटिलताएं हैं, उन्हें विलग कर काम किया जायेगा।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय मन्त्री जी ने कानून की पेंचीदगियों के परीक्षण कराने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो बैंकों का पैसा है, बैंकों ने आर० सी० को तहसील भेज दिया है, मेरा कहना है कि तहसील से उसे वापस लिया गया...

(शोर)

निर्णय मान्यवर यह हुआ कि जब तक फसल कट न जाय, तब तक के लिए आर० सी० वापस ले लेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी कह तो रहे हैं कि परीक्षण करा लेंगे कि किस-किस को वापस करनी है और किस-किस को नहीं, यह तो देखना ही पड़ेगा।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, यह तो काफी पहले की बात है, आपको भी स्मरण होगा कि पहले जब कभी इस प्रकार की वसूली का नोटिस आ जाता था तो कहने सुनने पर कलेक्टर ही स्वयं आर० सी० को वापस करने के आदेश दे दिया करते थे। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री तो बड़े ज्ञाता हैं, और राजस्व मन्त्री भी रह चुके हैं, यह जानते हैं कि जब तक कलेक्शन चार्जेज किसान न देगा, उस वक्त तक यह सारी कार्यवाही होती रहेगी, कुर्की भी उसके यहां आए आयेगी और उसकी सारी चीजें भी नीलाम होगी। तो इस तरह से आपने क्या छूट दी। अगर यह आश्वासन माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी दे कि रबी की फसल तक कोई कलेक्शन चार्जेज न लिये जायेंगे।

श्री अम्बार रिजवी—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी भी नियमों के कम ज्ञाता नहीं हैं वह भी जानते हैं कि 10 प्रतिशत की छूट का प्राविधान किन हालतों में किया गया है और बैंक वगैरह आदि अपने दिये हुए कर्ज को वसूल न करेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी और उनके द्वारा दिया हुआ ऋण उनको वापस नहीं मिलेगा, जिसे हम सब जानते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ कानूनी अड़चनें हैं, इस पर बैठ कर हम लोग विचार करेंगे और अगर कोई हल निकल आया तो उसे अवश्य देख लेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय, जो पैसा बैंक देता है, उसका बांड भराता है और 14 प्रतिशत हमसे ब्याज ले रहा है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय, मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान के बीच)

श्री मोहम्मद आजम खां—

माननीय, इधर से किसी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है और न ही बात समझने की कोशिश की जा रही है, अगर यह समझ लिये होते तो हाउस इतनी देर तक एडजोर्न न होता। बैंक जो पैसा किसानों को देती है, उस पैसे के वसूलने का मीडिया माननीय, तहसील होती है। आम हालात में भी माननीय होता नहीं है कि जब किसी किसान पर कोई आर0 सी0 आ गयी हम लोग जाकर संबंधित ए0 डी0 एम0 से वापसी के लिये कह दिया तो वह वापस हो जाया करती है, इसी प्रकार से शासन को, जो जाहिर सी बात है कि ज्यादा सक्षम है, अगर चाहें तो यह आदेश कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

परिस्थितियां देखकर ही वह करेंगे यह तो उन्होंने कह दिया है। कृपया आसन ग्रहण करें।

(शोर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय, मैं आपका ध्यान चूड़ी व कांच मजदूरों की ओर ले जाना चाहता हूं कि अभी तक हमारे प्रदेश में इनके मिनिमम वेजेज, न्यूनतम मजदूरी की दरें तय नहीं की गयी हैं, जिसका नतीजा यह निकला कि फिरोजाबाद का चूड़ी व कांच मजदूर सेवायोजकों की दया पर निर्भर करता है इतने अधिक सम्वर्ग में बट गया है और उसका बहुत अधिक उत्पीड़न हो रहा है यहां तक कि 9 साल से लेकर 12 वर्ष की आयु के अध्यस्क बच्चों का जो प्रस्तिबन्धित श्रम है, उसकी भी दर आज तक कोई तय नहीं हुयी है इसी प्रकार से 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के अल्प व्यस्क बच्चों की मजदूरी की दरें भी कोई तय नहीं हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों का शोषण हो रहा है और यह शोषण दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो कारखाने चूड़ी व कांच के हैं इनमें कार्यरत मजदूरों के साथ एक भेद-भाव यह भी बरता जा रहा है कि जो मिनिमम वेसेज ऐक्ट है, उसके तहत उनकी मजदूरी तय करनी चाहिये और श्रीमन् मजदूर लगभग 5 लाख है जो इस उद्योग में सेवारत हैं। जैसे जुड़ाई, कटाई, पकाई, छटाई, मेस निकालो और कारखानों में सेवारत विभिन्न मजदूर हैं।

[श्री रघुवर दयाल वर्मा--]

इनकी मजदूरी की दरें 1981 के जी0 ओ0 द्वारा निर्धारित की गयी थीं लेकिन उनके खिलाफ सेवायोजकों ने स्टे ले रखा है । मिनिमम वेजेज की दरें सरकार को प्रति 3 वर्ष के बाद तय कर देना चाहिये लेकिन सरकार ने कोई विधिवत कमेटी नहीं बनायी है और न ही मिनिमम वेजेज को ही तय किया है जिसके कारण कांच चूड़ी उद्योग के श्रमिक आज सेवायोजकों की मेहरबानी पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं । उनको खाने लायक वेतन नहीं मिल रहा है, इस कारण उनमें भुखमरी की हालत पैदा हो गयी है । मैं चाहूंगा कि पिछली बार मंत्री जी ने कहा था कि एक कमेटी बनायी जा रही है । आपने मेरे द्वारा प्रस्तुत इस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दिया था लेकिन आज तक इन कांच के श्रमिकों के बारे में कोई मिनिमम वेज तय नहीं हुआ है । इसका नतीजा भयानक हो गया है वहां के लोग हड़ताल पर उतारू हैं । एक बड़ी विषम परिस्थिति कानून में पैदा हो गयी है कि जो कारखाने ओवर टाइम चलाते हैं उनके मजदूरों का पारिश्रमिक किस प्रकार तय किया जाये ? मैं चाहूंगा कि इस समस्या का निराकरण करने के लिये आप इस सदन में चर्चा करावें । लाखों श्रमिकों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है । सरकार बराबर उन मजदूरों की उपेक्षा करती जा रही है इसलिये इन बिन्दुओं पर आप चर्चा करा दें । क्या श्रम कल्याणकारी योजनायें हैं उन पर चर्चा कराना श्रम हित में होगा ?

*श्रम मंत्री (सैयद सईदुलहसन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांच के मजदूरों के लिये 25-8-81 एक आर्डर जारी किया गया और वह सब लोगों के मशविरे से जारी किया गया था सुप्रीमकोर्ट से स्टे लिया और उसमें सेवायोजकों ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, हमारे यहां इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में एक कमेटी बनायी गयी जिसके चेयरमैन लेबर कमिश्नर हैं उसकी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आयी है । सेवायोजक आते ही नहीं है और बार-बार टालने की कोशिश करते हैं मैंने कहा है कि उनको बुलाया जाय और अगर वह न आवें तो एकतरफा रिपोर्ट की जाय जहां तक बच्चों की बात है 14 साल से कम के बच्चे काम नहीं करते हैं । मैंने जो इन्सपेक्शन कराया है उसमें यह बात आयी है कि 14 साल से कम का कोई बच्चा काम करता नहीं पाया गया और जहां पर इस तरह का कोई मामला पाया गया तो उसका प्राजीक्यूशन कराया गया । दिल्ली से एक हाईपावर कमेटी आयी थी और उसने इन्सपेक्शन किया ।

हम भी साथ थे और हमारे आफीसर भी साथ थे, उसमें कोई बच्चा 14 साल से कम आयु का हो नहीं पाया गया, कोई चोरी छिपे रख लेता हो तो मैं नहीं जानता । वहां पर मजदूर वही लोग हैं जो अपने मां-बाप के साथ काम करते हैं और जिनके पास 14 साल होने का डाक्टरी प्रमाण-पत्र होता है । जहां तक उनके वेलफेयर की बात है भारत सरकार ने एक वेलफेयर इन्सटीट्यूट बनाया है । जैसा माननीय वर्मा जी ने कहा कि मैं कल सारा लिटरेचर उनके पास भेज दूंगा एक रजिस्टर्ड सोसाईटी बनायी गयी है जिसका प्रेसीडेन्ट डी0 एम0 होगा । वह सोसाइटी उनकी मानीटरिंग करेगी जो बच्चे वहां काम करना चाहेंगे उनको प्रापर ट्रेनिंग होगी खाने पीने का इन्तजाम किया जायेगा जो लोग 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराते हुये पाये जायेंगे उनका प्राजीक्यूशन किया जायेगा और यह कोशिश की जायेगी जो 14 साल से कम के बच्चे हैं वह उनमें न रहें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

श्रीमन् मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि आप भी फिरोजाबाद गये ह और मंत्री जो भी फिरोजाबाद पहुंचे हैं, जब वहां पर एक फैक्टरी का इन्सपेक्शन किया गया तो उसमें 40 बाल श्रमिक जो कि 9 से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र के थे, कार्य करते हुये पाये गये। उनके खिलाफ फिरोजाबाद दक्षिण थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया। जिस हाई पावर कमेटी की माननीय मंत्री जी बात कर रहे हैं, उसमें एक मिस्टर संगमा भारत सरकार से आये थे और उनके सामने ही यह कुकर्म होते हुये पकड़ा गया। माननीय मंत्री जी, मुझे दुख होता है जब आप यह कहते हैं कि 9 से 12 साल तक के बच्चे उसमें काम नहीं कर रहे हैं। यह एक गम्भीर बात है। आपने स्वीकार किया है कि 81 में सरकार ने एक अधिघोषणा जारी की थी, यह अधिघोषणा और मिनिमम वेजेज ऐक्ट यह दो अलग-अलग चीजें हैं। मेरा आरोप है कि इन चूड़ी और कांच के मजदूरों के बारे में आज तक सरकार ने कोई न्यूनतम दरें तय नहीं की हैं। इससे दो बातें पैदा हुई ह।

पहली बात तो यह है कि इन बाल श्रमिकों के लिये कोई कल्याण योजना और दूसरे यह कि इसके लिये अभी तक क्यों कानून नहीं बना यह अपने आप में एक अभिशाप है, एक कलंक है और अभियोग है। मैं तो कहूंगा कि इस पर कानूनी कार्यवाही सरकार के ऊपर होनी चाहिये। इसलिये श्रीमन्, यह महत्वपूर्ण मसला है और सरकार इसे बार-बार टालती रही है। इस पर आप चर्चा करायें और जिस कल्याणकारी योजना के लिये आप कह रहे हैं उसे आप सदन में प्रस्तुत करें कि वह क्या योजना है। इस पर सदन में चर्चा जरूर हो मैं चाहता हूं कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट फिरोजाबाद के लिये अभी तक क्यों तय नहीं किया गया जब कि सारे उत्तर प्रदेश में और सारे देश में यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है? क्यों यहां पर मजदूरी तय नहीं की गयी है? सेवा-योजकों के हाथ में उनको छोड़ दिया गया। आठ घंटे से अधिक काम दिया जाता है। यह इसलिये किया गया है कि ये फैक्ट्रियां लाखों रुपया कांग्रेस पार्टी को चन्दे के रूप में देती हैं। इसलिये श्रीमन्, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इस पर आज आप चर्चा कराइये। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं....।

श्री सईदुल हसन—

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह कहना मुनासिब नहीं है।

(व्यवधान)

उसमें भारत सरकार के मंत्री और ए0 पी0 भी थे। हमने चेकिंग करायी थी। उसके बाद मुआयना कराया। जो लोग पकड़े गये और मान्यवर यह नहीं हो सकता है कि सबको पकड़ कर बन्द कर दें। लेकिन जिनको पकड़ा गया उनको कन्विक्शन हुआ, प्रोसीक्यूशन हुआ। फिर भी मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि अगर कोई कमी रह गयी है तो आप प्वाइन्ट आउट करें, हम डिप्टी लेबर कमिश्नर से चेकिंग करा लेंगे। जैसा कि आपने कहा अधिसूचना जारी करने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। हमें इसे मानना पड़ेगा। हमने इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट....

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय मंत्री जी, बुनियादी बात आपकी समझ में नहीं आयी..

(व्यवधान)

श्री सईदुल हसन--

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जायेगा । एक दूसरी कमेटी बनायी है जिसकी अभी रिपोर्ट नहीं आयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी और वर्मा जी में विवाद यह चल रहा है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट, 1948 के तहत अधिसूचना जारी की गयी जिसको सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है या किसी और ऐक्ट के तहत मिला है । यह मेरी भी जानकारी है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट, 1948 का है और उसके तहत 1981 में अधिसूचना जारी हुई है । इसमें लिखा है कि वे सभी लागू हो जायेंगे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया और आपने दूसरी कमेटी बना दी है । अगर वह अपनी रिपोर्ट पक्ष में देती है तो यह मामला सबजुडिस होने से वह लागू नहीं होगा । इसलिये माननीय, सदन को गुमराह किया जा रहा है....

(व्यवधान)

सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनाये जाने की वजह से वह हाजिर भी नहीं हुआ, इस पर आप सफाई दे दें ।

श्री सईदुल हसन--

कोई देरी नहीं की जा रही है । सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वह मिनिमम वेजेज ऐक्ट के तहत था और जो अधिसूचना जारी की गयी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वह मिनियम वेजेज ऐक्ट के तहत अधिसूचना है या कोई और है ।

श्री सईदुल हसन--

मैंने अर्ज किया कि वह मिनिमम वेजेज ऐक्ट के तहत है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मैंने जो प्रश्न किया और गुप्त जी ने अनुपूरक प्रश्न उस पर किये उसमें कहा गया कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के तहत नहीं है और अधिसूचना अलग से जारी हुई है । माननीय, यह विवादास्पद प्रश्न है जिस पर चर्चा होना जरूरी है । इसलिये इसे आप चर्चा के लिये स्वीकार कर लें ताकि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मुताबिक श्रमिकों का कल्याण हो सके । सभी तथ्यों पर विचार हो ।

श्री सईदुल हसन--

मिनिमम वेजेज ऐक्ट के तहत है यह जो लेबर कमिश्नर को अध्यक्षता में व्यवस्था की है वह हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के तहत की है जब यह देखा कि बार-बार हाई-कोर्ट से स्टे करा लेते हैं तो यह दूसरी कमेटी बनाई । जो सारे मामले को एक्जामिन करके आपके सामने एक दो महीने में रिपोर्ट पेश करा देगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

इस पर चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है चर्चा स्वीकार कर लेते हैं।

श्री हृदय नर'यन दीक्षित—

मान्यवर, अभी तक तो हम बाहर के भ्रष्टाचार की बातें करते थे लेकिन यह मामला लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है वहां पर भ्रष्टाचार की बात है दूर दराज की बातें तो यहां उठती रही है यह सचिवालय स्थित एलोपैथिक डिस्पेंसरी में लाखों रुपयों के घोटाले का मामला है जो लोकल परचेज के माध्यम से हो रहा है। इससे एक शासनादेश 12 अगस्त, 1985 को जारी हुआ उसका भी उल्लंघन हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्राथना पर बोलें।

श्री हृदय नरायण दीक्षित—

उसमें कहा गया है कि यहां के चिकित्सक के अलावा निजी चिकित्सक की पर्ची पर दवायें नहीं दी जायेंगी यहां के चिकित्सक के अलावा किसी के पर्चे पर दवायें नहीं दी जायेंगी। लेकिन इस अस्पताल में आई० ए० एस० अधिकारियों के पर्चों पर दवायें दी जाती हैं। लोकल परचेज को रोकने के लिये शासनादेश के जरिये यह आदेश जारी हुये थे। इसमें यह भी प्रावधान है कि इस डिस्पेंसरी से केवल सचिवालय के कर्मचारियों को दवायें दी जायेंगी लेकिन बाहर के लोग भी यहां से दवायें लोकल परचेज के माध्यम से ले जाते हैं एडिशनल डायरेक्टर स्वास्थ्य के नाम भी पर्चा है जिसकी फोटो प्रति मैं दिखाता रहा हूं। एक रतन प्रकाश इन्सपेक्टर पुलिस लाइन में हैं। इस तरह के तमाम पर्चे हैं जिनमें सीधे दुकान से दवायें चली जाती हैं और वह ओ० पी० डी० पर नहीं आती हैं। इस प्रकार जिन कर्मचारियों का हक है उससे वह वंचित हो जाते हैं उनको दवायें नहीं मिलती हैं। बड़े-बड़े अधिकारी हैं जो सचिवालय में नहीं हैं उनको दवायें दी जा रही हैं। मेरा आरोप है कि जो चिकित्सा अधिकारी यहां पर हैं वह दवाओं को बेच देते हैं और लोकल परचेज के माध्यम से स्थानीय फार्मो से पैसा खाते हैं। जहां सरकार का केन्द्र है वहां इस प्रकार घोटाला हो रहा है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कराकर इस पर चर्चा कराई जाय।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

मान्यवर, माननीय सदस्य हृदय नरायन दीक्षित द्वारा सचिवालय डिस्पेंसरी के सम्बन्ध में बात कही गयी। सचिवालय डिस्पेंसरी के सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायतें मिलती रही हैं। जिस शासनादेश का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है जिसमें केवल यहां डाक्टरों की पर्चियों पर ही दवायें मिलेगी की बात है वह शासनादेश सं० 3422 अगस्त का संशोधित हो गया है वह संख्या 3744, 28 अगस्त के द्वारा जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि सचिवालय डिस्पेंसरी के अलावा प्रदेश के दूसरे राजकीय चिकित्सालयों के डाक्टरों द्वारा लिखे गये पर्चों पर भी दवायें दी जाया करें। इसलिये जिस शासनादेश की बात उन्होंने कही उसकी स्थिति यह है। जहां तक उन्होंने कहा है कि पंकीकृत किये बिना, बिना सीरियल नम्बर डाले हुए पर्चियां उनके पास हैं। तो सम्भवतः यह उस अवधि की होंगी, जब 17 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक फार्मासिस्टों की हड़ताल थी। उस समय यह त्रुटि हुई होगी। किन्तु उस समय भी एक रजिस्टर बना दिया गया था। उसके अनुसार अब उन लोगों से यह शुल्क वसूल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दफा 56 में जो प्रश्न उठाया है कि प्रभावशाली

आदमी और अधिकारी दवायें लेते हैं और कर्मचारी लोगों को नहीं मिलती हैं, तो 90 प्रतिशत दवाएं कर्मचारियों को और केवल 10 प्रतिशत दवाएं अधिकारियों को दी गयी हैं । इसमें जो यह उल्लेख है कि प्रतिबन्धित दवाएं स्थानीय परचेज से खरीदी गयी हैं । इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि जब कभी टी0 बी0 हृदय रोग या कैंसर जैसे गम्भीर रोगों के सम्बन्ध में कोई डाक्टर किसी चिकित्सा व्यवस्था के लिए लिखता है तो उसकी विशेष परिस्थितियों में व्यवस्था करना पड़ता है । इसीलिए यह स्थिति आदेश में भी स्पष्ट है कि इस प्रकार की बाहर की लिखी गयी डाक्टरों की दवाएं दी जाएं । इसके अलावा उन्होंने ध्यान दिया होगा एक शासनादेश जो दूसरा प्रकाशित हुआ है और 12 अगस्त का है, उसमें यह साफ लिखा है कि सम्भवतः इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि डिस्पेंसरी के डाक्टरों की लिखी हुई औषधियां ही दी जाएं । लेकिन यह प्रतिबन्ध कहीं नहीं है कि इस प्रकार की दवाएं बिलकुल न दी जाएं ।

एक निवेदन और करना चाहूंगा जो दीक्षित जी ने कहा है कि जो पर्चे दे दिये जाते हैं दवाओं के और दवाएं कम आती हैं और बाद में वह दवाएं दुकानों पर बेच दी जाती हैं । इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि उन पर्चियों पर जो दवाएं नहीं आती है, व दवाएं पर्चे से काट दी जाती हैं, और जब डाक्टर दुबारा उन्हें लिखता है तभी वह दवाएं दी जाती हैं । इसके अलावा जो समय-समय पर शिकायतें मिली हैं, उसके सम्बन्ध में महानिदेशक स्वास्थ्य की एक आल प्रूफ व्यवस्था कायम करने के लिए निर्देशित किया गया है । हमारा विश्वास है जिन कमियों की ओर इंगित किया गया है, उन सबका समाधान इससे हो जाएगा । जब यथाशीघ्र महानिदेशक की रिपोर्ट आएगी और शासन उसका कार्यान्वयन करेगा ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से एक बात स्पष्ट नहीं हुयी मंकू लाल, जी छोटा कर्मचारी है, इस सचिवालय का कर्मचारी है, उसकी जो दवाएं यहां के चिकित्सक ने लिखी हैं वह काट दी गयी हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

निदेशक को लिखा है, तमाम चीजें साफ हो जाएंगी ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

पुलिस लाइन के इन्स्पेक्टर को दवाएं दे दी गईं, तो क्या पुलिस लाइन का इंस्पेक्टर सचिवालय मंकू लाल से ज्यादा प्रभावशाली है, उसकी बीमारी इससे ज्यादा प्रभावशाली है...

श्री उपाध्यक्ष—

बैठिये, वह जांच करा लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो चर्चा कर रहे हैं । आप चर्चा कर रहे हैं या ग्राह्यता पर बोल रहे हैं ? (व्यवधान) हृदय नरायन जी आप बैठिये, वह खुद कह रहे हैं ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सम्मानित सदस्य की भावना का आदर करते हुए मैंने महानिदेशक को निर्देश दिये हैं कि वह आल प्रूफ स्कीम बनाएं, ऐसी व्यवस्था करें कि जो शिकायतें आई हैं वह दूर हो जाएं । उनकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए । कोई शिकायत रह जाएगी तो फिर उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो शिकायतें आई हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप उनके पास भेज दीजिए ।

श्री शारदा प्रताप--

माननीय उपाध्यक्ष जी लखनऊ जनपद के तमाम गांव दिनांक 28 फरवरी, 1987 को नगरमहापालिका में शहरी सीमा में शामिल कर लिए गये । जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के करीब 18 गांव नगरमहापालिका की सीमा में शामिल कर लिए गए जैसे किला मोहम्मदी नगर, सालेहनगर, भदरुस, औरंगाबाद, खालसा, औरंगाबाद जागीर, हैबत मऊ मवैया, बेहसा आदि जो गांव हैं जिनकी जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ली, उन गांव में विगत वर्ष जब सूखे की समस्या पूरे प्रदेश में थी, तो एल0 डी0 ए0 ने वहां पर इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पाइप लगाने की व्यवस्था की ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्राहता पर सीमित रहें ।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प की स्थिति यह है कि जो बोरिंग की गई 60 फिट पर की गई, 40 फिट पर की गई है, इस हैण्ड पम्पों में बालू आ रही है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विगत सत्र में जब मैंने इस मामले को नियम 301 में उठाया था, तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि "लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान रखने का पूर्ण प्रयास किया गया है । विकास प्राधिकरण ने अपनी आख्या में यह भी उल्लेख किया है कि हैण्ड पम्पों के लगने के कार्य के दौरान माननीय विधायक एवं उनके प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे हैं एवं हैण्ड पम्पों के लगाने के स्थान के चयन में विकास प्राधिकरण की मदद करते रहे हैं ।" मान्यवर, यह जो कहा गया है, यह जो सूचना दी गई है इससे सदन को गुमराह किया गया है । मान्यवर, जो इण्डिया माक-2 हैण्डपाइप लगाए गये थे उनको लगाने का मकसद यह था कि निर्बल वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके, लेकिन मान्यवर, जो बोरिंग हुई है उससे हैण्डपाइप में बालू आ रही है । प्रत्येक हैण्ड पाइप में 60 फुट गहरी बोरिंग करके प्लास्टिक का पाइप और 40 फुट तक लोहे का पाइप लगाकर कार्य समाप्त कर दिया गया है । नगर महापालिका जो हैण्ड पाइप में बोरिंग करती है उसके लिए वह 10 हजार रुपया खर्च करती है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 7 हजार 970 रुपये का व्यय प्रत्येक हैण्ड पम्प पर आया है ।]

माननीय, मैं बताना चाहूंगा कि औरंगाबाद खालसा में स्थल चयन किया गया, लेकिन एक भी हैण्डपम्प वहां नहीं लगा है वहां दूसरी जगहों पर जहां हैण्डपाइप लगे हैं वह बिल्कुल बेकार पड़े हैं उनमें बालू आ रही है, तो ऐसे लोक महत्व के विषय पर मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाय ।

नगर विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय, श्री शारदा प्रताप जी ने एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर यह प्रश्न उठाया है कि जो ग्राम नगर महापालिका की सीमा के अन्दर शामिल किए गए हैं उनमें पेयजल की जसी व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है उनकी शिकायत है कि जो इंडिया मार्क-2 हैण्ड पाइप लगाए गए हैं उनकी बोरिंग 60 फिट तक है, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है माननीय शुक्ला जी का यह कहना सही मालूम नहीं पड़ता है । क्योंकि हर गांव के पानी का स्ट्रेटा अलग-अलग है । उसी हिसाब से बोरिंग भी की जाती है । किसी गांव में ऐसी स्थिति है कि वहां बोरिंग 135 फिट तक होती है, और जो इंडिया मार्क-2 हैंड पाइप लगाए जाते हैं उनकी बोरिंग 135 फिट तक की जाती है । जितने हैंड पाइप लगाए गए उनमें से कुछ जरूर खराब हुए हैं और उनकी मरम्मत की जा रही है । माननीय शुक्ला जी के कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे हैं उन्होंने देखा है यदि उन्होंने इनको सही रिपोर्ट दे दी होती तो शायद उनको इस प्रश्न को उठाने का अवसर ही नहीं मिलता । माननीय, यह जो जी0 आई0 पाइप है यह 37 मि0 मीटर का प्लास्टिक, पी0 वी0 सी0 पाइप है । 110 एम0 एम0 तथा 63 एम0 एम0 के पाइप का प्रयोग किया गया है जो इंडिया मार्क-11 का एक मात्र मानक है । तो यह टेक्निकल चीजें मैंने माननीय सदस्य एवं सदन के सामने रखी हैं । हैंड पाइप से पानी विगत एक वर्ष से निकाला जा रहा है और यह शिकायत पहले कभी नहीं हुई है । कुछ हैंड पम्प जरूर खराब हैं जिनकी मरम्मत की जा रही है । माननीय सदस्य से यह अनुरोध है कि वह स्वयं चाहें तो स्वयं देख सकते हैं या अपने कार्यकर्त्ताओं से कहें कि वह जाकर हैंड पम्प देख लें कि उनकी मरम्मत की जा रही है या नहीं । मैं इतना जरूर माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वह इन चीजों को देखें ।

मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो बात पूरी हो उतनी बात कहनी चाहिये जो बात सही नहीं है उसे नहीं कहना चाहिए । उन्होंने कहा कि 60 फीट बोरिंग होती है । मेरा कहना है कि 135 फीट तक भी बोरिंग होती है । स्ट्रेटा अलग-अलग हर गांव का होता है और उसी के हिसाब से पानी मिलता है । तो जो हैंड पम्प हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जायगी ।

श्री शारदा प्रताप—

माननीय, इंडिया मार्क-11 हैंड पम्पों में 80-100 फीट बोरिंग की गयी है और 60 फीट तक बोरिंग करके प्लास्टिक पाइप डाले गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया है कि दिखलवा लेंगे ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

माननीय, मैं आपके माध्यम से अंशकालिक अध्यापकों के मसले को उठाना चाहता हूं । यूं तो मुझे मालूम है कि सरकार की ओर से वक्तव्य आ रहा है । लेकिन जो सूरतेहाल हमारे सामने आ गयी है उस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं । 3 तरीके से

लेक्चरर्स या असातजा को सर्विस दी जाती है एक तो उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है या कमीशन से दूसरें उनको एडहाक बेसिस पर रख लिया जाता है। एडहाक बेसिस पर जो टीचर्स रखे गये हैं उनको कान्टीन्यू करने के बजाय यह किया जाता था कि 1-2 दिन की उनकी सर्विस ब्रेक कर दी जाती थी और फिर उनका रि-एप्वाइंटमेंट किया जाता था। यह एडहाक बेसिस पर रखे गए टीचर्स हाईकोर्ट चले गए और वहां के निर्णय से वह कांटीन्यू सर्विस में आ गये। सरकार ने जब देखा कि एडहाक बेसिस पर रखे गए लेक्चरर्स को हाईकोर्ट ने रिलीफ दे दिया है तो उनके साथ-साथ सरकार का व्यवहार बदल गया। जिस तरह से पत्थर तोड़ने वाला मजदूर होता है या मिट्टी ढोने वाला मजदूर होता है उसी तरीके का व्यवहार सरकार ने इनके साथ करना शुरू कर दिया। शिक्षा देने की जिम्मेदारी जिस वर्ग पर है उनसे मजदूरों जैसा काम ले रहे हैं। यह टीचर्स इस वक्त विधान सभा के सामने हड़ताल पर हैं। मैं इसलिए इस मसले पर बल दे रहा हूं कि मार्च के महीने में हजारों अंशकालिक टीचर्स की सर्विसेस ब्रेक होने जा रही हैं और उनको नया एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रहा है। हमारे सामने बेरोजगारी का बड़ा मसला है। या तो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से तालीमयाफ्ता बाहर जमीन पर आते हैं उनको बन्द कर दें तो शिक्षितों की बेरोजगारी खत्म हो जायगी या तो इस मसले को मद्देनजर रखते हुए टीचर्स की तरफ ध्यान दें। यह जो लेक्चरर्स हैं इनकी परफारमेंस और इनका रेजल्ट उनसे अच्छा रहा है जो परमानेन्ट सर्विस में हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार से आप आश्वासन दिलायें, मार्च में बाई हजार टीचर्स की सर्विसेज खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि कमीशन की तरफ से काल लेटर्स भी चले गए हैं, तो अगर शासन से आश्वासन मिल जाय कि उनकी सेवायें कान्टीन्यू कर दी जायेंगी तो उचित होगा। बहुत से लेक्चरर्स बहुत बुरी हालत में हैं, कितने हैं जो बूट पालिश करते हैं और रिक्शा चलाते हैं। दारुलसफा में 4 बजे से वह गाते घूमते हैं उनके सम्बन्ध में सरकार से आश्वासन दिलाने की कृपा करें।

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बिका पाल)--

माननीय, माननीय सदस्य ने जो तदर्थ शिक्षकों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाकर शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, मैं उसके लिये शुक्रगुजार हूं। माननीय, शासन इस दिशा में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें आज शाम को वक्तव्य भी लगा है, उसमें चर्चा भी हो जायगी।

श्री मुहम्मद आजम खां--

वक्तव्य से क्या होता है, वक्तव्य तो आने ही वाला है।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री पूरन सिंह माहरा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने सम्मानित मुख्य मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा रखे गये करवृद्धि विहीन बजट के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया। माननीय, मैं उत्तर प्रदेश शासन की और माननीय मुख्य मन्त्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश की आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए बहुत ही जनकल्याणकारी घोषणा यहां पर की, चाहे

† दिनांक 21 फरवरी, 1989 की कार्यवाही से।

वह असंगठित मजदूर का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, इस शासन में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है । मान्यवर, कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान यहां पर किया गया है । मान्यवर, मैं इसके लिए शासन को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर कोई भी ऐसा साधन नहीं है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अधिक से अधिक सुचारुरूप से शिक्षा प्रदान की जा सके । इसलिए मेरा निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर वन संरक्षण अधिनियम की वजह से सारे विकास कार्य अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे वहां पर विकास कार्यों में लगने वाले धन का दुरुपयोग हो रहा है । मेरा सुझाव है कि इस धन को जनता के हित में लगाने के लिए इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक किया जाना चाहिए । वहां पर जिन स्कूलों के प्रान्तीयकरण की मांग है, उन्हें प्रान्तीयकृत किया जाना चाहिए । जिन स्कूलों की उच्चीकरण की मांग है, उनको तत्काल उच्चीकृत किया जाना चाहिये ।

(इस समय 3 बज कर 3 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, सदन के संज्ञान में यह बात है कि पर्वतीय क्षेत्र में 3,800 शिक्षकों के पद जो स्वीकृत हैं, वे रिक्त हैं । वहां पर जो अंशकालिक शिक्षक हैं, उनके लिए ऐसी कोई प्रक्रिया की जाय, ताकि वे पूर्ण कालिक शिक्षक हो सकें और जो वहां के नौनिहाल हैं, वे सुचारु रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

मान्यवर, म माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां के लोगों की जन आकांक्षाओं और हार्दिक मांग की वजह से वहां पर अपहिलट्रान को अपट्रान से अलग कर नई इकाई के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है । लेकिन अपट्रान का जो पुराना बोर्ड है, वह आज तक नियुक्तियों के आदेश जारी कर रहा है । मान्यवर, जब तक अपहिलट्रान का नया बोर्ड न बन जाय, तब तक नियुक्तियों पर तथा आर्थिक मामलों के संचालन पर तत्काल रोक लगा दें । मान्यवर, एक बहुत कर्मठ, भूतपूर्व सैनिक श्री पी0 सी0 जोशी अपहिलट्रान में बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, मान्यवर, वहां की जनाकांक्षा है, इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने लगभग 250 माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया है कि श्री पी0 सी0 जोशी को पुर्नस्थापित किया जाय । मेरा भी आग्रह उत्तर प्रदेश शासन से है कि पी0 सी0 जोशी जो राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं जो इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र में महारत रखते हैं, जो एम0 टेक0 हैं और रुड़की विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको अपहिलट्रान का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाय । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में 70 फीसदी से अधिक वन भूमि है । सन् 1893 में जो ग्राम पंचायत की जमीन थी उसे आरक्षित भूमि घोषित कर दिया गया है इसी कारण आज पर्वतीय क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वह अवरुद्ध हो रहे हैं ।

मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन से कि ग्राम सभाओं की जमीन जिसको प्रोटेक्टिव फारेस्ट के अन्दर दिया गया है, उसको हटाया जाय ताकि उन क्षेत्रों में विकास कार्य हो सके । आज वहां पर बिजली के खम्भे नहीं लग सक रहे हैं, पेयजल की योजनायें नहीं चल सक रहीं हैं, विद्यालय व अस्पताल तथा अन्य विकास कार्य नहीं हो सक रहे हैं । मैं माननीय सदन के प्रति अनुग्रहीत हूं जो हमेशा सहृदयता से वहां के विकास के लिये रुचि रखता है और समय-समय पर हमारे हर क्षेत्र के लोगों को मदद करता है । मेरा निवेदन है कि 1893 की ग्राम सभाओं की जो जमीन है उसको वहां से अलग कर दिया जाय ताकि वहां विकास कार्य हो

सके। माननीय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी और शासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है जो वहां का मुख्य उद्योग हो सकता है और साथ ही उद्योग के रूप में पहले 50 हजार की जो धनराशि थी उसे बढ़ाकर ढाई लाख करते हुये 50 हजार तक की सब्सिडी प्रदान करने का निश्चय किया है।

मान्यवर, इस बार जो महाकुम्भ हुआ उसमें हिन्दुस्तान ही नहीं हिन्दुस्तान के बाहर के लोग भी आये थे उन्होंने भी वहां पर जो व्यवस्था हुयी थी उसकी बहुत सराहना की है। मैं भी, मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन की और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जो इलाहाबाद का कुम्भ मेला लगा उसमें इतना अच्छा इन्तजाम उत्तर प्रदेश शासन ने किया चाहे सड़क चौड़ी करने की बात रही हो चाहे डाकखाना लगाने की बात रही हो या दूरभाष की व्यवस्था करने की बात हो, चाहे लोगों को स्नान कराने की व्यवस्था की बात हो जहां पर डेढ़ करोड़ से भी अधिक यात्री आये हों उन सब के लिये बहुत अच्छा इन्तजाम किया है। मान्यवर, विदेश से भी तमाम लोग आये थे। मुझे एक हेडाखण्डी समाज है जिसके 60 देशों से अधिक अनुवाई आये थे उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा है कि इतनी अच्छी व्यवस्था इतना फैंटास्टिक इन्तजाम हम यहां हिन्दुस्तान में उम्मीद नहीं करते थे। हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा इन्तजाम उत्तर प्रदेश शासन ने किया है इसके लिये वह विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि जब हम विदेश से चले थे तो वहां हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना अच्छा इन्तजाम होगा।

आज हम उत्तर प्रदेश शासन और मुख्य रूप से माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां इतनी अच्छी व्यवस्था करायी। विरोध पक्ष में जो लोग बैठे हैं वह विरोध के लिये विरोध करते हैं। मान्यवर, इन विरोध पक्ष के लोगों द्वारा जब यह सत्ता में थे तो जनतान्त्रिक संस्थाओं को समाप्त किया गया था आज उनको पुनर्जीवित किया गया है 17 साल के बाद तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति, जिला परिषद्, नगर पालिका, नगर महापालिकाओं में जनता के जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपी गयी है। इसके लिये मैं सदन के माध्यम से श्री नारायण दत्त तिवारी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की एक विषम परिस्थिति है। मैं इस माननीय सदन का शुक्रगुजार हूं कि वहां के बजट को बढ़ाने से लेकर वहां के योजनाओं के क्रियान्वयन में वहां के सारे लोगों ने सतर्कता के साथ सहृदयता बर्ती है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जो विधान सभा क्षेत्र हैं ब्लाकों का क्षेत्र समितियों का, उनका मानक इतना असन्तुलित है कि हम लोगों का कार्य करना बहुत दूभर है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व भी मैंने कहा था कि 4 लाख की आबादी वाली जो नयी गोवा विधान सभा बनी है वहां 40 विधायक हैं इसी तरह से अरुणांचल, नागालैण्ड और मिजोरम आदि में भी यही हाल है। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र जो हमारे बगल से लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश जिसकी 42 लाख की आबादी है वहां पर 68 विधायक हैं और हमारे पर्वतीय क्षेत्र की आबादी 50 लाख है और विधायक मात्र 19 हैं। हमारी इन जटिल और दुरूह परिस्थितियों में मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार से यह संस्तुति करनी चाहिये कि इलेक्शन कमीशन से जिस तरह से हमारे लगे हुये पड़ोसी राज्य हिमांचल प्रदेश में जो जनसंख्या को मानक बनाकर ब्लाक आते हैं, विधान सभा क्षेत्र आते हैं, लोक सभा क्षेत्र आते हैं, उसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रों का गठन होना चाहिये। मान्यवर, अन्त में मैं पुनः इस बात से लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर, जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने रखा है, उस पर बोलने का

सुअवसर दिया। मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री मोहम्मद असलम खां—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने अपने भाषण में टिप्पणी की कुम्भ मेले के बारे में और बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बतायी।

श्री अधिष्ठाता—

आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें।

श्री मोहम्मद असलम खां—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न ही पुट अप कर रहा हूं। उन्होंने टिप्पणी की कि विदेशियों ने प्रमाणित किया है कि बड़ा अच्छा इन्तजाम था, क्या सरकार को प्रमाण-पत्र विदेशियों से चाहिये कि इतनी अच्छी व्यवस्था थी ?

श्री अधिष्ठाता—

कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, क्या चर्चा का समय समाप्त हो रहा है ?

श्री अधिष्ठाता—

वह इन्टरवीन कर सकते हैं। उप नेता हैं। यह आपका उनका मामला है, मेरा नहीं है।

(श्री हृदय नरायन दीक्षित के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने उनको बुला लिया है। दीक्षित जी, वह बोल लें, आशा है कि समय की सीमा में रहेंगे।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, हम लोग बराबर सदन में उपस्थित रहते हैं। बराबर लिख कर देते रहते हैं। रोज कहा जाता है कि बुलवाया जायगा। आज आखिरी दिन है। चार बजे मुख्य मन्त्री जी आ जायेंगे। तिवारी जी ने भी लिखकर दिया था। क्या हम लोग अपने क्षेत्र की समस्या नहीं रख सकेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

आपको अपने क्षेत्र की बात रखने के लिये समय दिया जायगा। इस समय उनको बुला लिया है। आप सब कृपया बैठें। यह वाद विवाद का मामला नहीं है। उनको बुलवा लिया है, अब वह बोल लें।

श्री शारदा प्रताप—

हम लोग 5 रोज से खड़े हो रहे हैं और बैठ रहे हैं। आपका निर्देश मानकर बैठ जाते हैं तो हम लोग या तो घर जायं या हमको समय दिलवा दें।

श्री हृदय नरायण दीक्षित—

मान्यवर, हम लोग 5 दिन से बराबर उठ-बैठ रहे हैं। आखिर आपको बुलाने की प्रक्रिया क्या है ? यही आप हमें बता दें। किस प्रकार से बोलने की इजाजत दी जाती है।

श्री अधिष्ठाता—

यह पीठ के विवेक पर है। आप नियम पढ़ लें और विराजें। आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको सुन लूंगा, आप विराजें।

श्री शारदा प्रताप—

माननीय, आप सर्वोच्च पीठ पर बैठे हुये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप हमारे निर्णय को चैलेंज कर रहे ह ? अभी मने उनको बुला लिया है ।

श्री शारदा प्रताप—

माननीय, मैं पुनर्विचार की बात कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको मौका मिलेगा, बोल लीजियेगा ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह—

माननीय, केवल 2–2 मिनट सुन लें ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

माननीय, दो मिनट सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हृदय नरायन जी बैठिये । अगर बाद में मौका मिला, तो जरूर दे दूंगा ।

श्री हृदय नारायन दीक्षित—

श्रीमन्, बाद में मौका कैसे मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

मौका मिलेगा तो समय दे दूंगा ।

अब आप विराजें हृदय नरायन जी, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को मैंने बुला लिया है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

माननीय, आगे बैठने वाले नेतागण काफी–काफी समय ले लेते हैं, हम लोगों को कब मौका मिलेगा ?

श्री शारदा प्रताप—

माननीय, अगर समय नहीं मिलता है तो यहां चुनकर आना ही बेकार है । जब क्षेत्र की समस्याओं को कहने का मौका नहीं मिल पाता तो यहां बैठना बेकार है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठिये, मैंने एक फैसला दे दिया और माननीय तिवारी जी को बुला लिया है । कृपया अब आप विराजें । तिवारी जी ने आपकी भावना सुन ली है । तिवारी जी के बाद ही किसी को सुनूंगा ।

श्री शारदा प्रताप—

माननीय, इधर से तिवारी जी बोलेंगे, फिर उधर से तिवारी जी बोलेंगे । आज तिवारियों का ही तो मामला है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह उत्तर भाषण नहीं है । उधर का या नेतागण किसी भी तरफ से बोल सकते ह । अगर समय बाकी रहा, तो आपको बुला लिया जायेगा ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, दो मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं नियमों के साथ चलूंगा। अगर मैंने माननीय उप नेता को बुला लिया है, तो वह बोलेंगे। मैं इसमें कोई रिवीजन नहीं कर पाऊंगा।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, अगर आप कह दें तो मैं सदन से चला जाऊं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका अधिकार है यहां बैठने का।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, हम अपनी बात कब कह पायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

शुक्ल जी आप सीनियर आदमी हैं, मैं उनको बुला चुका हूं। उनको बोलने दीजिये। समय होगा तो आपको भी मौका दे दूंगा।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, कई बार आपने किसी को बुलाया फिर दूसरे को मौका दे दिया। ऐसी बात नहीं है कि आप बुला नहीं सकते।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कहा कि अगर समय होगा तो आपको भी मौका दे दूंगा।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विपक्ष के लोग यहां घूमकर आते है और बोलने के लिये, टाइम के लिये, आपस में इस तरह से झगड़ रहे हैं इनका क्या भरोसा किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

यह इनका इंटरनल मामला है, इस पर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। आप बैठें।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री हृदय नारायन दीक्षित—

मान्यवर, दो-दो मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप विराजें।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी अगर बीच में बोलने का इरादा छोड़ दें, तो कुछ लोगों को समय मिल जायेगा बोलने का।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर लोग बोलना चाहते हैं तो आप बुलवा लें उन्हें पहले ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपके उप नेता को बुला लिया था, यदि वह नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं किसी और माननीय सदस्य को बुलवा लेता हूं ।

श्री शारदा प्रताप--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुख्य मन्त्री जी के बजट अभिभाषण पर जो मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । चुनाव के सिलसिले में बड़े दम्भ के साथ उन्होंने जो कहा है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव की जो रिट याचिका हाई कोर्ट में दायर न हुई होती तो यह सरकार शायद चुनाव नहीं कराती । शिक्षा के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे लखनऊ जनपद में कन्या विद्यालयों का जहां तक सवाल है, मलीहाबाद तहसील में कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, लखनऊ में जो कन्या हाई स्कूल देहात में खुलना चाहिए था, उसे इस सरकार ने शहर के अन्दर शृंगार नगर में खोल दिया, जिससे जनपद के लोगों को उससे फायदा नहीं मिल पाया । लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में अभी तक कन्या विद्यालय नहीं खुला है । बेसिक शिक्षा के बारे में जहां माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि हमने जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त कर दी है, वहीं पर मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ जनपद में प्राईमरी विद्यालय व जूनियर विद्यालय जो खुलने चाहिए थे, एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया था कि लखनऊ जनपद में प्राईमरी और जूनियर विद्यालय बिल्कुल सेचुरेट हो चुके हैं, मेरा कहना है कि उस रिपोर्ट को न मानकर फिर सर्वे कराया जाय, आज भी यहां पर ऐसे तमाम विद्यालयों की आवश्यकता है । जहां सरकार का इरादा है प्रत्येक तहसील स्तर पर एक कन्या विद्यालय खोलने का, मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक विकास खंड स्तर पर कन्या विद्यालय खोले जायं, इण्टरमीडिएट कालेज खोले जायं । जब आप ऐसा करेंगे तभी शिक्षा की सही व्यवस्था हो सकेगी ।

दूसरा, मान्यवर, तमाम जिले खुल रहे हैं, तहसीलें खुल रही हैं । लखनऊ जनपद में माहोना क्षेत्र में, जनता पार्टी की सरकार के समय, तहसील बनाने का मसौदा तैयार हो चुका था, किन्तु किहीं कारण से वह उस समय रुक गया । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लखनऊ शहर में सभी बड़े अधिकारी रहते हैं और कर्मचारी उन्हीं पर व्यस्त रहते हैं, वे तहसील का काम नहीं कर पाते हैं, इटौंजा के लोगों को 47-50 कि0 मी0 लखनऊ शहर होकर मलिहाबाद जाना पड़ता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि लखनऊ जनपद में एक नये तहसील का सृजन कर दिया जाय ।

इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है और जो 7 आवासीय कालोनियां बनाई गई हैं, आज तक उसके मुआवजे का किसानों को भुगतान नहीं किया गया है । किसानों की जमीन ले ली गई है 4-4 व 5-5 वर्ष हो गये हैं उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि तत्काल उन्हें मुआवजा दिया जाय, जिससे आज उनके सामने रोजी-रोटी का सवाल खड़ा हो गया है, वह हल हो सके । 28 फरवरी, 1987 को 81 ग्राम सभाओं को लखनऊ नगर महापालिका में जोड़ दिया गया, लेकिन आज यूं सरकार ने उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है । दूसरी ओर हम उन्हें जिला योजना में कोई पैसा नहीं दे पा रहे हैं । नगर

महापालिका वहां कार्य नहीं कर रही है । सफाई के नाम पर वहां पर नियमित कर्मचारी नहीं हैं, वहां पर खड़ंजे की रोड नहीं है, सड़कों की दुर्दशा हो रही है, गन्दगी बहुत बढ़ गई ह जिससे भयानक बीमारी फैलने की सम्भावना बढ़ गई है और तमाम जन-जीवन को इससे खतरा हो गया है ।

मान्यवर, लखनऊ में जैसे काकोरी है और भी कई टाउन एरियाज हैं, जिनमें कोई काम नहीं हो रहा है । उनके पास एक पैसा भी अनुदान का नहीं है । आज तक वहां पर न तो सड़कें हैं और न नाले ह, न वहां पर शौचालय हैं । सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि गांव में जो 107 कि0 मी0 खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 77-80 में जो पत्थर की सीलिंग की सड़कें बनी थीं, अम्बार सहब बैठे हैं, 107 कि0 मी0 जो सड़कें हैं, उन पर से निकलना दूभर है । वहां पर बड़े-बड़े पत्थर हैं । अनुरोध करूंगा कि जब जिला योजना की बात आती है लखनऊ में जिला योजना के पास एक पैसा भी नहीं है, अतः इन सड़कों को राज्य सेक्टर में लेकर काम करें । जो नाले और नालियां हैं उनका और पुलों का निर्माण करायें ।

श्री अवधेश राय शास्त्री—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आभारी हूं कि समाज के सजग प्रहरी मुख्य मन्त्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा जो बजट रखा गया है, समाज का सर्वेक्षण करते हुए रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

समाज के हर क्षेत्र के विकास की तरफ चाहे शिक्षा हो, सिंचाई हो, कृषि हो, निर्बल वर्ग की समस्यायें हों, विधवा हो, निराश्रित हो, हर तरफ माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान गया है । हमारे विपक्ष के भाई कभी-कभी कुछ बाधायें प्रस्तुत कर देते हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि तरक्की और विकास के लिये संघर्ष किया जाय विनाश के लिये नहीं ।

(श्री शारदानन्द अंचल के खड़े होने से व्यवधान ।)

श्री अधिष्ठाता—

अंचल जी, आप बैठें ।

श्री अवधेश राय शास्त्री—

बिलदारनगर विधान सभा क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बिलदारनगर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का बहुत आभाव है । जैसे ताड़ीघाट द्वारा मुख्य मार्ग से डेढ़गावां, डुहला, पकड़ी, रेवतीपुर, रिंगबांध, रेवतीपुर से ही नगबिल-पुर, परमानन्दपुर, नसीरपुर, विरऊपुर, हसनपुरा साढ़े नौ कि0 मी0 कच्ची सड़क 1972-73 की है, उस पर पुल बना है लेकिन यह नंगा है । सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह सड़क बनायी जाय जिससे हमारी कम से कम एक लाख जनता का फायदा होगा । साथ ही साथ हमारी सरकार और माननीय मुख्य मन्त्री जी के द्वारा जो बजट में रखा गया है कि प्रदेश की हर तहसील में एक बालिका विद्यालय खोलेंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आबादी गांवों में निवास करती है नगरों में कम, 82 प्रतिशत गांवों में निवास कर रहे हैं, बालिका विद्यालय जो खोले जायं, गांव में खोले जायं क्योंकि हमारी जनता खेती पर निर्भर है और हमारे पास इतना धन नहीं है कि शहरों और तहसीलों तक अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेज सकें । ऐसी स्थिति में जो भी बालिका विद्यालय खोले जायं गांव में खोले जायं । एक अहम प्रश्न को आपके माध्यम से सरकार में रखना चाहता हूं ।

एक गहमर गांव है जहां की आबादी चालीस हजार की है और उसके बगल के गांव शेरपुर, जो कि शहीदों का गांव है, की आबादी 36 हजार की है, दोनों के बीच में तीन किलो मीटर की दूरी है लेकिन वहां पर गंगा नदी है । क्रास करने के लिये कोई साधन नहीं है, गंगा पार करने के लिये वहां साधन नहीं है । मैं चाहूंगा कि वहां पान्टून पुल की व्यवस्था की जाय । धन्यवाद ।

*श्री अवनीश कुमार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि जो आपने माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश का बजट 157 करोड़ रु0 के घाटे का बजट पेश किया है । मान्यवर, चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह लुभावन बजट बनाया गया है जो कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही अशुभ है और यह बादल की तरह प्रदेश पर मंडरा रहा है । इससे न तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति ही सुलझेगी और न इससे प्रदेश का उत्पादन ही बढ़ेगा । निरन्तर घाटे के बजट को प्रस्तुत किये जाने का मतलब और क्या है ? प्रदेश के विकास के नाम पर जो संसाधन आप लगा रहे हैं इससे मंहगाई और बढ़ेगी ।

पिछले साल अक्तूबर से लेकर अब तक 7.7 प्रतिशत मंहगाई बढ़ गयी है । निःसन्देह इसमें सरकार के निकम्मेपन के साथ ही साथ निकम्मी नौकरशाही भी शामिल है और इसके अलावा और भी जो इकाई हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है ।

मान्यवर, शासन में और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कोई भी परियोजना पूरी नहीं हो पाती है और यदि पूरी भी होती है तो उसके पूरा होते-होते उसमें दस या पन्द्रह साल बढ़ जाते हैं । इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि कोई भी परियोजना समय के अन्दर पूरी कर ली जाय क्योंकि इसका सीधा असर गरीब किसानों पर ही पड़ता है । एक ओर तो यह सरकार अपने को किसान का हितैषी बतलाती है और कहती है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और दूसरी ओर उन पर ही आर्थिक बोझ डाला जाता है । किसानों की पैदावार का मनमाने ढंग से मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है इससे किसानों की आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती चली जा रही है । किसानों की पैदावार बजाय ऊपर जाने के नीचे की ओर गिरती चली जा रही किसानों की पैदावार का मूल्य निर्धारित करते समय किसानों से भी विचार-विमर्श किया जाना चाहिये और कृषि आयोग की बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ आवश्यकता है कि बेचाई के समय ही समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाय । पिछली बार जैसा कि आपको मालूम ही है कि प्रदेश में आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में आलू न रखे जाने के कारण बहुत मात्रा में आलू सड़ गया था । इस वर्ष आलुओं में झुलसा रोग लग गया है । सरकार को आवश्यकता है कि इस वर्ष वह आलुओं के मूल्य को घटाये नहीं ।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और इस ओर सरकार पूरी तरह से असफल रही है । सिंचाई के क्षेत्र में भी यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है, ट्यूबवेलों की कमी है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में ट्यूबवेल के अतिरिक्त कोई दूसरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सिचाई का साधन नहीं है । इसलिये मेरा अनरोध है कि वहां पर अधिक से अधिक ट्यूबवेल लगाये जायं और साथ ही साथ गूलों को भी मरम्मत करायी जाय । मान्यवर, आज नहरों में पानी नहीं है, जिनकी बहुत ही बुरी स्थिति है । दूसरे मान्यवर मैं विद्युत् की स्थिति के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा कि आज हमारे किसानों को बिजली बहुत कम मिल रही है मान्यवर फरवरी माह में जबकि फसल पकने लगी हैं और इस समय सिचाई पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण उस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा हैं, इसलिए शासन को किसी भी प्रकार की बिजली की कटौती न करनी चाहिए : दूसरे मान्यवर हमारा विधान सभाई क्षेत्र जो है वह बहुत ही बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, जहां पर टाट घास उग आयी है, उससे उपजाऊ भूमि बिल्कुल बेकार पड़ी हुयी है, जिसे शासन साफ करवाने की व्यवस्था करे ।

(व्यवधान)

*श्रीमती शशि शर्मा--

मान्यवर, प्रदेश के कल्याण के लिए प्रत्येक क्षेत्र में जो कल्याणकारी बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं । विकास के प्रत्येक क्षेत्र में किसी तरह से वित्तीय संसाधनों व कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाया जा सकता है तो मान्यवर आने वाले माननीय वित्त मंत्री के बजट के लिए एक सूत्र का काम करेगा, एक फारमूले का काम करेगा, ऐसे संतुलित बजट के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देती हूं कि यह उन्हीं की सूझ हो सकती है कि बिना कर लगाए हुए संसाधनों में वृद्धि करते हुए, विकासोन्नत (प्लान योजनागत) खर्चों को बढ़ाने के लिए तथा वित्तीय अनुसाशन को बनाए रखने के लिए और फिजूल खर्ची को रोकने वाले इस बजट के प्रति बधाई देती हूं :

अभी हमारे कुछ साथी शिक्षकों के बारे में कह रहे थे ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्या, कृपया हमें ही सम्बोधित करते हुए बात करें ।

(हंसी)

*श्रीमती शशि शर्मा--

मान्यवर, शिक्षकों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कल्याण कोष की घोषणा की है, आवास की घोषणा की है, यह सारी घोषणायें अपने में एक ऐतिहासिक काम है किस तरह से ग्रामीण शिक्षकों की तरफ प्राइमरी स्कूलों की तरफ, कर्मचारियों की तरफ और अपने खर्चों को किसी तरह से एक व्यवस्थित रूप में रखते हुए प्रदेश को आगे की ओर ले जाने की दिशा दी, है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है । इसलिए मैं अपने विपक्ष के साथियों से यह अनुरोध करूंगी कि किस तरह से उन्हें 50 फीसदी जिलों को कलेक्शन दिया है और किस तरह से जिलों में मो-सेन्ट्रल ईक्वेशन पालिशी को योजना को बनाते हुए कल्याणकारी कदम उठाया है और किस तरह के बजट का पूरा आऊट ले है और अहां तक मानीटरिंग की बात है । जिलों के अन्तर्गत जो मदें ज्यादा खर्चीली है, उन पर किस तरह से कंट्रोल किया है और आगे भी इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, तभी किसानों के लिए और प्रदेश के हर क्षेत्र में कुछ विकासशील कदम उठाए जा सकेंगे और यही नहीं मान्यवर किस तरह से उन्होंने प्रदेश की खुशहाली दी है चाहे वह कोआपरेटिव के माध्यम से हो, ब्लाकों के माध्यम से हो या अन्य किसी भी विभाग के माध्यम से हो,

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

इसी प्रकार से थानों को भी बहुत बड़ी खुशहाली दी है, इन सब बातों के लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं और मैं उनको गन्ना कृषकों की ओर से भी बधाई देती हूं कि गन्ने की दरें पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बराबर दर दी है, यह मान्यवर, एक समाजवादी सरकार की ही देन हो सकती है और यही नहीं एक रिक्शा चालकों, गरीब किसानों और प्रत्येक गांव के प्रत्येक निवासी के लिए बैंक द्वारा लोन की ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे हर आदमी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी प्रकार से कुटीर उद्योग गांव-गांव में विद्युतीकरण का बहुत ही अच्छा कम किया है। साथ ही साथ हमारी जो नालियां व कुलाबें खोदी जा रही हैं, अगर वह नक्शे में सही नहीं हैं तो ऐसे कुलाबों और नालियों को यथ शीघ्र ठीक कराएं ताकि आगे आने वाले चुनाव में इस प्रदेश के हर गांव में आपके सहयोग से यह सब चीजें हो सकती हैं मैं जनता की ओर से, छात्रों की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री हरेन्द्र सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो चुनावी बजट प्रस्तुत किया है उससे इस सरकार की पोल खुल जाती है और ऐसा लगता है कि यह सरकार [×××] हो गयी है किसी भी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं है मेरे जनपद में कोतवाली में जब 302 का मुल्जिम पकड़ कर आया तो उसने कहा कि मुझे आप लोग क्या बंद करेंगे मेरे संरक्षक डी0 वाई0 एस0 पी0, एस0 पी0 सिंह हैं मैं उनको बराबर पैसा देता हूं उनकी जांच अई0 जी0 स्तर से करायी गयी और उनके विरुद्ध आरोप सही पाये गये परन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह सरकारी अधिकारी क्रिमिनलों के द्वारा पैसा वसूल करती है और वह लोग पैसा कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को देते हैं इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है यह सरकार खोखली सरकार है माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा निःशुल्क देने की बात कही है मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी स्कूल, प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक जूनियर हाई स्कूल और प्रत्येक विकास स्तर पर इण्टर कालेज होना चाहिए। जब इनके पास शिक्षण संस्थायें नहीं हैं तो यह किसकी फीस माफ करेंगे। बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं हैं मेरे विधान सभायी क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर लड़कियों की पाठशाला हो उनकी पढ़ाई का कोई साधन नहीं है।

मान्यवर, मैं सिंचाई विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने सिंचाई का बजट रखा है और उसका पैसा बढ़ाया है। मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई की आबपासी का क्षेत्रफल बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। जब आपने कोई नहर नहीं बनायी कोई माइनर नहीं बनायी है तो आबपासी का क्षेत्रफल कैसे ज्यादा हो गया। जूनियर इंजीनियर से लेकर सिंचाई मंत्री तक नहरों की सफाई के नाम पर पैसा कमाया जाता है। मेरे क्षेत्र में मुडवर माईनर निकालने की बात की लेकिन वह नहीं निकाली गयी रजबहा मोराकला चन्दसीमा माईनर की लोई तथा इचोली तक बढ़ाया जाना था लेकिन उसको बढ़ाया नहीं गया है मान्यवर, यह लोग ग्रामीण विकास की बात करते हैं लेकिन ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है, जबकि इनकी नीतियां ही गलत हैं। लेकिन बाडीज के चुनाव में इन लोगों ने बड़ी धांधली की है क्रिमिनल के सहारे इन लोगों ने चुनाव जीते हैं, उनका सपोर्ट लिया है और पैसा का इस्तेमाल किया है। यह लोग लोकतंत्र की क्या रक्षा करेंगे

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या की है। विकास कार्यों में जो कामों के टेन्डर होते हैं वह फर्जी दिखाये जाते हैं, मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच करा लें तो आपको पता चल जायेगा कि कितने लोग क्रिमिनल एक्टीविटीज में लिप्त हैं।

आप उद्योगों के विकास की बात करते हैं। आपसे आदेशानुसार प्रत्येक जनपद में जिला उद्योगों को सामान्य प्रबन्धक जिसको 6 साल का अनुभव हो उनको तैनात नहीं कर पाये हैं उनके स्थान पर पी० सी० एस० लोगों को रखा है जिनको अनुभव नहीं है। यह सरकार आई० ए० एस० अधिकारियों की गुलाम सरकार है। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, एक आखिरी बात। हमारे क्षेत्र में हिंडन नदी पर कोई पुल नहीं है और गढ़ी परवर में एक अस्पताल खोला जाय।

श्री नरेन्द्र देव--

माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त जी ने जो बजट इस सदन में रखा है उससे यह बात सिद्ध हो चुकी है कि हमारी सरकार मजदूरों की फिक्र करती है। जो खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की बात करते हैं, जो लड़कों और लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं, प्रदेश के विकास की बात करते हैं। मान्यवर, आज जबकि हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विद्वान विपक्षी सदस्य यहां पर अपना सुझाव रखेंगे कि किस तरह के कार्यक्रम क्रियान्वित हों सकें, प्रशासन में किस तरह से सुधार किया जाय, किन तरीकों से सुधार किया जाय इन बिन्दुओं पर जो हमें उनका सहयोग चाहिए वह विपक्ष की ओर से सरकार को नहीं मिल पा रहा है। हमें इस बात का खेद है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शांत रहें।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, दो-तीन अपने क्षेत्र की समस्यायें रखकर बैठ जाऊंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो जहां से चुनकर आते हैं वहां के लोगों की तरफ ध्यान न रखकर राजनीति में ध्यान रखते हैं। हमारे यहां एक मोरावल गांव है, वहां पर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है उसके पास भवन नहीं है इसलिये उसकी इन्टर की मान्यता दो साल से लौटाई जा रही है। मेरे क्षेत्र राबर्ट्सगंज में जो तहसील पड़ती है उसके बारे में मैं मांग करता हूं कि वहां पर अभी तक कोई डिग्री कालेज नहीं है। वहां पर किसी तहसील, किसी गांव में डिग्री कालेज नहीं है। एक ओबरा में खोला गया है जो कि केवल कर्मचारियों के बच्चों के लिये है। मान्यवर, मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सन् 1958 से मिर्जापुर के विभाजन की बात कही जा रही थी और यह पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने वहां के दक्षिणांचल के आदिवासियों के लिये सोनभद्र जिले की घोषणा की है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और मांग करता हूं कि राबर्ट्सगंज में एक डिग्री कालेज की भी वे व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त अरोरा, मौरावल जिसमें 147 गांव हैं उनको जोड़कर एक करवा ब्लाक का गठन करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, बहुत धन्यवाद । मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने मुझ बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, बजट किसी राज्य का अर्थशास्त्र होता है । मैंने इस बजट को सुना भी और पढ़ा भी । इसमें कहीं भी कोई नई बात नहीं कही गई है । अभी उधर से हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे या और भी सदस्य जो उधर से बोलते हैं और बजट पर चर्चा करते हैं तो भाषण के आधे हिस्से में तो तारीफ करते हैं यह वह बजट बड़ा कल्याणकारी है, कई योजनायें हैं लेकिन आधे हिस्से में कहते हैं कि हमारे यहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है । यह स्वीकारोक्ति है कि बजट कल्याणकारी नहीं है । मान्यवर, मैं आपके द्वारा दिये गये समय में ही आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । एक दिन यहां बहुत बड़ी बहस चल गई थी कि राज्य सेक्टर की सड़कों की स्वीकृति किस प्रकार होती है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने उस समय पहले कहा था कि हमारे पास कोई मानक नहीं है । फिर कहा कि हम महत्वपूर्ण सड़कें बनाते हैं । मैंने अपने क्षेत्र पुरवा उन्नाव की महत्वपूर्ण सड़कों के सम्बन्ध में कहा था जो कि उन्नाव और रायबरेली जिलों को जोड़ती हैं, जो सड़कें कई जनपदों को जोड़ती हैं । मैं कई बार कह चुका हूं कि इन सड़कों को नहीं लिया गया । लेकिन माननीय नारायण दत्त तिवारी के जो शैडो हैं जो कि मेरे क्षेत्र के हैं उनके गांव से राज्य सेक्टर की सड़क को जोड़ दिया । हम जनता की आकांक्षाओं को लेकर यहां पर अपनी बात रखते हैं, वह नहीं हो पाती है । एक सिपाही के गांव से यह सड़क जोड़ दी गई । मैं पुरवा विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से चुनकर आया हूं, एक शैडो की बात ज्यादा मानी जाती है, लेकिन विधायक की बात महत्वपूर्ण नहीं है । इसी प्रकार सिंचाई राज्य मंत्री के पद पर उस समय माननीय निषाद जी अपने क्षेत्र के थे । एक महत्वपूर्ण पुल की तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया था उनके स्पष्ट आदेश थे कि बहवा ग्राम में पुल बनाया जाय । लेकिन अधिकारियों ने कहा कि माननीय मंत्री जी ने लिख तो दिया लेकिन पैसा नहीं दिया । तो अधिकारी मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना करते हैं । उधर के माननीय सदस्य कहते हैं कि इस बजट से बहुत बड़ी क्रान्ति आने वाली है वह कैसे आयेगी । मैं आपका ध्यान बेरोजगारी की तरफ खींचना चाहता हूं । इस बजट में बेरोजगारी दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गई है । 1986 के आंकड़ों के अनुसार 100 में से डेढ़ लोगों को भी जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे रोजगार नहीं मिल सका ।

इस बजट में नये प्राइमरी स्कूलों के बारे में कोई प्राविधान नहीं है कि कहां-कहां कैसे वह खुलेंगे । जूनियर हाई स्कूलों की तो बड़ी बदतर हालत है । वहां अध्यापक नहीं हैं । इस विषय पर मेरा एक सवाल था कि उत्तर प्रदेश में कितने जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें अंग्रेजी और विज्ञान के अध्यापक हैं और कितनों में इनकी कमी है लेकिन उसका जवाब दिया गया कि जूनियर हाई स्कूलों में विषयवार अध्यापक नहीं होते । आप अवगत होंगे कि गांवों में जो जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं उनमें 7वीं पास अध्यापक हैं जो स्कूल भी नहीं जाते हैं । वहां विज्ञान की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है ।

कृषि के मामले में इस सदन में दो बार माननीय सदस्यों ने इधर से वाकआउट किया और खेद व्यक्त किया कि खेती की जिन्सों के उत्पादन लागत मूल्य सरकार नहीं बता रही है । मेरा और बरार साहब का प्रश्न था कि कृषि लागतें घटाई जायं क्योंकि

कृषक को उसकी उत्पादन की लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है । इस बजट में लागत घटान की उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बहुत लड़ाई के बाद थोड़ा आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । इन शब्दों के साथ जो विपक्ष के हमारे माननीय सदस्यों ने विचार रखे है उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हू ।

श्रीमती सरस्वती देवी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं इसका हृदय से समर्थन करती हूं । मान्यवर, यह बजट कोटि-कोटि जनों को राहत देने वाला जनकल्याणकारी बजट है । श्रीमन्, इस बजट में प्रदेश के चहुंमुखी कल्याण का लक्ष्य रखा गया है । खाद्यान्न उत्पादन की ओर सरकार ने विशेष ध्यान रखा है जिससे आशातीत उत्पादन होने की आशा है । मान्यवर, अनुमान है कि खाद्यान्न उत्पादन इस वर्ष करीब 334 लाख मीट्रिक टन होगा । इससे साफ जाहिर है कि हमारी सरकार किसानों की उन्नति के लिये कितनी सजग है जिसमें किसान सहयोग दे रहे हैं और सरकार की नीतियों के अनुरूप खाद्यान्न उत्पादन करने में समर्थ है । इतना ही नहीं गन्ना का प्रदेश भर में समान मूल्य देकर किसानों के लिय उत्साहवर्धन का काम किया है ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने योजना आयोग से पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक धन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है । गत वर्ष की तुलना में 1989-90 में 2930 करोड़ रुपया अधिक का परिव्यय स्वीकार किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.8 प्रतिशत अधिक है । इसको हमारे विपक्षी माननीय सदस्यों को सराहना करनी चाहिय और योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहयोग देना चाहिये कि किस प्रकार धन का सही ढंग से सदुपयोग हो सके । यदि वह वास्तव में प्रदेश की उन्नति चाहते हैं तो इसमें अवश्य सहयोग देंगे ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री ज का आभारी हूं कि उन्होंने पर्वतीय अंचल के लिये हिमाचल प्रदेश की तरह ही धन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है । यह विगत वर्ष की तुलना में 10.50 प्रतिशत अधिक है । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की समस्यायें मैदानी क्षेत्रों से भिन्न है । वहां 1980 के वन संरक्षण अधिनियम से विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो गई है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये वहां के लिये वन संरक्षण अधिनियम में कुछ ढिलाई दी जाय इसके लिय भारत सरकार पर दबाव डालें ताकि वहां विकास के कार्य हो सकें । पर्वतीय क्षेत्र में असिंचित भूमि भी बहुत अधिक है इसलिये वहां सिंचाई की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है ।

मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है, मीलों दूर महिलाओं को पेयजल के लिए जाना पड़ता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां जितने भी सोता फूट गये हैं, उनका सर्वे किया जाए और उसमें यह सोतों को जोड़कर गांवों में पानी पहुंचाया जाए । यदि सोता उपलब्ध न हो तो लिफ्ट योजना के माध्यम से वहां पानी पहुंचाया जाए ।

*डाक्टर बंगाली सिंह---

माननीय, इस बजट में जो कमियां हैं, मैं आपके माध्यम से उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय, सरकारी पक्ष के लोग हरिजन की कुहाई देकर जीतकर यहां आते हैं और कुर्सी से चिपक कर जब बैठ जाते हैं तो उनको जरा भी परवाह नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी 18 तारीख को समरपाल सिंह जी, जो राज्य मंत्री हैं मथुरा गये थे। तो गाड़ी में उनके साथ सत्तापक्ष के एक विधायक बलजीत सिंह जी बैठ गये। जबकि बलजीत सिंह जी के क्षेत्र में विधायक जी जा रहे थे, अपने साथ के आदमी के द्वारा मंत्री जी ने इन विधायक को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया और उसने यह कहा कि चमड़े वाला मेरे साथ बैठ कर जाएगा। तो जब यह अमानवीय और निन्दनीय व्यवहार सत्तापक्ष के ही एक विधायक के साथ होगा तो दूसरों के साथ क्या होगा और उन हरिजनों और गरीबों तथा दलितों के साथ क्या होगा जो गांवों में बैठे काम करते हैं? उनके साथ क्या व्यवहार होगा जब एक विधायक के साथ मंत्री जी का यह सलूक है, इस पर हम सबके सोचने की और चिन्ता की बात है। एक मिनट भी यह सरकार इस काबिल नहीं है कि वह सत्ता में रहे। इनको तुरन्त इस्तीफा देना चाहिए। यह सरकार हरिजनों के नाम पर जीत कर आती है। लेकिन चाहे अ.ई0 आर0 डी0 की योजना हो, चाहे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की योजना हो या अन्य कोई भी योजना हो, सब में हरिजनों को लूटा जाता है और उनके माध्यम से अधिकारी और नेता लोग अपना पेट भरते हैं। माननीय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी हरिजन का मर्डर हो जाता है तो उस हत्या के लिए सिर्फ 5 हजार रुपया देकर हरिजन का मुंह बन्द कर दिया जाता है, यह अन्य कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। देहातों में हरिजनों के पानी पीने की सारी समस्या है, जिसके सम्बन्ध में कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। यह हरिजनों पर और हरिजन विधायकों पर अत्याचार करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अभी-अभी विधान सभा में हमारे विधायक राम लछन जी रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरी जान का खतरा है। जब यहां हरिजन रोते हैं हरिजन विधायक रोते हैं तो आप सोच लें कि जो देहातों में हरिजन रहते हैं, उसका क्या हश्र होता होगा "व्यवधान" मुझे हरिजनों की बात करने का मौका मिलना चाहिए। हरिजनों की सुरक्षा की एक मिनट भी बात नहीं होती है, जबकि उनके साथ बराबर अत्याचार और बलात्कार होते हैं। मुख्य मंत्री जी ने इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है। जब तक आप इसे नहीं रोकेंगे, मुख्य मंत्री जी को इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

सहकारिता मंत्री (श्री समरपाल सिंह)---

मेरा नाम लेकर यहां अभी कुछ बात कही गयी है। इसलिए उस सम्बन्ध में आप मुझे कहने की अनुमति दे दें। क्या कहने की अनुमति है?

श्री अधिष्ठाता---

आप एक आधा मिनट में जो कुछ कहना है, कह लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री समरपाल सिंह--

माननीय, बड़ी अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया गया है । मैं इतना अशिष्ट कभी नहीं हो सकता हूं कि किसी भी माननीय और सम्मानित सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार करूं । यह बिलकुल अतिशयोक्ति की बात है । पूर्णतयः असत्य है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

वादवि वाद कोई नहीं होगा, यह स्पष्टीकरण के लिए खड़े हुए हैं ।

श्री शारदानन्द अंदल--

आप [×× ×] हैं आप [× × ×] कर रहे हैं जो आपके साथ [× × ×] करता है उसको आप बुलवाते हैं । आपकी इस [× × ×] के खिलाफ मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री शारदानन्द अंदल सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता—

आप पीठ के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं । इसको निकाल दिया जाएगा ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन् मैं अत्यन्त आभारी हूं सम्मानित सदस्यों का कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट पर उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए । श्रीमन् मैं नेता विरोधी दल को विशेष रूप से बधाई देना चहता हूं कि उन्होंने एक कठिन विषय का अध्ययन करने का पूरा प्रयास किया और इस बात की चेष्टा की कि इस बजट की गहराइयों तक पहुंच सकें और बिन्दुवार, प्रत्येक विषय पर बजट के मर्म को समझते हुए उसकी आलोचना करने का प्रयास किया मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । श्रीमन् किसी भी बजट को समझना उसकी आर्थिक बारीकियों को, उसकी आंकड़े सम्बन्धी बारीकियों को समझना एक कठिन कार्य है । समान्य आलोचना करना कठिन नहीं होता है, लेकिन वित्तीय दृष्टि से आलोचना करना बड़ा कठिन होता है, तो इसका प्रयास विरोधी दल के नेता ने किया मुझे आशा है कि वह वित्तीय अध्ययन इसी प्रकार जारी रखेंगे । भविष्य में विरोधी दल के नेता ही नहीं वरन् और भी माननीय सदस्य अपनी जानकारियां बढ़ाने का प्रयास करेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह--

आपके पीछे बैठने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनसे भी कह दीजिए वह भी ध्यान रखेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं उन्हीं की ओर से बोल रहा हूं (हंसी) श्रीमन् मैंने व्यक्तिगत जैसा तो कुछ नहीं कहा । जो यह खड़े हो गए एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि आप विरोधी दल के विरोधी हैं तो मैं भी विरोधी का विरोधी हूं, तो नोंका-झोंकी तो होनी चाहिए । मित्रोचित नोंका-झोंकी न हो तो संसद के संसदीय पन से हम वंचित रह जाते हैं ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्रीमन् तो मुख्य उनकी आलोचना जो रही, उसमें मुख्य बिन्दु जो था वह यह था कि घाटे का बजट है । इसमें माननीय सदस्य बरेली ने एक-आध बिन्दु और जोड़ दिया कि मुख्यत: लोक लेखा में प्राविडेन्ट फंड की धनराशि जोड़ी गई है उसके द्वारा घाटे की पूर्ति की गई है उन्होंने इस बिन्दु को विरोधी दल द्वारा उठाए बिन्दु से जोड़ दिया श्रीमन् यह घाटे का बजट है जब घाटे की पूर्ति न हो सके तो कठिनाई होती है, लेकिन जो घाटा इस बजट में प्रदर्शित हुआ है, जिसकी गतिविधियों का उल्लेख मैंने किया है इन सबको लागू कर सकेंगे इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है, अगर सम्मानित सदन का सहयोग हमें मिलेगा तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि हम इस घाटे की पूर्ति न कर सकें । एक महत्वपूर्ण बिन्दु बरेली के माननीय सदस्य ने उठाया कि लोक लेखा में जो धनराशि होती है उनका उपयोग राज्य के विनियोजन में राज्य की घाटे की सम्पूर्ति में किया जाना चाहिए या नहीं यह सर्वमान्य सिद्धान्त है सभी बजटों के सभी प्रदेशों में जहां लोक लेखा की धनराशि, समग्र राज्य के पास संसाधन के रूप में उपलब्ध है उनमें लोक-लेखा की राशि का विनियोजन होता रहेगा ।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

प्रोविडेन्ट फंड जो होता है उसमें ब्याज भी देना होता है इसलिये उसका विनियोजन राज्य हित में है कभी कम धनराशि और कभी ज्यादा धनराशि विनियोजित होती रहती है । मैं तो बजट का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पिछले वर्षों में देखा है कि किस प्रकार बजट को प्रस्तुत किया जाता है । बजट के प्रस्तुत करने के ढंग में परिवर्तन होता रहा है हमारे विकासोन्मुख देश में । पहले यह होता था कि राजस्व बजट, पूंजी बजट, लेखा बजट यह तीनों अलग-अलग रखे जाते थे । तीनों के आंकड़े अलग-अलग प्रस्तुत किये जाते थे । अगर हम राजस्व खाते में सरप्लस होते थे तो उसको सरप्लस बजट माना जाता था अगर राजस्व में घाटा होता था तो उसको घाटे का बजट माना जाता था । तो घाटे का प्रतिबिम्बन केवल राजस्व बजट पर निर्भर करता था, पूंजी बजट और लोक लेखे के व्यय तथा आमदनी से उसका सम्बन्ध नहीं होता था । अंग्रेजी जमाने में यह चलन था इसको ट्रेडिशनल बजटिंग कहते हैं इसका उल्लेख बजट मैनुअल में है । लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नियोजन का प्रादुर्भाव हुआ वैसे वैसे व्यय और राजस्व व्यय के बीच जो रेखा थी वह मिटती चली गयी । नियोजन के दृष्टिकोण से अनियोजनेतर और आयोजनागत व्यय के आधार पर, प्लान और नान-प्लान एक्सपेंडीचर को बजट परिलक्षित करने लगा । इसी तरह से पूर्ण घाटा चाहे वह रेवेन्यू का हो या चाहे वह कैपिटल का हो उसको भी बजट परिलक्षित करने लगा ।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडीचर अधिकतर जो उत्पादक व्यय होते हैं, प्रोडक्टिव व्यय होते हैं जिनसे कुछ न कुछ लाभ मिलता है उसमें कैपिटल एक्सपेंडीचर खर्च किया जाता है और कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए पूंजीगत व्यय को, पूंजीगत आमदनी को प्राप्त करते हैं । इस प्रकार से जो बजट का इतिहास है उसमें प्रगति हुई है । बजट में धीरे-धीरे- एक परिवर्तन आया है और घाटा केवल पूंजीगत और राजस्व व्यय तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसमें एकाउंट, लोक लेखा जोड़ लिया जाने लगा । श्रीमन् लोक लेखा कौन सी धनराशि है, यह राज्य की कमाई हुई धनराशि नहीं है । राज्य की जो हम सेवायें देते हैं उसके दौरान निधियों के रूप में जो धनराशि आती है वह पब्लिक एकाउंट में जुड़ जाती है जैसे प्रोविडेंट फंड । प्रोविडेन्ट फंड कोई विकास की धनराशि नहीं है, दिया हुआ कर्ज नहीं है बल्कि जो शासन के एकाउंट में जमा होता है वह धनराशि है । इसलिए इसको कंसालिडेटेड फंड, पब्लिक एकाउंट में रखा जाता है । इसका उपयोग किया जाता है विद्युत बोर्ड के कार्यों में, उत्पादक कार्यों में इस धनराशि का व्यय होना चाहिये । तो लोक लेखा जो है वह इसीलिए हमारे संसाधनों का एक हिस्सा बन जाता है इसलिए 1970 के बाद जो बजट पेश होने लगे

उनमें शनैः शनैः समग्रीकरण होने लगा और उसमें लोक लेखा शामिल होने लगा। श्रीमन् बजट में जो अन्त में प्लस-माइनस उसमें शब्द हैं, सर्वाधिक, संस्थागत वित्त इसमें उल्लिखित है कि समेकित लेखा-जोखा में जो घाटा है, यह कुल मिला कर घाटा है। यह समस्त लेन-देन है, जो राजस्व और पूंजी में उल्लेख नहीं होता है। इसका प्रयोग केन्द्र में भी होने लगा है। तो अगर इसकी शिकायत न हो, तो बड़ी कृपा होगी। जब मुझे नेता विरोधी दल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उस समय जब मैं नेता विरोधी दल था, मैं उसकी बात कह रहा हूं। मैं तो उधर से ही इधर आया हूं और मैं चाहता हूं कि विरोधी बल के नेता इतने योग्य हों कि वह दीर्घ कालीन, समर्थ बने रहें। मैं तो दीर्घ काल तक के लिए प्रार्थना ही कर रहा हूं।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो श्रीमन् यह व्यवस्था बनी हुई है। इसको सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, वह इसलिए कि जो वेतन समिति के बाद समता समिति की संस्तुतियों को मानने में जो पिछले बकाया है, उसको भविष्य निधि में जमा करने के लिए कर्मचारियों ने मान लिया है। तो घाटा ऐसा नहीं है कि जिसे बरबास्त न किया जाय। श्रीमन् कल केन्द्रीय बजट पार्लियामेन्ट में पेश होने जा रहा है, जो कई मानों में निर्णायक बजट होता है राज्यों के लिए भी, क्योंकि उसमें जो उल्लेख होते हैं, वह राज्य के लिए भी होते हैं। एक मद में तो अवश्य ही वृद्धि होने जा रही है वह है कंसाइनमेन्ट टैक्स। अगर यह कानून पास हो गया, तो इस वर्ष कम से कम 6-7 महीने पूरे तरह सम्भव है कि उसकी धनराशि भी हमें हमें राज्यों को मिले। अगर वह धनराशि मिल गई और केन्द्रीय बजट में और कोई धनराशि का प्राविधान किया गया, तो उसका भी लाभ राज्यों को मिलेगा। इस प्रकार से घाटे की सम्भावित पूर्ति उस अतिरिक्त अंशदान से हो जायेगी, जिसका अतिरिक्त दायित्व केन्द्र सरकार वहन करेगी। इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि यह बात तो हम जानते ही हैं कि अगर कोई नया संसाधन केन्द्र जुटायेगा, तो उसका कुछ न कुछ अंश राज्य को मिलेगा।

श्रीमन् माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि 11 हजार करोड़ रु0 का जो योजनागत व्यय है, यह प्रचलित भावों के आधार पर वास्तविक नहीं है, क्योंकि बीच में महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन एकाउंटिंग नहीं हुई है और इसलिए 11 हजार करोड़ को जो वास्तविक धनराशि है, उसका महत्व कम हो गया और यह धनराशि कम हो गई। श्रीमन् आप देखें कि यह जो 11,000 करोड़ रु0 का आंकड़ा है, इसमें 6,400 का प्लानिंग का है और जो वित्तीय वर्ष में खर्च होगा, वह 2,680 करोड़ है। 1989-90 में हमने जो वह इसका नियोजन किया है वह 2,970 करोड़ है इस पर कुल मिलाकर 11 हजार करोड़ के स्थान पर 12 हजार 50 करोड़ रु0 व्यय होगा। इसका आउट ले 11 हजार करोड़ से, एक हजार करोड़ के ज्यादा अधिक है तो इसलिए जो आपने महंगाई का प्रतिशत बताया इनफ्लेशन का प्रतिशत बताया वह तो कुछ है, जो परिव्यय में वृद्धि हुई है एक हजार करोड़ तक है, इसमें कवर हो जाती है लेकिन जो प्रचलित भाव है, दो प्रकार के भाव है एक प्रचलित भाव है और एक स्थायी

भाव है तो स्थायी भावों के स्थान पर प्रचलित भावों को मिल गया है वह प्रचलित भावों के आधार पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पूंजी का निर्माण हुआ है उस पूंजी की प्राप्तियों का ब्याज भी देना पड़ेगा। तो पूंजी के निर्माण में जो ब्याज प्राप्त हुआ है उसको भी जोड़ लिया जाय काल्पनिक दृष्टिकोण से, काल्पनिक माननीय नेता विरोधी दल ने सोचा तो इसकी भी कल्पना कर लें। प्लान इक्सपेन्डीचर व्यय में वास्तविक रूप से जो 1 हजार करोड़ रु0 का है उसके पास पहुंच जाता है।

श्रीमन् अहिन्दी भाषा भाषी की अपेक्षा हिन्दी भाषा भाषी राज्यों में गरीबी बढ़ी है, इसका उल्लेख नेता विरोधी दल ने किया। श्रीमन् मैंने इस संदर्भ में स्वनाम धन्य चौधरी चरन सिंह की पुस्तक का उद्धरण दिया था। मैंने यह कहा कि क्या कारण है कि हिन्दी भाषा भाषी राज्यों में गरीबी बढ़ी है बढ़ रही है, क्या कारण है उसका कारण बता दें वह मैंने खुद पढ़ी थी चाहे बढ़ी हो या न बढ़ी हो, बढ़ी तो नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां गरीबी बढ़ने का कारण क्या है? हमारा जो दृष्टिकोण है काम करने का, यह सब चौधरी साहब ने लिखा है तो इसका जवाब मैंने उल्लिखित किया। यह बात नहीं है कि चौधरी साहब की हर बात सही कही गई हो या गलत कही गई हो हम लोग बहुत से मामले में एक विचार के हैं चाहे उधर के हों या इधर के हों और बहुत से मामलों में मेरे मत भिन्न है, मैं नहीं समझता कि हम कौन से बुनियादी मामलों में अलग-अलग हैं। हम जानते हैं कि आर्थिक विचारधारा में किस मुद्दे पर हमारे अधिक भिन्न-भिन्न विचार हैं, मुझे अब तक स्पष्ट नहीं है। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था देश की होनी चाहिए उसमें जो हमारे कांग्रेस की विचारधारा है वही आपकी भी है कोई उसमें बुनियादी दृष्टिकोण में फर्क नहीं है समझता हूं कि इसके लिए और बहस की जरूरत होगी डिबेट की लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि विचारधारा एक है और उस विचारधारा की किरणें अलग-अलग हैं उसका रूप अलग-अलग है लेकिन प्रकाश का आधार एक है।

श्रीमन्, तो जो मैं कह रहा था हमारा यह कहना गलत होगा कि उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की कमी नहीं हुई है। पिछले वर्षों में आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे आने वालों की संख्या बढ़ी है और इसलिए मैंने राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर कहा था कि हम अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों व ब्लाकों में, गांव सभाओं में देखें। हमें अपने क्षेत्रों में देखना चाहिए कि कार्यक्रम लागू हैं, असल बात यह है कि हमें समय नहीं मिलता कि हम देखें कि ग्राम सभाओं में क्या हो रहा है, किस तरह से मूल्यांकन हो रहा है किस तरह से ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में लाभार्थियों का चयन हो रहा है। जिला ऋण योजना, पहली अप्रैल से एक क्रान्तिकारी परिवर्तन होना है हमारे ग्रामीण जीवन में पहली अप्रैल से हर बैंक की शाखा ग्रामीण क्षेत्र में कुछ गांवों से जोड़ी जा रही है जैसे एक बैंक की शाखा होगी वह 14-15-20 ग्रामों से सम्बद्ध होगी और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहे निर्बल वर्ग की योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो, चाहे कोई उत्पादक योजना हो, उनके लिये ग्रामीण ऋण योजना बनेगी तो उसमें परिलक्षित होगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय, पहली अप्रैल को अप्रैल फूल तो नहीं बना दिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हमारा नया वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से शुरू होता है । पहली अप्रैल से वित्तीय वर्ष सारे देश में शुरू होता है । जहां तक पहली अप्रैल बनाने की बात है, तो यह अपना-अपना दृष्टिकोण है । चूंकि पहली अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है, इसीलिये पहली अप्रैल से बात शुरू हो रही है । तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि पहली अप्रैल, 1989 से सारे उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सेवा योजना लागू हो रही है और हर बैंक का सेवा क्षेत्र मुकर्रर हो रहा है । मैं चाहता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में देखें कि गांव ऋण योजना ठीक से बन रही है । जब तक खुद इसकी बारीकी में नहीं जाएंगे तब तक गरीबी से नहीं लड़ पायेंगे । चाहे जहां के भी सदस्य हों । श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस क्रांतिकारी योजना को सफल बनाने में पूरा योगदान हो । श्रीमन्, जो कदम उठाए गये हैं, जो फर्जी आंकड़ों की बात कही गयी है, हम सब जानते हैं, मेरे पास हर जिले की, हर ब्लाक की सूची है । यक्तिगत लाभार्थियों की और सार्वजनिक हित की योजनाओं के लाभार्थियों की, उनको नियमित रूप से सूची प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया गया है और इसी-लिये जिला लेबिल पर, ब्लाक लेबिल पर लाभार्थियों के नाम और पते और जो काम चल रहा है, उसकी सूची तमाम जिलों में प्रकाशित हो रही है । मैंने आकस्मिक दौरों में भी देखा कि ब्लाकों में लाभार्थियों के नाम और निर्माण कार्यों के नाम छापे जा रहे हैं । हमें उनका अनुश्रवण करने की जरूरत है । यह कहना कि यह सब गलत है, फर्जी है, यह कर्मचारियों के प्रति ज्यादती है और ग्राम सभाओं के प्रति ज्यादती है । हम कह सकते हैं कि ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं हो रही है, लेकिन सारे आंकड़े फर्जी नहीं कह सकते । हो सकता है कि कुछ आंकड़े फर्जी हों, लेकिन यह कह देना कि सारे आंकड़े फर्जी हैं, मैं समझता हूं कि यह भी फर्जी बात है । श्रीमन् यह एक दर्रा है जो हमें कहने की आदत हो गयी है ।

श्रीमन्, एक बात और कही गयी कि जो प्राप्तियां दिखायी गयी, माननीय नेता विरोधी दल ने दिखाया कि जो हम प्लान के लिये रुपया खर्च कर रहे हैं, यह सारा का सारा कर्ज पर आधारित है : तो 3,427 करोड़ की प्राप्तियां ऋणों से दिखाई गयी हैं और प्लान 2,970 करोड़ रुपये का है । लेकिन जिन ऋणों की प्राप्तियां दिखाई गयी हैं, वही ऋणों के प्रतिदान को भी पढ़ लिया होता तो संतुलन हो जाता । आप देखें कि जहां प्राप्तियां दिखाई गयी हैं, वहीं प्रतिदान भी दिखाया गया है जो 1,577 करोड़ रुपये का है । हमारी प्राप्तियां ऋणों में ज्यादा होनी चाहिये और प्रतिदान कम होना चाहिये । ऋण कम मिलने लगे तो यह हमारी असफलता है । हमारा प्रयास है कि ऋण प्राप्तियां अधिक से अधिक हों । हमने इसके लिये भारत सरकार से, बैंकों से, रिजर्व बैंक से मार्केट बारोइंग का प्रयास किया है ।

मैंने तो इस सदन की भावनाओं को देखते हुए फाइनेंस कमीशन से कहा है कि हमारा क्रेडिट डिपाजिट रेशियो अन्य राज्यों के मुकाबले कम है । हमारे यहां 61 फीसदी है । यानी उत्तर प्रदेश का 100 रुपया जमा है तो कुल 43 रुपया लौटता है और बाकी यू० पी० के बाहर इन्वेस्ट हो जाता है । 61 रु० सारे देश का राष्ट्रीय औसत है विनियोजन का, हमारे यहां 43 प्रतिशत है । प्लानिंग कमीशन से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का औसत बैंकों का विनियोजन, 61 फीसदी के राष्ट्रीय औसत रेखा से नीचे है, उनकी मार्केट बोरिइंग ज्यादा बढ़ायी जाय, जिससे आने वाले 4–5 साल में वह राष्ट्रीय औसत के बराबर हो जायं । जैसे गाडगिल फार्मूला है उसी तरह से फार्मूला बनाया जाय ताकि सुविधा हो

सके । एस0 एल0 आर0 है, उसमें रुपया जमा होता है, यू0 पी0 का रुपया उसमें जमा होता है, और राज्यों का होता है । रिजर्व बैंक नया फार्मूला बनाये और प्लानिंग कमीशन स्वीकार करे ताकि मार्केट बोरोइंग से उपलब्ध हो हमें धन । कर्ज लेना बुरा नहीं है । धन होने से, औरंया में क्रेकर प्लांट गैस का लग रहा है उसमें सुविधा होगी, नहरें बनेगी तमाम कार्य होगें । 5–10 फीसदी देंगे तो 14 फीसदी कमायेंगे । इसी तरह से सारे संसार की गाड़ी चलती है । जापान भी सबसे बड़ा कर्जदार है, अमेरिका नम्बर 2 पर है, अपने मुल्क का कर्जा लिया है, अपने लोगों का कर्जा लिया है । विकासोन्मुख युग में अपनी जनता की पूंजी को लेना बुरा नहीं है । जनता के बीच में धारणा बनेगी तो दुखदायी होगा, आप हर कर्ज को गलत कह देंगे । जनता बचत कहां कर सकती है ? जनता के लिये वह बचत है, हमारे लिये कर्ज है । अल्प बचत योजना में, बचत के माध्यम से धन जमा होता है, जनता के लिये वह बचत है, साढ़े बारह–साढ़े तेरह प्रतिशत ब्याज मिलता है और हमारे लिये कर्ज है क्योंकि वह कर्ज राज्य लेता है । यह कोई बुरी बात नहीं है । सारे संसार में यह प्रक्रिया चलती है । कर्ज को बुरा कहने से जो विकास की रणनीति है जो बीसवी शताब्दी का दृष्टिकोण है उससे हम दूर हो जायेंगे । मार्केट बोरोइंग हम ज्यादा प्राप्त करें, इसे बुरा नहीं समझना चाहिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

राष्ट्रीय औसत के नजदीक ले जाने का सुझाव आप दे रहे हैं । खुद के ऋण–जमा में जो असंतुलन है उसको दूर करने के लिये कुछ सुझाव नहीं दिया । कोआपरेटिव बैंक को लें, देहाती क्षेत्रों के जमा धन को अरबन ब्लाकों में दिया जाय इससे असंतुलन पैदा हो रहा है । वहां ज्यादा पैसा देहातों का ही जमा होता है, उससे पूरा ऋण देहात वालों को नहीं मिलता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया । माननीय सहकारिता मन्त्री जो भी बैठे हुए हैं । यहां 2–1 कोआपरेटिव बैंकों को छोड़कर, उनको इन्डस्ट्रियल लोनिंग का अधिकार नहीं है । नाबार्ड जो भी मदद करने वह इस शर्त के साथ करते हैं कि जो फाइनेंस होगा, उसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, कृषि प्रधान क्षेत्रों में होगा । कोआपरेटिव बैंकों का यही नियमन है । एक संस्था बनायी गयी है जिसे रूरल बैंक कहते हैं । ग्रामीण बैंक और दूसरे बैंकों में फर्क है । ग्रामीण बैंकों में जो धन जमा होता है उसका उपयोग छोटे मझोले किसानों के लिये खेतिहर मजदूरों के लिये और दस्तकारों के लिये ही है । उद्योग में उसका विनियोजन नहीं हो सकता है । वह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है । उनका भी कंसेप्ट यही है जिसका कि उल्लेख माननीय सदस्य ने किया । लेकिन जिस दिन हम 61 फीसदी मारकेटिंग बोरोइंग कर लेंगे, उससे गांवों को भी लाभ होगा और शहरों को भी लाभ होगा । उद्योग लगाना कोई बुरा नहीं है । 3 लाख उद्योग लगाने की जो बात हमने कही है, हमें विश्वास है कि अगले 5 वर्षों में हम उसे पूरा कर लेंगे । 1 लाख जो छोटे उद्योग लगाने हैं, जिसमें से हम 70 हजार के करीब लगा चुके हैं, शेष 28–30 हजार उद्योगों को हम इस वर्ष लगा सकेंगे, यह हम आशा है । ये छोटे उद्योग रोजगारपरक होते हैं, चाहे वे टाउन एरियाज म लगे या शहरों में लगे ।

नेता विरोधी दल ने एक सुझाव और दिया––यह कहा कि प्लान खर्च में और नौन प्लान खर्च में 2 गुने का फर्क होना चाहिए था, किन्तु हमारा तीन गुना फर्क

हैं । यह कोई नाम नहीं है । यह सही है कि नान प्लान मे कम खर्च होना चाहिए । मैं बताना चाहता हूं कि आयोजनेतर व्यय कम हुआ है केवल एक ही बात में वृद्धि हुई है वह है कर्मचारियों की तनख्वाह व भत्तों में । इसमें हमारी मजबूरी रही है, इसमें आप लोग भी साझीदार हैं । सदन में इस सवाल को बार-बार उठाया गया । हम भी चाहते हैं कि एक बार कर्मचारी बुनियादी तौर पर संतुष्ट हो जायें और उसके बाद वह प्रदेश के विकास में लग जाये । रोजाना हड़तालों से विकास के कार्य रुकते हैं । इसीलिए समता समिति का गठन किया गया है ताकि पोस्ट टु पोस्ट पैरिटी दी जा सके । फाईनेन्स कमीशन को भी इस बात का अन्दाजा लगाना होगा कि हम यह केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रावधान नहीं कर रहे हैं बल्कि अन्य राज्यों में भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रावधान करना है । एक बार पैरिटी हो जाने से इसमें नियमन आ जायेगा और जो ये रोजाना हड़तालें होती हैं, काम धन्धे बन्द हो जाते हैं, वह समाप्त हो जायेगा ।

मैं आज इस सदन के माध्यम से अपने प्रदेश के कर्मचारियों से अपील करता हूं कि इस प्रकार की छुट-पुट हड़तालें बन्द होनी चाहिए । समता समिति के समक्ष वह जायें और पोस्ट टु पोस्ट पैरिटी दिलाने में वह उसकी मदद करें । वह बतायें कि वहां यह पोस्ट है और यहां पर फलां पोस्ट उसके समान है । अब हजारों की संख्या में पोस्ट हैं, उसे निकालने में कुछ समय तो लगेगा ही । अगर कहीं गलती हो गई तो कुछ लोग नाराज होकर कोर्ट चले जायेंगे और स्टे ले आयेंगे, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न होगी । हम भी चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो और न्यायपूर्वक उन्हें पैरिटी मिले । जैसा कहा गया है कि मार्च तक समता समिति अपना काम पूरा कर लेगी । 200-250 एसोसिएशनों ने अपना साक्ष्य दे दिया है, 40-50 और रह गई हैं, जिन्हें साक्ष्य देना है, उसके बाद समता समिति अपना काम करेगी । इसे 3-4 महीनों में पूरा होना है । लेकिन उसके लिये प्रतीक्षा हो और इसमें कोई किसी प्रकार की नीयत का प्रश्न नहीं है, देर नहीं करेंगे । जब रुपया दे ही दिया तो अब देने में क्या है चाहे 40-50 करोड़ रु० इधर हो या उधर हो । जब पोस्ट टु पोस्ट पैरिटी का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है, फिर क्या बात है । अब यह जानकर दुःख होता है कि कहते हैं कि देर हो रही है । देर नहीं हो रही है बल्कि अन्धेर न हो, इसका प्रयास हो रहा है । समता समिति सही समता कर सके इसके लिए समय दिया जा रहा है । यह सारा काम जो समिति है, जो एक्सपर्टस की कमेटी है, वही कर सकती है और कर रही है । अब हड़ताल का होना दुख की बात है । सदन का हर सदस्य ऐसी हड़तालों से असहमत होगा, अब भवनों को हड़ताल होने लगी है । किसी विभाग की नहीं बल्कि भवन की हड़ताल । इतना अनुरोध मैं अवश्य करूंगा कि इस प्रकार की हड़तालें किसी प्रकार से भी प्रदेश के हित में नहीं हैं । मैं आग्रह करुंगा कि इस प्रकार की हड़तालें अब न हों । कोई विशेष बात हो तो हम तैयार हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपका व्यवहार और आचरण ठीक होगा तो हड़तालें नहीं होंगी नहीं तो हड़तालें तो होंगी ही ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जहां तक हमारे व्यवहार की बात है, हमारे व्यवहार में कोई त्रुटि नजर आये तो बताइएगा । हम तो आपके व्यवहार से अच्छा ही व्यवहार कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सरकार की नीतियां जो प्रजातन्त्र विरोधी हैं, उसका विरोध करने का कर्मचारियों को अधिकार तो है ही ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं समझता था कि हमारे सम्मानित नेता भाजपा अधिकार और कर्तव्य दोनों पर समान रूप से बल देते हैं । अधिकारों पर जितना बल दे रहे हैं, कर्तव्यों पर भी दें ।

इसमें यह आलोचना की गयी है कि यह चुनावी बजट है । इसीलिये कई योजनाओं की घोषणा है क्योंकि चुनाव आ रहा है ।

श्री सत्यपाल सिंह--

अगर योजना होती तो नहीं कहा जाता इसमें तो बच्चों को बहलाने वाली छोटी-मोटी बातें कहकर चुनावी बजट के रूप में दिया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

लेकिन आप उस बहलाने में नहीं आये ।

(हंसी)

मैं आश्वस्त करूंगा सम्मानित नेता, विरोधी दल को यह चुनावी बजट नहीं है । समाजवादी बजट को आज के युग में चुनावी बजट कह दिया जाता है । प्रदेश में चुनाव कहां हो रहे हैं ? चुनाव तो अगले साल होंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह--

पार्लियामेण्ट के तो हो रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हम तो अपना शासन यहां चला रहे हैं । अब पता चला कि माननीय नेता, विरोधी दल का ध्यान पार्लियामेण्ट के चुनाव की ओर था ।

(हंसी)

हमें अपने राज्य की सोचना है । आज तो चुनाव हो चुके हैं ग्राम सभा से लेकर नगर महापालिकाओं तक । मैं आभारी हूं कि उन्होंने यह नहीं कहा कि यहां के चुनाव जीतने के लिये यह बजट था । चुनाव का होना कोई गलत बात नहीं है । यह चुनावी बजट नहीं है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि पिछले चुनाव के मौके पर जो चुनावी मैनीफेस्टो था, उसको पूरा करने वाला बजट अवश्य है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट)

श्री राम शरण दास--

आपने इसमें जिक्र नहीं किया बीबियों का, अगर बीबियां हड़ताल करें तो क्या होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तब बजट बनाने में आपकी सहायता प्राप्त करेंगे ।

(हंसी)

तो श्रीमन् मैं निवेदन कर रहा था कि यह चुनावी बजट नहीं है बल्कि पिछले चुनाव में जो वायदे किये गये थे, जिनको कि पूरा करने का प्रयास पिछले चार सालों से बराबर किया जाता रहा है । लगातार, उन्हीं वायदों को पूरा करने का इसमें प्रयास किया गया है । भरसक प्रयास किया गया है संसाधनों के जुटान में और मैं आशा करता था कि माननीय नेता विरोधी दल मेरा उत्साह बढ़ायेंगे और कहेंगे कि शाबास, इसी तरह से लगे रहो, हम भी तुम्हारे साथ हैं । लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने हमारा उत्साह नहीं बढ़ाया है और उन्होंने इसे इलेक्शन मैनीफेस्टो की संज्ञा दी है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, इसी में मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा, क्षमा करें कि जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है इसमें अनुमानित परिव्यय कितना है और वास्तविक परिव्यय कितना है ? मेरे विचार से इसमें 400 करोड़ रु0 का शार्ट फाल है क्योंकि आपकी सारी योजनायें जो हैं वह अधिकतर केन्द्र के अनुदान पर और कर्ज पर चल रही हैं और जितने आपके कारपोरेशन्स हैं, यह जो बजट में नत्थी है इसमें जितने कर्ज सरकार ने जिस संस्था से लिये हैं, आज तक उसे वापस करने का नाम नहीं लिया है । जो फायदे में हैं उनकी सारी पूंजी आपने चूस ली है । वैसे तो आप वित्तीय मामलों के महारथी है, इस विषय पर भी मैं आपकी सुनना चाहूंगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अगर आपके पास बजट साहित्य है तो उसमें जो स्मृति-पत्र है उसे जरा आप निकाल लें, है क्या आपके पास ? बजट साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण परिपत्र होता है और वह है मेमोरन्डम । उसमें पिछले वित्तीय वर्ष का एक्चुअल, वर्तमान वर्ष का रिवाइज्ड इस्टीमेट तथा अगले वर्ष का आऊट ले होता है उसमें । इस तरह से बजट का आकार-प्रकार उसमें होता है । यदि आप उसे देखेंगे तो उसमें सभी शंकाओं का समाधान लिखा हुआ है । जैसे कि माननीय सदस्य, बरेली ने कहा था कि लोक लेखा की प्राप्तियों को जोड़ दें तो घाटा नहीं रहेगा । यह बात सही है कि प्राप्तियों को जोड़ कर देखें तो घाटा कम हो जाता है ।

संसाधनों में जो कमियां हैं, इसमें हमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है । होता यह है कि जिस संसाधन को प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं, इसका विरोध शुरू हो जाता है । मुझे विश्वास है कि अब भविष्य में जो संसाधन जुटाने का हमारा प्रयास होगा उसमें आप सब हमारा सहयोग करेंगे ।

ऐसा नहीं है कि सारे निगम घाटे में हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य कई माननीय सदस्यों ने इसका बड़े जोर-शोर से उल्लेख किया था । ऐसा नहीं है कि निगमों का व्यापार नहीं बढ़ा है । हमारे लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों की संख्या बढ़ी है । नेता विरोधी दल ने सही कहा कि 62 उद्यम हैं और अब एक उद्यम और बढ़ा है "हिल इलेक्ट्रानिक्स" के नाम से । 1984-85 तक हमारे लाभ प्राप्त करने वाले उद्यम 30 थे जिनसे सरकार को लाभ का 138 करोड़ रु0 प्राप्त हुआ । इसमें विद्युत परिषद् को नहीं जोड़ा गया है । उसका मैं अलग से जिक्र करूंगा । तो मैं कह रहा था कि हमारे लाभ अर्जित करने वाले उद्यम 1984-85 में 30 थे जो कि बढ़ करके इस

वर्ष 81 हो गये हैं । उन्होंने उस समय जो 138 करोड़ रु0 का लाभ अर्जित किया था उसके अनुपात में आज लाभ बढ़ करके 226 करोड़ रुपया हो गया है । ऋण जो है वह 91 करोड़, 47 लाख रु0 का है जो अब घटकर 77 करोड़, 63 लाख रु0 रह गया है, तो ऐसा नहीं है यदि आप देखें तो मालूम होगा कि लाभ बढ़ा है और हानि कम हुई है । लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं और मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि निगमों के प्रबन्ध को और अधिक अच्छा बनाने की आवश्यकता है, जिससे हमारा भविष्य में लाभ भी बढ़ेगा और हानि भी कम होगी । आज हम जितनी सब्सिडी देते हैं, चीनी मिलों को और जो गन्ने के दाम बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ हम जो बीमार मिलों को बराबर देख रहे हैं, उनको अपने हाथ में लेकर उनका सब्सिडी आधुनिकीकरण कर फिर चला रहे हैं चाहे वह शाहगंज हो, देवरिया हो, नवाबगंज हो और चाहे वह पितालपुर हो । इस तरह से जब यह आधुनिकीकरण के बाद चलेंगी तो हमारा सारा घाटा पूरा हो जायेगा, यह घाटा क्या है हमारा ? यही है इसी प्रकार का सब्सिडी के रूप में । दूसरे किसानों को अच्छी मिलों के बराबर बीमार मिलों के दाम भी देने होते हैं, जैसे खड्डा है, नवाबगंज है, पितालपुर है, इन सबके दाम भी हम अच्छी मिल की तरह से अच्छे दाम किसानों दे रहे हैं, इसी को कहिए आप कि निगमों में घाटा है, यह घाटा नहीं है असल में सब्सिडी है जो कभी 63 करोड़ रु0 की होती है तो कभी 64 करोड़ रु0 की होती है । इसके लिए हम आगे क्या कर रहे हैं कि जो केन्द्र का फण्ड है "सुपर डेवलपमेन्ट फण्ड" इस सम्बन्ध में एक आधुनिकीकरण योजना बनाई जा रही है, जो इधर की बीमार चीनी मिले हैं, उनको टेकिल कर रहे हैं ताकि उनका भी जल्दी से जल्दी आधुनिकीकरण हो सके जैसे मोहिउद्दीन है, मांलयाना है और बुलन्दशहर है, जो लगभग 50 साल पुरानी है, को अब इस चरण में आधुनिक बनाना है ।

श्री किरनपाल सिंह--

17 करोड़ रु0 का घाटा है मलियाना में ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसीलिए तो आपको बधाई देनी चाहिए कि जो काफी पहले की पुरानी बीमार चीनी मिले हैं, जिन्हें हम आधुनिकीकरण आधुनिक करने जा रहे हैं, ताकि उस क्षेत्र के किसानों को किसी प्रकार का घाटा न हो, इसके लिए आपको तो बधाई देनी चाहिए ।

श्री किरनपाल सिंह--

धन्यवाद ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तो आप देखेंगे कि जो हानि है, वह कम हुयी है । इस प्रकार से मैं एक कार्य और करने जा रहा हूं कि जिन विद्वान माननीय सदस्यों ने हमें अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक सिंगल मेम्बर इकनामी कमीशन के स्थापना का निर्णय लिया है । हमने यदि कहीं पर मितव्ययिता की और यदि कहीं फिजूलखर्ची की या किसी भी विभाग में यह सब हो रहा है तो यह सिंगिल मेम्बर कमीशन उसे देखेगा और हमारी स्टीमेट्स कमेटी जो है, इसकी रिपोर्ट्स भी वह देखेगा । इस प्रकार से यह मालूम हो सकेगा कि कहां पर मितव्ययिता हो रही है और कहां पर फिजूलखर्ची हो रही है, हर विभाग की रिपोर्ट यह देगा जिस पर शासन अपने एक्सपर्ट रखेंगे और फिर जो विशेष की निष्पक्ष राय होगी, कार्यवाही उसी के अनुसार होगी ।

श्री सत्यपाल सिंह--

आपने जैसा कि कहा कि सिंगिल मेम्बर इकानामी कमीशन की स्थापना करने जा रहे हैं जो विभागों के खर्चों व मितव्ययिता के फर्क को देखेगा और यह भी देखेगा कि सार्वजनिक उपक्रमों में घाटा कम हो और इसी सिलसिले में आपने एक जानकारी दी कि 62 निगमों के अन्तर्गत 34 निगम ऐसे हैं जो लाभ दे रहे हैं और 28 ऐसे हैं जो हानि में हैं। तो जो 34 लाभ में चल रहे हैं, उनमें अब तक कुल कितना लाभ हुआ है और जो 28 हानि में हैं उनमें अब तक कितना कुल घाटा हुआ है, यह बता दीजिए...

श्री नारायण दत्त तिवारी--

1984-85 में लाभकारी 30 निगम थे 1962 में, जो बढ़कर लाभकारी 34 हो गये। 1986-87 में। इनका कुल व्यवसाय 1984-85 में 1599 करोड़ रुपये का था, बढ़कर 1986-87 में 2 हजार 249 करोड़ 70 लाख हो गया। लाभ 138 करोड़ 54 लाख का हुआ है, 1984-85 में 30 निगमों का जो बढ़कर 34 निगम लाभकारी हो गये हैं और लाभ 226 करोड़ 61 लाख हो गया है। हानि 25 निगमों पर थी 1984-85 में, अपेक्षाकृत छोटे निगमों में 91 करोड़ 47 लाख रुपये थी और 1986-87 में 21 निगमों की 77 करोड़ 63 लाख रह गयी। तो हानि घटी है।

विद्युत् परिषद् की हानि, इसको हम अलग से ले रहे हैं। यह अपने में एक संस्था है, जिसका महत्व है। इसमें 264 करोड़ 50 लाख रुपये की हानि 1984-85 में थी, जो घटकर 1986-87 में 177 करोड़ 53 लाख रुपये रह गयी। श्रीमन् विद्युत् परिषद् की हानि के कारण आप देखें।

श्री सत्यपाल सिंह--

आपने एक निगम को छोड़ दिया, उसके बारे में नहीं बताया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हिल इलेक्ट्रानिक्स नया है, यह पहले अपट्रान का ही एक हिस्सा था। उसके आंकड़े अलग से रखेंगे और जब उद्योग विभाग का बजट हो तो आप पूछ लीजियेगा। तो विद्युत् परिषद् में घाटे का मुख्य कारण आप देखें, प्रति यूनिट उत्पादन व्यय क्या है, कितना खर्च होता है प्रति यूनिट बिजली पैदा होने में और मिलता क्या है। आज देहात को बिजली देने में कितनी सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप हिसाब लगावें तो 1986-87 में विद्युत् विक्रय में वृद्धि नहीं हुई है। 3 साल से कोई वृद्धि नहीं हुई है। निजी नलकूपों को बिजली की दर में पहली जनवरी, 1982 से कोई वृद्धि नहीं हुई है। सात साल हो गये हैं। विद्युत् उत्पादन, ट्रान्समिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लागत बढ़ी है, तनख्वाहें बढ़ी हैं, फ्यूल की कीमत बढ़ी है और दो वर्षों में निजी नलकूपों में बिजली की खपत बढ़ी है और इन्डस्ट्री को बिजली कम मिली है क्योंकि रूरल एरिया का रेट कम है। सूखे के कारण हाइडिल पावर कम हुई है, जब विद्युत् कम पैदा हुई है। नदियों में पानी कम रहा है और कोयले की विद्युत् जो ज्यादा महंगी है, उसकी कीमत बढ़ी है और चोरी भी बढ़ी है। चोरी रोकने के लिये अभियान चलाया गया है और उसके सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री जी ने बताया है। चोरी बहुत बड़ा अभिशाप है, जिसके लिये अभियान चलाना होगा। जो ओवरलोडिंग होता है, उसके कारण ट्रान्सफारमर फुंकते हैं।

श्री शारदा नंद अंचल--

[×××] ने बिजली की चोरी की है।

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हरे राम, हरे राम। अंचल जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप यह देखें कि किस पर आरोप लगा रहे हैं, इसको देखें। इस प्रकार के आरोप लगाने से आपने नाम लिया, एक ऐसे सम्मानित सदस्य का जो यहां पर नहीं हैं। मैं आग्रह करूंगा कि परम्परा रही है कि जो सदन में न हो उसका नाम न लें। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो समाज ऐसा समझता है कि हम सभी ऐसे हैं। जो हमारा सम्मान है समाज में, उसको हम खुद कम कर रहे हैं। हमारा ऐसा दृष्टिकोण हो गया है कि सब बेइमान हैं प्रजातन्त्र में विश्वास कम होता है लोगों का जब हम इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं सबको बेइमान साबित करने की कोशिश करते हैं..(व्यवधान) ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अंचल जी ने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उन्होंने नाम लिया है।

श्री मैनेजर सिंह—

उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेन्ट की हैसियत से कहा है कि अभी 10 फरवरी को जो यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी तरफ इशारा किया था।.. (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैनजर सिंह जी जैसे वरिष्ठ सदस्यों को यह बात शोभा नहीं देती। इसलिये अंचल जी अपने अंचल में रहें तो ज्यादा शुद्ध रहेंगे। वास्तव में स्थिति यह है कि—

काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो,
काजल को दाग जो लागी सो लागै है।

हम लोग ऐसे कठघरे में खड़े हैं, जहां से हमें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हम राजनीतिक लोग एक दूसरे के लिये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं और हम सब के लिये क्या-क्या छपता है। इस तरह से हमारी शान नहीं बढ़ती बल्कि विश्वास घटता है एक दूसरे के प्रति। इसलिये मैं आग्रह करता हूं कि इसको आप कम करें, रोक तो शायद सकते नहीं।

तो श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि 10 घंटे बिजली देने की बात होती है। इस समय हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर 52 प्रतिशत हो गया। मैं अपने इन्जीनियर्स और कर्मचारियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने आज प्लान्ट लोड फैक्टर 52 प्रतिशत कर दिया जो अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसकी वजह से इसी जनवरी, 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 11.4 घंटे बिजली दी गई। 10 घंटे से भी ज्यादा दी गई सवा ग्यारह घंटे दी गई। यह हो सकता है कि कहीं पर ट्रान्समिशन ऐन्ड डिस्ट्रिब्यूशन में कमी हो, ट्रान्सफारमर खराब हो गये हों और कमी हो गई हो और इसीलिये किसी क्षेत्र विशेष में बिजली न आयी हो। लेकिन आमतौर पर बिजली का उत्पादन बढ़ा है। बिजली बोर्ड की अपनी कठिनाइयां हैं। उसकी सहायता हमें करनी है। बकाया भी न हो तो बकाया बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से घाटा नहीं होगा तो क्या होगा। घाटे का एक कारण यह भी है कि आगे हमारी नई योजनायें बन रही हैं। पहले तो

बिजली की मशीनें 50/55 मेगावाट की थीं, फिर 110 मेगावाट की हुई, फिर 220 मेगावाट की हुई और अब 500 मेगावाट की आ रही हैं । पहले कम विद्युत् क्षमता की इकाइयां थीं, थरमल की एफीसियेन्शी कम थी, अब ज्यादा हैं ।

पहले जो बिजली घर हमारे बनते थे वह दो-सौ करोड़ के थे अब वह 2 हजार करोड़ के बन रहे हैं । आनपारा दो हजार करोड़ का है । इस प्रकार हमें दो हजार करोड़ रुपये का इन्तजाम करना होगा । इसके लिये बिजली बोर्ड को कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जे का ब्याज भी ज्यादा होगा । आनपारा बिजली घर के लिये हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है कि उसमें दस्तखत कर दें नहीं तो जापान का ऋण दूसरे राज्य को चला जायेगा । अब दस्तखत नहीं करते हैं तो हम योजना से हाथ धो बैठेंगे और करते हैं तो बिजली बोर्ड को इसी मार्च में 110 करोड़ रुपया देना है । राज्य के हित में यह है कि वह आनपारा बने, उसके लिये पैसे का इंतजाम हो, हम उसकी बहुत फिकर में हैं कि कहां से इंतजाम करें ताकि पहली किस्त का पैसा देकर सुनिश्चित कर सकें उसके लिये कम से कम 10 फीसदी जो आर्डर है उसे देना होगा । हमारा बिजली बोर्ड पहले से घाटे में चल रहा है, 110 करोड़ का और भार बढ़ाने की बात है लेकिन उसे हमें करना है क्योंकि 2 हजार करोड़ की योजना है उसकी इतनी किस्त होती है । तो इस प्रकार घाटा तो यह नहीं है यह पूंजीगत व्यय है क्योंकि भविष्य के लिये इतना बड़ा बिजली घर बन रहा है और यह पूंजीगत व्यय हो रहा है । मैं आग्रह करूंगा बिजली बोर्ड के लिये विशेष रूप से सद्भावना की आवश्यकता है और इसका जो बकाया है वह भी कुछ न कुछ मिलता रहे ।

श्रीमन् निगमों के घाटे के बारे में विशेष उल्लेख माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दो एक और माननीय सदस्यों ने कहा और प्रतापगढ़ आटो ट्रैक्टर्स का जिक्र किया । श्रीमन् आटो ट्रैक्टर्स को अपनी समस्या है । यह ठीक है कि वह घाटे में चल रहा है । मैं जो माननीय नेता विरोधी दल को समझा उन्होंने कहा इसे बंद कर देना चाहिये । उन्होंने जो कहा वह मैंने ठीक ही सुना कि उसे बंद कर देना चाहिये । नेता विरोधी दल क्या आपने यही कहा ?

श्री सत्यपाल सिंह--

पूरी बात सुन लीजिये मेरी जानकारी के मुताबिक मैंने कहा प्रतापगढ़ ट्रैक्टर का अगर 5 लाख का घाटा है तो ऐसे निगमों को बंद करना चाहिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यही है । यह रास्ता सुझाया है, अच्छा है कि यदि निगम नहीं चला सके तो बंद कर दें अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है क्योंकि घाटा ज्यादा है । लेकिन हमारे सामने यह आसान रास्ता नहीं है । बंद कर देने से दो हजार मजदूरों के भविष्य की समस्या आयेगी । हम चाहते हैं कि प्रतापगढ़ जैसे जिले का औद्योगीकरण हो इसे बंद करने के बजाय हम इसे चालू रख सकें । इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर में हम असफलता इसे न माने उसमें नये इंजन बनायें क्योंकि प्रतापगढ़ पहले से पीछे है ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि आपने सही बात कही वह प्राफिट में जायेगा इसमें कोई संदेह नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह बात ठीक है कि घाटे पर कोई निगम नहीं चलना चाहिये। हमारा प्रयास है कि यह सही रूप में चल सके। इस आटो ट्रैक्टर्स के लिये हमारी कोशिश है कि बी० एच० ई० एल० ले सके एच० एम० टी० ले सके या ज्यादा हुआ तो कोई और पब्लिक अंडरटेकिंग ले सके। प्रतापगढ़ का यह जो अटोट्रैक्टर्स है यह बुनियाद है वहां के औद्योगीकरण के लिये, उस मण्डल के लिये वह लाभकारी हो इस आधार पर वह चले यह हमारा प्रयास होगा।

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने तमाम जो दूसरी आवश्यकतायें हैं उनका उल्लेख किया विशेष रूप से आरक्षण के संबंध में उन्होंने कहा।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, जरा यह बता दें कि स्कूटर इंडिया को क्यों बंद कर दिया क्यों उसको सुधारा नहीं जा सकता है। आटो ट्रैक्टर्स को आप सुधार भी नहीं रहे हैं जिससे प्रदेश पर वित्तीय भार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आपने स्कूटर इंडिया को क्यों बन्द कर दिया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पहली तो अच्छी जानकारी प्राप्त की। पहले तो स्कूटर्स इंडिया हमारा नहीं, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है।

श्री सत्यपाल सिंह—

(व्यवधान) कहा है कि बगैर आपकी अनुमति के स्कूटर्स इंडिया नहीं बिकेगा, नहीं बिक सकता। फिर यह क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नेता विरोधी दल तो कभी नाराज होते नहीं, यह नाराजी का आभास कैसे। वह नाराज हो जायेंगे तो सदन ही कैसे चलेगा।

एक सदस्य—

आप नाराज होंगे तो यह नाराज नहीं होते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं तो नाराज हो ही नहीं सकता खासकर नेता विरोधी दल से और संसदीय परम्परा में किसी का नाराज होना भी नहीं चाहिये। यह नाराज होना भी असंसदीय हो जाता है। मैंने तो केवल बात कही, उसका समाधान करने की बात कही। आपने सही कहा कि यदि घाटे में कोई संस्था चल रही है तो वह बन्द हो जानी चाहिए। लेकिन मेरा प्रयास यह है कि बन्द न हो ..

(व्यवधान)

सुधार करिये, सुधार का सुझाव दीजिए, बन्द का नहीं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन् जब नेता सदन इधर बैठते थे, तो कारपोरेशन के बारे में उनके विचार थे कि उनके घाटे को दूर करने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए जिस तरह से सेन्टर

में रेलवे बजट पहले और अलग से आता है, उसी तरह सारे सार्वजनिक उपक्रमों का प्रदेश में अलग से बजट आना चाहिए और उसपर यहां विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तो क्या आपके अब भी वैसे ही विचार हैं और यदि है तो क्या उनको अमली-जामा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह स्पष्टीकरण बाद में लें तो अच्छा रहेगा और यह बाद में दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मेरे विचार इस सम्बन्ध में बदले नहीं हैं। विचार तो ऐसे ही होते हैं गिलास का आधा पानी खाली है और आप उसे कहते हैं कि गिलास खाली है और मैं कहता हूं कि भरा हुआ है। आधा गिलास बीच में भरा हुआ रखा हुआ है। आप कहेंगे कि खाली है मैं कहूंगा कि नहीं, भरा हुआ है और पूरा भरेगा। तो यह वैसी ही बात है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में मेरे विचार बदले नहीं हैं। हर एक का अलग बजट बनता है और हर एक अंडरटेकिंग्स का बजट सदन में पेश होता है बजट के तौर पर या परफारमेंस बजट के तौर पर। लेकिन वह हमारे बजट का हिस्सा नहीं है और वह हो भी नहीं सकता है। जैसे बिजली बोर्ड का बजट कभी हमारे बजट का हिस्सा नहीं बना। केवल जो ऋण हम देते हैं योजना के लिए वह दिखाई देता है कि विद्युत बोर्ड को इतना ऋण दिया जायेगा। उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाती है। यही केन्द्र में भी होता रहा है और यहां भी होता है। इसलिए भी उपनेता विरोधी दल, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी अलग से सदन में बनाई गई है।

श्री भगवान सीन कुशवाहा—

मान्यवर, यह जो मंत्रियों की फिजूलखर्ची हो रही है करोड़ों रुपयों की। इसके लिए आप कौन सा आयोग गठित कर रहे हैं? यह 8–10 करोड़ रुपया सारा मंत्री लोग खर्च करते हैं तो इसके लिए कौन सा आयोग गठित कर रहे हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बात यह है कि मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह इन्हें यह सुअवसर दें कि माननीय सदस्य मंत्री हो सकें और वह अपने खर्चे को कम कर सकें। मैं यह निवेदन कर रहा था पब्लिक अंडरटेकिंग्स में सिर्फ रेलवे बजट के अलावा दूसरी अंटरटेकिंग्स का बजट सेन्टर में अलग से पेश नहीं होता। केवल रेलवे का बजट परम्परा से पेश होता रहता है। एन0 ए0 एल0 का बजट नहीं होता है और किसी भी उपकरण का अलग से पेश वहां नहीं होता है। जिसकी व्यवस्था केन्द्रीय अधिनियम में है ऐसे मामले यहां सदन में अलग से पेश होते हैं। पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी उनकी अलग से जांच करती है, लेकिन पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी भी उन पर विचार करती है, तो उनका बजट अलग से होता है। वह बजट का हिस्सा नहीं हो सकता है। श्रीमन् मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण के सम्बन्ध में कई निर्णय लिए गये हैं और आगे लेने जा रहे हैं आदेश जारी हो रहे हैं एक चयन समिति बनाई जाएगी, जिसमें पांच मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की समिति में रखेंगे और पांच बड़े अफसरों को। इसमें छः आदेश जारी हो गये हैं :—

1—विभागीय चयन समितियों में अनुसूचित [जाति/जनजाति के एक सदस्य को रखा जाना।

2—सेवाओं में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को पूरा करने एवं तद्विषयक विभिन्न शासनादेशों को कार्यान्वित करने के संबन्ध में वार्षिक प्रविष्टियों मे उल्लेख ।

3—राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व में अपेक्षित सुधार हेतु आरक्षित वर्ग के लिए विशेष चयन ।

4—राज्याधीन सेवाओं में अल्पकालीन तथा अवकाश रिक्तियों, तदर्थ नियुक्तियों, दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों तथा कार्य प्रभारित (वर्क चार्ज) नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण ।

5—सेवाओं में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व/अनारक्षित (डी-रिजर्वेशन) नियम का पुनर्विलोकन ।

6—निगमों आदि की सेवाओं हेतु गठित की जाने वाली चयन समितियों में अनुसूचित जाति के अधिकारी का मनोयन किया जाना ।

दस कदम जो और उठाये जा रहे हैं उनके बारे में बता दूं—

1—आरक्षण सम्बन्धी आदेशों/निगमों के उल्लंघन के विरुद्ध "अम्बुड्समैन" की स्थापना तथा लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन करके लोकायुक्त को इस संबंध में अतिरिक्त अधिकार प्रदान किया जाना ।

2—आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश के संकलन का पुनरीक्षण ।

3—सेवा निवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकार सशर्त प्रदान किया जाना ।

4—स्थानान्तरणाधीन अधिकारियों पर अधीनस्थ स्टाफ की नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाया जाना ।

5—तदर्थ सेवाओं में विनियमितीकरण में आरक्षण सम्बन्धी प्राविधान लागू किया जाना ।

6—सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

(व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल—

माननीय, मेरा स्पष्टीकरण है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पहले पढ़ तो लेने दें । अंजल आपका बहुत विशाल है बाद में आपसे मोती प्राप्त करते रहेंगे ।

7—समूह "ग" के अधिक से अधिक पदों पर चयन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा कराया जाना ।

8—यदि आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु रिक्त पद उपलब्ध न हों तो पदों का सृजन कराया जाए ।

होता क्या है कि ट्रांसफर जब होने लगते हैं तो वर्कचार्ज और एडहाक में आदमी भर देते हैं तो आरक्षण नहीं हो पाता है, तो ट्रांसफर के बाद भर्ती न करें ऐसी व्यवस्था की गई है, इसके अतिरिक्त जब सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति हो जाती है, 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है तो भी वह 100-200 की भर्ती कर देते हैं, तो इसको रोकने का प्रयास किया गया है ।

9--मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाना जिसमें आरक्षण की स्थिति की त्रैमासिक समीक्षा की जाए । मंत्रि परिषद् स्तर पर आरक्षण स्थिति की सामयिक समीक्षा करने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो स्थायी रूप से हर तीन महीने में आरक्षण व्यवस्था का ध्यान रखेगी ।

श्रीमन्, मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे काफी बिन्दुओं का उल्लेख करना पड़ा । श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने बुन्देलखंड को विशेष स्थिति का उल्लेख किया है । इस योजना काल में बुन्देलखंड की विकास योजनाओं के लिये इतिहास में इससे पहले इतनी धनराशि का प्राविधान कभी नहीं किया गया है । सिंचाई योजनाओं के लिये, वृहद और मध्यम परियोजनाओं के लिये 1231 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के लिये 125 करोड़ रुपय व्यय किये जाने का प्रस्ताव है । वर्ष 1989-90 में इन परियोजनाओं के लिये कुल 253 करोड़ रुपये में से इस क्षेत्र के लिये 29 करोड़ रुपये का प्राविधान है ।

श्री मूल चन्द्र--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आरक्षण की बात कही । मैं यह जानना चाहता हूं कि इनको पूरा करने के लिये कोई मियाद रखी गयी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या इसको कोई मियाद है तो व्यवहारिकता के आधार पर हमारा यह प्रयास होगा कि अतिशीघ्र पूरा किया जाय । 17-18 प्रतिशत का आरक्षण श्रेणी-4 में है लेकिन श्रेणी क-ख-ग में मुख्य कठिनाई है । इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है । जहां प्रतिशत पूरा नहीं है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है थोड़ा समय जरूर लगेगा । यदि माननीय सदस्य का सहयोग होगा तो कोटा अवश्य पूरा होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है । सबसे बड़ी बात यह है नये पदों का सृजन, यदि रिक्त पद कोटा पूरा करने के लिये उपलब्ध नहीं है तो रिक्त पदों का सृजन किया जायगा कोटा पूरा करने के लिये ।

श्री मूल चन्द्र--

श्रीमन्, 40-50 साल हो गये हैं, कोटा अभी पूरा नहीं किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने वितरण व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है । श्रीमन्, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिये और कीमतों पर नियंत्रण करने के लिये प्रयास किये गये हैं ।

श्री मूल चन्द्र—

[×

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, कुछ नहीं लिखा जायगा ।

श्री मूल चन्द्र—

आरक्षण को पूरा करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये । मुख्य मन्त्री जी बोल रहे हैं, आप उन्हे सम्मान दीजिये । आप अपना भाषण कर रहे है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझे माननीय नेता विरोधी दल को सूचना देते हुये हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिये एक अभियान के रूप में कार्य किया गया है । 1988–89 में 26176 छापे मारे गये और 870 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । 1820 लाइसेंसों को निलंबित किया गया है तथा 2038 लाइसेंसों को निरस्त किया गया है । 6 करोड़ 14 लाख रुपये की आवश्यक वस्तुओं को जब्त किया गया है । यह कार्यवाही 9 महीनों में हुयी है । यह बहुत से आंकड़े समाचार–पत्रों में प्रकाशित नहीं होते तो मैंने सोचा टोटल करके सुविधा के लिये माननीय नेता विरोधी दल को दे दूं । यह अभियान अभी हमें जारी रखना है । माननीय नेता विरोधी दल का मैं आभारी हूं कि उन्होंने सुझाव दिया कि हमें शख्ती करनी चाहिये । मुझे विश्वास है कि आज जो समाज विरोधी तत्व कीमतें बढ़ाते हैं, वे आज समाज के मित्र नहीं हैं और इसलिये हमें इस सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था करनी होगी और इसीलिए हमें इस अपनी मशीनरी को पूरा टाइट करना होगा । हमारे अल्प संख्यकों के बारे में जो माननीय नेता विरोधी दल ने उल्लेख किया, श्रीमन् जो हमने इस बीच में बजट बनाया है, चाहे माइनारिटी फाइनेंस कारपोरेशन है, चाहे वक्फ विकास निगम है, चाहे मंडलीय विकास कारपोरेशन, चाहे ब्रासवेयर कारपोरेशन, चाहे कारपेट उद्योग हो, और फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने का सबसे बड़ा कार्य चल रहा है, यह जो दस्तकार वर्ग है उनकी आर्थिक स्थिति को हमें ऊंचा उठाना है ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय का माइनारिटीज में उसका एक स्थान है । तो उसके माध्यम से, इक्सटेंशन एजेन्सी के माध्यम से हम चाहते हैं कि 80 बड़े पैमाने पर जिलों में कार्य हो । 1984–85 में कार्य हुआ था । मैंने वाइस चान्सलर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अनुरोध किया है कि उनका हम सहयोग चाहते हैं, ताकि हम उपको आग बढ़ा सकें । श्रीमन् कई सुझाव दिये गय, बेरोजगारी के बारे में जो हमने कदम उठाये हैं, उसके सम्बन्ध में नेता विरोधी दल ने कहा है कि जो हमारे कार्य हैं, उनसे बेरोजगारी दूर नहीं होगी श्रीमन् आठवीं योजना में 3 लाख नये उद्योग लगाने का हमारा विचार है । श्रीमन् सातवीं योजना में 1 लाख उद्योग लगे हैं और आठवीं योजना में 3 लाख उद्योग लाने का विचार है । श्रीमन् हमारा दृष्टिकोण है

नोट :—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कि स्वरोजगार पर ज्यादा जोर दिया जाय। हर जिले में कैम्प चलाये जायेंगे इन्टरप्रिन्योर्स के। इन्टरप्रिन्योर्स के प्रशिक्षण के लिये लखनऊ में कैम्प लगाये जाते हैं। इस बजट में जो हमने प्रावधान किया है, चाहे कृषि स्नातक के लिये हो, चाहे दूसरे ग्रेजुएट्स हों, उनको स्वरोजगार के लिये तैयार करना यह सबसे बड़ा स्ट्रेटजी होगी।

मैं 8वीं योजना के लिए सहयोग चाहता हूं नेता विरोधी दल का और विरोधी पक्ष के सभी माननीय सदस्यों का, क्योंकि यह हमारे दल का ही कार्य नहीं है, यह पूरे प्रदेश का कार्य है। श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया, विकास की यात्रा अनन्त है। आज कोई नहीं कह सकता कि विकास की हमने सारी मंजिलें तय कर लीं, न रूस कह सकता है, न चीन कह सकता है, न जापान कह सकता है। श्रीमन् विकास की मंजिलें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा लगता है कि इसका कोई अन्त नहीं है। यह एक मील का पत्थर मात्र है। यह हर समस्या का समाधान एक वर्ष के बजट में नहीं हो सकता। लेकिन योजना जो है, पांच वर्ष की होती है, उससे यथोचित लाभ हो सकता है। क्षमा चाहता हूं कि हमारे संसदीय आघात से प्रतिघात हुआ हो। लेकिन यह करना भी मेरा कर्तव्य है, जो मेरी क्षमता है, उसके अनुरूप ही हमने प्रयास किया है। मैं पुनः चाहता हूं कि इस बजट को हम सर्वसम्मति से पारित करें और अगले बजट को तैयार करें। श्रीमन् माननीय नेता विरोधी दल का हमने करीब-करीब सभी सुझाव मान लिया है। विधवा पेंशन को हमने बढ़ा दिया है। माननीय नेता विरोधी दल ने पहले ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय कहा था कि विधवाओं की पेंशन बढ़ाइये। मैंने विधवाओं की पेंशन बढ़ा दिया है। बधाई दें, आपने कहा कि ऊसर क्षेत्र का इंतजाम नहीं है हमने फौरन 700 करोड़ की योजना अगले 5 साल के बारे में शुरू कर दिया हजारों एकड़ जमीन को एक साल में ऊसर बंजर जो है, वह मान लिया।

आपने शिक्षा के बारे मे बात कही उसमें सवाल था 13 लाख बालकों का, आप कहते हैं कि 4-5 रुपया कुछ नहीं है, 4-5 रुपया फीस माफ हो जाय तो क्या है, यह तो है कि बूंद-बूंद कर घड़ा भरता है, गरीब परिवार के लिए 4-5 रुपये भी ज्यादा है यह बात माननीय नेता विरोधी दल भी जानते हैं तो 13 लाख बालकों की आठवीं कक्षा तक फीस माफ हो गयी तो कुछ भी नहीं है तो बूंद-बूंद पानी तो है इसी तरह से बेरोजगारी के लिए जो हम सीमित साधनों में जो कर सकते थे, किया है। प्राइमरी स्कूलों के बारे में है 12 हजार स्कूल एक वर्ष में बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसमें सभी ग्राम सभाओं का पूरा सहयोग चाहिए। तो इसमें जो भी लक्ष्यांकी दृष्टि है वह हमारे आपके सामूहिक परिकल्पना को प्रतिबिम्बित करती है और इसलिए मैं दोहराऊंगा उस शेर को जो मैंने बजट भाषण के अन्त में कहा है--

आओ मिलकर इन्कलाबे ताजा नौ पैदा करें।
दहर पर इस तरह छा जायें कि सब देखा करें॥

उत्तर प्रदेश में हम कहीं किसी जिले में हों उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, यह संकल्प हमारा होना चाहिए. उत्तर प्रदेश की गरीबी कम हो, औद्योगिकरण बढ़े, रोजगार ज्यादा पैदा हो, सिंचाई साधन ज्यादा हो, किसानों की प्रतिखेत आमदनी बढ़े। यह संकल्प हम सब मिलकर बनाये ताकि यह मालूम हो कि भारत का उत्तर प्रदेश राजनीति में ही आगे नहीं है विकास में भी आगे है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष--

सामान्य चर्चा खत्म हो गयी, आप कोई स्पष्टीकरण चाहें तो कर लें।

श्री सत्यपाल सिंह--

मैं कुछ बात कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

भाषण नहीं करना है, आप स्पष्टीकरण कर लीजिए ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, आप पिछली बार देख लीजिए, हमेशा ही होता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप पहले बोल चुके हैं, वह बाद में बोल चुके हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैं कुछ बात यह कहना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में कि हम सब को देखना है लेकिन मान्यवर, यह कागजी पर्जी आंकड़ों से नहीं बढ़ना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

स्पष्टीकरण के रूप में पूछें ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, अनुसूचित जाति के लिए आपने कहा है कि द्रुतगति के साथ में उनको श्रेणी क, ख, ग, और घ में आप उनके आरक्षण को पूरा कर रहें हैं । मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि वर्ष 1986-87 के मुकाबले वर्ष 1988-89 में 11,000 अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कम हो गयी है सरकारी नौकरियों में, क्या इसे आप बढ़ायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपकी सूचना गलत है, आंकड़े दिये गये हैं घटे नहीं हैं, मैंने कह दिया था ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मैं इसे आपके पास भेज दूंगा, आप देख लीजिए, आपके आंकड़े घटे हैं । दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपने इस बजट भाषण के अन्दर जीरो बजटिंग प्रणाली की बात कही । जीरो बजटिंग प्रणाली के अनुसार आपने कहा--वित्तीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के परिप्रेक्ष्य में जीरोबेस बजटिंग प्रणाली के अन्तर्गत शासकीय कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों की समीक्षा विभिन्न विभागों में की जा रही है ।

(व्यवधान)

और चौधरी चरण सिंह जी का नाम भी लेते हैं । चौधरी साहब ने कहा था 60 फीसदी बजट देहाती अंचलों में जायेगा और आपने जो बजट इसमें आवंटित किया है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस वर्ष 1989-90 के बजट में पिछले साल के मुकाबले जो देहाती अंचल की जनता के काम आने वाली या उनके उपयोग में जो वस्तुएं की धनराशि बढ़ना चाहिए, वह घटी है ।

में आपसे चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दे सकें तो दे दें। दूसरे चिकित्सा के बारे में कहना है, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इसमें आंकड़े कम क्यों किये गये। इसमें 1987-88 में 4·92 खर्च किया, जबकि इस साल 4 प्रतिशत खर्च किया। कृषि में 1987-88 में 2·44 परसेन्ट, 1988-89 में 2·48 परसेन्ट और इस साल केवल 2 परसेन्ट खर्च आता है। शिक्षा में मान्यवर, पिछले साल 12·20 प्रतिशत खर्च किया और इस साल 12 परसेन्ट का खर्च है। सिंचाई में 1987-88 में...

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण मांग रहे हैं या भाषण कर रहे हैं। नियम यह है कि.

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, यह नियम के विपरीत है। आप सदन को नियम से चलावें।

श्री उपाध्यक्ष—

नियमानुसार भाषण नहीं हो सकता। संसदीय परम्पराओं से अनुसार आप भाषण नहीं कर सकते। अभी आपको बहुत अवसर मिलेगा।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, इसमें माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, अंचल जो सब लोग अपनी बात कह चुके हैं। नियम यह है कि सामान्य चर्चा के बाद भाषण नहीं हो सकता है।

श्री सत्यपाल सिंह—

मैं नियम के अनुसार जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, माननीय मुख्य मन्त्री जी बतावें कि क्या कारण है कि पिछले वर्ष के मुकाबले...

श्री उपाध्यक्ष—

स्पष्टीकरण के रूप में भाषण नहीं होता है।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी बतावें कि क्या कारण है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष चिकित्सा, कृषि, शिक्षा और सिंचाई में कम धनराशि का आवंटन किया गया है? इसका क्या कारण है? कृपया यह बतावें?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल जानना चाहते हैं कि कृषि चिकित्सा...

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा और सिंचाई में वर्ष 1987-88 और 1988-89 के मुकाबले कम धन क्यों आवंटित किया गया?

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय परम्पराओं के अनुसार वे जो जवाब देना चाहते हैं, दे चुके। नहीं देना चाहते हैं तो जबर्दस्ती जवाब नहीं लिया जा सकता।

श्री सत्यपाल सिंह—

आप इसका जवाब मुख्य मन्त्री जी से नहीं दिलवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह स्पष्टीकरण दे चुके हैं। आप बाध्य नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, आप जवाब नहीं दिलवा पा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता है जवाब देने के लिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन, माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा तो यह ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नयी स्पीच हो। यह जितने स्पष्टीकरण के प्रश्न उठते हैं तो सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में जिस-जिस विभाग में जितना होना चाहिए हुआ है, जिसमें चिकित्सा विभाग भी शामिल है।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया है माननीय मुख्य मन्त्री जी ने...

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मद संख्या—11 ले लिया है।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, इस तरह से ठीक नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मद संख्या 11 लेली है। अब आप लोग बैठें।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, इस तरह से काम नहीं चलेगा।

(घोर व्यवधान)

मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री सत्यपाल सिंह व उनके दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये साथ में लोकदल के सदस्य भी उठकर चले गये।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय, आप स्पष्टीकरण नहीं पूछने दे रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा संकल्प के सभी प्रस्तावकों के नाम पुकारे गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

कोई नहीं खड़ा हुआ है । कोई नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(घोर व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन के सभी प्रस्तावकों के नाम पुकारे गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

कोई नहीं है, कोई नहीं खड़ा हुआ ।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने आपनी ही पीठ से दिये निर्देश के बावजूद कि आप हम लोगों को स्पष्टीकरण पूछने का मौका देंगे, आपने मौका नहीं दिया, इसके विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

(श्री जयदीप सिंह बरार सदन त्याग कर चले गये । साथ में श्री भोला सिंह, श्री नरेन्द्र पाल सिंह, श्री विश्राम दास, श्री सैय्यद अली अशर्फी भी उठकर चले गये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व 3, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) यह 27 अक्तूबर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 28 का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 28 में, उपधारा 3 में,—

(एक) खंड (ए) में, सारणी में, मद 2 (ए) के सामने आये हुए शब्द और अंक "4 रुपये प्रति लीटर" के स्थान पर शब्द और अंक "5 रुपये प्रति लीटर" रख दिये जायेंगे ·

(दो) खंड (सी), (डी) और (ई) में, सारणी में, मद (2) के सामने आये हुए शब्द और अंक "2 रुपय प्रति लीटर" के स्थान पर शब्द और अंक "5 रुपये प्रति लीटर" रख दिये जायेंगे:

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1988

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से श्री राज किशोर सिंह की सूचना को वक्तव्य के लिए और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । बाकी सूचनायें अस्वीकार हुई ।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को नियमित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य—

मान्यवर वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

[(अ) अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों इण्टरमीडिएट कालेजों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के सम्बन्ध में—

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त उन तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं का विनियमितीकरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19 सन् 1985), उत्तर प्रदेश सरकार के विधायिका अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1506/सत्रह-वि-1-(क)-17-1985, दिनांक 23 अगस्त, 1985 द्वारा पहले ही किया जा चुका है, जो सीधी भर्ती के मौलिक रिक्त पदों पर कठिनाई निवारण आदेश दिनांकित 31 जुलाई, 1981 यथा संशोधित द्वितीय कठिनाई निवारण आदेश दिनांकित 11 सितम्बर, 1981 के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किये गये थे ।

2—उक्त संदर्भगत अधिनियम द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाएं निम्न प्रकार के तदर्थरूप से नियुक्त अध्यापकों के मामलों को स्वीकार्य कारणों से अच्छादित नहीं कर सकती हैं :—

(1) ऐसे तदर्थ अध्यापक, जो उल्लिखित विद्यालयों में एक निम्नतर पद में कार्यरत रहते हुए एक उच्चतर पद में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये थे, क्योंकि उन रिक्तियों में 'जिनमें ये अध्यापक प्रोन्नत हैं, अध्यापकों को अपने निम्नतर मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित हो जाना है । प्रोन्नति वाले जो अध्यापक चयन के [उपबन्ध उपयुक्त पाये जायेंगे वे 40 प्रतिशत सीमा तक अनुमोदित हो जायेंगे । जहां तक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 10948/1986, निशि भार्गव बनाम उप शिक्षा निदेशक, आगरा में अभिनिर्णीत बिन्दुओं का सम्बन्ध है, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पदोन्नति वाले अध्यापकों के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या 14481-82/1987, दिनांक 25 अगस्त, 1987 को इस आशय से दायर

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की गई है कि कठिनाई निवारण आदेशों के अन्तर्गत पदोन्नत किये गये शिक्षकों की सेवाओं का विनियमितीकरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अधीन नहीं किया जा सकता।

(2) ऐसे अध्यापक जो अल्पकालिक रिक्तियों में सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये हैं, क्योंकि इन रिक्तियों के पदों पर ऐसे अध्यापकों के स्वत्वाधिकार सुरक्षित हैं, जो कठिनाई निवारण आदेशों के अधीन उच्चतर पदों पर प्रोन्नत कर दिये गये हैं या अवकाश पर हैं या निलम्बित हैं।

(3) ऐसे अध्यापक जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 18 के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्त हैं, क्योंकि उनके स्थान पर नियमानुसार आयोग द्वारा चयनित अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे परन्तु ऐसे अध्यापक तब तक कार्य करते रह सकेंगे जबतक चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण न कर लें।

(4) ऐसे तदर्थ अध्यापक जिनके स्थान पर नियमानुसार चयनित अध्यापक उपलब्ध करा दिये गये हैं, परन्तु जिनके मामले न्यायालयों में विवादग्रस्त हैं, क्योंकि ऐसे पद नियमानुसार चुने गये व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध हैं न कि तदर्थ अध्यापकों के लिये।

3--प्रकरण की वैधानिक स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

4--इन तदर्थ अध्यापकों को चाहिये कि माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को अपने प्रार्थना-पत्र भेजें। आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं। अन्यथा ये तदर्थ अध्यापक वहां प्राप्त होने वाला अवसर भी खो देंगे। इनके लिए अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चयन हेतु अधिवर्ष आयु के अतिरिक्त कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

अतः इनकी सेवाओं का विनियमितीकरण करना सम्भव नहीं है।

(ब) अशासकीय डिग्री कालेजों में नियुक्त तदर्थ अध्यापकों के सम्बन्ध में :--

वर्ष 1980 में उच्च शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम के प्रख्यापित होने के पूर्व प्रदेश के सहायताप्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में अध्यापकों का चयन तथा नियुक्ति सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के परिनियमों के अनुसार किया जाता था। परिनियमों का उल्लंघन प्रबन्धतंत्र द्वारा किये जाने की शिकायत मिलने पर राज्य सरकार द्वारा उ0 प्र0 उच्च शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 पारित किया गया। आयोग का गठन 1 नवम्बर, 1982 को किया गया। आयोग की स्थापना के पश्चात् प्रबंधतंत्र को अध्यापकों के पद की रिक्ति का अधियाचन उच्च शिक्षा सेवा आयोग को प्रेषित करने तथा आयोग द्वारा चयनित तथा संस्तुत अभ्यर्थी को ही अध्यापक पद पर नियुक्ति देना अनिवार्य हो गया। आरम्भ में आयोग द्वारा रिक्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने में समय लगने के कारण अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के रिक्त पद आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से न भरे जा सके। शिक्षण कार्य में व्यवधान न होने देने की दृष्टि से शासन ने 4 जनवरी, 1982 को कठिनाई निवारण आदेश निर्गत कर यह व्यवस्था की कि महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र पूर्ण तदर्थ रूप में एक वर्ष के लिए अध्यापकों की नियुक्ति कर सकते हैं। पुनः दूसरे बार 4 जनवरी 1983 तक एक वर्ष के लिए तदर्थ शिक्षक नियुक्त करने का प्राविधान किया गया। इन दोनों आदेशों में यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त शिक्षा सेवा आयोग से संस्तुत

अध्यापकों की सूची निर्गत होने पर तदर्थ रूप से प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त अध्यापकों की सेवा समाप्त समझी जाय ।

2—जब उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने कार्य करना प्रारम्भ किया तो प्रबन्धतंत्र द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों ने यह मांग की कि उनकी सेवा नियमित कर दी जाय । शासन ने इस पर विचार कर 22 जून, 1985 को एक अध्यादेश प्रख्यापित कर यह व्यवस्था की कि जो तदर्थ अध्यापक 3 जनवरी, 1984 तक प्रबन्धतंत्र द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये उनकी सेवा विनियमित कर दी जाय । इससे वर्ष 1982 से 3 जनवरी, 1984 तक तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों को विनियमितीकरण का लाभ प्राप्त हुआ ।

3—इस बीच उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने अध्यापकों के चयन का कार्य आरम्भ कर दिया था किन्तु महाविद्यालय में दिनांक 4 जनवरी, 1984 के बाद भी तदर्थ अध्यापकों की नियुक्तियां की जाती रहीं । इन अध्यापकों ने सेवा विनियमितीकरण के लिए सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं । दोनों ही स्तर पर उनकी याचिकायें खारिज हो गई किन्तु मानवीय आधार पर मा० सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 12 नवम्बर, 1986 के निर्णय में यह आब्जर्व किया कि कुछ याचियों को जो उच्च अर्हता रखते हैं बेरोजगार होना पड़ेगा । उन्हें आशा और विश्वास है कि यदि अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो प्रदेश शासन उनको शैक्षिक योग्यतायें तथा अनुभव के अनुरूप उन्हें उचित रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में 3 माह के अन्दर सहानभूति-पूर्वक विचार करें । इसके अनुपालन में तदर्थ अध्यापकों से शासन को प्राप्त आवेदन-पत्र उच्च शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नियमानुसार विचार एवं कार्यवाही हेतु भेजे गये । उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने सूचित किया कि आवेदन-पत्रों पर आयोग द्वारा कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है और भविष्य में जब आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित हों तो जो अभ्यर्थी सीधे आयोग को विज्ञापित रिक्तियों के प्रति आवेदन भेजते हैं उन पर ही नियमानुसार विचार किया जाना सम्भव होगा ।

4—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का कार्य दिनांक 11 अप्रैल, 1987 को तत्कालीन अध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने के बाद अवरुद्ध रहा । आयोग की सदस्य संख्या पूर्ण न होने तथा आयोग के अध्यक्ष के न होने के कारण 11 अप्रैल, 1987 से अक्तूबर, 1988 तक आयोग द्वारा साक्षात्कार न हो सका । आयोग की सदस्य संख्या पूर्ण हो जाने पर आयोग द्वारा अक्तूबर, 1988 से साक्षात्कार आरम्भ कर दिये गये हैं । अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नियमित रूप से कार्य कर रहा है ।

5—वर्तमान में सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों की संख्या लगभग 700 है । नवम्बर, दिसम्बर माह में कुछ विषयों में साक्षात्कार के पश्चात् उच्च शिक्षा सेवा आयोग कुछ प्रवक्ताओं की संस्तुतियां भी निर्गत कर चुका है । तदर्थ प्रवक्ताओं की मांग यह है कि उनको नियुक्ति भी दिनांक 3 जनवरी, 1984 तक विनियमित किये गये तदर्थ प्रवक्ताओं की भांति विधिवत गठित चयन समिति ने स्पष्ट रिक्तियों के प्रति की है । अतः उन्हें भी उसी प्रकार विनियमित कर दिया जाय जिस प्रकार दिनांक 3 जनवरी, 1984 तक नियुक्त तदर्थ अध्यापकों को किया गया है ।

टिप्पणी—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

6—यह तदर्थ अध्यापक दिनांक 22 जून, 1985 को प्रख्यापित कठिनाई निवारण अध्यादेश के अधीन नियुक्त नहीं थे अर्थात् इनकी नियुक्ति किसी मौलिक रिक्ति में तदर्थ आधार पर 3 जनवरी, 1984 को या इसके पूर्व नहीं वरन् इसके बाद हुई है। अतः इनकी सेवाये विनियमित करने का कोई विधिक आधार नहीं बनता।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि इसमें दो तरह का व्यवहार हो रहा है टीचर्स के साथ। पृष्ठ 4 पर है कि जो तदर्थ अध्यापक 3 जनवरी, 1984 तक प्रबन्धतंत्र द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये उनकी सेवा विनियमित कर दी जाय।

यह सेवायें नियमित उस जगह पर कर रहे हैं, जहां मौलिक नियुक्ति हुई है। अगर कोई अध्यापक पी० एच० डी० करने गया उसकी जगह लीव वैकेन्सी पर नियुक्ति होती है, युनीवर्सिटी द्वारा एप्वाइन्टेड एक्सपर्ट्स के द्वारा नियुक्ति होती है, वही सारे प्रोवीजन और तरीके अपनाये जाते हैं, जो मौलिक नियुक्ति में होते हैं और उसके बाद लीव वैकेन्सी के पीरियेड में ही रेगुलर वैकेन्सी क्रिएट हो जाती है और सारी अर्हतायो रखने के बाद भी प्रबन्धतंत्र उस मौलिक रिक्त पर रखे हुए व्यक्ति को उसका लाभ नहीं देता है। मौलिक नियुक्ति पर अगर कोई नियुक्त हुआ तो विनियमित हो गया लेकिन अगर कोई लीव वैकेन्सी पर आया तो उसे उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि यह जो विसंगति है, उसको क्या दूर करने का आश्वासन देने की कृपा करेंगी कि अगर कोई आदमी लीव वैकेन्सी पर है, रेगुलर वैकेन्सी हो जाती है और मैनेजमेंट विनियमितीकरण करना चाहता है, तो रेगुलराइज करने की आज्ञा शासन देगा, एक आदमी लीव वैकेन्सी पर आया, दूसरा गया पी० एच० डी० करने, उसे दूसरी यूनिवर्सिटी में जाब मिल गया, वह मौलिक नियुक्त हो गया, उस पर उसकी नियुक्ति उस व्यक्ति के पहले से है, उसको लाभ नहीं मिलता। इन दोनों सन्दर्भों में क्या इस पर विचार कर लेंगी कि जिनकी नियुक्ति हो गयी है, उनका विनियमितीकरण करने के लिये इस आदेश में संशोधन करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय तिवारी जी प्रकाण्ड पण्डित हैं एवं उनकी विद्वता से सब प्रभावित हैं लेकिन यह तो सिम्पिल क्वेश्चन है, सिम्पल समस्या है। जब विज्ञापन निकलता है तो उसमें किसी मौलिक रिक्ति के अगेन्स्ट या टेम्परेरी वैकेन्सी के अगेन्स्ट, तो वैसा ही विज्ञापन निकलता है। उदाहरण के लिये कोई लीव वैकेन्सी की रिक्ति है, तो उसमें उसी सम्बन्ध में वैसा ही विज्ञापन निकलेगा और इस प्रकार के लोग उसमें एप्लाई करेंगे जो टेम्परेरी वैकेन्सी में दिलचस्पी रखते हों लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उच्चकोटि के विद्वान अभ्यर्थी टेम्परेरी वैकेन्सी के लिये एप्लाई करें, दूसरी ओर जो परमानेन्ट वैकेन्सी होती है तो वैसा ही विज्ञापन निकलता है और अभ्यर्थी एप्लाई करते हैं। जो टेम्परेरी वैकेन्सी है, उसके लिये विज्ञापन निकला, उसके लिये कोई एप्वाइंट हुआ, वह जब एप्वाइंट होगा तो टेम्परेरी वैकेन्सी के अगेन्स्ट में एप्वाइंट होगा, जो टेम्परेरी वैकेन्सी में इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं वे वंचित रह जायेंगे, वही लीव वैकेन्सी परमानेन्ट हो जाती है जैसे किसी ने लीव ली, उसके बाद कहीं और नौकरी मिल गयी तो वह परमानेन्ट वैकेन्सी हो जाती है। यह स्थिति जब तक है, जब एक टेम्पोरेरी वैकेन्सी परमानेन्ट वैकेन्सी हो जाती है तो सब अभ्यर्थियों को समान रूप से उसमें एप्लाई करने का अवसर दिया जाय तो यह उचित है, न्यायसंगत है कि दुबारा उसका विज्ञापन निकले और चयन हो। अब रहा कि उसका विनियमित कर दिया जाय जो टेम्परेरी वैकेन्सी में एप्वाइंट हुआ था, मगर वह ब्यूरली क्वालीफाइड है और टेम्परेरी

वैकेन्सी में काम करने का चार्ज भी मिल चुका है तो अपनी शक्ति के बल पर, उसमें यदि उच्चकोटि की विद्वता है, तो अवश्य ही दुबारा उसका चयन होगा। उसमें उसका चयन नहीं होगा, इसका आपको क्यों डर लगता है ? अगर वह उच्चतम कोटि का अभ्यर्थी है तो वह अवश्य चुन लिया जायेगा। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि उच्चतम कोटि का अभ्यर्थी मिल रहा है, किन्तु उसे एक्वाइन्ट नहीं किया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों को वंचित रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह तो व्यवहारिक धरातल पर भी मेल नहीं खाता है। माननीय मंत्री जी को भी पता होगा कि उच्च शिक्षा आयोग में कितनी घूंस चलती है। साथ ही उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आब्जर्व किया है कि कुछ याचियों को जो उच्च अर्हता रखते हैं बेरोजगार होना पड़ेगा। उन्हें आशा और विश्वास है कि यदि अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो प्रदेश शासन उनकी शैक्षिक योग्यतायें तथा अनुभव के अनुरूप उन्हें उचित रोजगार दिलाने का प्रयास करेगा। जैसे आप शासन से अपेक्षा करते हैं, परन्तु उनके ज्यूरिसडिक्शन में इन्क्रोचमेंट नहीं करते हैं। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपेक्षा की है। दूसरे विभागों में 3 साल तक अगर कोई कन्टीनियत सर्विस में रह जाता है तो उसे आप विनियमितीकरण कर लेते हैं, लेकिन शिक्षकों ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि उन्हें आप परमानेन्ट नहीं करते। यूनीवर्सिटी से एक्सपर्टस लोगों के चयन के माध्यम से वे रखे जाते हैं। जो मंत्री जी उत्तर दे रही हैं उससे तो उनके चयन पर एक प्रश्नचिन्ह लग जाता है। यह कहना कि उस चयन समिति में जो लोग थे, वे एक्सपर्ट नहीं थे और योग्यता उनमें नहीं थी, उच्च शिक्षा आयोग में ही एक्सपर्ट लोग होते हैं। इस प्रकार का मापदण्ड तो नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नितान्त मानवीय आधार पर जो लोग चयन समिति द्वारा वहां पर एकोमोडेट किये गये हैं और जिनकी रोजी रोटी का सवाल है और 5-6 साल वहां पर उनको हो गये हैं, यदि रेगुलर वैकेन्सीज हैं तो उन्हें मंत्री जी को एकोमोडेट करने में क्या परेशानी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि टेम्परेरी वैकेन्सी दूसरी चीज है और परमानेन्ट वैकेन्सी दूसरी चीज है। माननीय श्री तिवारी जी ने जो माध्यवर दृष्टिकोण की बात कही है वहीं पर मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो हमारे स्टूडेन्टस हैं, उनके प्रति भी हमें मानवीय दृष्टिकोण रखना होगा। यदि हमें उच्चतम कोटि के अभ्यर्थी मिलते हैं तो हमें उन्हें वंचित नहीं रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने स्टूडेन्टस के लिए उच्चतम कोटि के अध्यापक उपलब्ध करवायें। जहां तक तदर्थ अध्यापकों का सम्बन्ध है और जो 2-3 साल कम कर चुके हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे अपनी योग्यता के आधार पर वहां नहीं चुने जायेंगे। वे फैस करें। वे एप्लाई करें और योग्यता के आधार पर उन्हें चुनने के अधिकार है। जो परमानेन्ट वैकेन्सीज होती हैं, छात्र/छात्रायें एवम् उनके अभिभावक इस बात की आशा अवश्य लगाते हैं कि वह विज्ञापन निकालें और हमें अपनी योग्यता के आधार पर, हमें अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर मिले। अब रहा प्रश्न भ्रष्टाचार के बारे में कि यह आयोग में है। मैं माननीय सदस्यों को आमंत्रित करती हूं कि कहीं पर भी, कहीं का कोई केस आप हमें बतायें और हमारे सामने उसे लेकर आयें, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उस भ्रष्टाचार के अगेनस्ट न्यायोचित कार्यवाही करेंगे। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माननीय सदस्य महोदय जो कि प्रकाण्ड पण्डित हैं, हमारा मार्गदर्शन करें, हम भ्रष्टाचार के उन्मूलन में अपनी पूरी शक्ति लगा दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, बहनजी कहती हैं कि आयोग में भ्रष्टाचार नहीं है । मैं कहता हूं कि अगर इनके पास 25 हजार रु0 हैं तो आप हमारे साथ चलिये, अभी हम आपको वहीं लगवा देते हैं । मान्यवर, वहां पर रुपये के आगे कोई उत्तर का प्रतिबन्ध नहीं है, सब कुछ वहां पर हो जाता है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं कह तो रही हूं कि कोई केस आप हमें बतलाइये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

लीजिये मैं आपको बतला रहा हूं कि बस्ती जिले में बांसी इण्टर कालेज में प्रिन्सपल फर्जी मार्कशीट देकर चयनित हुआ, जब बाद में शिकायत हुई तो आयोग ने उसका चयन निरस्त कर दिया और फिर उसी आयोग ने घुमा करके उसे वहीं पर बैठा दिया और कहा कि इसकी नियुक्ति पहले ठीक हुई थी । आपने पेज 5 पर लिखा है कि उच्च शिक्षा आयोग 11 अप्रैल, 1987 से अक्तूबर, 1988 तक यानी कि एक वर्ष 5 महीना तक कोई काम नहीं कर सका, अब काम क्यों नहीं कर सका, इसके काम न करने देने में किन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्या आप उनको दण्डित करने पर विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उन्होंने कहा कि आयोग में देरी हुई, उसमें देरी अवश्य हुई । अब बहुत तेजी से गाड़ी आगे चलायेंगे और गाड़ी आगे चलने लगी है । अब कोई डिले नहीं होगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

जो एक वर्ष और 5 महीने तक आयोग काम नहीं कर सका तो क्या आप सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने पर विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

इसकी जांच करायेंगे और तब उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि तदर्थ शिक्षक जो 1984 से पहले वाले हैं वे विनियमित हो चुके हैं, जब उनका चुनाव होता है तो एक वेल क्वालीफाइड कमेटी उनका चयन करती है जिसमें यूनीवर्सिटी के एक्सपर्ट भी आते हैं, डाइरेक्टर के निर्देश पर तदर्थ नियुक्ति की गयी और वह अभ्यर्थी सारी प्रक्रिया के दौर से गुजर चुका है तो फिर दुबारा उसी प्रासेस से क्या उसे निकलने की जरूरत है ? यानी कि विज्ञापन हुआ, उसी के आधार पर उसका प्रार्थना-पत्र आया, इन्टरव्यू हुआ । इसके मतलब तो यह हुए कि अपने-अपने वक्त पर तो उसे काम निकाल लिया । अब आप पहले वाले शिक्षकों को विनियमित कर चुकी हैं तो इस बार भी उनको विनियमित करने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, कठिनाई निवारण अध्यादेश के अन्तर्गत दिनांक 12 जून, 1985 तक के तदर्थ अध्यापकों को विनियमितीकरण का लाभ दिया गया । कठिनाई निवारण अध्यादेश

के अन्तर्गत उस समय जो आयोग था उससे ऐक्टिव होने में समय लगा। 1980 में आयोग का अध्यादेश निकाला और यह 1982 में गठित हुआ। फिर नियम बने, नियमावली बनी, इसमें कुछ समय अवश्य लगा इसलिए इस बीच जो एप्वाइंटमेंट हुए, उन्हें भी इसका लाभ मिले, इस पर विचार हो रहा है। इसी प्रकार से हमने 1984 के बाद आयोग के काम को आगे बढ़ाया और वह अपनी पूरी स्पीड से फिर काम करने लगा और जो चयन इसके द्वारा इधर हुए हैं, उनका आगे का चयन हमें अपनी उसी चयन प्रक्रिया के अनुसार ही करना होगा।

*श्री अशोक बाजपेई--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा जैसा कि माननीय सदस्यों ने आयोग के गठन पर चिन्ता व्यक्त की कि 3-3 साल तक सृजित होने के बाद भी अध्यापकों का चयन नहीं होता है, निरंतर आयोग को इस बारे में लिखा भी जाता है, लेकिन आयोग उनका चयन नहीं करता है, फिर मजबूर होकर तदर्थ नियुक्ति करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया से उन अध्यापकों को जो 2-2 व 3-3 सालों से तदर्थ नियुक्त होते हैं, और जो अध्यापक चयन समिति द्वारा और विद्यालयों व विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चयनित किये जाते हैं, जो तदर्थ रूप में कई-कई वर्षों से कार्य करते रहते हैं, के विनियमितीकरण में आपको क्या कठिनाई है और इसी प्रकार से आगे जो पद रिक्त होने वाले हैं, क्या उन पदों पर 30 दिन के अंदर आयोग द्वारा चयनित कर भर लिया जायेगा। इन दो प्रश्नों का जवाब मैं चाहूंगा, मान्यवर।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सुझाव जो आयोग के सिलसिले में दिए हैं और जो चयनित प्रक्रिया में कहा है, अच्छे सुझाव हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे इस प्रकार की कोई परेशानी न हो और एक रेगुलर तरीके से पूरी चयन की प्रक्रिया चलती रहे और कहीं पर भी अवरोध उत्पन्न न हो, वहीं अब हमारा आगे का प्रयास है।

श्री खान गुफरान वाहिदी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से सिर्फ दो बातें जानना चाहता हूं कि जो अध्यापक 3-4 सालों तक बराबर सेवा करने के बाद सड़क पर आ जाते हैं और बेरोजगार हो जाते हैं, क्या आयोग इस बात पर विचार करेगा कि इस प्रक्रिया पर जल्द से जल्द काबू पा ले और दूसरे यह कि अध्यापकों की कोई ऐप्रूब लिस्ट बनाई जायेगी ताकि जो पद रिक्त हों इस एप्रूब लिस्ट से उनको भरा जा सके क्योंकि एक तो यह 4-5 साल काम करने के बाद फिर सड़क पर आना एक अध्यापक के लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है और दूसरे जब एक पद रिक्त हो तो उनकी जगह तदर्थ नियुक्ति कर उसके भविष्य को परेशानियों में डालने के बहुत से मामले विचाराधीन हैं, ताकि इस प्रक्रिया पर काबू पाया जा सके, आप तो बहुत होशियार मंत्री हैं। इस ओर आप क्या करने जा रही हैं, यह बता दीजिये।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मुसलसल प्रक्रिया चलती रहे। आयोग के माध्यम से सेलेक्शन होते रहे और जो माननीय विधायक, जाहिदी साहेब ने सुझाव दिया है, उस पर विचार करूंगी और इस पर त्वरितगति से विचार किया जायेगा।

श्री बाबूराम यादव--

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन माध्यमिक विद्यालयों और उच्चतर विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वह खाली न पड़े रहें, तो क्या माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा मंत्री जी आश्वासन देगी कि जुलाई सत्र से प्रारम्भ होने से पहले आयोग के माध्यम से सभी पद भर दिये जायेंगे ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रसन्नता इस बात की है कि आयोग का कार्य बड़ी तीव्र गति से चालू हो गया है, और वह बराबर विज्ञापन निकाल रहा है, जो टैलेन्टेड अभ्यर्थी हैं, जो यूनिवर्सीटी से निकले हैं और सेवा करना चाहते हैं, सेवा की भावना रखते हैं, वह एप्लाई कर सकते हैं और जिससे उनका लाभ विद्यार्थियों को मिल सके ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह माननीय समस्या है, नीति सम्बन्धी मामला है और मुझे लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बिना मुख्य मन्त्री जी की मौजूदगी के कुछ नहीं कह सकते हैं, उपयोगी यह होगा कि इस पर चर्चा करा दें और उस समय मुख्य मन्त्री जी रहें, मैं उनसे अनुरोध कर लूंगा । एक साल तक इस आयोग ने काम नहीं किया । डाइरेक्टर के निर्देश पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है और इन्हीं का बनायी हुआ कठिनाई निवारण अधिनियम है, तो कितनी बड़ी समस्या है कि 50-50 हजार टीचर की रोजी-रोटी का सवाल है, तो आप इसको स्थगित करके इस पर चर्चा करा दें, तो सारी बातें आ जायेंगी । इस आयोग में कितना थैलिया चढ़ती है, दोनों भले न लेते हों, लेकिन इस बात को सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं ।

श्री हरदेव--

मैं शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आयोग के जरिये चयन होगा, तो जो लोग 3-3 साल से आंशिक रूप से कार्य कर रहे हैं, अगर उनकी उम्र अधिक हो जाये, तो आप उसके लिए क्या करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसमें आयु का कोई बन्धन नहीं है ।

दिनांक 23 जनवरी, 1989 को दिनदहाड़े बरेली स्थित दैनिक 'विश्वमानव' के पत्रकार के अपहरण का प्रयास तथा कार्यालय पर हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री सईदुज्जमा)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23 जनवरी, 1989 को....

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक इसको पढ़ा हुआ माना जाये ?

(सदन की सहमती से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सईदुज्जमा --

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23 जनवरी, 1989 को श्री हरिओम गुप्त, संवाददाता दैनिक विश्वमानव, बरेली में दोपहर 1.45 बजे थाना कोतवाली बरेली पर

इस आशय की सूचना अंकित कराई कि उनके कार्यालय में उसी दिन दोपहर 1 बजे कांग्रेस (ई) के कार्यकर्ता ताहिर एडवोकेट व 15–20 गुण्डों ने उनके साथ मारपीट की और जीप में डालकर उन्हें ले जाने लगे किन्तु अन्य कर्मचारियों ने उन्हें आकर बचाया। इस सूचना के आधार पर अभियोग सं0 164/89 धारा 147/352/452/341/504/506 भा0 द0 वि0 बनाम ताहिर एडवोकेट व 15–20 गुन्डे नाम व पता अज्ञात सूरत शिनाख्त पंजीकृत होकर उसी दिन विवेचना प्रारम्भ की गई।

उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 24 जनवरी, 1989 को स्थानीय पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल कुछ विपक्षीदलों के नेताओं सहित जिलाधिकारी बरेली से मिला और उन्हें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग सम्बन्धी एक पत्रक भी दिया जिस पर जिलाधिकारी द्वारा वैधानिक कार्यवाही का आश्वासन देने पर प्रतिनिधि मंडल वापस चला गया।

दिनांक 24 जनवरी, 1989 को प्रातः काल अभियुक्त ताहिर हुसैन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली के समक्ष आत्मसमर्पण किया था तथा उसी दिन उसकी जमानत हो गई है। अभियुक्त ताहिर के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 17 फरवरी, 1989 को प्रेषित किया जा चुका है तथा शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है।

कालान्तर में दिनांक 29 जनवरी, 1989 को स्थानीय पत्रकारों ने विपक्षी दलों के समर्थन से बरेली बन्द का आह्वाहन किया जो आंशिक रूप से सफल रहा।

दिनांक 11 फरवरी, 1989 को हुई हत्या के सम्बन्ध में बरेली के थाना बराबरी पर पंजीकृत अ0 सं0 103/89, धारा 364/302 भा0 द0 वि0 में भी ताहिर हुसैन को नामजद किया गया है। ताहिर हुसैन को उसी दिन दिनांक 11 फरवरी, 1989 को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा दिनांक 13 फरवरी, 1989 को जिला सत्र न्यायाधीश बरेली द्वारा उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

दिनांक 29 जनवरी, 1989 को दिल्ली से आये पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल भी इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली से मिला था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्हें समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था। बरेली के नागरिकों में इस घटना के सम्बन्ध में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त नहीं है और जन-जीवन सामान्य रूप से चल रहा है।]

श्री जयदीप सिंह बरार---

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि श्री हरिओम गुप्ता, जिनका अपहरण करने का प्रयास किया गया, ने बताया कि उनके अपहरण के सिलसिले में जीप नं0 यू0 ए0 ई0 3538 का प्रयोग किया गया, तो इस जीप को पकड़ने के लिए क्या प्रयास किये गये ?

श्री सईदुज्जमा---

उन्होंने जो पहले रिपोर्ट लिखायी उसमें इसका जिक्र नहीं किया दुबारा फिर लिखाई उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं और तीसरी बार उन्होंने लिख कर दिया है। मान्यवर, जीप इसमें इस्तेमाल नहीं की गयी है।

श्री जगदीप सिंह बरार---

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि यह घटना 23 तारीख की है और 24 तारीख को जिलाधिकारी के सामने पत्रकारों का एक शिष्ट मण्डल गया जिसमें मैं

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी शामिल था । उस समय वहां पर सी० ओ० और एस० एस० पी० भी उस जीप का उल्लेख किया गया है उस समय वह जीप कचहरी के परिसर में खड़ी थी । जब उस जीप को पकड़ने के लिए कहा गया तो उसे दौड़ा दिया गया । यह जीप जी० ए० ई० 3538-पी० सी० एस० की है । जो जानकारी पत्रकारों ने आयुक्त के सामने 4 फरवरी, 1989 को दी और जिस जीप का प्रयोग किया गया है, उस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सईदुज्जमा--

माननीय, इस सम्बन्ध में जांच जारी है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

माननीय, इस घटना के पीछे कोई और घटना है जिसकी वजह से यह घटना घटी है जो अखबार में छपी थी । हरि ओम गुप्ता के ऊपर अटैक हुआ । अखबार में यह छपा कांग्रेस आई के कोई नेता है, एम० एस० सी० है उसको कांग्रेस की ही एक महिला ने मारा था । इस प्रकरण की क्या जांच करायी गयी । दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं जो एफ० आई० आर० है वह क्या है ?

श्री सईदुज्जमा--

मैंने अर्ज किया कि इसमें जांच जारी है ।

श्री जगदीप सिंह बराड़--

डेढ़ माह हो गया है और अभी जांच जारी है...

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री उप सभापति--

जब जांच चल रही है और अभी पूरी नहीं हुई तो वह क्या बतायेंगे ?

श्री जगदीप सिंह बराड़--

जब केश रजिस्टर हो गया तो उसके सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि विवेचना हो रही है लेकिन जब नियम 50 में हमने सूचना दे दी थी तब इन सब बातों का उल्लेख किया गया था । यदि माननीय मन्त्री जी प्रिपेयर्ड नहीं हैं, सभी सूचनायें नहीं लाये हैं वक्तव्य को स्थगित कर दें । एक ही जवाब आ रहा है कि जांच हो रही है । अन्यथा वक्तव्य का क्या औचित्य है ? जो रैलिवेन्ट सवाल है उसका उत्तर तो आना चाहिए । यह कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई है । आप यह बता दें कि वह कौन सी घटना थी जिसके फलस्वरूप यह घटना हुई । दूसरी बात यह है जैसा कि जौहरी साहब ने पूछा है कि क्या यह बात सही है कि उस महिला ने जिसके द्वारा चप्पल मारने की बात कही गई है, उसने भी एक पत्र एस० एस० पी० को दिया कि मैंने मारा था ।

श्री सईदुज्जमा--

उन्होंने एस० पी० को बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि चप्पल और थप्पड़ मारा...

(व्यवधान)

डाक्टर दिनेश जौहरी--

आप एफ० आई० आर० पूरी पढ़ कर सुना दें . यह सूचना तो आपके पास होगी ।

श्री सईदुज्जमा—

सेवा में प्रभारी निरीक्षक, थाना कीतवाली, बरेली । महोदय, निवेदन है कि आज दिनांक 23 जनवरी, 1989 को मैं 3 बजे कार्यालय दैनिक "विश्व मानव" प्रेस में काम कर रहा था कि दोपहर करीब एक बजे इन्दिरा कांग्रेस कार्यकर्ता ताहिर एडवोकेट 15–20 गुंडों के साथ जीप से आये और प्रेस में घुस कर मुझ पर हमला कर दिया तथा खींचकर मुझे जीप में डाल कर ले जाने लगे । तभी शोरगुल सुन कर प्रेस के समस्त कर्मचारी जो उस समय ड्यूटी पर थे, आ गये जिन्होंने मुझे बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया । बदमाशों ने उस सम्पादक सुरेन्द्र चतुर्वेदी को भी गालियां दीं । बदमाशों को मैं चतुर्वेदी सामने आने पर पहचान सकते हैं । बदमाश पुलिस की आने की सूचना पाने पर जीप में भाग गये ।

(व्यवधान)

डा० विनेश चौहरी—

जीप का नम्बर दिया होगा ।

श्री सईदुज्जमा—

जीप का नम्बर नहीं दिया है और न बाद में ही बताया यह अफसर बाट है ।

श्री जय दीप सिंह बरार—

इसमें बताया गया कि गुण्डे पकड़ने के लिए आये थे और० एफ० आई० आर० में लिखा हुआ है कि जीप में डाल कर ले जाने का प्रयास किया । इतने में कर्मचारी आ गये और शोर मचाया और यह दिन दहाड़े कार्यवाही हुई जिसकी वजह से वह भाग गये । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो केस दर्ज हुआ है उसमें अपहरण की बात है तो अपहरण जैसे संगीन धारा को इसमें क्यों नहीं लगाया ? इसको इस धारा में क्यों नहीं लिया गया । वहां के जरनलिस्ट लोग भी यहां आये थे मुख्य मन्त्री जी से मिले थे जरनलिस्ट फेडरेशन के लोग मिले थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था । इन सब बातों के बावजूद अपहरण की धारा क्यों नहीं लिखाई, उसको लगाने में क्यों हिचकिचा रहे हैं ?

श्री सईदुज्जमा—

शायद आपने देखा नहीं इसमें धारा 147, 352, 452, 341, 506 लगाई हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मैं आपके माध्यम के माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में यह बात कही कि महिला ने एक पत्र एस० पी० को लिखा जिसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा है आइदर अफ दि हाऊस का वह मेम्बर है । उसको इस तरह से मारा पीटा । तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है या होने जा रही है । उस महिला ने जो काम किया है वह लिख कर दिया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही एस० पी० ने की ।

श्री सईदुज्जमा—

वह नान–कागनिजिबल आफेंस है ।

(व्यवधान)

डा० दिनेश चौहरी—

किसी भी पार्टी का वह आदमी हो तो जब महिला ने उसे मार दिया या पीटा तो उस पर क्या कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये ?

श्री जयवीप सिंह वरार—

जब थप्पड़ मारा तो तब भी नान कामनिजेबुल आफेंस है। अंसा जाहिदी साहब ने कहा कि उस महिला ने एस० पी० को पत्र लिखा। तो उस महिला की बात को सच मानते हुये उसके पत्र को आधार मानते हुये और उसे एफ० आई० आर० समझ कर दर्ज क्यों नहीं की गयी ?

श्री सईदुज्जमा—

मैंने अभी अर्ज किया कि यह गैरदस्तन्दाजी (नान कागनिजिबुल) कार्यवाही है।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

कोई मेम्बर हो चाहे इस सदन के हों या उस सदन के जो निरीक्षण भवन में ठहरते हैं चाहे मन्त्री हों या बड़े अधिकारी हों उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो और पत्र में भी लिखा हो कि मार-पीट की तो उस पर कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं। चाहे वह कामनिजेबुल आफेंस हो या नान कागनिजेबुल आफेंस में आता हो ऐसी कार्यवाही करने वाले के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक माननीय सदस्य का सवाल है अगर ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री सईदुज्जमा—

माननवर, मैंने अर्ज किया जहां तक पुलिस के अधिकार की बात है वह सीमित है। गैरदस्तन्दाजी जुर्म है इसमें कैसे पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मन्त्री जी नान-कागनिजेबुल आफेंस का बहाना लेकर कह रहे हैं कि कार्यवाही सम्भव नहीं है लेकिन कानून में इस बात का प्रावीजन है, हमारे लाल प्रताप सिंह जी हर बात में कानून की बात करते हैं यहां नहीं बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसमें वह कहें कि नानकागनिजेबुल आफेंस में भी ग्रेविटी हो और शासन समझता है कि इसमें कार्यवाही होनी चाहिये, तो नानकागनिजेबल अफेंस में भी परमीशन लेकर उसकी विवेचना हो सकती है। एक महिला के साथ यदि ऐसा दुर्व्यवहार किया गया और आपका शासन उसे गलत समझता है तो नानकागनिजेबुल आफेन्स होते हुए भी काम्पीटेन्ट कालेर्टस परमीशन लेकर इस मामले में सम्बन्धित लोगों के खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री सईदुज्जमा—

माननवर, इस बिन्दु को भी दिखवा लेंगे।

श्री जयवीप सिंह वरार—

29 तारीख की इस मुद्दे पर पूरा बरेली बन्द रहा और यह सरकार कहती है कि आंशिक बन्द रहा और हम कहते हैं कि पूरी तरह बन्द रहा, तो उस 29 तारीख को श्री माननीय मुख्य मंत्री जी के पास श्री विक्रम राव, प्रेसीडेन्ट, इंडियन फेडरेशन

आफ वर्किंग जार्नलिस्ट्स और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के द्विवेदी जी और जगदीश जी ने भी मुख्य मंत्री से भेंट की, और इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने इन दोनों शिष्ट मण्डलों को यह आश्वासन दिया था कि इन अभियुक्तों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। आज भी नई दिल्ली में बोट क्लब पर प्रेस द्वारा एक धरना आयोजित है, इस घटना के सम्बन्ध में। तो इस मुद्दे को देखते हुए और दिनदहाड़े अपहरण का प्रयास देखते हुए, मान्यवर, यदि अपहरण सफल हो जाता तो एक उमेश डोभाल और हो जाता जैसा कि अपहरण के बाद उनकी हत्या हुई, यहां पर अभियुक्त पहले आइडेन्टीफाई हो गये, तो इसके देखते हुए और जो दोनों शिष्ट मंडलों को आश्वासन मुख्य मंत्री ने दिये हैं, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शेष जो 10–15 उनके साथ गुंडे थे, एक जाहिर हुसैन की तो जमानत हो गई, की आइडेन्टीफाई करने के लिये पुलिस ने क्या कार्यवाही की है और जो उनकी जीप चालक शिकायतकर्त्ता द्वारा आइडेन्टीफाई किया गया है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री सईदुज्जमा--

इसमें कोई भी चोटें उनके किसी भी हिस्से पर नहीं आई बीच में डाक्टरी मुआयना कराया गया या नहीं, लेकिन जहां तक पुलिस ऐक्सन की बात है, यह तुरन्त ले लिया गया है और उनके खिलाफ चार्ज-शीट भी न्यायालय में पेश कर दी गयी है और अन्य के सम्बन्ध में जांच हो रही है।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार--

हमारे सामने एस0 एस0 पी0 और सी0 ओ0 मौजूद थे। मेरे सामने वहां की स्थानीय पुलिस....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बहुत सवाल कर चुके हैं, अब बैठिये। दूसरों को भी मौका दीजिये।

श्री जयदीप सिंह बरार--

(व्यवधान)

जब पी0 सी0 सी0 के उच्च पदाधिकारी ही उसमें इन्वाल्व्ड हों तो कैसे जांच सम्भव है इस शासन के द्वारा मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 23 तारीख को एक बजे रिपोर्ट इस मामले में लिखी गई और विवेचना शुरू हो गई और मान्यवर, उसके 15–16 घंटे बाद ही कागज न्यायालय में भेज दिये गये। पुलिस ने इतनी शीघ्रता दिखाई, तो यह उन्होंने पत्रकारों के हित में दिखाई है या गुंडों के पक्ष में उन्हें बचाने के लिये दिखाई है ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, अगर पुलिस और सरकार तत्परता से काम करे तो उस पर भी आपत्ति है और देर करे तो उस पर भी आपत्ति है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग आपस में बात करेंगे या बोलेंगे ?

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में या क्या उस जीप का नम्बर है ? यदि नहीं है तो जब इतने सवाल उठाये हैं कि महिला ने प्रमाण दिया, पत्र लिखा, तो क्या तमाम चीजों को देखकर कोई स्पेशल कार्यवाही, विवेचना ऐसी की जाएगी जिससे समाधान हो सके।

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)—

माननीय, हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट में जीप का नम्बर नहीं है, लेकिन जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है यह एक गम्भीर मामला है हमारे पत्रकार और विधायकों का मामला है, जितने बिन्दु उठाये गये हैं उस पर विवेचना की जाएगी। पत्रकारिता का हमारे देश में, लोकतन्त्र में ऊंचा स्थान है। लोकतन्त्र को चलाने में पत्रकारों की निर्णायक भूमिका होती है मामले के सारे सही तथ्य सामने लाने होते हैं, जो गलत काम हो रहा है उसको भी उनको सामने लाना है, ताकि सुचारु रूप से प्रशासन चल सके। इनको अपने कर्तव्यों को निभाने में हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जाएगी मैं पत्रकारों को आश्वस्त करना चाहती हूं पत्रकार भाई ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, सच्चाई से अपनी भूमिका निभा सकें। प्रशासन दृढ़ संकल्प है हमारे बजट अधिवेशन समाप्त हो जाए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में पत्रकार भाइयों को बुलाया जाए और उनके सुझाव लिये जाएं कि किस तरह से उनको रक्षा प्रदान की जा सके....

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय, वक्तव्य के सम्बन्ध में नियम है। मैंने स्पष्टीकरण पूछा है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक वर्ग विशेष के सम्बन्ध में भाषण देना शुरू कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ रहे हैं वह कह रही हैं। आपने भी तो भाषण कर दिया था।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय, घटनाक्रम का उल्लेख करके जानकारी चाही थी। मेरे स्पष्टीकरण का आप उत्तर दिलवा दें और भाषण बन्द करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आधा घंटा इस पर हो गया अब बहुत हो गया,

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय, उच्च अधिकारियों ने आप को परिसर से भगाया है और कहा है

कि बीप को ले जाओ वरना पकड़ना पड़ेगा । वहां की स्थानीय पुलिस स्वतन्त्र जांच नहीं कर सकती है यह कांग्रेस के उच्चाधिकारियों का मामला है । पत्रकारों पर जो दिन दहाड़े हमला हुआ, उसमें मैं निवेदन करूंगा कि सी० बी० आई० को जांच कराने की कृपा करें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

इसमें मैंने कह दिया कि पत्रकार भाइयों से मिल जाएगा । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी । सुरक्षा के बारे में मैंने अभी कहा था मैंने कोई भाषण नहीं दिया था ।

श्री सैय्यद अली अशरफी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह एक गम्भीर मामला है इसमें सम्मानित विधायकों का सवाल है सम्मानित पत्रकारों का सवाल है, तो क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिये मैं चाहूंगा कि हाउस की एक कमेटी बना दी जाए, जो इसमें जांच करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

शहर के बीच पत्रकारों पर हमला हो जाए, और दूसरे दिन उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और आपने कोई कार्यवाही नहीं की ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल पूछें ।

डाक्टर दिनेश जौहरी —

मान्यवर, 11 तारीख को 302 के मुकदमें में उनको पकड़ा जाता है लेकिन दूसरे दिन ही उनकी जमानत हो गयी । वहां पर जो 3 गम्भीर घटनायें हुयीं उनमें से किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है । बरेली के पत्रकारों ने आवाज उठायी तो उनको प्रताड़ित किया गया । मेरा निवेदन है कि एक महीने के अन्दर सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर पूरी कार्यवाही करने का आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, जमानत का विरोध किया गया है । अदालत को दरखास्त दी गयी है जमानत के विरोध में । हमारी तरफ से इस मामले में पूरी कोशिश की जा रही है ।

श्री जगदीप सिंह बराड़—

मान्यवर, यह जांच कराने के लिये तैयार नहीं हैं और संगीन जुर्म करने वालों को प्रश्रय दिया जा रहा है । इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, जांच कराने का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है इसलिये मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जगदीप सिंह बराड़ एवं डाक्टर दिनेश जौहरी सदन त्याग कर चले गये ।)

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना के निम्नांकित 4 मामलों में माननीय अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया है।

1—श्री राम आसरे वर्मा द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 5 जनवरी, 1988।

2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 13 फरवरी, 1988।

3—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 15 मार्च, 1988।

4—श्री अफसर यू० अहमद द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 18 मार्च, 1988।

उपरोक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना की सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णयों को सदन की आज की कार्यवाही का अंग माना जायेगा, जो इस प्रकार हैं।

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा माननीय नगर विकास राज्य मन्त्री के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा ने माननीय नगर विकास राज्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दी है, जो मुझे दिनांक 5 जनवरी, 1988 को प्राप्त हुई है। उक्त सूचना में माननीय सदस्य ने कहा है कि विधान सभा के तृतीय सत्र, 1987 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर का द्वितीय भाग सत्य से परे है। उक्त प्रश्न के द्वितीय भाग के उत्तर में यह बताया गया था कि आवंटी श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को इसी योजना में नया भू-खंड दिया जा रहा है जिसकी सहमति आवंटी ने दे दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल ने अन्य भू-खंड के लिए कोई सहमति नहीं दी है। इस प्रकार राज्य मन्त्री द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है।

प्रकरण के मामले में नगर विकास मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। नगर विकास मन्त्री के पत्र दिनांक 3 अक्तूबर, 1988 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सचिव तथा सम्बन्धित संयुक्त सचिव से स्वयं मिले थे तथा उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार दूसरा भू-खंड या मकान लेने हेतु श्री अग्रवाल ने मौखिक सहमति दी थी उक्त क्रम के अनुसार श्री अग्रवाल ने बाद में यह भी अनुरोध किया था कि उन्हें भू-खंड या भवन पुरानी दर पर ही दिया जाय। इसी मौखिक सहमति के आधार पर उन्हें कानपुर रोड योजना में पूर्व आवंटित भू-खंड संख्या बी-21-बी के बदले भवन संख्या ए-5/बी, दिनांक 22 अप्रैल, 1988 आवंटित किया जा चुका है और उस पर भू-खंड की पुरानी दर रु० 125 प्रति वर्गमीटर लगायी गयी है। माननीय मन्त्री ने यह भी अवगत कराया है कि श्री अग्रवाल से अतिरिक्त ब्याज, जो लगभग 50,000 रु० है, नहीं लिया जा रहा है।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे विचार से प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार–अवहेलना का प्रश्न अंतर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि आयंटी की सहमति प्राप्त कर ली गयी है और सहमति लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी । माननीय मन्त्री ने उत्तर में यह कहा है कि आयंटी की लिखित सहमति ली गयी है । फलस्वरूप माननीय मन्त्री द्वारा सदन में जानबूझकर भ्रामक उत्तर दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के समर्थ में ऐसा कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे सिद्ध हो सके कि माननीय मन्त्री के सन्दर्भित उत्तर के वित्तीय भाग में जानबूझ कर असत्य कथन किया गया था ।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में मैं श्री राम आसरे वर्मा की उक्त सूचना को अस्वीकार करता हूं ।]

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री नागेन्द्र सिंह क्षेत्राधिकारी पुलिस फरेंदा, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य, विधान सभा ने श्री नागेन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी पुलिस फरेंदा, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 13 फरवरी, 1988 को दी थी । इससे पूर्व इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने, तार द्वारा भेजी गयी सूचना, जो इस सचिवालय में दिनांक 12 फरवरी, 1988 को प्राप्त हुई, में कहा है कि उन्हें 11 फरवरी, 1988 को पूर्वाह्न 11·25 बजे गोरखपुर शहर में गिरफ्तार किया गया । घटना का उल्लेख करते हुए माननीय सदस्य ने कहा है कि जब दिनांक 11 फरवरी, 1988 को श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी करने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रावास के गेट पर पहुंच कर उन्होंने पूछताछ की तो उक्त क्षेत्राधिकारी ने बताया कि धारा 144 तोड़ने के कारण गिरफ्तारी की गयी है । माननीय सदस्य के कथनानुसार उनके द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित जानकारी मांगने पर क्षेत्राधिकारी ने उनके पत्र को फाड़कर जूते के नीचे रौंदते हुए अपशब्दों का प्रयोग कर उन्हें (श्री ओझा जी को) भी उसी ट्रक में ढकेल दिया जिसमें श्री शाही बैठे थे । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह भी कहा है कि वह नेता, विरोधी दल की मीटिंग में शरीक होने लखनऊ आ रहे थे, उनको उक्त मीटिंग में शरीक होने से रोका गया तथा उनके विधायी कार्यों में व्यवधान पहुंचाया गया । माननीय सदस्य ने उक्त मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किये जाने का अनुरोध किया है ।

प्रश्नगत मामले में शासन से भी जानकारी मांगी गयी । पूरे मामले पर गौर करने के पश्चात् यही निष्कर्ष निकलता है कि विशेषाधिकार का मामला उस दशा में उठाया जा सकता है, जब सदन के सदस्य के रूप में किये जाने वाले किसी कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जाय । माननीय श्री ओझा द्वारा श्री शाही की गिरफ्तारी का कारण पूछने के लिए गिरफ्तारी के स्थल पर जाना अथवा माननीय नेता, विरोधी दल द्वारा बुलायी गयी किसी मीटिंग में भाग लेने के लिए लखनऊ आना, सदन अथवा उसकी समिति के कार्य से सम्बद्ध कृत्य नहीं कहा जा सकता है और न ही उसे विधायी कार्य की संज्ञा दी जा सकती है । अतः प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अंतर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है और तद्नुसार में इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

देता हूं। इसके साथ शासन से यह अपेक्षा भी करता हूं कि सभी अवसरों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सदन के माननीय सदस्यों के साथ सम्मानजनक एवं शिष्टता-पूर्ण व्यवहार किये जाने के विषय में जारी किये गये शासकीय निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा माननीय ग्राम्य विकास एवं पंचायती - राज मन्त्री, श्री श्याम सूरत उपाध्याय के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी सदस्य, विधान सभा ने माननीय ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, श्री श्याम सूरत उपाध्याय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न की एक सूचना दी थी, जो इस सचिवालय में दिनांक 15 मार्च, 1988 को प्राप्त हुई है। इसमें माननीय सदस्य का कथन है कि प्रथम सत्र 1988 के तृतीय सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का माननीय मन्त्री ने बिल्कुल गलत तथा तथ्यों से विपरीत उत्तर देकर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। माननीय सदस्य ने इसे सदन की अवमानना मानते हुये अवमान के प्रश्न को सदन में उपस्थित करने की अनुज्ञा चाही है।

प्रश्नगत मामले में ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री का अभिकथन प्राप्त किया गया। माननीय मन्त्री ने अपने पत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 1988 द्वारा प्रस्तुत जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 1987 की जानकारी शासन को उत्तर देते समय तक नहीं थी और उक्त उत्तर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दिया गया जिसमें जिलाधिकारी के सन्दर्भित पत्र का उल्लेख नहीं था। माननीय मन्त्री ने इस बात के लिये खेद भी प्रकट किया है कि सदन में उनके द्वारा दिये गये उत्तर में जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी जांच का परिणाम पूर्णतया प्रतिध्वनित नहीं हो सका।

मैंने माननीय सदस्य की सूचना तथा उसके बारे में माननीय ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज मन्त्री के उत्तर का अध्ययन करने के बाद इस मामले में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उक्त मन्त्री द्वारा सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से जानबूझ कर कोई असत्य बात कही गयी इसके अतिरिक्त माननीय मन्त्री द्वारा इस सम्बन्ध में खेद भी प्रकट किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में मैं इस मामले को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।]

श्री अकबर यू० अहमद द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[श्री अकबर यू० अहमद द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 18 मार्च, 1988 निम्नांकित कारणों से अस्वीकृत किया जाता है--

(क) माननीय सदस्य का कहना है विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे गुरुवार हेतु पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा गलत ढंग से दिया गया है। उक्त तिथि को तारांकित प्रश्न संख्या 19 माननीय सदस्य द्वारा स्वास्थ्य मन्त्री जी से पूछा ही नहीं गया था।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(ख) यदि माननीय सदस्य का आशय अतारांकित प्रश्न संख्या 19 से है तो श्रीमती ओखना देवी, महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनकटी, जनपद बस्ती को वर्ष 1986 के बोनस का भुगतान दिनांक 22 सितम्बर, 1988 को किया जा चुका है ।

(ग) माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह इंगित नहीं किया है कि विशेषाधिकार हनन की सूचना जिसके विरुद्ध दी गई है ।

(घ) माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के पत्र दिनांक 12 जनवरी, 1989 के अवलोकन के उपरान्त प्रश्नगत मामले में किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं प्रतीत होता ।]

श्री किरन पाल सिंह तथा अन्य सदस्यों की नियम 56 की सूचना पर निर्धारित चर्चा को निरस्त किये जाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

आज श्री किरनपाल सिंह तथा कतिपय अन्य माननीय सदस्यों की नियम 56 की सूचना पर मैंने चर्चा स्वीकार की थी । इस मामले पर माननीय मन्त्री जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है इसलिये ऐसा महसूस होता है कि इस पर चर्चा की अब आवश्यकता नहीं है ।

दिनांक 16 जनवरी, 1989 को गोरखपुर जिले में अधिवक्ताओं के मौन जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज के फलस्वरूप वकीलों द्वारा अदालतों के बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्यों ने चर्चा को स्थगित करने के लिये पत्र लिखा है । इसलिये मैं इस चर्चा को स्थगित करता हूं ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिये ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
27 फरवरी, 1989

लाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये अ० ता० प्र० सं० 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ35.पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित श्री मैनेजर सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का संलग्नक ।

विकास खण्ड-बेलहरी, जनपद बलिया

वर्ष 1986-87

प्रोजेक्ट का नाम	कार्य का माप	कार्य की वर्तमान प्रगति	
		भौतिक	वित्तीय व्यय)
1	2	3	4
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम			
			रु०
1—प्रा० पा०, रोहुआ से कन्या प्राइमरी पाठशाला तक सम्पर्क मार्ग	450 मी०	450 मी०	7545.00
2—जू० हा० स्कूल, बिगही पर औषालय निर्माण	1 अदद	पूर्ण	9066.00
3—सामुदायिक विकास केन्द्र, बसुधरपाह	1 अदद	..	..
4—आयुर्वेदिक अस्पताल से दुधैला गांव तक सम्पर्क मार्ग	600 मी०	400 मी०	16450.00
5—बायबाट अधैला दधैला सम्पर्क मार्ग	400 मी०	400 मी०	15525.00
6—अलिया बैरिया बांध से नन्दपुर एप्रो	350 मी०	200 मी०	20216.00
	वर्ष 1987-88		
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम			
1—बोरपुर बिगही मार्ग से बिडारी सम्पर्क मार्ग	500 मी०	150 मी०	2640.00
2—गांव सभा बबुआपुर (कठौ) पांव में खड़ंजा	2210 मी०	570 मी०	49826.00

1	2	3	4
	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम		रु०
1—बाढ़ शरणालय जबहीदीपर	1 अदद	1 अदद	85155.00
2—गांव पटाई जबहीदीपर	..	..	22981.00
	सूखा राहत		
1—नौरूपुर कृषि गोदाम सम्पर्क मार्ग	400 मी०	पूर्ण	14140.00
2—शुकुल छपरा ढालासेन नई बस्ती	390 मी०	..	..
3—गछौवा टोला से पचरुखिया	1410 मी०	पूर्ण	33356.00
4—पुरास के मठिया हरिजन बस्ती वर्ष 1988-89	1000 मी०	300 मी०	7826.00
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		
1—ग्राम सभा हल्दी में 900 एम० एम० के एक पुलिया का निर्माण	1 अदद	..	..
2—समरथपाह में तालाब खुदाई	1 अदद	..	..
3—सं० मार्ग गायघाट दुधेला	450 मी०	पूर्ण	20115.00
4—सहतवार हल्दी रोड से कठही सम्पर्क मार्ग	650 मी०	..	..
5—सं० मार्ग नौरूपुरपर खड़ंजा	300 मी०	..	..
6—सं० मार्ग हल्दी से रूकुनपुरा	210 मी०	..	..
	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम		
1—ग्राम पटाई रेकुनपुरा बाजार	..	पूर्ण	10377.00
2—गांव पटाई हल्दी	..	अपूर्ण	4861.00
3—गांव पटाई हासनगर	..	पूर्ण	..
4—तालाब खुदाई सीताकुंड	..	पूर्ण	68360.00
	सूखा राहत		
1—बलिया बैरिया रोड से गंगापुर 500 मी० बनाना था	..	.	..
2—गायघाट कुआ नं०-1 से मुड़ा-डीह सोनवाला मार्ग	750 मी०	..	..

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ60.पर)

प्रश्नोत्तर संख्या 63 का संलग्नक

क्रम-सं0	अवधि		काष्ठ की मात्रा (कु0 में)	ट्रकों की संख्या	प्रतिदिन औसत उत्पादन (ट्रक में)
1	2		3	4	5
1	1-9-1981 से	15-9-1981	2,373.05	37	2 46
2	16-9-1981 से	30-9-1981	4,148.10	68	4.53
3	1-10-1981 से	15-10-1981	306.45	5	0.33
4	16-10-1981 से	31-10-1981	3,249.90	56	3.73
5	1-11-1981 से	15-11-1981	3,108.10	45	3.00
6	16-11-1981 से	30-11-1981	2,490.05	38	2.53
7	1-12-1981 से	15-12-1981	3,179.60	52	3.46
8	16-12-1981 से	31-12-1981	4,727.65	74	4.93
9	1-1-1982 से	15-1-1982	2,909.90	44	2.93
10	16-1-1982 से	31-1-1982	2832.40	40	3.00
11	1-2-1982 से	15-2-1982	5,744.45	92	6.13
12	16-2-1982 से	28-2-1982	4,755.35	73	4.86
13	1-3-1982 से	15-3-1982	1,512.45	24	1.60
14	16-3-1982 से	31-3-1982	1,806.15	29	1.93
15	1-4-1982 से	15-4-1982	2,368.50	36	2.40
16	16-4-1982 से	30-4-1982	1,532.55	24	1.60
17	1-5-1982 से	15-5-1982	200.10	3	0.20
		योग ..	47,244.75	745	..

सूची 'ग'

(देखिये अतारांकित प्र० सं० 80 का उत्तर पीछे 86 पर)

ग्रामीण अभियन्ता सेवा, उत्तर प्रदेश के अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ प्रोन्नत/कार्यरत की सूची :

क्रमांक	नाम	आदेश संख्या व तिथि
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	भूषण सिंह	2284 (1)/38-4—904 (384),/दिनांक 20 अप्रैल, 1981
2	रोबिन रंजन चटर्जी	तदेव
3	अर्जुन दास (अनुसूचित जाति)	तदेव
4	विनय कुमार भद्र	तदेव
5	मोहम्मद अली	तदेव
6	रामानुज प्रसाद	तदेव
7	बांके बिहारी प्रसाद मेढ़	तदेव
8	जीयद्दन अंसारी	तदेव
9	नरेन्द्र सिंह	तदेव
10	बालादीन वर्मा (अनु० जाति)	तदेव
11	दुर्गा प्रसाद जादव (अनु० जाति)	तदेव
12	मो० इरफान (पिछड़ी जाति)	तदेव
13	जान मोहम्मद	तदेव
14	रवीन्द्र कुमार चौरसिया	तदेव
15	सीताराम मेढ़	4007 (फ) (1)/38-4—904 (384), 17 जून, 1981
16	शिव कुमार सिंह यादव	तदेव
17	जय राम प्रसाद	तदेव
18	प्रणव कुमार कुण्डू	तदेव
19	बृजेश कुमार जैन	तदेव
20	बब्बन तिवारी	तदेव

1	2	3
	सर्वश्री—	
21	केदार नाथ वर्मा	4007 (क) (1)/38-4-904 (384), 17 जून, 1981
22	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	तदेव
23	सैय्यद मक्बुल वाहिद	तदेव
24	बी0 के0 सक्सेना	तदेव
25	महादेव पाठक	5778(1)/38-4-82, दिनांक 7 जुलाई, 1982
26	बालकृष्ण	तदेव
27	सुभाष चन्द्र उपाध्याय	तदेव
28	मृत्युंजय प्रसाद गुप्ता	तदेव
29	राम प्रकाश गौड़	तदेव
30	लखन सिंह	तदेव
31	मीती कुंवर	तदेव
32	सिद्ध नाथ सिंह	तदेव
33	श्री अर्जुन शर्मा	तदेव
34	राधेश्याम पाण्डेय	तदेव
35	सीताराम ठाकुर	9925/38-4, दिनांक 20 जनवरी, 1984
36	मिथी लाल	तदेव
37	हयात उल्लाह खां	तदेव
38	अधर उल्ला खां	तदेव
39	स्वप्न कुमार चौधरी	तदेव
40	अहसान अहमद	तदेव
41	सीताराम कापरी	तदेव
42	परमानन्द प्रसाद	तदेव
43	विमलेन्द्र दास गुप्ता	तदेव
44	श्याम सुन्दर प्रसाद	तदेव
45	कृत्या नन्द झा	तदेव
46	अच्छे लाल	तदेव

1	2	3
	सबंधी--	
47	चन्द्रवली राय	9925/38-4, दिनांक 20 जनवरी, 1984
48	उराम सिंह	तदेव
49	त्रिभुवन झा	तदेव
50	कृष्ण कुमार सिन्हा	तदेव
51	अली रहमान खां (डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी)	तदेव
52	दुर्गा दत्त	392/84/38-1-1984, दिनांक 17 मई, 1984
53	लक्ष्मी चौधरी	तदेव
54	नवल किशोर सिंह	तदेव
55	रमा कान्त सिंह	तदेव
56	पंचम सिंह	तदेव
57	सोम प्रकाश गुप्ता (डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी)	तदेव
58	देवेन्द्र कुमार गुप्ता (कम्प्यूटर कोटे अभ्यर्थी)	तदेव
59	राज कुमार त्यागी	तदेव
60	सत्य नारायण प्रसाद	तदेव
61	अख्तर हुसैन	तदेव
62	चन्द्र पाल सिंह	तदेव
63	हृदेश मणि मिश्रा	तदेव
64	केदार नाथ तिवारी	तदेव
65	बृजेन्द्र प्रसाद मोदी	तदेव
66	ओम प्रकाश गंगल	तदेव
67	विनोद कुमार श्रीवास्तव	तदेव
68	ललन प्रसाद	तदेव
69	सुनील कुमार सिंह	तदेव
70	शमसुद्दीन	तदेव
71	श्याम नारायण पाण्डेय	तदेव

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तर प्रदेश में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक एवं विद्युत्) के पद पर तदर्थ प्रोन्नत/कार्यरत की सूची :—

क्रमांक	नाम	आदेश संख्या व तिथि
1	2	3
सर्वश्री—		
1	कामता प्रसाद यादव	1829/38-8—904 (55)—87—19 अगस्त, 1987
2	मदन कुमार जैन	तदेव
3	रवीन्द्र नाथ	तदेव
4	पूरन मल शर्मा	तदेव
5	राम अवध प्रसाद गौड़ (आजाद)	तदेव
6	ओम पाल सिंह	तदेव
7	श्रीप्रकाश श्रीवास्तव	तदेव
8	कमलेश कुमार हसन	तदेव
9	विमला प्रसाद गुप्ता	तदेव
10	सुरेश चन्द्र वर्मा	तदेव
11	यूसुफ अली खां	तदेव
12	बृज किशोर प्रसाद	तदेव
13	संतोष कुमार शर्मा	तदेव
14	राधेश्याम सिंह	तदेव
15	अजय कुमार आनन्द	तदेव
16	प्रकाश वीर वर्मा	तदेव

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 125 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 1125 के उत्तर में संर्भित सूची

क्रम सं0	विकास खंड का नाम	भवनहीन विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1	फतेहगंज	29
2	क्यारा	25
3	विधंरी	44
4	भोजीपुरा	24
5	मींरगंज	53
6	नवाबगंज	16
7	भवपुरा	31
8	भुता	32
9	फरीदपुर	35
10	रिछा	19
11	आलमपुर	27
12	रामनगर	13
13	मझगवां	18
14	बहेड़ी	28
15	शेरगढ़	..
	योग ..	394

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 94 पर।)

सूची

(धनराशि रुपयों में)

वर्ष	अनुदान का विवरण	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	अवशेष धनराशि	अवशेष रहने के कारण
1	2	3	4	5	6
1984–85	साधारण सड़क अनुदान	50,000	50,000	..	..
	विशेष सड़क अनुदान	50,000	50,000	..	..
	जल सम्पूर्ति	60,000	60,000	..	..
	जल सम्पूर्ति हेतु	60,000	60,000	..	..
	योग	2,20,000	2,20,000	..	..
1985–86	साधारण सड़क अनुदान	80,000	80,000	..	..
	योग	80,000	80,000	..	..
1986–87	प्रकाश व्यवस्था	1,00,000	..	1,00,000	इस मामले में टेंडर आमन्त्रित किए गये थे, किन्तु उस पर क्रय समिति की सहमति प्राप्त नहीं हुई। अब पुनः औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
	विशेष सड़क अनुदान	5,00,000	5,00,000	..	..
	साधारण सड़क अनुदान	80,000	80,000	..	..
	बाढ़ एवं अतिदृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु	1,00,000	38,530.90	61,469.10	कार्य सम्पन्न कराया जा चुका है। निर्माण कार्य की तकनीकी जांच के कारण पूर्ण भुगतान अभी नहीं किया गया है।
	जल सम्पूर्ति एवं सीवरेज ड्रेनेजर हेतु	2,00,000	..	2,00,000	निर्माण कार्य हो चुके हैं। निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच के कारण भुगतान अभी नहीं हुआ है।
	योग ..	9,80,000	6,18,530-90	3,61,469.10	..
1987-88	साधारण सड़क अनुदान	80,000	..	80,000	अवर अभियन्ता द्वारा आगणन देर से तैयार किए जाने के कारण उपयोग में देरी हुई। अब आगणन तैयार हो चुका है जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
	योग ..	80,000	..	80,000	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा